लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK SABHA DEBATES

[सातवां सत्र
Seventh Session]

Preservation Unit
17-7-84
Fumigated
On 31.1.84
Parliament Library

[खंड 29 में अंक 51 से 62 तक हैं
Vol. XXIX contains 51-62]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय सूची/CONTENTS

अंक 54, मंगलवार, 6 मई, 1969/16 वैशाख, 1891 (शक)

No. 54 Tuesday, May 6, 1969/Vaisakha 16, 1891 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	**विषय**	Subject	पृष्ठ/Pages
1502.	धार्मिक स्थानों को जाने वाले तीर्थ यात्रियों पर कर लगाया जाना	Imposition of Tax on Pilgrims visiting Religious Places	1
			5
1503.	मैसूर में औद्योगिक विकास के लिए ऋण	Loans for Industrial Development in Mysore	
1504.	स्टेशन मास्टरों की सेवा की शर्तें	Service conditions of Station Masters	6
1505.	टायरों की कीमतें	Prices of Tyres	8
1506.	कार बनाने के कारखानों के तकनीकी विशेषज्ञों का दौरा	Visitby Technical Experts of Car Factories	13
अल्प-सूचना प्रश्न		Short Notice Q.	
21	सितम्बर 1968 की हड़ताल में भाग लेने वाले नैमित्तिक श्रमिक तथा अन्य रेलवे कर्मचारी	Casual Labour and other Railway Employees who took part in September, 1968 strike	19

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता. प्र. संख्या S. Q. Nos.			
1471.	ब्रिटेन में मैसूर का व्यापार अभिकर्ता	Mysore Trade Agent in U. K.	26
1472.	छोटी कोयला खानों का विलय	Amalgamation of small coal mines	27
1473.	वार्षिक योजनाओं के लिए विदेशी सहायता	Foreign Aid for Annual Plans	27

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता. प्र. संख्या U. S. Q. Nos.		
1474. टाटा उर्वरक परियोजना	Tata Fertilizer Project	27
1475. बिजली की समान दरें	Uniform Retes for Electricity	28
1476. ब्रह्मपुत्र आयोग	Brahmaputra Commission	28
1477. दिल्ली की राजस्व सम्बंधी आय	Revenue earnings of Delhi	29
1478. योजनाओं में दिल्ली और उत्तर प्रदेश को दी गई वित्तीय सहायता	Financial Assistance given to Delhi and U. P. in Plans	29
1479. संतति निरोध के लिए आयुर्वेदिक की गोलियाँ	Ayurvedic Tablets for birth control	30
1480. भारत में प्रति व्यक्ति बिजली का उपयोग	Per Capita Consumption of Electricity in India	30
1481. जीवन बीमा निगम के विनियोजन	L. I. C. Investments	31
1482. बिजली को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में हानि की प्रतिशीतता	Percentage of electricity loss in transmission	31
1483. पर्यटकों को वस्तुओं के बेचने से मिली विदेशी मुद्रा	Foreign exchange earned by sale of goods to tourists	32
1484. दिल्ली में तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधियों में अस्पताल और रोगी शय्यायें	Hospitals and beds in Third and Fourth Plan periods in Delhi	33
1485. इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	Indian Drugs and Pharmaceuticals Ltd.	33
1486. बृहद् बम्बई में आवास समस्या	Housing problem in Greater Bombay	35
1487. तलचेर कोयला क्षेत्रों का उत्पादन	Production from Talcher Coalfields	35
1488. न्यू इण्डिया एंश्योरेन्स कम्पनी के एजेंसी इन्सपेक्टर	Agency Inspectors of New India Assurance Company	36
1489. खनिज उत्पादन	Mineral production	37
1490. नकली विदेशी मुद्रा	Forged Foreign Currency	37
1491. नेत्र बैंक, बम्बई में भ्रष्टाचार	Corruption in Eye Ball Bank, Bombay	38
1492. भारत के विदेशी विनियोजन	Foreign Investments in India	38
1493. संयुक्त अरब गणराज्य के साथ दोहरा कराधान रोकने का करार	Double Taxation Avoidance Agreement with UAR	39

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
प्रता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
1494. मध्य प्रदेश में कोयला साफ करने के कारखाने	Coal Washeries in Madhya Pradesh	39
1495. पारादीप में उर्वरक कारखाना	Fertilizer Factory at Paradeep	40
1496. राजस्थान, आंध्र प्रदेश तथा बिहार में खनिज सर्वेक्षण	Mineral Suavey in Rajasthan, Andhra Pradesh and Bihar	40
1497. साउथ एवेन्यू औषधालय में संसद सदस्यों का उपचार	Treatment of M. Ps. in South Avenue Dispensary	40
1498. पूर्णतः निर्मित वस्तुओं पर इकहरे उत्पादन शुल्क का लगाया जाना	Singla Evcise Levy on Final Products	41
1499. खाण्डसारी तथा चीनी पर उत्पादन शुल्क	Excise duty on Khandsari and Sugar	41
1500. सब्जी मण्डी यूनियन, दिल्ली	Vegetable Market Union, Delhi	42
1501. चौथी पंचवर्षीय योजना में आरम्भ किये जाने वाले आदिम जातीय विकास खण्ड	Tribal Development Blocks to be epened during Fourth Plan	42
1507. छोटे ट्रांसफर्मरों का निर्माण	Manufacture of small transformers	43
1508. प्रथम दर्जे के डिब्बों में यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था	Safety of passengers in first class compartments	·43
1509. भारत तथा विदेशों में बिड़ला सार्थ समूह की फर्में	Birla Group of Concerns in India and Abroad	44
1510. उड़ीसा में नये उद्योग	New Industries in Orissa	44
1511. बर्मा द्वारा रेल पटरियों तथा रेल के अन्य उपकरणों की भारत से खरीद	Purchase by Burma of Rails and Traek Equipment from India	45
1512. काश्मीर सम्बंधी औद्योगिक तथा आर्थिक विकास समिति	Committee on Industrial and Economic Development of Kashmir	45
1513. बोकारो इस्पात कारखाने में रूसी विशेषज्ञ	Soviet Experts at Bokaro Steel Plant	46
1514. बैंकांक में एशियाई विकास परिषद की बैठक	Asian Development Council meeting at Bangkok	47
1515. भारत में विदेशी पूंजी विनियोजन	Investment of Foreign capital in India	47
1516. डीजल रेल इंजन कारखानों में निर्मित इंजन	Locomotives Built at Diesel Loco Works	48

विषय	Subject	पृष्ठ / Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
1517. मुरादाबाद स्टेशन पर पेट्रोल के वेगन में आग	Fire in petrol Wegon at Moradabad Station	48
1518. आयात लाइसेंसों के लिए राज्यों से आवेदन पत्र	Applications for import licences from States	49
1519. रेलवे स्टेशनों पर पुस्तकों की दूकानें	Book Stalls on Railway Stations	49
1520. उद्योगों की स्थापना में प्रादेशिक असन्तुलन	Regional Imbalances in setting up of Industries	50
1521. 1969 के मध्यावधि चुनाओं में जब्त जमानतें	Deposits forfeited in the 1969 Midterm Elections	50
1522. पूर्वोत्तर रेलवे में डिवीजन बनाना	Divisionalisation of North Eastern Railway	51
1523. रेलवे भोजन व्यवस्था तथा यात्री सुविधा समिति का प्रतिवेदन	Railway Catering and Passenger Amenities Commttiee's Report	51
1524. मैसर्स सेंचुरी स्पिनिंग एण्ड मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड, बम्बई	M/s Century Spinning and Manufacturing Co. Ltd, Bombay	52
1525. इंडिया बेल्टिंग एण्ड कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेढ, सेरामापुर द्वारा हिसाब किताब रखा जाना	Maintenance of Accounts by India Belting and Cold Storage Private Limited, Serampore	53
1526. इंडिया वेल्टिग एण्ड कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट, सेरामपुर	India Belting and Cold Storage Privated Ltd., sermpore	53
1527. रेलों के कार्य संचालन में दक्षता तथा मितव्ययता	Effieiency and Economy in the working of Railways	54
1528. अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के आधीन संगठन	Organisation under Commissioner for Scheduled Castes/Schcduled Tribes	55
1529. खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली के प्रबंधक के विरुद्ध केंद्रीय जांच विभाग द्वारा जांच	C. B. I. probe against Manager of Khadi Gramodyog Bhavan, New Delhi	55
1530. नया अखिल भारतीय राजनैतिक दल	New All India Political Party	56
अतारांकित प्रश्न संख्या		
8349. राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा हीरों की नीलामी	Auction of Diamonds by National Mineral Developme nt Corporation	56
8350. नेपथा की आवश्यकता	Requirement of Naptha	57

विषय	Subject	पृष्ठ / Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
8351. विदेशों में फिल्मों की शूटिंग के लिए दी गई विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange given for shooting films abroad	58
8352. उत्पादन शुल्क अधिकारियों द्वारा भारत कारपेट्स लिमिटेड, फरीदाबाद पर छापे	Raids on Bharat Carpets Ltd. Faridabad by Excisc Authorities	59
8353. बिक्री कर अधिकारियों द्वारा मैसर्स भारत कारपेट्स लिमिटेड, फरीदाबाद पर छापे	Raids on Bharat Carpets Ltd. Faridabad by Sales Tax Authorities	59
8354. नागपुर के निकट कुराडी में तापीय बिजली घर	Thermal Power Station at Koradi near Nagpur	60
8355. महाराष्ट्र की पीने के पानी की सप्लाई सम्बंधी योजनायें	Drinking water supply schemes of Maharasthra	60
8356. महाराष्ट्र में ग्राम्य गृह-निर्माण योजना	Rural Housing Scheme in Maharashtra	61
8357. महाराष्ट्र में ग्राम्य विद्युतीकरण योजनायें	Rural Electrification schemes in Maharashtra	61
8358. राज्यों के पास ऋण की व्यय न की गई राशि	Unspent Balance of Loans to States	62
8359. हंगरी द्वारा दिये गए ऋण का उपयोग	Utilization of Hungarian Credit	62
8360. भारत में सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	Public Sector Enterprises in India	63
8461. बेलाडिला लौह अयस्क परियोजना का उद्घाटन समारोह	Inauguration of Bailadila Iron Ore Project	63
8362. पंजाब में बिजली की कमी	Shortage of Electricity in Punjab	64
8363. उत्तर प्रदेश में कृषि के लिए बिजली की दरें	Power Rates for Agricultural purpases in U. P.	65
8364. गुजरात में उकाई सिंचाई परियोजना	Ukai irrigation Project in Gujarat	65
8365. तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग	Oil and Natural Gas Commission	66
8366. बिड़ला समूह की कम्पनियों द्वारा करों का अपवंचन	Evasion of Taxes by Birla Concerns	
8367. राज्य में मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम को ठेस	Set back to Malaria Eradication programme in States	67
8368. राज्यों में बिजली की दरें	Electric charges in the states	69

विषय	Subject	पृष्ठ/Page
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		

8369.	गृह निर्माण के लिए राज्यों को जीवन बीमा निगम से ऋण	L. I. c. loans to States for Housing	70
8370.	दन्त चिकित्सा कालेज	Dental Colleges	70
8371.	हज यात्रियों द्वारा लाई गई वस्तुयें	Goods brought by Haj Piligrims	71
8372.	मैसर्स डोडसाल (प्राइवेट) लिमिटेड	M/s Dodsal (P) Ltd.	71
8373.	उड़ीसा को जीवन बीमा निगम द्वारा ऋण	L. I. C loans to Orissa	72
8374.	सिचाई के प्रयोजनों के लिए गांवों को पानी सप्लाई करने की समस्या	Problems of Rural Water Supply for Irrigation purposes	72
8375.	भारत में विदेशी गैर-सरकारी पूंजी विनियोजन	Private Foreign Investments in India	72
8376.	मिला जुला वित्त तथा राजस्व लेखा	Combined Finance and Revenue Accounts	74
8377.	वित्तीय संस्थाओं का विलय	Merger of financial institutions	74
8379.	नदी विवादों को हल करने के लिए स्थायी आयोग की स्थापना	Setting up of standing commission to solve river water disputes	75
8380.	कपाड़िया परिवार द्वारा किलिक उद्योग समूह का अपने अधिकार में लिया जाना	Taking over of Killick Group Industries by Capadia Family	75
8381.	केंद्रीय जांच आयोजन तथा डिजाइन संगठन	Central Investigation Planning and Design Organisation	76
8382.	हरिदास मूंदड़ा द्वारा ब्रिटेन में अपने एजेन्ट को पत्र	Haridas Mundhra's letter to his egent in U. K.	77
8383.	शारदूलसिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य का मामला	Case of Shardul Singh versus State of Madhya Pradesh	77
8384.	मध्य प्रदेश के कृषि वित्त निगम द्वारा स्वीकृत ऋण	Loan sanctioned by Agricutural Finance Corporation in Madhya Pradesh	78
8385.	सरकारी उद्यम ब्यूरो के लिए सचिव	Secretary for Public Enterprises Bureau	78
8386.	विभिन्न आय वर्गों के रहन-सहन के स्तर में सुधार	Standard of Living of Different Income Groups	79
8387.	धार्मिक संस्थाओं को प्लाटों का आवंटन	Allotment of plots to Religious Institutions	79

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
8388. कोटा (राजस्थान) में पानी का रिसना रोकने के लिए नालियों की व्यवस्था करने के लिए धन का नियतन	Allocation for Drainage to check seepage in Kotah (Rajasthan)	80
8389. राजस्थान में कोटा बांध तथा रावत भाटा परियोजना	Kotah Dam and Rawat Bhata Project in Rajasthan	80
8390. बनास नदी से अजमेर अथवा नसीराबाद को पानी ले जाने की योजना	Scheme to Carry Water to Ajmer or Nasirabad from River Banas	80
8391. कोटा से उदयपुर को आयकर कार्यालय का स्थानान्तरण	Shifting of Income Tax office from Kotah to Udaipur	81
8392. नये कराधान वाली वस्तुओं के स्टाक की जांच	Verification of stocks of items of New Levies	81
9393. नये कराधान वाली वस्तुओं के स्टाक की जांच	Verification of stocks of Items of New Levies	81
8394. निर्मित तथा अर्ध निर्मित माल के भण्डारों की जांच	Verificatiou of stocks of Manufactured and Semi-manufactured Goods	82
8395. डेरा स्माइल खां सहकारी गृह निर्माण समिति की भूमि का विकास	Development of land Dera Ismail Khan Co-operative House Building Society	83
8396. डेराइस्माइल खां सहकारी गृह निर्माण समिति का कार्य संचालन	Working of Dera Ismail Khan Co-operatiue House Building Society	83
8397. सरकारी कर्मचारियों द्वारा कारों तथा मूल्यवान वस्तुओं का आयात	Import of Cars and Costly goods by Government Employees	84
8398. मंत्रियों द्वारा वस्तुओं का आयात	Import of Articles by Ministers	85
8399. ईसाई धर्म प्रचारकों द्वारा विदेशी मुद्रा में हेरफेर	Foreign Exchange Manipulations by Christian Missionaries	85
8400. पाकिस्तान द्वारा आसाम के निकट तेल के लिए ड्रिलिंग	Oil Drilling near Assam by Pakistan	86
8401. ब्रिटेन में भारतीय डाक्टरों के निवास की समय सीमा	Time Limit on stay of Indian Doctors in U. K.	87
8402. कच्छ अथवा सौराष्ट्र में एल्युमिनियम कारखाना	Aluminium Factory in Kutch or Saurashtra	87
8403. अन्तर्राष्ट्रीय विकास सम्बंधी आयोग के अध्यक्ष की यात्रा	Visit by Chairman of Commission on Internattonal Development	87
8404. उर्वरक ऋण प्रत्याभूति निगम (क्रेडिट गारंटी) कारपोरेशन	Fertilizer Credit Guarantee Corporation	88

विषय		Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्रश्न संख्या U. S. Q. Nos.			
8405.	भेषजों का उत्पादन	Manufacture of Drugs	89
8406.	राजस्थान में अकाल की स्थिति का मुकाबला करने के लिए केंद्रीय सहायता	Central Assistance to meet Famine situation in Rajasthan	89
8407.	उर्वरक कारखानों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम के साथ करार	Arrangement with International Finance Corporation for Fertilizer Plants	90
8408.	कलकत्ता में मिट्टी के तेल की सप्लाई के बारे में शिकायतें	Complaints re. Kerosene Supply in Calcutta	91
8409.	सिक्कों से भरे थैलों का पकड़ा जाना	Seizure of bags containing coins	91
8410.	पायराइट्स फास्फेट एण्ड केमिकल्स लिमिटेड, अमझोर	Pyrites phosphates and Chemicals Ltd. Amjhor	91
8411.	नई परिवार नियोजन योजना	New Family Planning Scheme	92
8412.	तिब्बती नारियों द्वारा चमकदार धागे की तस्करी	Smuggling of Radiant Yard by Tibetan women	92
8413.	खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा दिया गया ऋण	Loans advanced by Minerals and Metals Trading corporation	93
8414.	बिहार में गंदी बस्तियां हटाने की योजनायें	Slum clearance schemes in Bihar	93
8415.	प्रयुक्त स्नेहक तेल को पुन: प्रयोग के योग्य बनाना	Reclamation of used lubricant Oil	94
8416.	बरौनी और गौहाटी तेल शोधक कारखानों में उत्पादन	Production at Gauhati and Barauni Refineries	94
8417.	राजस्थान के भानेका ग्राम में टाइ-फाइड से मृत्यु	Deaths due to Typhoid in Bhaneka village of Rajasthan	95
8418.	उड़ीसा में चौथी पंचवर्षीय योजना में उर्वरक कारखाने	Fertilizer plants in Orissa during Fourth Plan	96
8419.	वित्तीय सम्बंधों पर विचार करने के लिए मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन बुलाना	Convening of Chief Ministers Conference to discuss Financial Relationship	96
8420.	जीवन बीमा निगम में सहायक प्रशा-सानिक अधिकारियों की भर्ती	Recruitment of Assistant Adminis-trative Officers in L. I. C.	97
8421.	बम्बई] के निकट करेतरी द्वीप पर विदेशी माल का पकड़ा जाना	Seizure of Foreign Goods at Kretri Island near Bombay	98
8422.	अनिवार्य परिवार नियोजन कार्यक्रम	Compulsory Flamily Planning Programme	98

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
8423. अखिल भारत नेत्र सुधार संघ, नई दिल्ली	Akhil Bharat Netra Sudhar Sangh. New Delhi	99
8424. दक्षिण बम्बई में तस्करी के सोने का पकड़ा जाना	Seizure of smuggled gold in South Bombay	99
8425. उत्तर प्रदेश में ग्रामीण आवास योजना	Rural Housing Scheme in Uttar Pradesh	100
8426. पैट्रो-रसायन निगम की स्थापना	Formation of Petro Chemical Corporation	101
8427. पोलीथाइलीन और पोलीबुटाडीन रबड़ के उत्पादन की परियोजनायें	Projects for Manufacture of Polyethylene and Polybutadiene Rubber	101
8428. कच्चे तेल पर स्वामित्व की पुनरीक्षित दरें लागू करना	Application of Revised Rates of Royalty on Crude Oil	102
8429. राजस्थान नहर परियोजनाओं के लिये धन का नियतन	Allocation of Funds for Rajasthan Canal Project	102
8430. फरीदाबाद में सरकारी फ्लैटों के साथ संलग्न खुले स्थान का किराया	Rent for open space attached to Government flats in Faridabad	102
8431. दिल्ली विकास प्राधिकार की नारायणा रिहायशी योजना के जी० ब्लाक में प्लाट	Plots in G Block Naraina Residential Scheme of DDA	103
8432. उच्च स्तरीय सिंचाई आयोग की स्थापना	Set up of High Power Irrigation Commission	104
8433. बिड़ला उद्योग समूह में वित्त मंत्री के अंश (शेयर)	Share Holding of Finance Minister in Birla Concerns	105
8434. औद्योगिक समवायों में बैंकों के अंश	Holding of shares by Banks in Industrial Companies	105
8435. बी. आर. ग्रुप तथा कानपुर के श्रीराम रतन गुप्त की ओर आयकर की बकाया राशि	Income tax arrears of B. R Group and Shri Ram Rattan Gupta of Kanpur	106
8436. बिहार में छोटी पन-बिजली योजनायें	Minor Hydro Electric Schemes in Bihar	106
8437. व्यास परियोजना में कर्मचारियों के वेतनमान	Pay Scales of Employees in Beas Project	107
8438. बिहार में विद्युत सम्बंधी आवश्यकताओं के लिए धन का नियतन	Allocation of Funds for Power requirements in Bihar	107
8439. बिहार में बिजली की सप्लाई में बाधा	Disruption of Electricity supply in Bihar	108
8440 वर्ष 1947 के बाद बनाये गए बांध	New Dams constructed since 1947	108

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता॰ प्र॰ संख्या U. S. Q. Nos.		
8441. पश्चिम बंगाल में प्रति व्यक्ति योजना व्यय	Per Capita Plan Expenditure in West Bengal	109
8442. अर्जेंटाइना का गेहूँ खरीदने तथा कुएं लगाने के लिए भारत को स्विटज़रलैंड द्वारा उपहार	Gift by Switzerland to India for purchase of Argentina Wheat and construction of wells	109
8443. महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल की आवश्यकता	Requirements of drinking water in rural areas of Maharashtra	109
8444. डाक्टरों को अतिरिक्त भत्ते देना	Extra Allowonce to Doctors	110
8445. सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा विदेशी पर्यटकों को अनुज्ञा	Customs clearance to Foreign Tourists	111
8446. एशियाई विकास बैंक	Asian Development Bank	112
8447. 'ओपरेशन हार्ड राक'	Operation Hard Rock	112
8448. चलचित्र उद्योगों के लोगों को विदेशी मुद्रा की मंजूरी	Foreige Exchange allowed to persons in Film Industries	113
8449. पेट्रोलियम शोधन कारखानों के योग-दान के बारे में विचार गोष्ठी	Seminar on Role of Petroleum Refineries	113
8450. सिंचाई आयोग	Irrigation Commission	114
8451. नेशनल फेडरेशन आफ इंडियन रेलवे मैन का बारहवां वार्षिक सम्मेलन	Twelfth Annual Convention of National Federation of Indian Railwaymen	115
8452. बम्बई पत्तन न्यास के अध्यक्ष द्वारा सैर करने के काम आने वाली तीव्र-गामी नौका का आयात	Import of pleasure speed boat by Chairman, Bombay Port Trust	117
8453. इन्दौर में फर्मों से बकाया आयकर	Income Tax Arrears due from Firms in Indore	117
8454. नये जीवन बीमा प्रस्तावों के लिए पालिसियों का जारी किया जाना	Issue of Policies for new Life Insurance Proposals	118
8455. जीवन बीमा निगम द्वारा बसंत प्रति-योगिता का आयोजन	Basant competion organised by Ltfe Insurance Corporation	118
8456. भारतीय उर्वरक निगम के मजदूर संघ के कार्यकर्त्ताओं का निलम्बन	Suspension of Trade Union Workers of Fertilizer Corporation of India	119
8458. बोडरा वैल नं. 1 के लिए बैराइट्स पाउडर की खरीद	Purchase of Berytes Powder for Bodra Well No. 1	119
8459. कालापानिया नहर पर बांध का निर्माण	Construction of Embankment on Kalapania Canal	120

विषय अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		Subject	पृष्ठ / Pages
8460.	विट्ठलभाई पटेल भवन, नई दिल्ली में 'तैरने का तालाब'	Swimming pool in Vithalbhai Patel House, New Delhi	121
8461.	बेत्तिया सब-डिवीजन में नेपाली गांजा तथा विदेशी माल पकड़ा जाना	Seizure of Nepali Ganja and foreign goods in Bettiah Sub-Civision	121
8462.	गैर सरकारी डाक्टरों द्वारा ली जाने वाली फीस	Fees charged by Private Doctors	122
8463.	शंकर गार्डन कालोनी, दिल्ली	Shanker Garden Colony, Delhi	122
8464.	गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय नेताओं की मूर्तियों पर प्रकाश न किया जाना	Non-illumination of statues of National leaders on Republic Day	123
8465.	राष्ट्रीय नेताओं की मूर्तियों वाले प्लाटों में सुधार	Imnrovement of plots having statues of National Leaders	123
8467.	मेडिकल कालेज	Medical Colleges	124
8468.	आयुर्वेदिक औषध निर्माण गृह	Ayurvedic Pharmacies	124
8469.	पंचकुइया रोड नई दिल्ली पर दुमंजिले क्वार्टर	Double storeyed Quarters at Panchkuia Road, New Delhi	125
8470.	दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना के आयुर्वेदिक औषधालय	C.G.H.S, Ayurvedic Dispensaries in Delhi	125
8471.	दफ्तरियों के लिए सलेक्शनग्रेड पद	Selection Grade posts for Daftries	126
8472.	रोगों का उन्मूलन	Eradication of Diseases	126
8473.	आधुनिकीकरण के लिए भारतीय उद्योगों को करों में रियायत	Tax concessions to Induestries for modernisation purposes	128
8474.	राज्यों पर केन्द्र के ऋण भुगतान की अवधि का पुनः निर्धारण	Rescheduling of States, Debts to Centre	131
8475.	रानीगंज जल सम्भरण	Raniganj Water Supply Scheme	131
8477.	चलचित्र कलाकारों द्वारा आयकर का अपवंचन	Evasion of Income tax by Film Stars	132
8478.	दिल्ली में फिल्म वितरकों द्वारा दिया गया आयकर	Income Tex paid by Film Distributors in Delhi	132
8479.	अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था में तदर्थ नियुक्तियां	Ad hoc Appointments in All India Institute of Medical Sciences	133
8480.	भाखड़ा में दाहिने किनारे पर स्थित बिजली घर का उद्घाटन समारोह	Inauguration Ceremony of Right Bank Power House at Bhakra	133

विषय	Subject	पृष्ठ / Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
8481. वस्तु विनिमय करार के अन्तर्गत सामान्य शीर्ष में प्राप्त धनराशि	Amout received under General Head under Barter Agreement	134
8482. राष्ट्रीय कोयला विकास निगम को हुई हानि	Loss incurred by National Coal Development Corporation	134
8483. दिल्ली के चारों ओर के नगरीय क्षेत्र में आने वाले गांवों के लिए नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था	Provision of Civic Amenities in Urbanised Village in Delhi	135
8484. दिल्ली में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना के औषधालय	C.G.H.S. Dispensaries in Delhi	136
8485. केन्द्रीय गैस ग्रिड	Central Gas Grid	136
8486. फिल्मों के लिए वित्त की व्यवस्था करने वाले व्यक्तियों तथा फिल्म निर्माताओं के कार्यालयों आदि पर छापे	Raids on Premises of Film Financiers and Film Producers	137
8487. तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल में फिल्म स्टूडियो के मालिकों तथा फिल्म प्रदर्शकों की ओर आयकर की बकाया राशि	Income tax Arrears outstanding Against Film Studio owners and Film Exhibitors in Tamil Nodu and West Bengal	137
8488. फिल्मी कलाकारों द्वारा आयकर की चोरी	Evasion of Income Tax by Film Stars	138
8489. फिल्मों में काम करने के लिए फिल्म कलाकारों द्वारा ली जाने वाली राशि	Amount charged by film stars for working in Films	138
8490. पश्चिम बंगाल में फिल्म उद्योग में काम करने वाले लोगों द्वारा देय धन कर की बकाया राशि	Wealth tax arrears due against persons in Film Industry in West Bengal	139
8491. चोरी छिपे लाई गई घड़ियां पकड़ी जाना	Seizure of Smuggled Watches	139
8492. गोआ के केथोलिक धर्म के अनुयायियों द्वारा परिवार नियोजन कार्यक्रम का विरोध	Opposition to Family planning programmes by Catholics of Goa	140
8493. गोआ में पेलेट बनाने का कारखाना	Setting up of a Pelletising plant in Goa	140
8494. अखिल भारतीय अलकोहल, तम्बाकू नशीले पदार्थ सम्बंधी सम्मेलन	All India Conference on Alcohol, Tobacco and Narcotics	141
8495. धवल रोग (लेकोडरमा) के रोगियों में वृद्धि	Increase in Leucoderma Patients	142

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
8496. संसद भवन में ध्वनि-उपकरण संचालन कर्मचारी	Staff operating sound equipment in Parliament Hous	142
8497. सहायक इंजीनियरों की सीधी भर्ती	Direct Recruitment of Assistant Engineers	143
8498. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में सिविल सहायक इंजीनियरों की नियुक्ति	Appointment of Civil Assistant Engineers in C. P. W. D.	144
8499. महलनवीय समिति का आय वितरण पर प्रतिवेदन	Mahalanobis Committee's Report on Income Distribution	144
8501. इंडियन ड्रग्ज एण्ड फार्मेसिटिकल्स लिमिटेड के अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक के विरुद्ध आरोपों के बारे में रिपोर्ट	Report on Charges against Chairman and Managing Director of Indtan Drugs and Pharmaceuticals Ltd.	145
8502. संश्लिष्ट औषधि निर्माण कारखाना, हैदराबाद में स्टॉक का जमा हो जाना	Accumulation of stocks at Synthetic Drugs Plant, Hyderebad	145
8503. झूठे डाक्टरी प्रमाण पत्रों पर बारी के बिना डाक्टरों का आवंटन	Out of turn Allotment of False Medical Certificates	146
8504. सब्जी मण्डी के दुकानदार	Shopkeepers of Subzimandi	147
8505. उन्नत देशों से सहायता	Aid from Developed Countries	148
8506. भ्रष्टाचार निवारक विभाग द्वारा महाराष्ट्र में घड़ियाँ पकड़ना	Seizure of Watches in Maharashtra by Anti Corruption Bureau	148
8507. सरकारी उपक्रमों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों की पदोन्नति	Promotion of Scheduled Castes and Scheduled Tribes Employees in Public Undertakings	149
8508. जिन कर्मचारियों के पास अपने मकान हैं उन्हें सरकारी क्वार्टरों का आवंटन	Allotment of Government Quarters to Employees owning Houses	150
8509. इम्फाल के असैनिक अस्पताल में आंख तथा नाक, कान और गले के डाक्टरों के पद	Eye and ENT Posts in Imphal Civil Hospital	151
8510. मनीपुर में चोरी छिपे लाया गया माल जब्त किया जाना	Seizure of Smuggled Goods in Manipur	151
8511. चिकित्सा की एलोपैथिक तथा स्वदेशी प्रणाली	Allopathic and Indigenous system of Medicines	152
8512. चम्बल परियोजना से विस्थापित होने वाले लोगों का पुनर्वास	Rehabilitation of Oustees of Chambal Project	153

विषय अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		Subject	पृष्ठ/Pages
8513.	हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड	Hindustan Zinc Ltd.	153
8514.	गोदावरी नदी तथा उसकी सहायक नदियाँ	Godavari River and its Tributories	154
8515.	पश्चिम बंगाल में बौदरा में तेल निकालना	Oil Driiling at Bodra in West Bengal	155
8516.	यात्रा सम्बंधी पाबन्दियों को विदेशों में व्यापार यात्रा के लिए शिथल करना	Relaxation of Travel Restrictions for Business Tours abroad	156
8517.	दिल्ली में विदेशी एयर लाइंस कंपनियों के कार्यालयों पर छापे	Raids of Foreign Airlines Offices in Delhi	156
8518.	इंजीनियरों को अपने उद्योग स्थापित करने की सलाह	Advice to Enginoers to set up their own industries	157
8519.	हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के कार्यकरण में सुधार	Improvemsnt in the working of Hindustan Steel Ltd.	159
8520.	पश्चिमी रेलवे के दिल्ली स्थित अन्य रेलवे यातायात लेखा कार्यालय में ग्रेड दो के क्लर्कों की पदोन्नतियां	Promotion of Clerks Grade II in FTA Office, Western Railway Delhi	160
8521.	उत्तर रेलवे में सिगनलरों की कमी	Shortage of Singallers on Northern Railway	160
8522.	मैसर्स भारत कारपेट्स लिमिटेड, नई दिल्ली तथा फरीदाबाद	M/S Bharat Carpets Limited, New Delhi and Faridabad	161
8523.	इंजीनियरी यूनिटों के संकट	Crisis in Small Scale Engineers Unite	161
8524.	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के उत्पादों के लिए क्रयादेश	Orders for HMT Products	162
8525.	बूटी बोरी-उमेरर लाइन पर यात्री गाड़ी का चलाया जाना	Runnihg of passenger train on Buti Bori-Umrer line	162
8526.	पूर्व रेलवे में विद्यार्थियों द्वारा रेल यातायात का रोका जाना	Blocking of rail Traffic by School boys on Eastern Railway	163
8527.	मशीनी औजारों सम्बंधी सर्वेक्षण	Survey of Machine Tools	163
8528.	रेलवे में श्रेणी 'एक' के पदों का दर्जा बढ़ाना	Upgrading of class I posts in Railways	164
8529.	विधान परिषद के चुनाव में अध्यापकों का भाग लेना	Participation of Teachers in the Election of Legislative Councils	164

विषय		Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.			
8530.	राजभाषा अधिनियम के अन्तर्गत गृह कार्य मंत्रालय के आदेश का पालन	Implementation of order of Ministry of Home Affairs under Official Language Act	165
8531.	रेलवे दुर्घटना समिति का प्रतिवेदन	Report of committee on Railway Accident	166
8532.	205-280 रुपये के वेतनक्रम में सहायक स्टेशन मास्टरों की पदोन्नति	Promotion of assistant station masters in the Grade of Rs. 205-280	166
8533.	स्टेशन मास्टर और सहायक स्टेशन मास्टर	Station Masters and Assistant Station Masters	167
8534.	राजधानी एक्सप्रेस	Rajdhani Axpress	167
8535.	हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड	Hindustan Steel Works Construction Ltd.	168
8536.	देश में उद्योग	Industries in the country	168
8537.	साहू जैन उद्योग समूह	Sahu Jain Group of Industries	168
8538.	मंत्रालय में कर्मचारियों की सेवा	Staff strength of the Ministry	169
8539.	इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में काम करने वाले कर्मचारी	Employees working in the Ministry of Steel and Heavy Engineering	169
8540.	आसाम के आदिवासी आदिम जाति के लोगों को अनुसूचित आदिम जाति के रूप में मान्यता	Recognition of Assamese Adivasi Tribes as Schcduled Tribes	169
8541.	समाज कल्याण योजनाओं पर व्यय	Expenditnre on social welfare Schemes	170
8542.	जांच तथा आदेश के निमित्त विचाराधीन फाइलें	Files pending for want of scrutiny and orders	170
8543.	नेरो गेज रेलवे लाइनों को ब्राड गेज लाइनों में बदलना	Conversion of Narrow Gauge Railway lines into Broad Gauge	171
8544.	मैसर्स किलिक्क इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बम्बई	M/S Killick Industries Limited	172
8545.	मैसूर में रेयन की लुग्दी का कारखाना	Rayou pulp plant in Mysore	172
8546.	बम्बई वीरामगाम पेसेंजर ट्रेन के रेल डाक सेवा के डिब्बों में आग लगना	Fire to R.M.S, Bogie of Bombay Viramgam pass-enger Train	172
8547.	पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे का अलीपुर दुआर तथा बामनहाट रेल स्टेशन	Alipurduar and Bamanhat Stations (North East Frontier Railway)	173

विषय		Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.			
8548.	तेज रफ्तार वाले रेल इंजन	High Speed Locomotives	173
8549.	माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन, दुर्गापुर द्वारा ट्रेक्टरों का निर्माण	Mannfacture of Tractors by Mining and Allied Machinery Corporation, Durgapur	174
8550.	भारत खादी ग्रामोद्योग संघ	Bihar Khadi Gramodyog Sangh	174
8551.	मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए नियतन	Allocotion for the Welfare of Backward classes in Madhya Pradesh	174
8552.	मध्य रेलवे के भुसावल इलाहाबाद सेक्शन पर डीलक्स एक्सप्रेस	De-luxe express on Bhusaval Allahabad section of the Central Railway	175
8553.	जबलपुर से इटारसी होकर नई दिल्ली जाने वाली कैपिटल एक्सप्रेस रेलगाड़ी	Capital Express from Jabalpur to New Delhi via Itarsi	175
8554.	गुना मक्षी रेलवे लाइन	Guna Maksi Railway line	176
8556.	बरसुआ खान से लौह अयस्क के उत्पादन में कमी	Fall in production of iron ore from Barsua Mine	176
8557.	पूर्व रेलवे के मननपुर रेलवे स्टेशन पर रेलगाड़ियों का रुकना	Halt of trains at Mananpur Station Eastern Railway	177
8558.	स्टेशनों पर सायबान तथा प्लेटफार्म	Sheds and Platforms at Stations	178
8559.	कोटा रेलवे स्टेशन में दीवार घड़ियों को बदलना	Replacement of clocks in Kata Railway Station	178
8560.	कोटा रेलवे अस्पताल में कार्य करने वाले डाक्टरों का स्थानान्तरण	Transfer of Doctors working in Railway Hospital	178
8561.	पिछड़े क्षेत्रों सम्बंधी राष्ट्रीय विकास परिषद की सिफारिशें	Recommendations of National Development Council on Backword Areas	179
8562.	पश्चिम रेलवे के जनरल मैनेजर का सवाई माधोपुर (पश्चिम रेलवे) का दौरा	Visit of General Manager Western Railway to Sawal Madhopur (Western Railway)	179
8563.	आदित्य नगर (दक्षिण पूर्व रेलवे) में माल गोदाम में काम करने वाले रेलवे कर्मचारियों को सुविधाएं	Eecilities for Railway Employees working in Goods Shed at Adityapur (South Eastern Railway)	180
8564.	रेलवे अस्पतालों में बी. ग्रेड नर्स	'B' Grade Nurses in Railway Hospitals	180
8565.	रेलवे में हिन्दी प्रशिक्षण केन्द्र	Hindi Training Centres in Railways	181
8566.	जेलों के इंसपेक्टर जनरलों की बैठक	Meeting of the Inspectors General of prisons	181

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
8567. कार्यालयों में टाइपराइटरों के रख-रखाव पर व्यय	Expenditure on Maintenance of typewriters in offices	182
8568. प्रत्येक रेलवे में कल्याण निरीक्षक तथा सहायक कार्मिक (परसोनेल) अधिकारी	Welfare inspectors and Assistant Personnel Officers on each Railway	183
8569. बिलेटों पर आधारित स्पात के रिरोलर	Re-rollers of Steel Based on Billets	183
8570. पटना में बिहार खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग का कार्यालय	Office of Bihar Khadi and village Industries Commission at Patna	184
8571. उत्तर प्रदेश में पिछड़े क्षेत्रों का विकास	Development of Backward Areas in U.P.	184
8572. उत्तर प्रदेश में रेलवे की लम्बाई	Length of Railways in U.P.	185
8573. पूर्वोत्तर रेलवे के स्टेशनों पर ठेकों को किराये पर देना	Sub-lettinng of contracts on stations on North Eastern Railway	185
8575. राजस्थान के अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदि जातियों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियाँ	Scholarships to Rajasthan Scheduled Cast/Scheduled Tribes students	186
8576. गंगानगर, राजस्थान में मीना आदिम जाति होस्टल	Meena Tribes Hostel in Ganganager, Rajasthan	186
8577. कर्मशियय क्लर्क और कर्मशियल इंसपेक्टर	Commercial clerks and Commercial Inspectors	187
8578. पानी ले जाने वाली मोटर गाड़ी और एक रेलवे इंजन में भिड़ंत	Collision between a motor water carrier and a Railway Engine	187
8579. अनुसूचित जातियों के लिए पीने के पानी का सर्वेक्षण	Survey for drinking water for Scheduled castes	188
8580. मैट्रोपालिटन क्रेडिट कार्पोरेशन लिमिटेड, कलकत्ता	Metropolitan Credit Corporation Limited, Calcutta	188
8581. रेयनग्रेड पल्प के स्थान पर जूट स्टिक का प्रयोग	Use of Jute stick for Rayongrade pulp	189
8582. लघु उद्योगों का विकास	Growth of Small Scale Industries	190
8583. तीसरी योजना में अपूर्ण रहने वाली रेलवे परियोजनाएं और निर्माण कार्य	Railway projects and works which remained incomplete in third plan	190

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता॰ प्र॰ संख्या U. S. Q. Nos.		
8584. मध्य प्रदेश और राजस्थान में रेलवे लाइनें	Railway lines in Madhya Pradesh and Rajasthan	191
8585. औद्योगिक क्षेत्र में जापान का सहयोग	Japanese Collaboration in Industry	192
8586. दुर्गापुर इस्पात कारखाने का पुनर्गठन	Reorganisation of Durgapur Steel Plant	192
8587. 'लेटेक्स फोम' के निर्माताओं की कठिनाइयां	Difficulties of Manufacturers of Latex Foam	193
8588. पठानकोट स्टेशन से दिल्ली अनाज लाया जाना	Transport of foodgrains from Pathankot station to Delhi	194
8589. संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ में हरिजनों का उत्थान	Uplift of Harijans in Union Territory of Chandigarh	194
8590. 'सील रहित' दियासलाइयों की बिक्री	Sale of seal-less match boxes	195
8591. संयुक्त अरब गणराज्य में लघु उद्योग विकास के लिए भारत की सहायता	India's Help for Development of Small Scale Industries in UAR	195
8592. रेलवे संघों को मान्यता	Recognition of Railway Unions	196
8593. रेलवे में अत्यावश्यक तथा अनावश्यक कर्मचारियों का वर्गीकरण	Classification of Railway Employees as Essential and Non-Essential	197
8594. रेलवे में कार्ड टिकटों की छपाई	Printing of card Tickets on Railways	197
8595. दण्ड प्रक्रिया संहिता का संशोधन	Amendment of Criminal Procedure Code	198
8596. उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के विकास के लिए कार्यक्रम	Development Programme for Scheduled Castes/Tribes of U.P.	199
8597. उत्तर प्रदेश में विकलांगों को छात्र-वृत्तियां	Scholarships to Handicapped in U.P.	199
8598. मैसर्स रायपुर मेटल प्रोडक्टस (प्रा०) लिमिटेड, मध्य प्रदेश को स्टेनलेस स्टील की चादरों के लिए दिए गए लाइसेंसों का दुरुपयोग	Misuse of licences issued of Messrs Raipur Metal Products (P) Limited, Madhya Pradesh for Stainless Steel Sheets	200
8599. मैसर्स रायपुर मेटल प्रोडक्टस प्राइवेट लिमिटेड	M/s Raipur Metal Products (P) Ltd.	201

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या S Q. Nos.		
8600. काजू उद्योग में मशीनों का प्रयोग	Mechanisation of Cashew industry	202
8601. उत्तर रेलवे के विभागों में हिन्दी के बारे में निदेश	Directions regarding Hindi in Departments of Northern Railway	202
8602. हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची के कर्मचारियों से ज्ञापन	Memorandum from Employees of Heavy Engineering Corporation, Ranchi	202
8603. चोला पावर हाउस, ठाकुरली (मध्य रेलवे) के कर्मचारियों को मकान किराया तथा नगर प्रतिकर भत्ता	House rent and City Compensatory Allowances to Workers of Chola Power House, Thakurli (Central Railway)	203
8604. पश्चिम रेलवे में स्थानीय ढोला भावनगर गाड़ी का बोटाड ढोला भावनगर तक बढ़ाया जाना	Extension of Dhola Bhavnagar Local Train to Botad Dhola Bhavnagar Local Train on Western Railway	203
8605. आविष्कार संवर्धन बोर्ड पुरस्कार	Inventions promotion Board Award	204
8606. सिगरेट, रूमाल आदि पर भारत के नाम तथा मानचित्र का प्रयोग	Use of the Name 'In India' on Napkins, Cigarttes	204
8607. बांदा जंकशन स्टेशन पर रेत के लिए स्थान	Sites for sand at Banda Junction	205
8608. मुजफ्फरपुर से होकर समस्तीपुर और नरकटियागंज के बीच बड़ी लाइन	B. G. Line between Samastipur and Narkatiaganj via Muzaffarpur	206
8609. हड़ताल में भाग लेने के कारण रेलवे कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही	Proceedings against Railway Employees for participating in Strike	206
8610. मोतीपुर तथा कांटी स्टेशनों (पूर्वोत्तर रेलवे) के बीच 'हाल्ट स्टेशन'	Halt Station between Motipur and Kanti Stations (North Eastern Railway)	206
8612. हैदराबाद-विजयवाड़ा यात्री गाड़ी (दक्षिण मध्य रेलवे) के प्रथम एवं तृतीय श्रेणी के डिब्बे को आग लगाना	Setting Fire to First-cum-third class coach of Hyderabad Vijayawada Passenger Train (South Central Railway)	207
8613. दिल्ली और मेरठ के बीच चलने वाली कुछ गाड़ियों के चालन समय में वृद्धि	Increase in Running time of certain Trains betwen Delhi and Meerut	207
8614. उत्तर रेलवे में परिपत्र, प्रक्रिया आदेश, नोटिस आदि की संख्या बताने वाले रजिस्टरों का बताना	Maintenance of Registers in Northern Railway, indicating number of Circulars, procedural orders, notices etc.	208
8615. जोनल रेलों में हिन्दी पावत्तियों को दर्ज करने वाले रजिस्टरों का बनाना	Maintenance of Registers to diarise Hindi receipts on Zonal Railways	208
8616. दिल्ली में एक अन्य औद्योगिक बस्ती	Another Industrial Estate in Delhi	208

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
8617.	कारों और अन्य मोटरगाड़ियों के मूल्य में वृद्धि	Increase in price of cars and other vehicles	209
8618.	छोटी कार परियोजना	Small Car Project	209
8619.	राजस्थान में शराब तैयार करना	Manufacture of liquor in Rajasthan	210
8620.	हावड़ा स्टेशन के लाइसेंस प्राप्त कुलियों की भूख हड़ताल	Hunger Strike by licensed porters of Howrah Station	210
8621.	हैवी इलेक्ट्रिकल्स, भोपाल में उत्पादन के आंकड़े बढ़ा चढ़ा कर दिखाना	Inflated Figures of Output in Heavy Electricals, Bhopal	211
8622.	दक्षिण पूर्व रेल्वे में सहायक स्टेशन मास्टरों की पदोन्नति	Promotion of A.S.Ms. on South Eastern Railway	212
8623.	दक्षिण पूर्व रेलवे में एवज में काम करने वाले सहायक स्टेशन मास्टरों के लिए क्वाटर	Quarters for Relieving A.S.Ms. on South Eastern Railway	212
8624.	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के छात्रों को मैट्रिकोपरांत छात्रवृत्तियां	Post Matric Scholarships to SC and ST Students	212
8625.	दुर्गापुर इस्पात कारखाने का बन्द किया जाना	Closure of Durgapur Steel Plant	213
8626.	स्थायी दायित्व गृह	Permanent Liability Homes	213
8627.	भारतीय रेलों में अधिकारी संवर्ग	Officer Cadre on Indian Railways	214
8628.	सवारी गाड़ियों द्वारा जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं का बुक किया जाना	Booking of Perishable Goods by Passenger Train	214
8629.	आगरा दिल्ली पट्टी का विकास	Development of Agra Delhi Belt	215
8630.	व्यापार विनियमन	Regulation of Trade	215
8631.	दुर्गापुर इस्पात कारखाना	Durgapur Steel Plant	216
8632.	बम्बई और वाराणसी के बीच साप्ताहिक रेल सेवा	Weekly Train Service between Bombay and Varanasi	216
8633.	आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955	Essential Commodities Act, 1955	217
8634.	हरयाणा में छोटे इंजीनियरी कारखानों में संकट	Crisis in Small Scale Engineering Units in Haryana	217

ता० प्र० संख्या
U. S. Q. No.

8635.	हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन के सामान का युगोस्लावियिया को निर्यात	Export of Equipment from Heavy Engineering Corporation to Yugoslavia	218
8636.	बिजली, डिजल तथा भाप से चलने वाले रेल इंजन	Electric Diesel and Steam Locomotives	218
8637.	कार उद्योग के लिए तकनीकी लेखा परीक्षा एकक	Technical Audit Cell for Car Industry	219
8638.	मैनेजिंग एजेंसी व्यवस्था समाप्त करना	Abolition of Managing Agency System	219
8639,	कन्नूर के मैकेनिकल कर्मचारियों का मंगलौर में स्थानान्तरण	Shifting of Mechnical Maintenance Staff of Cannanore to Mangalore	220
8640.	कांदरोरी रेलवे स्टेशन (हिमाचल प्रदेश) पर श्रीनगर एक्सप्रेस और सियालदह एक्सप्रेस रेलगाड़ियों का रुकना	Halt of Srinagar Express and Sealdah Express at Kandroi Railway Station (Himachal Pradesh)	220
8641.	मध्य प्रदेश में नई रेल लाइनें	New Railway lines in M.P.	221
8642.	नागपुर-भोपाल मार्ग और इटारसी शहर-भोपाल मार्ग लिंक पर उपरिगामी पुल	Overbridges on Nagpur Bhopal Road and Itarsi Town Bhopal Road Link	221
8643.	मध्य प्रदेश में आदिवासियों का आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण	Socio economic Survey of Adivasis in Madhya Pradesh	222
8644.	दुर्गापुर इस्पात कारखाने को हुई हानि	Loss incurred by Durgapur Steel Plant	222
8645.	उद्योगों का आधुनिकीकरण	Modernization of Industries	223
8646.	चौथी योजना में उत्तर बिहार का विकास	Development of North Bihar in Fourth Plan	223
8647.	दिल्ली और बरौनी के बीच अतिरिक्त रेलगाड़ी	Additional Train between Delhi and Barauni	224
8648.	गैर-सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों का विकास	Development of Private Sector Steel Industries	224
8649.	भारतीय रेलों में पदों को भरने पर पाबन्दी	Ban on filling up of posts on Indian Railways	225
8650.	उत्तर रेलवे में छुट्टी रिजर्व क्लर्कों की संख्या	Strength of leave reserve clerks on Northern Railway	225
8651.	रेलवे बोर्ड के सदस्यों की संख्या में एक सदस्य की वृद्धि करना	Creation of the Additional post of Member, Railway Board	226

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
8652.	उत्तर प्रदेश के एक विधायक को चार बाग (लखनऊ) स्टेशन के निकट अपना निजी सैलून खड़ा करने की अनुमति	Permission to U.P. Legislator to stable his private saloom near Charbagh Station (Lucknow)	226
8653.	दिल्ली से हावड़ा तक तेज चलने वाली रेलगाड़ियां	Fast Running Trains from Delhi to Howrah	227
8654.	लुडलो जूट कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता	Ludlow Jute Co. Ltd, Calcutta	228
8655.	कलकत्ता की कुछ फर्मों को लाइसेंस	Licences to certain Calcutta firms	228
8656.	कुछ समवायों के निदेशक तथा अंशधारी	Directors and Shareholders of certain Companies	229
8657.	गोआ में रेड आक्साइड तथा ओकर बनाने के कारखाने का बन्द होना	Closure of factory manufacturing Red Oxide and Oaker in Goa	229
8658.	गोआ में सरकारी क्षेत्र के उद्योग	Industries in Public Sector in Goa	230
8659.	10 अप्रेल, 1969 को 'बंगाल बन्द' के कारण रेलवे को हानि	Loss to Railways as a Result of Bengal Bandh on 10.4 69	230
8660.	विदेशी सहयोग के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत	Guidelines for Fereign Collaboration	230
8661.	खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली के मैनेजर द्वारा भविष्य निधि जमा कराना	Deposit of Provident Fund by Manager Khadi Gramodyog Bhavan, New Delhi	231
8662.	नई दिल्ली स्थित खादी ग्रामोद्योग भवन में स्टाक की जांच	Stock taking of goods in Khadi Gramodyog Bhavan, New Delhi	231
8663.	खादी ग्रामोद्योग आयोग के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता	House Rent Allowance to Employees of Khadi and Village Industries Commission	232
8664.	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों की पदोन्नति	Promotion of Scheduled caste and scheduled tribe Employees in Public Undertakings	233
8665.	यात्री पथ प्रदर्शकों की पदोन्नति	Promotion of Passenger Guides	233
8666.	उत्तर प्रदेश में शराब की दुकानें	Liquor shops in Uttar Pradesh	234
8667.	रेलगाड़ियों में गार्डों के लिए सुरक्षा उपकरण	Safety Equipment for Guard in Trains	235
8668.	प्राथमिक चिकित्सा के बक्से	First Aid Boxes	235

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		

8669. रेल संग कर्मचारियों को संगचल भत्ते की बकाया राशि का भुगतान	Payment og Arrears of Running Allowrnces	236
8670. इलाहाबाद डिवीजन के गार्डों को समयोपरि भत्ते का भुगतान	Payment of Overtime to Guards of Allahabad Division	236
8671. महाराष्ट्र में सीमेंट कारखाने	Cement Factories in Maharashtra	236
8672. नई दिल्ली की रेलवे बस्तियों में पानी की कमी	Shortage of Water in Railway Colonies in New Delhi	237
8673. ओक ग्रूव स्कूल, झरियापानी (मसूरी) के बच्चों के लिए गाड़ी (वैन)	Van for School children in Oak Grove School, Jhariapani (Mussorie)	237
8674. सफाला रेलवे स्टेन (पश्चिम रेलवे) पर तेल वैगनों में आग लगना	Burning of tank wagons at Saphala Railway Station (Western Railway)	238
8675. राज्यवार रेलवे लाइनों की लम्बाई	Length of Railway lines, Statewise	238
8676. फर्मों को नये उद्योगों के लिए लाइसेंस	Licences for new Industries to Firms	239
8677. सीमेंट का उत्पादन	Production of Cement	239
8678. कुछ फर्मों के निदेशक तथा अंशधारी	Directors and Shareholders of certain Firms	240
8679. कोटा स्थित सूक्ष्म औजार बनाने के कारखाने में विनियोजित पूंजी	Investment in Precision Instruments Factory Kota	241
8680. चित्तौड़ और कोटा के बीच रेलवे लाइनें	Railway line between Chittor and Kota	242
8681. अहमदाबाद से दिल्ली के लिए सीधी गाड़ी	Direct train from Ahmedabad to Delhi	242
8682. झांसी के आऊटर सिगनल पर सवारी गाड़ी का रोका जाना	Detention of Passenger Train at Outer Singjal at Jhansi	242
8683. त्रिपुरा तक रेलवे लाइन का निर्माण	Construction of Railway line upto Tripura	243
8684. खादी तथा ग्रामोद्योग के लिए चौथी योजना में धन का नियतन	Allocation of Fund for Khadi and Village Industries in the Fourth Plan	243
सभा पटल पर रखे गए पत्र	Papers Laid on the Table	244
राज्य सभा से सन्देश	Message from Rajya Sabha	245
समिति के लिए निर्वाचन	Election to Committee	245
राष्ट्रीय छात्र सेना दल की केन्द्रीय सलाहकार समिति	Central Advisory Committee for National Cadet Corps	

विषय	Subject	पृष्ठ/Paesg
सभा के कार्य के बारे में	Re. Business of the House	246
वित्त विधेयक, 1969	Finance Bill, 1969	248
खण्ड 13 से 34, अनुसूचियां तथा खण्ड 1	Clauses 13 to 34, the Schedules and Clause 1	249
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass, as amended	273
श्री तुलशी दास जाधव	Shri Tulsidas Jadhav	276
श्री रा० की० अमीन	Shri R. K, Amin	276
श्री एस० कन्डप्पन	Shri S. Kandappan	276
श्री बलराज मधोक	Shri Bal Raj Madhok	276
डा० रारेन सेन	Dr. Ranen Sen	277
श्री शिव चन्द्र झा	Shri Shiva Chandra Jha	277
श्री क० नारायण राव	Shri K. Narayana Rao	277
श्री श्रीनिवास मिश्र	Shri Shrinibas Misra	277
श्री मोरारजी देसाई	Shri Morarji Desai	277

लोक-सभा
LOK SABHA

मंगलवार, 6 मई, 1969/16 वैशाख, 1891 (शक)
Tuesday May 6, 1969/ Vaisakha 16, 1891 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

IMPOSITION OF TAX ON PILGRIMS VISITING RELIGIOUS PLACES

***1502.** Shri Suraj Bhan
Shri Jagannath Rao Joshi
Shri Ranjit Singh
Shri Atal Bihari Vajpayee
Shri Ram Gopal Shalwale
Shri Kashi Nath Pandey :

Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the date on which tax was imposed on the pilgrims visiting religious places, the reasons therefor and the manner in which the imposition of tax was started ;

(b) the basis of imposing the said tax and the amount thereof ;

(c) the names of those religious places pertaining to the various religions wherefrom tax is realized and also those wherefrom tax is not realized ; and

(d) the names of those fairs and festivals pertaining to various religions in respect of which tax is realized and also those in respect af which tax is not realized ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परिमल घोष) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है

विवरण

(क) विभिन्न तीर्थस्थानों में आने-जाने वाले रेल यात्रियों से जो सीमा कर (टर्मिनल टैक्स) लिया जाता है, वह अलग-अलग तारीखों से लगा हुआ है। इस कर के लगाने का मुख्य

कारण यह है कि इन स्थानों में आने वाले व्यक्तियों की सुविधा के लिए स्थानीय प्राधिकारी खर्च करते हैं। शुरू में यह कर स्थानीय कानूनों के अन्तर्गत लगाया गया था और भारत सरकार अधिनियम, 1935 के लागू होने से पहले यह प्रान्तीय विषय था। यद्यपि अब यह केन्द्रीय विषय बन गया है, फिर भी इस तरह का कर लगाना संविधान के अनुच्छेद 277 द्वारा संरक्षित है।

(ख) रेल यात्री सीमा कर अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत यह कर कुछ तीर्थ-स्थानों अथवा उन स्थानों पर रेल से आने-जाने वाले यात्रियों पर लगाया जाता है जहां त्यौहार, मेले या प्रदर्शनियां आयोजित की जाती हैं। चूंकि इस कर की शुद्ध आमदनी राज्यों के खाते में जमा करनी होती है, इसलिए किन स्थानों, त्यौहारों आदि के सम्बन्ध में यह कर लगाया जाये, इसके बारे में भारत सरकार राज्य सरकार की सिफारिश के आधार पर कार्रवाई करती है। कराधान जांच आयोग, 1953-54 द्वारा निर्धारित जिन सिद्धान्तों के आधार पर इस कर के लगाने की अधिसूचना जारी की जाती है, उनमें से एक सिद्धान्त यह है कि रेल यात्रियों पर इस कर के लगाये जाने के साथ-साथ राज्य सरकार सड़क के रास्ते आने-जाने वाले यात्रियों पर भी इसी तरह का कर लगायेगी। भिन्न-भिन्न स्थानों पर रेल यात्रियों से लिये जाने वाले कर की रकम भी अलग-अलग होती है। एक ओर की यात्रा के टिकट पर कर की अधिकतम दर इस प्रकार है:—वातानुकूल या पहले दर्जे के लिए 1 रुपया 50 पैसे, दूसरे दर्जे के लिए 1 रुपया और तीसरे दर्जे के लिए 50 पैसे।

(ग) संलग्न सूची में उन सब स्टेशनों के नाम दिये गये हैं जहां सीमा कर और तीथ यात्री कर लगाये जाते हैं। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 996/69]

(घ) रेल यात्रियों पर सीमा कर अधिनियम, 1956 के अधीन यह कर लगाने के लिए केन्द्रीय सरकार ने जो अधिसूचनाएं जारी की थीं, उनमें से एक अधिसूचना विजयवाड़ा के बारे में थी जो कृष्ण पुष्करम के अवसर पर केवल 20-6-1957 से 4-7-1957 तक की अवधि के लिए थी। हरिद्वार, इलाहाबाद, कर्वी (चित्रकूट धाम), कुरुक्षेत्र और थानेश्वर, विन्ध्याचल और मिर्जापुर, गोलागोकरननाथ, रामेश्वरम् और ऋषिकेश में यह कर पूरे वर्ष लगाया जाता है, न कि किसी विशेष मेले और त्यौहार के अवसर पर। जिन स्थानों पर इन करों को पहले स्थानीय नियमों के अन्तर्गत अधिसूचित किया गया और संविधान की धारा 277 के अधीन जारी रखा गया, वहां विभिन्न धर्मों के किन-किन मेलों और त्यौहारों के अवसर पर यह कर लगाया जाता है, इसकी विस्तृत जानकारी केवल सम्बन्धित राज्य सरकार ही दे सकेगी।

Shri Suraj Bhan : It has been recommended by the Taxation Inqiury Commisson, as the statement says, that whenever the passenger tax is levied on the Railways the state Government should also levy a parallel tax on the state-borne transport. May I Know whether such a parallel tax has been levied by state Governments ?

श्री परिमल घोष : कराधान जांच आयोग की सिफारिशों के बाद जब भी रेलवे में यात्री कर लगाया जाता है, उस समय राज्य सरकारों से राजकीय परिवहन बसों के यात्रियों पर भी उतना ही कर लगाने के लिए अनुरोध किया जाता है।

Shri Suraj Bhan : A passenger tax is levied on places of pilgrimage in order to collect funds to provide improved facilities to the pilgrims at a particular mela or function. But this tax cotinues throughout the year and not only during the period of function. May I know whether such a tax be imposed only during the period of fair or function ? Secondly, instead of providing facilities to the pilgrims you impose a tax on them The proceeds made out of it are distributed among the states May. I know whether Central Government will give equal amount under some other head to them to be spent for development on places of pilgrimage.

श्री पीरमल घोष : यात्री कर लगाने का सिद्धान्त हमारे द्वारा तैयार नहीं किया जाता। इस मामले में राज्य सरकार हमारा मार्गदर्शन करती हैं, क्योंकि उनका विचार है कि जिन स्थानों पर यह कर लगाया जाता है उन तीर्थ स्थानों पर यात्रियों की सुविधाओं के लिए उन्होंने खर्च किया है। इसलिए मैं यह नहीं कह सकता कि ऐसा कर लगाया जाना उचित है। अथवा अनुचित।

Shri Jagannath Rao Joshi : Mr. Speaker, all the religious centres and places of pilgrimage help in establishing unity in our country. Railways give concession to those who go to hill stations during summer to make rejoicings but levy tax on those who go to religious centres. May I know whether Government will consider to lift the tax levied on passengers going on pilgrimage and compensate the state Government by giving some financial aid in lieu thereof.

श्री पीरमल घोष : आरम्भ में यह कर राज्य सरकारों द्वारा लगाया जाता था और केन्द्रीय सरकार उसे राज्य सरकारों की ओर से एकत्र करती थी। परन्तु भारत सरकार अधिनियम 1935 के बाद से राज्य सरकार की सिफारिश पर केन्द्रीय सरकार इसे लगाती है। राज्य सरकार ही इस बात का सुझाव देती है कि यह कर किन किन स्थानों पर लगाया जाये। राज्य सरकारां का इस कर को लगाने का उद्देश्य केवल यह होता है कि उन्हें उतना धन प्राप्त हो जाये जितना वे उन स्थानों पर यात्रियों को सुविधाएं देने पर खर्च करते हैं।

श्री जगन्नाथराव जोशी : मेरा प्रश्न भेद-भाव के बारे में था।

श्री पीरमल घोष : यहां पर भेद-भाव का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। राज्य सरकार की सिफारिश पर हम यह कर लगाते हैं और एकत्रित कर राशि को राज्य सरकारों में बांट देते हैं।

Shri Ram Gopal Shalwale : I would like to know the total proceeds of this tax collected by Government so far. May I know whether Government have levied this tax on all religious places without discrimination ; if yes, the reasons for not including the names of Pran-Shareef Fair held at a place near Roorki and Bihar-Shareef fair in the list attached ?

श्री पीरमल घोष : इस कर से हम कोई लाभ नहीं कमाते हैं। हम इसे राज्य सरकारों की ओर से एकत्र करते हैं और उन्हें ही दे देते हैं।

अध्यक्ष महोदय : सूची में उन दो नामों को जोड़ने के बारे में आपकी क्या राय है, जो उन्होंने सुझायें हैं।

श्री पीरमल घोष : यह कर उन्हीं स्थानों पर लगाया जाता है जिनका नाम राज्य सरकारों द्वारा सुझाया जाता है। यदि इन नामों को नहीं सुझाया गया तो मैं मन्त्री से इस मामले पर राज्यों से बातचीत करने का अनुरोध करूंगा। यदि राज्यों ने सुझाव दिया तो ये दो नाम भी सूची में जोड़ दिये जायेंगे।

श्री काशीनाथ पाण्डेय : जब राज्य सरकारें इस कर को एकत्र करती थीं, उस समय क्या उसके सामने कोई कठिनाई आयी थी, और क्या केन्द्रीय सरकार इस कर को एकत्र करने में अब किसी कठिनाई का सामना कर रही है।

श्री पीरमल घोष : जैसा मैंने अभी बताया था कि पहले राज्य सरकारें इस कर को लगाती थीं और हम इसे उनके लिए एकत्र करते थे ; अब उनकी सिफारिश पर हम इस कर को लगाते हैं और उनके लिए एकत्र भी करते हैं। इस कार्य में हमारे सामने कोई कठिनाई नहीं है।

Shri Bibhuti Mishra : May I know the amount collected anually by Central Government ; how much of it is given to State Governments, whether the Central Government ask the State Governments to give information about the use of this money ?

श्री पीरमल घोष : हम प्रतिवर्ष सभी स्टेशनों से लगभग 40 लाख रुपये एकत्र करते हैं जिसमें से 3.5 प्रतिशत के हिसाब से वह खर्च काटकर जो कर को एकत्र करने पर आता है, शेष सब राज्य सरकारों को दे दिया जाता है। वे इस धन का उपयोग कैसे करते हैं, यह हमें मालूम नहीं हैं।

Shri Maharaj Singh Bharati : If the Central Government is not entitled to know as to how the state Government spent the money, why do the Central Government sholder the responsibility of imposing this tax and passing the proceeds to State Government ?

श्री परिमल घोष : हम कर लगाने और उसे उगाहने का काम राज्य सरकारोंकी सिफारिश पर करते हैं। जहां तक इस बात का सम्बन्ध है कि इस कर से प्राप्त राशि का वे उसी उद्देश्य के लिए सदुपयोग करते हैं या नहीं, जिसके लिए वह लगाया जाता है, मैं कुछ भी नहीं कह सकता।

Shri Yashwant Singh Kushwah : The list given by the Minister includes a number of such small places or stations where there is religious centre or where no fair ete. is held. Debra, Bhind, Gohad Road, Jora Alapur. Sabalgarh and Sheopur Kalan are some of such stations. Will the Government consider the propriety of levying this tax on such small stations ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : This matter will be reviewed in the light of the suggestion made. This matter will also be taken up with the State Government as to how this money should be utilized.

Shri K. N. Tiwary : If State Governments shirk their responsibilities in giving full protection to railways why do the Central Government take the responsibility of levying and collecting this tax on behalf of State Government. Will the Government discontniue levying this tax in view of it ?

श्री पीरमल घोष : मन्त्री महोदय ने अभी कहा है कि इस मामले पर राज्य सरकारों से बातचीत की जाएगी। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार तो केन्द्रीय सरकार ऐसा करती ही रहेगी।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम् : श्री जोशी ने ठीक ही कहा है कि धार्मिक स्थानों से देश में एकता की भावना उत्पन्न होती है क्या सरकार श्री सेलम जैसे प्रमुख तीर्थ स्थानों तक रेल्वे लाइन बिछायेगी ?

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न रेलवे लाइन के बारे में है, कर के बारे में नहीं

मैसूर में औद्योगिक विकास के लिए ऋण

+
*1503. **श्री क० लकप्पा :**
श्री ए० श्रीधरन :
श्री जे० एच० पटेल :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन फर्मों तथा कम्पनियों की संख्या तथा नाम क्या-क्या हैं जिन्हें मैसूर राज्य में गत तीन वर्षों में औद्योगिक विकास के लिए ऋण दिये गये थे ;

(ख) क्या यह सच है कि जिन फर्मों को ऋण दिये गए थे उनमें से कुछ फर्में जाली पाई गई थीं तथा उन्होंने कोई औद्योगिक संस्थान स्थापित नहीं किया ; और

(ग) यदि हां, तो उन फर्मों के नाम क्या-क्या हैं तथा प्रत्येक मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री भानु प्रकाश सिंह) : (क) से (ग). सूचना इकठ्ठी की जा रही है यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

श्री क० लकप्पा : औद्योगिक विकास की दृष्टि से मैसूर एक पिछड़ा हुआ राज्य है। अब मैसूर में बड़े बड़े उद्योगपति बहुत बड़ी संख्या में आ रहे हैं। जबकि वहां पर सरकारी कारखाने बहुत कम हैं भारत सरकार इस दृष्टि से मैसूर की सहायता नहीं कर रही है और वहां पर सरकारी कारखाने स्थापित नहीं कर रही है जिनसे राज्य में औद्योगिक विकास होता। केंद्रीय सरकार ने मैसूर जैसे पिछड़े राज्यों के औद्योगिक विकास के लिए क्या कार्यवाही की है।

श्री भानु प्रकाश सिंह : यह प्रश्न ही नहीं उठता।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य मैसूर में औद्योगिक विकास के बारे में कुछ जानकारी चाहते हैं।

श्री भानु प्रकाश सिंह : प्रश्न में उन फर्मों के नाम और उनकी संख्या पूछी गई है जिन्हें ऋण दिया गया है। सरकारी कारखाने की स्थापना का प्रश्न तो बिल्कुल अलग है।

श्री शिव नारायण : वहां तो सोने की खाने हैं। फिर वह पिछड़ा हुआ राज्य कैसे है।

श्री क० लकप्पा : प्रश्न यह है कि यदि उद्योगों की स्थापना के लिए ऋण दिये जायें और ऋणराशि को उद्योग-स्थापना पर खर्च न कर कहीं अन्य खर्च कर दिया जाये तो मैसूर का औद्योगिक विकास नहीं हो पायेगा ' क्या सरकार ऐसे मामलों में जांच करेगी और राज्य का पिछड़ापन दूर करने के लिए सरकारी कारखाने वहाँ खोलेगी ? यह तर्क संगत प्रश्न है।

औद्योगिक विकास आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री श्री (फखरूद्दीन अली-अहमद) : जहां तक ऋण देने का सम्बन्ध है, वह राज्य सरकारों द्वारा दिया जाता है और तत्सम्बन्धी आंकड़े भी उन्ही के पास होते हैं। हमने उनसे आंकड़े मांगे हैं। जैसे ही ये उनसे प्राप्त होंगे सभा पटल पर रख दिये जायेंगे। जहां तक औद्योगिक विकास का सम्बन्ध है ऐसी शिकायत न केवल मैसूर की, अपितु कतिपय अन्य राज्यों की भी है। मैसूर में कुछ सरकारी उद्यम तो हैं। चौथी योजना में इस ओर अधिक ध्यान दिया जायेगा और सीमित संसाधनों के अनुरूप न केवल मैसूर की बल्कि अन्य राज्यों को औद्योगिक विकास के लिए भी प्रयास किया जायेगा।

श्री क० लकप्पा : क्या सरकार ने योजना आयोग से मैसूर राज्य या वहाँ के मुख्य मंत्री द्वारा भेजे गये सुझावों पर परामर्श किया है और यदि हाँ, तो क्या सरकार मैसूर राज्य में सरकारी क्षेत्र में लगी राशि में वृद्धि करने पर विचार कर रही है ?

श्री फखरूद्दीन अली अहमद : फिलहाल मैं कोई भी आश्वासन देने की स्थिति में नहीं हूँ। हाँ, जो संसाधन उपलब्ध होंगे उनके अनुसार प्रत्येक राज्य की मांग पर विचार किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : श्री ए० श्री धरन यहां नहीं है। श्री० एच० पटेल भी यहां नहीं है। अगला प्रश्न लिया जाये।

श्री जे० मुहम्मद इमाम : राज्य के औद्योगिक विकास के लिए सरकारी तथा गैर सरकारी दोनों ही प्रकार के उद्योगों का विकास आवश्यक है। परन्तु यदि उद्योगपतियों ने ऋण लेकर उसका दुरुपयोग किया तो इससे सरकार का रूख उनके प्रति कठोर हो जायेगा। अतः मैं यह अनुरोध करूंगा कि सरकार इस सम्बन्ध में विस्तृत जांच कराये कि क्या उद्योगपतियों ने वास्तव में ऐसा किया है। क्या ऐसी अनियमितताएं हुई हैं।

श्री फखरूद्दीन अलीअहमद : जानकारी प्राप्त होने पर यदि धन के गलत प्रयोग के मामले सामने आयें, तो उनके बारे में अवश्य जांच की जायेगी।

Sarvice conditions of Station Masters

***1504. Shri Brij Bhushan Lal :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that an assurance was given in August 1968 that the service conditions of Station Masters would be reviewed and suitable action taken ; and

(b) if so, the details regarding the action taken so far and the action proposed to be taken?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पीरमल घोष) : (क) रेल दुर्घटनाओं को दूर करने से सम्बन्धित सुझावों और सेवा की शर्तों को सुधारने से सम्बन्धित एक अभ्यावेदन की जांच करने तथा उपयुक्त कार्यवाही करने की बात कही गई थी ।

(ख) मांगों की जांच की गयी है लेकिन केवल एक इस प्रश्न को छोड़कर कि उनके लिए पदोन्नति की एक समान सारणि निर्धारित की जाय, मांगे मंजूर नहीं की जा सकीं । समान सारणि के प्रश्न पर रेल प्रशासन के परामर्श से विचार किया जा रहा है ।

उन कर्मचारियों को कुछ राहत देने के सवाल पर भी विचार किया जा रहा है, जो अपने वेतनमान के अधिकतम पर पहुँच चुके हैं ।

Shri Brij Bhushan Lal : The Minister said that the representation about the conditions of service is under consideration. There has been great increase in the number of railway accidents and it is told that the main cause of the railway accidents is that the railway employees have to work under heavy strain. Sometimes they have to work continuously for 18 hours. May I know whether steps would be taken to provide relief to them in time, so that accidents may be avoided ?

श्री पीरमल घोष : इस मामले पर सरकार विचार कर रही है । आवश्यकता पड़ने पर रिलीफ दिया जाता है । जहां तक काम के घंटो का सम्बन्ध है उनमें और कमी कर दी गई है ।

Shri Brij Bhushau Lal : Sir, such an assurance was given in 1968, but nothing has been done so far. May I know whether he will give an assurance to the effect that the service conditions of Station Master will be improved and their seniority, the cause of their dissatisfaction, will be fixed within a period of two months.

श्री पीरमल घोष : जो बातें इन ज्ञापनों में लिखी हैं उनमें से कुछ पर तो पहले ही विचार किया जा चुका है। विभिन्न प्रश्नों के बारे में प्रशासन की प्रतिक्रिया भी बता दी गई है । इस समय दो बातें विचाराधीन है-एक तो उनकी पदोन्नति के लिए एक सारणि का बनाया जाना और दूसरे जो कर्मचारी अपने वेतन मान में अधिकत्तम वेतन पा रहे हैं उन्हें भी कुछ राहत देना । हम उन्हें राहत देने पर भी विचार कर रहें हैं । यह मामला शीघ्र ही लिया जाएगा ।

श्री पीलु मोदी : आज रेलवे मंत्री कोई आश्वासन नहीं दे रहे हैं ।

रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : हम आपको एक बैंगन देने का वायदा करते है ।

Shri Meetha Lal Meena : On small stations an A. S. M. has to perform all the duties i. e. he has to issue tickets, collect tickets and besides he hed to do other office work. A slight mistake on his part in performance of any of above duties leads to his suspension. In view of it may I know whether Government propose to increase the staff so that their load may be reduced,

श्री पीरमल घोष : किसी स्टेशन मास्टर या सहायक स्टेशन मास्टर पर कितना कार्यभार है, इस का अनुमान वास्तविक कार्यभार के आधार पर ही लगाया जाता है और अधिक राहत देने की बात पर विचार किया जाता रहता है ।

Shri Ramavtar Shastri : Sir, on 2nd December 1969 a delegation on behalf of All India Station Masters Association met Shri Poonacha the then Railway Minister and gave a memorandum to him. May I know whether sympathetic consideration was given to that memorandum and if so, the results thereof ?

श्री पीरमल घोष : सभी अभ्यावेदनों पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाता है। श्री पुनाचा ने भी उस ज्ञापन पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया है।

Shri Ramavtar Shastri : Sir, he is evading the answer by giving general remarks. I want specific answer.

श्री पीरमल घोष : उसमें कुछ बातें उठाई गई थीं। उनमें से दो बातों पर जैसा मैंने पहले बताया है, विचार किया जा रहा है।

श्री रा० की० अमीन : स्टेशन मास्टरों के काम के घन्टे नियमों के अनुसार एक निर्धारित समय के लिए निश्चित किये गये हैं। परन्तु मुझे कहा गया था कि इसमें हर प्रकार का कार्य शामिल है जिसको उसे उस समय करना पड़ता है और एक साधारण योग्यता वाले व्यक्ति के लिए इसे करना असम्भव है। रेलवे अधिकारियों को भी नियमों में उल्लिखित कर्त्तव्यों का पालन कर दिखाना बहुत कठिन हैं। अतएव मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूँ कि वे इस मामले की जांच करेंगे और यह पता लगायेंगे अथवा नियम बनायेंगे जिसको कि एक साधारण योग्यता वाला व्यक्ति कर सके।

श्री पीरमल घोष : जब नियम बनाये गये थे तो इन सब बातों पर विचार किया गया था, मुझे ऐसे कोई स्टेशन के बारे में मालूम नहीं है जहां कि स्टेशन मास्टर नियमों को इतने कठिन समझ रहे हैं कि वे उनको कार्यान्वित करना सम्भव नहीं समझते।

श्री रा० की० अमीन : उन्होंने मंत्री महोदय को अभ्यावेदन दिया है।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

टायरों की कीमतें

+**1505.** **श्री मधु लिमये** : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टायरों की कीमतों में हाल में वृद्धि की गयी है ;

(ख) क्या सरकार की ओर से नियत 205 रुपये अथवा इसके लगभग प्रति टायर की कीमत पर इस बढ़ी कीमत के अलावा 80 रुपये अथवा इसके लगभग प्रीमियम लिया जा रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकारी मूल्य में कमी करने के लिए तथा प्रीमियम समाप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री भानु प्रकाश सिंह) : (क) जी हां, । 20-11-1968 से

(ख) सरकार को ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

Shri Madhu Limaye : This shows that their Ministry does not have information regarding the situation of Market. I want to know whether he has issued licences to some industrialists before the midterm elections who have given you morey in large sums for elections proposes. If so how much and the total capacity of licences issued to them. He may please state all these things. (Interruption) Mody was given not Piloo Mody.

Shri Bhanu Prakash Singh : As far as I am concerned, I have no knowledge abourt this matter. Licence for 4 lakhs tyres was issued to Modi Industries.

Shri Madhu Limaye : Why the licence was given? In reply to my question it is said that he has no information about black—marketing and Premium on tyres. When the information is not available then how the question of new Capacity arises ? And if it is necessary to create new capacity then on which basis the licence was given to Modi ? How much subscription was received from Shri Gujarmal Modi ?

Shri F. A. Ahmed : I am sorry that such type of baseless allegations are made whenever such questions are put. Licence was not given to anyone after getting donations. It is quite correct......(Interruption)

Shri Kanwar Lal Gupta : You conduct enquiry and we will prove it (Interruption).

Snri F. A. Ahmed : Licence was not given to anyone after getting donation. Many persons were given licences for the expansion of tyre production. On the one hand the people say that Government are doing nothing where there are no industries. The Licencing Committee recommended after looking into all these things and the licences were given on that basis (Interruption).

Shri Madhu Limaye : The Home Minister has said that he has no knowledge whether there is premia on the price of tyre or not. So whether he would find out the real prices of tyres in the market. May I know whether tyres are available or not and what action has been takan in regard to that ?

Shri F. A. Ahmed : The production of tyres was stopped at the time of strike in Bombay and with the result public experienced difficulties in getting tyres. And at that time we came to know that tyres are being sold at higher prices. We are establishing new units after taking into consideration the demand of tyres in four years and its production so that we may be able to manufactue as much tyres as we requre in our country. Recently the price of tyres increased somewhat. The only reason is that the price of National rubber has increased considerably and these are imported also. The price of tyres increased only due to this. If ihere is any specific instance of Delhi or some other place then it can also be seen. The state Government is responsible for tyrrs and other kinds of consumer goods which are sold in their states. If there are complaints regarding this then it should be directed there. If complaints are made it is ihat the state Government are not functioning properly and is unable to stop black-marketing there we will see it.

श्री चेंगलराया नायडू : गत दो वर्षों में ट्रैक्टरों के टायर उपलब्ध नहीं हो रहे हैं और किसान को चोर बाजार में एक टायर के लिए 400 रुपये अधिक देना पड़ता है जिसका कि मूल्य 400 रुपये ही है। किसानों और माननीय सदस्यों ने सरकार को अभ्यावेदन दिया है परन्तु सरकार ने ट्रैक्टरों के टायर के निर्माण में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है। क्या वे टायर

निर्माताओं को एक निश्चित प्रतिशत तक ट्रैक्टरों के टायर अवश्य ही बनाने के लिए कहेंगे ताकि किसानों को टायर सहज ही उपलब्ध हो सकें ? क्या सरकार दक्षिण भारत में टायर के निर्माण के लिए लाइसेंस देने को तैयार है जिसमें से 50 प्रतिशत ट्रैक्टरों के टायर होंगे ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : ट्रैक्टर के टायरों की अनुमानित आवश्यकता 1,24,800 थी और वास्तविक उत्पादन 1,48,977 था। ऐसा मालूम होता है कि आवश्यकताओं का अनुमान कम लगाया गया था और जैसे ही अधिक टायरों की मांग हुई तो हमने 58,110 टायरों का आयात किया.......... (व्यवधान) जहाँ तक अन्य प्रश्नों का सम्बन्ध है, उनको योजना के विस्तार तथा नये यूनिटों को लाइसेंस देते समय ध्यान में रखा जायेगा।

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी : टायरों की कीमतों में वृद्धि हो रही है जबकि उसके किस्म में गिरावट आ रही है और एक नया टायर छः महीने में बेकार हो जाता है, टैरिफ आयोग ने एक बार इस उद्योग में लगी पूँजी पर 12 प्रतिशत प्रतिलाभ की सिफारिश की थी, क्या सरकार इस उद्योग के लागत ढांचे का अध्ययन यह देखने के लिए करेगी कि क्या उचित लाभ कमाया जा रहा है और उपभोक्ता से अधिक मूल्य वसूल कर अधिक लाभ तो नहीं कमाया जा रहा है। समुचित किस्म नियन्त्रण की भी व्यवस्था होनी चाहिए। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि अगर टायर के मूल्य में वृद्धि होगी तो स्कूटर, कार और साईकिल के मूल्य में भी वृद्धि होगी।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : यह सच है कि समस्त निर्माताओं के उत्पादन के किस्मों में समानता नहीं होती है।

श्री नाथ पाई : आपको कौनसा अच्छा लगता है।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : मेरे अच्छा लगने की बात नहीं है, ऐसा लगता है कि उपभोक्ता डनलप में रुचि दिखाते हैं। जहां तक कीमतों का प्रश्न है मैंने यह पहले ही बता दिया है कि हाल ही में जो वृद्धि हुई है वह आयातित प्राकृतिक रबड़ में 4,000 रुपये प्रति टन से बढ़कर 6,000 रुपये प्रतिटन होने के कारण हुई है। उनकी वृद्धि लगभग 5 या 6 प्रतिशत हुई है।

Shri Tulsi Das Jadhav: There are many Transport Operators Associations in the country which ply at least three lakhs trucks. Besides this many Private Cars are run. The Hon. Minister has placed figures that the production of tyres is 1,48,977 whereas the demand is more and to meet this demand we import 58,000 tyres. Inspite of this tyres are not available in the market. The shopkeepers have tyres but they sell it on black market rates. Seeing this what provision you will make to see that the tyres are easily available to people

My second question is that where there are associations of Transport owners or their Cooperative Socicities besides Private owners why you do not make arrangement to sell tyres through them ?

Shri F. A. Ahmed: As far as the distribution is concerned, it is the business of State Government. We will draw their attention as to how they should distribute so that people may not feel difficulties in getting the tyres.

श्री पीलु मोदी : मैं स्वीकार करता हूँ कि मेरे नाम के दुरुपयोग से द्विविधा की स्थिति उत्पन्न हो गई है। मंत्री महोदय ने इस तथ्य से अनभिज्ञता प्रकट की है कि लाइसेंस राजनैतिक दलों को चंदा देने के बदले में दिया गया है। उन्होंने इस तथ्य से अनभिज्ञता प्रकट की है कि चंदा श्री गूजरमल मोदी पद्म विभूषण से लिया गया है। उन्होंने प्रचलित टायरों के बाजार मूल्य से भी अनभिज्ञता प्रकट की है और दुर्भाग्यवश मंत्री महोदय को टायर कभी नहीं खरीदने पड़ते हैं अतएव मूल्य के बारे में अनभिज्ञता के कारण मैं उन पर दोष नहीं लगाता हूँ। परन्तु वे यह स्वीकार करते हैं कि टायरों के आयात के लिए श्री गूजरमल मोदी को 4 लाख रुपये का लाइसेंस दिया गया था और यह लाइसेंस भी मध्यावधि चुनाव के पूर्व दिया गया था।

उपाध्यक्ष महोदय : उत्पादन अथवा आयात ?

श्री एस. कनघन : इससे विशेष अन्तर नहीं पड़ता है।

अध्यक्ष महोदय : यह कैसे हो सकता है ? क्या इससे अन्तर नहीं पड़ता है ?

श्री पीलु मोदी : मैं जानना चाहता हूँ कि मंत्री महोदय के पास निर्णय के लिए जो आवेदन पत्र थे तो उनमें से श्री गूजरमल मोदी को लाइसेंस देने में प्राथमिकता किस आधार पर की गई थी।

श्री फखरुद्दीन अहमद : मेरे विचार में माननीय सदस्य यह नहीं जानते हैं कि वे क्या पूछ रहे हैं। तभी वे सभी प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या मैं उनको कह सकता हूं कि...............

अध्यक्ष महोदय : वह मंत्री महोदय की अनभिज्ञता के बारे में बात कर रहे हैं।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : श्री गूजरमल मोदी को टायर आयात करने के लिए कोई लाइसेंस नहीं दिया गया था। हमने उन लोगों से आवेदन पत्र मांगा था जो कि टायर के निर्माण का विस्तार करेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना तक देश में ही हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाये। काफी संख्या में लोगों ने आवेदन पत्र दिये और लाइसेंस समिति ने इन पर विचार किया और लाइसेंस समिति के सिफारिशों की आधार पर लाइसेंस जारी किए गए जिनमें श्री गूजरमल मोदी भी हैं। इस बात का प्रश्न नहीं उठता कि उनको लाइसेंस चंदा देने के बदले में दिया गया, मैं स्पष्ट रूप से इसको अस्वीकार करता हूँ और मैं कहता हूँ कि यह नितान्त झूठ है।

श्री पीलु मोदी : मैंने पूछा था कि किस आधार पर यह दिया गया था। वे सिफारिश व विचार क्या थे जिसके आधार पर अन्य निर्माताओं का लाइसेंस देने के स्थान पर श्रीगूजरमल मोदी को दिया गया ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : लाइसेंस समिति ने इन सब आवेदनपत्रों के गुण दोष पर विचार किया और लाइसेंस समिति ने अपनी सिफारिशें कीं और तब लाइसेंस समिति ने पाया कि वह आवेदनपत्र अधिक ठीक रहेगा अतएव उसको लाइसेंस दिया गया।

Shri Madhu Limaye : Do not make a geruralisation concrete reply may be gvien.

श्री पीलु मोदी : उनको कहने दीजिए कि यह ठीक था और दल को चंदा देने का अनुरोध था। वे कुछ भी कह सकते हैं,

अध्यक्ष महोदय : यह दूसरा ही प्रश्न है।

श्री हेम बरुआ : यह दुःख की बात है कि श्री फखरूद्दीन अहमद जैसे भले आदमी ने इस तथ्य से इन्कार करके कि टायरों की चोर-बाजारी होती है, इसकी काला-बाजारी को बनाए रखा है। चाहे कुछ भी हो, मैं जान सकता हूँ कि क्या मंत्री महोदय अपनी आँखे खोलेंगे और टायरों की चोर-बाजारी का पता लगाने का प्रयत्न करेंगे। और यदि यह बात सत्य सिद्ध होती है तो क्या वे टायरों की चोर बाजारी रोकने के किए पर्याप्त कदम उठायेंगे।

श्री फखरूद्दीन अहमद : जैसे कि मैंने कहा है कि राज्य सरकार इस मामले की जांच करेगी और अगर कोई बात पाई जायेगी तो वितरण पर नियंत्रण रखने के लिए कानून की व्यवस्था के अन्तर्गत पर्याप्त कदम उठाये जायेंगे। (व्यवधान)

श्री हेम बरूआ : वे कहते हैं कि यह जानने का कार्य राज्य सरकार का है मंत्री महोदय को टायरों की चोर बाजारी का कुछ भी पता नहीं है, वे इसे जानने का प्रयत्न नहीं करते। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या वे इसे जानने का प्रयत्न करेंगे। मेरी दिलचस्पी इसी बात पर है।

श्री फखरूद्दीन अहमद : अगर माननीय सदस्य के पास कोई विशिष्ट उदाहरण है तो वे मुझे बतायें और मैं निश्चय ही पता लगाऊँगा।

श्री हेम बरूआ : यह मेरा कार्य नहीं है। मैं मंत्री महोदय का पुलिस का आदमी नहीं हूँ। मैं आपका संसद सदस्य हूँ।

Shri Chandrika Prasad : The black marketing of rikshaw tyres and tyres of eycles take place is in large number in any area and they are not available in fair price.

Shri Bhanu Prakash Singh : If the Hon. member brings it to our notice then it will be considered.

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : अगर मैं उनको ठीक समझा हूँ तो उन्होंने कहा है कि लाइसेंस देने में चदे का कोई विचार नहीं किया गया। मैं जान सकता हूँ कि उनका कहना है कि चंदा स्वतंत्र रूप से दिया गया था जिसका सम्बन्ध लाइसेंस से नहीं है लेकिन यह लाइसेंस मध्यावधि चुनाव के पूर्व दिया गया था और इस संस्था द्वारा एक अच्छाखासा चंदा कांग्रेस दल को दिया गया था?

श्री फखरूद्दीन अहमद : मैंने पहले ही बताया है कि लाइसेंस समिति इस मामले पर विचार करती है। मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य यह अर्थ नहीं लगायेंगे कि आश्वासन देने के बाद ही लाइसेंस समिति ने यह लाइसेंस दिया था। लाइसेंस समिति के सिफारिश करने के बाद, अगर उसमें कोई शिकायत न हो, तो हम उन सिफारिशों के साथ हस्तक्षेप नहीं करते हैं।

कार बनाने के कारखानों के तकनीकी विशेषज्ञ का दौरा

+**1506. श्री कामेश्वर सिंह :** क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री 12 नवम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 210 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तकनीकी विशेषज्ञों के दल ने कार निर्माताओं के विभिन्न कारखानों का दौरा किया था ;

(ख) यदि हां, तो दल ने क्या निष्कर्ष निकाले हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री श्री भानु प्रकाश सिंह : (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) से (ग) . तकनीकी विशेषज्ञों ने निम्नलिखित तीन मुख्य कार निर्माताओं के कारखानों का दौरा किया था:—

प्रीमियर आटोमोबाइल्स लि० बम्बई ।	19 तथा 20 फरवरी, 1969
स्टैंडर्ड मोटर प्रोडक्ट्स आफ इण्डिया लि०, मद्रास ।	27 तथा 28 फरवरी, 1969
हिन्दुस्तान मोटर्स लि०, कलकत्ता ।	13,14 तथा 15 मार्च, 1969

दल की रिपोर्ट निम्नलिखित है :-

दल ने यह सर्वेक्षण किया है कि पांडे समिति की लगभग सभी सिफारिशें कार निर्माताओं को ज्ञात हैं और उसे कार्यान्वित करने के उन्होंने कुछ प्रयत्न किए हैं । दल की रिपोर्ट से पांडे समिति के विचारों की यह पुष्टि होती है कि निर्माताओं द्वारा संयंत्र में किस्म पर और अधिक ध्यान दिए जाने से बहुत सी खराबियों को दूर किया जा सकता है । दल ने यह भी विचार प्रकट किया है कि सहायक पुर्जों में कुछ खराबियां असंगत और अविश्वसनीय किस्म के होने के कारण थीं जिन्हें आनेवाले सामानों तथा पुर्जों के उचित किस्म नियंत्रण के द्वारा दूर किया जा सकता है । दल का यह भी कथन है कि कार निर्माताओं के निरीक्षण विभागों में पर्याप्त योग्यता प्राप्त कार्य करता हैं फिर भी उस कार्यप्रणाली में सुधार करने की काफी गुंजाइश है । दल ने आगे यह और भी सलाह दी है कि निरीक्षण विभागों का पुनर्नवीकरण और पुनर्गठन होना चाहिए जिससे कि पूर्ण किस्म नियंत्रण के संप्रत्यय को सिद्धान्त और व्यवहार दोनों में ग्रहण किया जा सके जिसका उद्देश्य कार उत्पादन संगठन के विभिन्न वर्गों के समेकित गुण प्रकार का विकास गुण प्रकार का सधारण गुण प्रकार संवर्धन के प्रयत्न करना है । टीम ने सिफारिश की है कि यह तकनीकी लेखा परीक्षा प्रकोष्ठ स्थापित करने का प्रकरण है । इस दल ने प्रत्येक प्रकार की कार की विश्वसनीयता के लिए विस्तृत तौर पर जांचें करने का सुझाव भी दिया है ।

Shri Kameshwar Singh : I want to tell you how the Government and manufacturers both try to exploit the consumers. The statement placed on the table of the House shows "दल ने यह सर्वेक्षण किया है कि पांडे समिति की लगभग सभी सिफारिशें कार निर्माताओं को ज्ञात हैं और उसे कार्यान्वित करने के उन्होंने कुछ प्रयत्न किए हैं।"

Will the Hon. Minister explain the meaning of it that

"उसे कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं,"

Shri Bhanu Prakash Singh : The Government have written to car manufactures and they are trying to improve the quality. The technical team. which was sent there, had made some recommendations. They made six or seven recommendations. If you want I may read out otherwise I will place them on the table of the House. It is mentioned in it as to how the quality will be improved.

Shri Kameshwar Singh : I will place another exauple as how the Government and manufacturers exploit the Consumers. The Quality Enqniry Committee has made it quite clear regarding the report of Pandey Committee that the Government did not allow the manufacturers to import quality control equipment, and import licence was not given. With the result the consumer is suffering a lot and manufacturers make profit. Will the Hon. Minister state that they will allow the manufactures to get testing Equipment so that the Consumers may be saved ?

Shri Bhanu Prakash Singh : The Government is considering over it and efforts are made that every manufacturer of any industry, should have his own testing equipment and if he has not then he can have his items tested. The Government will certainly give attention on it.

Shri Kameshwer Singh : The Hon. MInister has not replied my question. He says everytime that the Government is consiedring over it. There is no mention anywhere of what achievement has been made so far ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : श्रीमान जी, वर्तमान कारों के गुण-नियंत्रण के सम्बध में तकनीकी दल की सिफारिशों की प्राप्ति के अतिरिक्त क्या सरकार ने तकनीकी दल के साथ देश में कुछ नई सस्ती कार के निर्माण तथा सम्बंधित देशों से तकनीकी जानकारी की सहायता के विषय में बातचीत की है ; यदि हां, तो क्या मैं जान सकती हूँ कि क्या चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में ऐसी कोई योजना है ?

श्रीभानु प्रकाश सिंह : श्रीमान जी, दुर्भाग्यवश चतुर्थ पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत ऐसी कोई योजना नहीं है परन्तु गैर सरकारी क्षेत्र में छोटी कार बनाने के लिए सरकार बहुत इच्छुक है। यदि कोई व्यक्ति देश में उपलब्ध सामग्री से छोटीकार बनाने की योजना प्रस्तुत करेगा तो हम अवश्य ही इसपर बहुत ध्यानपूर्वक विचार करेंगे।

श्री स० मो० बनर्जी : श्रीमान विवरण से यह तो स्पष्ट है कि जिस दल ने प्रीमियर ओटोमोबाइल लिमिटेड, बम्बई; स्टैण्डर्ड मोटर प्रोडक्ट्स ग्रोफ इण्डिया लिमिटेड, मद्रास ; तथा हिन्दुस्तान मोटर्स लिमिटेड कलकत्ता के कार्य की जांच की है उसी दल ने तकनीकी लेखा परीक्षा विभाग की स्थापना का सुझाव दिया है। इसने प्रत्येक प्रकार की एक कार पर गहन विश्वसनीयता परीक्षणों की आवश्यकता का सुझाव भी दिया हैं। साधारणतया यह देखा जा

रहा है कि कारों के मूल्यों में वृद्धि हो रही है निर्माताओं का सरकार के विरुद्ध नवीनत्तम प्रचार यह है कि उत्पादन मूल्य तो कम हैं तथापि उत्पादन शुल्क के कारण मूल्य में वृद्धि हो जाती है। मैं जानना चाहता हूँ कि तकनीकी दल अथवा अन्य दलों की सहायता से कारों के मूल्य घटाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं और क्या इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कर दिया गया है अथवा यह विचार है कि किसी न किसी दिन देश में हमारे पास छोटी तथा सस्ती कार हो जाएगी ? यदि अन्तिम निर्णय कर दिया गया है तो क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या छोटी कार का उत्पादन सरकारी क्षेत्र में होगा अथवा नहीं ?

श्रीभानु प्रकाश सिंह : कारों की कीमतों की वृद्धि के विषय में एक दिन पहले ही माननीय मंत्री ने वक्तव्य दिया है कि हम कारों के मूल्य की वृद्धि के लिए सहमत नहीं है। हम उनकी विशेषता में सुधार लाने का प्रयत्न कर रहे हैं। कार निर्माता कहते हैं कि उनको कच्ची सामग्री के लिए बहुत अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है, तथा कच्ची सामग्री के मूल्यों में वृद्धि तथा श्रमिकों के वेतन में वृद्धि के कारण तथा अन्य वस्तुओं के मूल्य घटाने में भी उन्हें कहीं अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। वस्तुतः वे मूल्यों में वृद्धि करना चाहते हैं परन्तु हम इसके लिए सहमत नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : छोटी कार के विषय में हम पिछले 5 या 6 वर्षो से बार-बार प्रश्न सुनते आ रहे हैं। क्या हम यहां इस सदन में यह व्यवस्था बनाएं कि अब इस विषय पर कम से कम इस सभा में कोई प्रश्न नहीं पूछा जायेगा ? जब कभी सरकार को इस का कोई समाचार मिले तो हमारा समय नष्ट करने के बजाय वह सभा को सूचित कर देवे। भविष्य में हम छोटी कार के विषय में कोई प्रश्न सभा में नहीं रखेंगे इस प्रकार के प्रश्न करने से विषय की महत्ता घट जाती है। अतः जब तक सरकार के पास इसका कोई समाचार नहीं आता हम भविष्य में इस प्रश्न को नहीं उठाएगें।

श्री स० मो० बनर्जी : श्रीमान् मेरे प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर नहीं आया है। इसका उत्तर आपने तो दिया है परन्तु माननीय मंत्री जी ने नहीं दिया है। वास्तव में कुछ प्रस्ताव है जैसे कि प्रधान मन्त्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी जी के बहुत ही तरुण तथा उद्यमी सुपुत्र का भी प्रस्ताव है मुझे यह पता भी नहीं कि प्रस्ताव क्या है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार इस पर गम्भीरता से विचार कर रही है या केवल यह पता कल्पना मात्र है। यदि यह केवल वनस्पति में रंग मिलाने की तरह से कल्पना मात्र हैजिसे हम पिछले पन्द्रह वर्षों से सुनते चले आ रहें हैं तो मैं कुछ नहीं कहता।

श्री फखरुद्दीन अलीअहमद : इस विषय में सरकार बहुत गम्भीर है। हम प्रयत्न कर रहें हैं कि उपलब्ध संसाधनों में ही हम अपनी प्रायोजनाओं को किस प्रकार समंजित करें।

Shri N. K. P. Salve : Mr. speaker, what you have said is that you hope that the hon. Minister and the Ministry will understand it. You will find that the quality of Indian Car is going down while the prices are soaring high. It is not proper to say any thing about the inefficiency of the Ministry. Anyhow the car manufacturers have got their monoply. Yhey are manufacturing cars of inferior quality whereas they earn high profit only because of monopoly trade, and beeause there is no competition at all. I want to know whether Government is prepared to import second hand cars from abroad and

to sell them here only fur the sake of competition here? Second hand motor cars are available there at five hundred dollars or at rupees three thousand five hundred only. S. T. C. sells these second hand motors at rupees one lakh and twentyfive thousand. I want to know whether Government is prepared to import adequate number of these second hand cars on the basis of Barter so that there may be competition and the cars which are manufactured here may be of good quality and also the prices may come down.

Shri F. A. Ahmed : I think this will be wrong procedure ; because our foreign exchange will be affected. We do not want to waste our foreign exchange. We reqtuire foreign exchange for so many other things.

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : मैंने 'बार्टर' कहा है ।

Shri F. A. Ahmed : But I think that there should be more competition here and therefore, we are trying to establish a big unit so that the cars of good quality, may be manufectured at lower prices and there may be competition.

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : श्रीमान् वह मुझे उत्तर दिये बिना ही चले गए। मैं आपके हस्तक्षेप का उत्कट इच्छुक हूँ। 'बार्टर' शब्द प्रयोग करने का मेरा आशय है कि उन ऐसी वस्तुओं का निर्यात जो विदेशी बाजार में बिकने के काबिल न रहे हो और ऐसी ही कारों के आयात के लिए कहा है। इस कार्य में हमें चाहे कुछ भी लाभ नहीं हो, इसकी कोई बात नहीं है। इससे कार उद्योग में कम से कम एक अच्छी तथा स्वस्थ प्रतियोगिता तो उत्पन्न हो जायेगी।

श्री फखरुद्दील अली अहमद : माननीय सदस्य के लिए यह सुझाव देना बहुत सहज है कि 'बार्टर' अथवा घाटे का व्यापार होना चाहिए। परन्तु हमें यह भी देखना है कि इसकी व्यवस्था कैसे की जा सकती है।

श्री बलराज मधोक : श्रीमान् तथाकथित छोटी अथवा सस्ती कार के सम्बन्ध में सम्पूर्ण देश की अनुभूति की अभिव्यक्ति देने के लिए सदन आपका आभारी है। वास्तव में इस देश में हम छोटी कार नहीं रख सकते। अभी तक देश में सबसे छोटी कार 'फियेट' कार है अतः प्रश्न सस्ती कार का है। जिस समय तक आप नई सस्ती कार बनाने की स्थिति में नहीं होते, तो आप इसका ध्यान रखोगे कि वर्तमान कार की कीमत में तो वृद्धि नहीं होगी तथा इस की विशेषता में सुधार आयेगा? क्या आप इन दो बातों का सदन को आश्वासन दे सकते हो?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : जहां तक विशेषता का सम्बन्ध है, इस दिशा में हमने कुछ कार्यवाही कर दी है तथा हम यह प्रयत्न कर रहे हैं कि हम लेखा परीक्षा विभाग की किस प्रकार स्थापना कर सकते हैं जहां कार की विशेषता में सुधार करने के लिए सम्पूर्ण कार निर्माताओं का पंजीकरण हो जाये। जहां तक मूल्य का सम्बन्ध है, जैसे कि माननीय सदस्य को जानकारी है, कि जब निर्माता कार के मूल्य को 17,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये करने का नोटिस देते हैं तो मैं कहता हूं कि उन्हें एकपक्षीय कदम नहीं उठाना चाहिए। इसी बीच में टैरिफ आयोग का प्रतिवेदन भी हमारे सम्मुख आ गया है तथा हम इस पर विचार कर रहे हैं। यदि कार निर्माता कोई एक पक्षीय कार्यवाही कर देते हैं तो हम वह कार्यवाही करेंगे जिससे कि मूल्यों की वृद्धि को रोका जा सके।

श्री बेदब्रत बरुआ : क्या यह मानी हुई बात नहीं है कि कारों के मूल्य में वृद्धि का कारण यह है कि वर्तमान कारखाने बहुत कम संख्या में कारों का उत्पादन करते हैं ? यहाँ तक कि जब हम सरकारी क्षेत्र में परियोजना आदि के सम्बन्ध में चर्चा करते हैं तो इन बुनियादी सिद्धान्तों को भी ध्यान में रखना पड़ता है कि हमें इतने बड़े यूनिट बनाने चाहिए जो प्रतिवर्ष 60,000 से 70,000 तक कारों का उत्पादन करने में समर्थ हों। क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान मोटर्स नें अपनी उत्पादन क्षमता को एक लाख तक बढ़ाने के लिए अनुमति मांगी है ? क्या सरकार ने इस प्रश्न पर विचार नहीं किया है कि इस प्रकार के विस्तार से क्या प्रति यूनिट मूल्य में कमी नहीं होगी ? यदि गैर सरकारी क्षेत्र के यूनिट अपना विस्तार करना नहीं चाहते हैं तो क्या सरकार कार उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने पर विचार करेगी जिससे कि मूल्यों में गिरावट आ सके और घटिया दर्जे की कारों के लिए जनता को इस प्रकार अधिक मूल्य देने का दण्ड न भुगतना पड़े ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : इस प्रश्न का भी विचार निर्माताओं से किया था तो मुझे सदन को यह बताते हुए खेद होता है कि जब संख्या बढ़ाने के प्रश्न पर विचार हुआ तो हमें बताया गया कि यदि उत्पादन बढ़ाया जाए तो कार के मूल्य में अधिकतम 1000 रुपये कम किए जा सकते हैं।

श्री एस० कण्डप्पन : अनुपूरक का उत्तर देते हुए माननीय मंत्री जी ने कहा कि छोटी कार की योजना के विषय में सरकार बहुत गम्भीर है। कई बार सरकार ने इस विषय में सदन में वक्तव्य दिए कि अनेक राज्य सरकारों तथा विदेशी कम्पनियों से आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं तथा उन पर कार्यवाही की जा रही है। यदि सरकार इस परियोजना के सम्बन्ध में इतनी गम्भीर है तो मैं पूछना चाहता हूँ कि सरकार के पास कितने आवेदन पत्र आएं हैं, तथा कितनों पर कार्यवाही की गई है, वह मानदण्ड क्या है जिसके आधार पर इन आवेदनों पर कार्यवाही की गई है तथा इस देश में छोटी कार परियोजना की स्थापना के लिए कितनी विदेशी मुद्रा के व्यय होने का पूर्वानुमान है ? क्या उन्होंने योजना आयोग अथवा सम्बन्धित अधिकारियों के पास कोई ठोस प्रस्ताव भेजे हैं तथा इस परियोजना के लिए विदेशी मुद्रा उपलब्ध हो जाए, इसके लिए क्या भारत सरकार की सहमति प्राप्त करने का प्रयास किया है ? इस परियोजना के लिए कितनी विदेशी मुद्रा लगेगी तथा उसके लिए क्या कठिनाई है ?

श्री फखरुद्दीन अलीअहमद : जैसा कि मैं इससे पूर्व भी उल्लेख कर चुका हूँ विदेशी कम्पनियों को मिलाकर हमारे पास बहुत अधिक संख्या में प्रस्ताव आ चुके हैं। हमारी जांच के आधार पर केवल दो या तीन प्रस्ताव ही ऐसे हैं जो हमें कारखाने पर 8,000 रुपये से 9000 रुपये मूल्य में कार देने का वचन देते हैं। इसका तात्पर्य होगा कि जो कार हमें आज प्राप्त है उससे हमें यह कार लगभग 6,000 रुपये सस्ती पड़ जायेगी। जहां तक कि छोटी कार का संबंध है विदेशी मुद्रा भी बहुत कम लगेगी। केवल प्रश्न है कि इस पर लगभग 20 करोड़ रुपये की लागत लगेगी चाहे यह योजना के अन्तर्गत प्राप्य हो सके अथवा नहीं............

श्री एस० कण्डप्पन : यदि विदेशी मुद्रा का व्यय बहुत ही कम है, तो फिर कठिनाई ही क्या है ?

श्री फखरूद्दीन अली अहमद : कठिनाई यह है कि............

श्री एस० कण्डप्पन :............कि आप नहीं चाहते हैं।

फखरूद्दीन अली अहमद : कठिनाई संसाधनों के उपलब्ध होने की है। यदि माननीय सदस्य योजना आयोग को मेरे मंत्रालय के अन्तर्गत संसाधन उपलब्ध करने पर सहमत करते हैं तो मैं अवश्य ही यह देखूंगा कि छोटी कार का निर्माण हो।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : माननीय मंत्री ने अभी कहा है कि चौथी योजना के अन्तर्गत इसकी कोई व्यवस्था नहीं है तथा इस प्रकार के उद्योग के लिए किसी तरह का आंवटन नहीं किया गया है। इसके बावजूद भी माननीय मंत्री कहते हैं वह विचार करेंगे। माननीय मंत्री यह कह कर सदन को विश्वास नहीं दिला सकते। कार उद्योग एक छोटा उद्योग है जिसके लिए एक बहुत ही प्रकृष्ट पूंजी गत संस्था की आवश्यकता है। यह पूंजी कहां से आयेगी? मंत्री महोदय ने इस विषय को लेकर देश को क्यों संशय में डाल रखा है? सरकार इस मामले पर कोई निश्चित निर्णय क्यों नहीं लेती है तथा देश को क्यों नहीं विश्वास देती है कि इस प्रकार की कोई सम्भाव्यता नहीं हो सकती। चौथी योजना में इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। दो या तीन वर्षों के भीतर आप इसका कैसे समावेश करने जा रहे हैं? कहां से आप रुपया लायेंगे? आपकी कितनी आवश्यकता होगी तथा उसकी पूर्ति किस प्रकार होगी? टैरिफ आयोग ने कहा है कि कार निर्माण कार्य अपने हाथ में लेना सरकार के लिए मूर्खता-पूर्ण बात होगी, तथा जैसा कि मेरे माननीय मित्र श्री बेदव्रत बरुआ ने बताया है कि वर्तमान यूनिटों का विस्तार करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि इन दो या तीन कारखानों का जैसे भी ये हैं तथा जिस संस्था में भी यह हैं, विस्तार करने के हर भरसक प्रयत्न करने चाहिए। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट रूप में कह दिया है और अतिरिक्त यूनिट बनाने नहीं चहिये।

क्या सरकार इसको जानती है। क्या सरकार टैरिफ आयोग की सिफारिशों से परामर्श लेगी? क्या सरकार सामूहिक रूप में कार्य करती है। वह कहते है कि योजना आयोग को विश्वास दिलाने के लिए कौन तैयार है? क्या माननीय मंत्री अन्य मंत्रियों से अलगाए हुए है? माननीय मंत्री इस संबंध में स्पष्ट उत्तर देंगे?

श्री फखरूद्दीन अली अहमद : मैं माननीय सदस्या के इस प्रश्न को रखने की चिंता को समझता हूँ। परन्तु मैं उन्हें यह विश्वास दिला सकता हूँ कि इस परियोजना के लिए इतनी पूंजी लगाने की आवश्यकता नहीं है जितने की सूचना दी गई है। अधिक से अधिक हमें 20 करोड़ रुपये की आवश्यकता पड़ेगी और यह राशि वर्षों पर्यन्त चलेगी।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : आपका अपना टैरिफ आयोग कुछ और ही कहता है।

श्री फखरूद्दीन अलीअहमद : आप अपनी बात कह चुकी हैं। अब मुझे उत्तर देने दो।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : आप वह कुछ नहीं कह रहे हैं जिसकी आपके टैरिफ आयोग ने सिफारिश की है।

श्री फखरूद्दीन अलीअहमद : हम इस मामले की जाँच कर चुके हैं। सरकार यह सब मानने को बाध्य नहीं है जिसकी सिफारिश टैरिफ आयोग ने की है। यदि इसे मान लिया

जाता तो आज मुझे निर्माताओं की मूल्य की वृद्धि की मांग को भी मानना पड़ता। यह बात बिल्कुल नहीं है कि जो कुछ टैरिफ आयोग कहे उसे सरकार मान ले चाहे उसका कोई औचित्य है अथवा नहीं है। मैं यह मानने को तैयार नहीं हूँ कि सस्ती कार के नए कारखाने से हमें लाभ नहीं होगा। परन्तु प्रश्न है कि धन कहां से जुटाया जाए। विनिधान इतना अधिक नहीं है कि उसकी जांच नहीं हो सकती। मैं मामले को देख चुका हूँ, मैं यह जानता हूँ कि क्या ठीक है और क्या देश के हित में लाभदायक है।

Shri Kanwar Lal Gupta : Regarding Fiat Car it is said that each and every part is defective, and only its horn is execption. This is all due to monopoly trade that the quality of cars in getting poorer and poorer day by day. The Pandey Commission had submited its report a year back but despite that the quality has not improved so far. Will Government fix a time limit to see that quality is improved ? Will the licenses of those manufacturers be cancelled or penalised in another way who do not improve the quality.

Shri F. A. Ahmed : I just said that we are insisting them to agree to the proposals of Audit Cell ; so that the foreign people may see whether the quality of cars which are being manufactured here is good or not. The manufacturers still are not agreeable to agree to this proposal. We shall think over this matter as to how to make them agree to accede to the proposals of the Audit Cell so that we can interfere that the quality of the car is rather better.

श्री हेम बरूआ : माननीय प्रधान मंत्री जी के सुपुत्र के द्वारा छोटी कार के उत्पादन के विषय में क्या रहा। इसे आप भली प्रकार जानते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मुझे इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं हैं। अब हम अल्पसूचना प्रश्न पर विचार करेंगे।

प्रश्नावधि समाप्त हुई
Question Hour Oevr

सितम्बर 1968 की हड़ताल में भाग लेने वाले नैमित्तिक श्रमिक तथा अन्य रेलवे कर्मचारी

अ० सू० प्र० 21. श्री रणधीर सिंह : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि;

(क) क्या उन नैमित्तिक श्रमिकों तथा अन्य रेलवे कर्मचारियों के बारे में जिन्होंने 19 सितम्बर, 1968 की हड़ताल में भाग लिया था और जो उसके परिणामस्वरूप सेवा से हटाए गए थे सरकार ने कोई निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (ग). जी हां। हड़ताल में भाग लेने के कारण बर्खास्त किये नैमित्तिक श्रमिकों के बारे में हाल में यह विनिश्चय किया गया है कि जो

नैमित्तिक श्रमिक हड़ताल में भाग लेने के लिए 19-9-68 को अनुपस्थित मात्र रहे थे, उन्हें वापस ले लिया जाये बशर्ते उनके विरुद्ध कोई अन्य गम्भीर आरोप न हो।

जहां तक नियमित रेल कर्मचारियों का सम्बन्ध है, सरकार द्वारा समय-समय पर किये गये निर्णय लागू किये हैं।

श्री रणधीर सिंह : क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगें कि 19 सितम्बर 1968 की हड़ताल में भाग लेने वाले रेलवे कर्मचारियों तथा रेलवे के नैमित्तिक श्रमिकों की संख्या कितनी है तथा इस हड़ताल में भाग लेने के कारण ऐसे व्यक्तियों की कितनी संख्या है जिन्हें या तो पदच्युत कर दिया है अथवा मुअत्तल कर दिया है इन मुअत्तल या पदच्युत व्यक्तियों में से कितनों को दुबारा नौकरी पर बहाल कर दिया गया है और अभी कितने व्यक्ति नौकरी से पदच्युत अथवा मुअत्तल हैं। इन मामलों से सम्बन्धित सरकार की नीति क्या है ? क्या सरकार इनको अतिशयोक्तिपूर्ण मामले मानती है। क्या ये सभी मामले हिंसा ग्रथवा धमकी देने से सम्बन्धित हैं ? सरकार की क्या नीति है ? प्रदच्युत करने तथा मुअत्तल करने सम्बंधी मामलों में सरकार का क्या विचार है ?

डा० राम सुभग सिंह : यह संख्या काफी बड़ी है। यह काफी लम्बी सूची है। यह संख्या क्षेत्रवार दी गई है। सबसे अधिक संख्या दक्षिण-पूर्व रेलवे की है-1700 व्यक्ति। मैं इसे सभा-पटल पर रख दूंगा।

श्री रणधीर सिंह : मुअत्तली तथा पदच्युती के जो निलम्बित मामले हैं उनके विषय में सरकार की क्या नीति है। सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

डा० राम सुभग सिंह : जहाँ कहीं भी मामले गम्भीर हुए हैं तथा जिन मामलों में मुकदमे चल रहे हैं उनकी जांच पड़ताल तो अब उसी आधार पर की जायेगी। परन्तु यदि किसी व्यक्ति को केवल हड़ताल में भाग लेने के कारण कि वह उस दिन नौकरी पर नहीं आया तो उसे वापिस नौकरी पर बुलवाया जा रहा है।

श्रीरणधीर सिंह : यद्यपि सरकार का निर्णय प्रतिकूल होते हुए भी इज्जतनगर से लगभग 254 रेलवे कर्मचारी, दक्षिण-मध्य रेलवे के विजयवाड़ा से 19 कर्मचारी, और उत्तरीय रेलवे के दिल्ली प्रभाग से 5 कर्मचारियों को अभी तक नौकरी पर वापिस नहीं लिया है। उनके विरुद्ध किसी प्रकार के हिंसा, अथवा अभिगास अथवा सक्रिय रूप में उकसाने आदि का कोई आरोप नहीं है, परन्तु फिर भी उनको या तो मुअत्तल किया हुआ है ग्रौर या पदच्युत कर दिया है। ऐसे मामलों में मंत्री महोदय क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं ?

डा० राम सुभगसिंह : इन तीन विशेषताओं जिनका उल्लेख माननीय सदस्य ने स्वयं किया है, को छोड़कर अन्य सभी मामलों पर सहानुभूति पूर्वक विचार हो रहा है और उन को दुबारा नौकरी पर बहाल कर दिया जायेगा।

श्री समर गुह : मेरे माननीय मित्र ने पहले ही उन रेलवे कर्मचारियों के आँकड़े बता दिये हैं जो अभी तक मुअत्तल हैं। यह सूचना उनकी दी हुई है जो रेलवे यूनियन में कार्य कर

रहे हैं, कि सरकार विशेषकर छोटी श्रेणी के अधिकारियों ने यूनियन के नेताओं के प्रति विशेष रुख धारण कर लिया है, और यूनियन के उन नेताओं जिनपर मुकदमे दायर है, की एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदली की जा रही है जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है क्योंकि न्यायालयों में सुनवाई के लिए जाना होता है ।

इसके अतिरिक्त वहां पर कार्य करने वाले श्रमिकों के नेताओं का यह भी अनुभव है कि वहाँ के रेलवे अधिकारी मंत्रालय द्वारा दिए गये बचनों को पूरा नहीं कर रहे हैं मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार इस बात का ध्यान रखेगी कि श्रमिकों के उन नेताओं के स्थानान्तर न किये जायें जिनके मामले अनिर्णीत पड़े हैं । तथा दूसरा भी ध्यान रखेगी कि भारत सरकार पर दिये गये वचनों को छोटे अधिकारी तुरंत कार्यान्वित करें ।

डा० राम सुभग सिंह : रेलवे कर्मचारियों तथा अनियमित कर्मचारियों के बारे में हमारा दृष्टिकोण स्पष्ट है । उनके नेताओं के बारे में मैंने कुछ नहीं कहा ।

श्री समर गुह : माननीय मंत्री ने श्रमिकों के नेताओं के बारे में कुछ नहीं कहा । वे भी तो रेलवे कर्मचारी ही हैं । उनका स्थानांतरण किया जा रहा है ।

डा० राम सुभग सिंह : जैसा बता चुका हूँ, नवीन कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी को सम्मिलित कर लिया जाएगा ; इसके अतिरिक्त मैं कुछ नहीं कहना चाहता ।

श्री समर गुह : उनके विरुद्ध मामले अभी अनिर्णीत पड़े हैं तथा उन्हें स्थानान्तरित किया जा रहा है ।

अध्यक्ष महोदय : स्पष्ट है कि वह इसे टालना चाहते हैं और अब इस मामले में वह कुछ नहीं करना चाहते ।

Shrimati Savitri Shyam : The services of 83 temprary employees were terminated and 175 permanent employees were suspended at Izzatnagar, Barelly, N.E. Railways, These persons should have been covered under the relaxations provided in the orders, issued during the period from October 1968 to January 1969 and therefore these employees should have been taken back in the service. But it has not been done so far. I wrote to Shri Punacha in this connection and submitted a complete list to him. In the F. I. R. lodged against them they were not charged of violence, intimidation or active instigation. No charges of such nature were mentioned in the charge sheets issued to them by the Department. Even then these employees were panalised and some employees were thrown out of the service and some were suspended. As a result these poor employees and their families have been facing many difficulties. May I know the reasons for not reinstating these employees. We have also come to know that all the employees whether they are guilty or non-guilty are clubbed in a common list, May I know whether the Government will make any provision under which different departmental enquiries can be made against these employees in order to have a correct information regarding the each individual.

Dr. Ram Subhag Singh : The case of those persons who are not charged with violence, active instigation and intimidation will certainly be considered differently. The hon. lady member might be knowing that the cases anainst the railway employees who were not

involved in such activities as violence and intimidation etc. have been withdrawn and they have been reinstated. But so far as the employees found involved in these three types of the activities are concerned several difficulties may arise and all these aspects will be considred later on.

श्री नाथपाई : सितम्बर मास से ही यह मामला सभा के समक्ष रखा जा रहा है। उत्तर देने से पहले मंत्री महोदय दो समस्याओं तथा उन दो आश्वासनों पर विचार करें जो उस मंत्रालय द्वारा सभा में दिये गये थे जो सरकारी कर्मचारियों के बारे में नीति निर्धारित करता है। एक अवसर पर गृह-कार्य मन्त्री महोदय ने सभा में बिना किसी शर्त के पद आश्वासन दिया था कि सरकार सरकारी कर्मचारियों के प्रति कोई बदले की भावना नहीं रखेगी। तभी गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री श्री शुक्ला ने कहा था कि हड़ताल में भाग लेने के कारण सेवा से हटाएं जाने वाले सरकारी कर्मचारियों की संख्या 2 दर्जन से अधिक नहीं होगी। उन्होंने ऐसे व्यक्तियों की संख्या मेरे विचार से दो दर्जन से अधिक नहीं बताई थी किन्तु जो सूची मन्त्री महोयय ने प्रस्तुत की है उसके अनुसार ऐसे कर्मचारियों की संख्या सैकड़ों तक पहुँच गई है।

क्या मन्त्री महोदय को इस बात का पता है कि कोई कर्मचारी चाहे कितना ही अपने कार्य के प्रति ईमानदार हो किन्तु छोटे से छोटा अधिकारी भी उस व्यक्ति से विशेषकर जो अन्य कार्यकलापों में भी भाग लेता रहे ऐसे अवसरों पर बदला लेने को आतुर हो उठता है ? वह कर क्या रहे हैं ? क्या सरकार की यही नीति है। नीति के अनुसार केवल हिंसात्मक कार्य करने वालों को छोड़कर अन्य सभी मामलों को समाप्त कर देना चाहिए। अधिकारी वर्ग क्या कर रहा है ? वह समझते हैं तथा प्रसन्न होते है कि अब ऐसा अवसर आया है जिसमें ऐसे कर्मचारियों को खदेड़ा जा सकता है जो कर्मचारियों के हितों के लिये लड़ा करते हैं। इसी नीयत से अनेक मामलों को अनिर्णीत रखा जारहा है क्योंकि कुछ अधिकारियों में प्रतिशोध की अग्नि जल रही है। इस प्रकार परेशान करने की भावना बढ़ती जारही है। यदि सरकार की सामान्य नाति प्रतिशोधात्मक न होकर कर्मचारियों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण हो जाय तो इस प्रकार की बदला लेने वाली नीति का क्या अन्त नहीं हो जाएगा ?

डा० राम सुभग सिंह : जी, हम आदेश को अवश्य ही कार्यान्वित करेंगे।

श्री नाथपाई : परेशान करने वाली नीति.........

डा० राम सुभग सिंह : उस आदेश को सरकार ने जारी किया था, अर्थात् उसको जो गृह-कार्य मन्त्रालय से समय समय पर जारी किया जाता रहा है। मैं बिना किसी शर्त के यह आश्वासन देना चाहता हूँ कि किसी रेलवे कर्मचारी अथवा अन्य सरकारी कर्मचारी को परेशान करने की कोई भावना नहीं है।

श्री रा० डो० भण्डारे : क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि गत आठ महीनों में सरकार ने सदन में जो आश्वासन दिये हैं उनको पूरा करने में क्या बाधायें हैं ? ऐसे आश्वासन केवल पहली बार ही नहीं दिये गये हैं। बहुत पहले तीन कसौटियां निर्धारित की गई थीं। जो कर्मचारी इन तीनों श्रेणियों के अन्तर्गत नहीं आते उनके सम्बन्ध में दिये गये आश्वासनों को पूर्ण क्यों नहीं किया जारहा है ?

डा० राम सुभग सिंह : बाधा कोई नहीं है हम उन्हें कार्यान्वित करेंगे। यदि माननीय सदस्य आंकड़े देखें तो उन्हें मालूम हो जायेगा।

श्री स० मो० बनर्जी : सबसे पहले मैं मन्त्री महोदय को दक्षिण-पूर्व रेलवे के अनियमित कर्मचारियों को कार्य पर वापस लेने के लिये बधाई देता हूँ। इसके पश्चात् मैं मंत्री महोदय का ध्यान गृह-कार्य मंत्रालय के दिनांक 19 अक्टूबर, 1968, 4 जनवरी 1969 तथा 5मार्च 1969 को जारी किए गए आदेशों की ओर आकर्षित करना चाहूँगा। उसके पश्चात् आपके मार्ग दर्शन में गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री वी. सी. शुक्ल ने अपने आश्वासनों को पूरा किया। 29 अप्रैल, 1969 को अस्थाई कर्मचारियों के बारे में एक आदेश जारी किया गया जिसमें कहा गया था कि जिन कर्मचारियों के विरुद्ध हिंसा, डराने धमकाने तथा उकसाने से अन्य कर्मचारियों को काम पर आने से रोकने के मामले हैं उनके अतिरिक्त शेष सभी मामलों को उदारता से निपटा दिया जाएगा। रेलवे बोर्ड के पत्र के आधार पर भी जिसमें इन सब बातों को स्पष्ट किया गया है मुझे आशा है कि केवल कुछ अपवादात्मक मामलों को छोड़कर शेष सभी कर्मचारियों को फिर से काम पर ले लिया जायेगा। इन सब बातों को देखते हुए मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि इन सभी आदेशों को कार्यान्विति क्या अधिकारियों के हाथ में सौंप दी जाएगी अथवा सरकार इस बात का ध्यान रखेगी कि इनको उचित रूप से तथा सरकार की नरमी बरतने की नीति के अनुसार, कार्यान्वित किया जा रहा है या नहीं ?

दूसरे मैं जानना चाहता हूँ कि इन आदेशों के पश्चात् क्या सरकार ऑल इण्डिया रेलवे मैनस् फैडरेशन को पुनः मान्यता देगी जिससे कर्मचारियों और सरकार के बीच स्वस्थ सम्बन्ध पैदा हो सके ?

डा० राम सुभग सिंह : श्री बनर्जी के प्रश्न के पहले अंश का उत्तर मैं श्री माथपाई के अनुपूरक प्रश्न का उत्तर देते समय दे चुका हूं। अधिकारी वर्ग प्रशासन का एक अंग है तथा उसे सरकार द्वारा निर्धारित नीति पर चलना होता है। उसे यह भी देखना होता है कि जो निर्णय लिये गये हैं उनको विश्वसनीय ढंग से उदारता से कार्यान्वित किया जा रहा है या नहीं। अतः इस मामले में किसी प्रकार समझौता करने का कोई प्रश्न ही नहीं है। जहां तक संघ को मान्यता देने का संबंध है उसपर सरकार के किसी एक विभाग द्वारा नहीं अपितु पूर्ण सरकार द्वारा ही जांच की जाएगी।

श्री स० मो० बनर्जी : माननीय मंत्री एक विशेष मंत्रालय का भार सम्भाले हुए हैं तथा रेलवे विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या बहुत अधिक है जिनका प्रबंध उनके अधीन है। अतः मैं संघ को मान्यता देने के बारे में उनकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : यह विचाराधीन है। श्री शिव नारायण।

Shri Sheo Narain : Mr. Speaker, Sir, may I know whether the casual labourer employed at Gorakhpur, Eastern Railways, will be restored with the view that those people are hard. hit persons ?

Dr. Ram Subhag Singh : Mostly casual labourers, all over the country are the inhabitants of Gorakhpur and its nearby disticts and all the facilities have already been provided to them by the Government. Now the Government is giving them re-employment and the other facilities.

Shri Madhu Limaye : Sir, certain employees of Southern Railways were suspended and they were being prosecuted. But on the basis of the reports lodged by police the Government of Kerala turned down these cases. May I know whether any appeal against these cases have been filed with the financial assistance of the Ministers of Railways ? I wrote a letter to you but I am afraid whether this letter was made available to you by your department. I want to mention that the officers of the Railway department are not willing to take back such pesons in services before any decision is taken in this regard. Secondly we have also written to the authorities of the Jamalpur Workshop that against the workers of that workshop no such charges were made. May I know whether the hon. Minister will sympathiticalhy consider the cases of these persons ?

Dr. Ram Subhag Singh : We will go into these matters and send a reply to you afterwards.

Shri Tulshidas Jadhav : The casual labourers are not made permanent for long period ranging from 10 to 12 years. The permanent employees make evry effort for the betterment of their careers while the casual labourers remain static in this matter. Such persons are easily persuaded to be involved in the strikes. Therefore, may I know the reosons for not regularising their services and why these employees are treated as temporary for such a long time ?

Dr. Ram Subhag Singh : Had the hon. Member made any efforts to work out the total number of those casual labourers who participated in the 19th September strike he whould certainly have not put such a question.

Shri Om Prakash Tyagi : After the shike of September the Government have also given the assurances that the employees against whom no serious charges were made would be reinstated and yet, I am afraid, certain emoloyees with no serious charges against them would not be able to get thier jobs. The Government have tasted an unpalatable experience during the stike. In this context may I know whether the Government propose to set up a tribunal or to devise any ways and means by which strikes may be avoided in such an important department as Railways and by which the grievances of the workers may be solved peacefully ? Will the Government set up any tribunal which would go into the difficulties of the workers and which would take the decisions acceptable to both emdloyees and the Government ?

Dr. Ram Subhag Singh : With this very view the Joint Consultative Machinary was set up. But the same also failed to solve the problem and employees went on strike. Now all the resultant problems are being considred by the Government.

श्री धीरेश्वर कलिता : सबसे अधिक नुकसान असम को रहा। दो रेलवे कर्मचारियों की हत्या करदी गई, एक की बोगाई गांव में तथा दूसरे की मैटियानी में। किन्तु इस बारे में किसी को एक रुपया भी मुआवजा नहीं दिया गया। सैंकड़ों रेलवे कर्मचारी अभी भी मुअत्तल हैं। क्या मंत्री महोदय मुअत्तल तथा सेवा से निकाले गये कर्मचारियों की संख्या बताएंगे ? क्या वे बताएंगे कि उनके विरुद्ध कौन से गम्भीर आरोप है ? मंत्री महोदय ने सभा में बताया था कि मामलों को निपटारा कर दिया जायेगा। मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि कितनी अवधि में मामलों का निपटारा कर दिया जायेगा ?

डा० राम सुभग सिंह : गोली काण्ड के बारे में सदन के सभी माननीय सदस्यों को सब कुछ विदित है। इस विषय में मैं कुछ नहीं कहना चाहता।

जहाँ तक आँकडों का सम्बन्ध है सूचना सभा पटल पर रखदी गई है।

श्री धीरेश्वर कलिता : एन० एफ० रेलवे।

डा० राम सुभग सिंह : प्रारम्भिक अवस्था में वहाँ ऐसे स्थाई कर्मचारियों की संख्या 13 और अस्थाई कर्मचारियों की संख्या शून्य थी। एन० एफ० रेलवे में अत्यावश्यक सेवा (बनाए रखना) अध्यादेश की धारा 4 के अंतर्गत न आने वाले अन्य आरोपों के अधीन प्रारम्भिक रूप में मुअत्तल किये जाने वाले स्थायी कर्मचारियों की संख्या थी 86 तथा अस्थाई कर्मचारियों की 89, छूट दिये जाने सम्बन्धी आदेशों के बाद ऐसे कर्मचारियों की संख्या 62 तथा 89 रहगई। अब चूकि नये आदेश जारी किये गये हैं सारे मामले की फिर से जांच हो रही है अतः इस दृष्टि से इस संख्या में और कमी होने की सम्भावना है।

श्री धीरेश्वर कलिता : मैं जानना चाहता हूँ कौन सी निश्चित तिथि तक यह मामला तय हो जायेगा।

डा० रामसुभग सिंह : मैं निश्चित तिथि बताने में असमर्थ हूँ।

श्री हेम बरूआ : हड़ताल के न्यायसंगत कार्य में भाग लेने के आरोप में सरकार ने कुछ संघों की मान्यता समाप्त कर दी थी। क्या सरकार रेलवे में शांतिपूर्ण तथा स्वस्थ वातावरण बनाने के लिये उन संघों को फिर से मान्यता देना चाहती है और यदि सरकार ने ऐसा निर्णय किया तो उनको फिर से मान्यता देने के लिये एक निश्चित तिथि क्यों नहीं निर्धारित की ?

डा० रामसुभग सिंह : इस का उत्तर दिया जा चुका है।

डा० रानेन सेन : सरकार ने इन कर्मचारियों को फिर से काम पर लेने की नीति के बारे में लिये गए निर्णय की बार बार घोषणा की है तथापि यह स्पष्ट है कि नीचे के अधिकारी सफलता पूर्वक यह प्रयत्न कर रहे हैं कि इन निर्णयों को कार्यन्वित होने में बाधा उपस्थित की जाय। सरकार ऐसे अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही करेगी तथा इन निर्णयों को कैसे लागू कराएगी ?

डा० रामसुभग सिंह : सरकार के निर्णय में बाधा डालने की किसी को भी अनुमति नहीं दी जायगी

श्री एस० कन्डप्पन : वे किस प्रकार-कार्यन्वित करेंगे।

डा० रानेन सेन : सरकार ने क्या उपाय किये है ?

डा० रामसुभग सिंह : मैं सफलता पूर्वक इन को कार्यान्वित कर रहा हूँ अतः कोई भी कदम उठाने की आवश्यकता नहीं है।

श्री सोनावने : रेलवे बोर्ड ने ऐसे ईमानदार कर्मचारियों को प्रोत्साहन देने के लिये क्या कदम उठाए हैं जो हड़तालियों के भय दिखाने पर भी निर्भीकता से अपने काम पर आए ?

डा० रामसुभग सिंह : हमने कुछ प्रोत्सहन दिये हैं। जो अपने कार्य के प्रति ईमानदार रहे हैं उनकी सेवाओं को उचितस्व से मान्यता दी गई हैं। फिर भी यदि कुछ कमी रहगई है तो उसके बारे में माननीय सदस्य के सुझाव आमंत्रित हैं। हम उन पर विचार करेंगे।

श्री हेम बरूआ : प्रत्येक कर्मचारी ईमानदार है। ऐसा विभेद क्यों किया जाता है ?

श्री स० मो० बनर्जी : यदि वे अपने भाइयों के प्रति ईमानदार नहीं रहे तो वे और किसके प्रति हो सकते हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ब्रिटेन में मैसूर का व्यापार अभिकर्ता

*1471. श्री यज्ञदत्त शर्मा : क्या वित्त मन्त्री ब्रिटेन में मैसूर के व्यापार अभिकर्ता की नियुक्ति के बारे में 25 नवम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1888 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनकी वर्तमान उपलब्धियों की जानकारी इस बीच प्राप्त कर ली गयी है जिसमें विदेशी मुद्रा भी शामिल है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब होने के क्या कारण हैं तथा यह जानकारी इकट्ठी करने में कितना समय लगने की सम्भावना है ; और

(घ) क्या सम्बन्धित व्यक्ति भारतीय प्रशासनिक सेवा का है यदि नहीं तो किस सेवा का है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है।

1. वेतन : उनके अपने समय-मान (900-1800 रुपये) के अनुसार, और इसके अलावा समुद्र-पारीय भत्ता : 650 पौंड प्रतिवर्ष और मकान भत्ता : 865 पौंड प्रतिवर्ष।

2. मकान अनुरक्षण भत्ता : 188 पौंड प्रतिवर्ष या वास्तविक खर्च, जो भी कम हो।

3. मकान आदि को गरम करने और रोशनी का खर्च : प्रतिवर्ष 180 पौंड तक या वास्तविक खर्च, जो भी कम हो।

4. यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता उसी दर से दिया जाता है जिस दर से उच्च-आयोग के उतनी ही हैसियत के समान अधिकारियों को दिया जाता है।

5. सरकारी आतिथ्य के लिए 250 पौंड प्रतिवर्ष।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) जी, हां।

छोटी कोयला खानों का विलय

***1472 श्री रा० की० अमीन** : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने छोटी कोयला खानों को अनिवार्य रूप से परस्पर मिलाने के बारे में अपनी जांच पूरी कर ली है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) (क) और (ख). छोटी कोयला खानों के अनिवार्य विलयन की व्यवहार्यता की अभी भी जांच की जा रही है।

वार्षिक योजनाओं के लिए विदेशी सहायता

***1473. श्री वेदव्रत बरुआ** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

वर्ष 1967-68 और 1968-69 में वार्षिक योजनाओं के लिए प्राप्त विदेशी सहायता की राशि में से पुराने ऋणों के मूल तथा ब्याज की अदायगी में कितनी धनराशि व्यय की गई ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : भारत-सहायता-संघ के सदस्य से 1967-68 और 1968-69 में क्रमश: 5520 लाख डालर और 6420 लाख डालर की गैर-प्रायोजना सहायता के वचन प्राप्त हुए थे। इन रकमों में से ऋण- परिशोधन के लिए क्रमश: 630 लाख डालर और 1010 लाख डालर की व्यवस्था की गयी थी।

टाटा उर्वरक की परियोजना

***1474 श्री मधु लिमये** : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रस्तावित टाटा उर्वरक परियोजना के बारे में अन्तिम निर्णय लेने का कार्य प्रधान मंत्री पर छोड़ दिया गया है ;

(ख) क्या उक्त परियोजना को प्रधान मंत्री या सरकार ने स्वीकृति दे दी है क्योंकि टाटा उद्योग समूह कांग्रेस निर्वाचन कोष के लिए 40 लाख रुपये से अधिक दान दे रहे हैं ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि वाणिज्य मंत्री के निदेशानुसार मौखिक रूप से एक अतिरिक्त शर्त यह भी रखी गयी थी कि टाटा हाउस अब तक जिन देशों को अपना निर्यात करता है उनके अतिरिक्त अन्य देशों को भी करें ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री द० रा० चव्हाण) : (क) और (ख). परियोजना के बारे में अन्तिम निर्णय जब भी वह लिया जाएगा, भारत सरकार का निर्णय होगा। सभा इस बात की सराहना करेगी कि सरकार के निर्णय लेने की अन्दरुनी विधियां, विशेष तौर पर उन्हें जो मंत्रीमण्डल के विचार विमर्श पर आधारित हैं, बताना उचित नहीं है।

(ख) लगाया गया आरोप बिल्कुल आधारहीन है।

Uniform Rates for Electricity

***1475. Shri Narain Swarup Sharma :** Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state :

(a) the rates at which electricity is supplied to the farmers in the various States for agricultural purposes ;

(b) whether these rates are not uniform ;

(c) if so, whether Government will make arrangements to have electricity charges fixed at uniform rates in all the States by giving Central subsidy ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) : (a) to (d). A statement giving the requisite information is laid on the Table of the House. **(Placed in Library. See No. LT—997/69)**

Brahmaputra Commission

***1476. Shri Atal Bihari Vajpayee :**
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Suraj Bhan :
Shri Ranjit Singh :
Shri Brij Bhushan Lal :

Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state :

(a) whether decision regarding the appointment of Brahmputra Commission has been taken ; and

(b) if so, the names of its members, its terms of reference, and the time by which it has to submit its first report ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) : (a) and (b). The proposal to set up an autonomous organisation by the name of "Brahmaputra Flood Control Board" for planning and execution of flood control works in the Brahmaputra valley is under consideration in consultation with the Government of Assam.

Revenue Earnings of Delhi

***1477 Shri J. B. Singh**
Shri Sharda Nand

Will **the Minister of Finance** be pleased to state :

(a) The revenue receipts by way of Income--tax, Property tax, Excise duty and other Central taxes in Delhi during 1965-66, 1966-67 and 1967-68 ;

(b) the grants given by Government to Delhi during the above period ;

(c) whether Government propose to spend all the income earned from Delhi on Delhi ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shri Jagannath Pahadia) (a) The tax revenue collected by the Central Government from Customs duties, Union Excise duties, Income-tax and other direct taxes in Delhi amounted to about Rs. 51 crores in 1965-66, Rs. 61 crores in 1966-67 and Rs. 73 crores in 1967-68. This does not include collections from property tax which is a tax levied and realised by the local bodies.

(b) The transactions relating to Delhi form an integral part of the Central Budget. There is thus no question of grants being given by Central Government to Delhi.

(c) & (d). It should not be expected that the entire income earned in an area should be spent in the same area.

Financial Assistance Given to Delhi and U. P. in Plans

***1478 : Shri Om Prakash Tyagi :**
Shri Ram Swarup Vidyarthi :

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the financial assistance given to U. P. and Delhi during the First, Second and Third Five Year Plans and the unutilized amount out of them surrendered by them ;

(b) whether the Government of U. P. and the Delhi Administration had requested for allocation of more funds during the last three years ; and

(c) if so, the amount for which requests were made by them and the action taken thereon ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance, (Shri Morarji Desai) : (a) A statement is laid on the Table of the Lok Sabha.

(b) Yes, Sir.

(c) The Government of Uttar Pradhsh had on various occasions during the three years 1966-67 to 1968-69 made requests for additional Central assistance amounting in all to Rs 59.75 crores. The requests for additional allocations received from the Delhi Administration during the same period amounted to Rs. 6.18 crores. These requests were examined on merits and the Government of India agreed to provide additional Central assistance of Rs. 13.85 crores to the Government of U. P. while additional allocations of Rs. 1.25 crores were agreed to in the case of Delhi Administration.

(a) Financial assistance given to the Government of Uttar Pradesh and the Delhi Administration towards their Plans during the first three Five Year Plans.

	(Rs in crores)	
	U. P.	Delhi
First Five Year Plan	87.00	4.70
Second Five Year Plan	121.00	15.37.
Third Five Year Plan	356.20	93.10

The entire assistance was fully utilised and there were no surrenders.

संतति निरोध के लिए आयुर्वेदिक की गोलियां

***1479. श्री द० रा० परमार :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि चण्डीगढ़ में 'प्रगती फार्मेसी' के आयुर्वेद के वैद्य श्री करतार सिंह ने संतति निरोध की आयुर्वेद की गोलियों का पता लगाया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन गोलियों की सफलता के बारे में जांच की है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है और इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास और नगर विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्रीपति चन्द्रशेखर) : (क). श्री करतार सिंह ने एक नुस्खा सुझाया है जिसमें गर्भ निरोधी तत्व होने का दावा किया गया है।

(ख) और (ग). सरकार द्वारा गठित एक तकनीकी समिति अनेक नुस्खों की जिसमें श्री करतार सिंह द्वारा प्रस्तावित नुस्खा भी शामिल है, जांच कर रही है।

Per Capita Consumption of Electricity in India

***1480. Shri Raghuvir Singh Shastri :** Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state :

(a) whether it is a fact that per capita consumption of electricity in India is only 90 k. w. whereas in U. S. A., U. K. and U. S. S. R., it is 5,400, 3,000 and 2,000 k. w., respectively ;

(b) whether it is also a fact that the requirement of installed capacity of electricity, which at present is 1.22 crores k. w., is likely to increase to 2.87 crores k.w. in 1975-76 and to 4.62 crores k. w. in 1980-81 ; and

(c) the long term programme drawn up to develop the generating capacity of electricity production in these circumstances ?

The Minister of Irrigation and Power (DR. K. L. Rao) : (a). The per capita electricity consumption in India by end of 1968-69 has been assessed to be about 77 kWh. The per capita consumption in U. S. A., U. K. and U. S. S. R. at the end of 1967 is as follows :

U. S. A.	6065 kWh
U. K.	3254 kWh
U. S. S. R.	2305 kWh

(b) The aggregate installed generating capacity in the country by end of 1968-69 was about 14.5 million kW. According to the Fourth Plan, this is expected to rise to 22 million kw only by end of 1973-74 on account of financial stringency.

(c) A twenty-year programme drawn up by the Energy Survey Committee in 1965 envisaged an aggregate installed capacity of about 56 million kW by 1980-81.

L. I. C. Investments

1481. **Shri Onkar Singh :** Will the Minister of Finance be pleased to stete :

(a) the names of Companies whose new shares worth more than rupees one lakh have been purchased, the names of concerns which have been given loans for more than rupees one lakh and the names of concerns with which amounts exceeding rupees one lakh have been deposited by the Life Insurance Corporation during the last three years ;

(b) the profit earned by the Life Insurance Corporation from the shares and loans, etc. during the last three years ; and

(c) the scheme of the Life Insurance Corporation regarding the grant of loans to farmers and the total amount of loan given to farmers so far ?

The Deputy Minister of Finance (Shri Jagannath Pahadia) : (a) It is not in public interest to disclose names of companies whose shares have been purchased or to whom term loans have been given by LIC.

The Life Insurance Corporation of India makes deposits with only banks and that too for short terms only ; it does not make deposits with any other types of concerns.

(d) The net profit or net loss arising from sale or redemption of investments and the interest and dividends earned from investments during each of the last three years 1965-66, 1966-67 and 1967-68 are as foollows :

Year	Net profit or net loss from sales or redemption of investments Rs. in lakhs	Intersst and dividend earned on investments Rs. in crores
1965-66	+14.31	42.87
1966-67	+44.02	50.52
1967-68	—50.94	58.05

(c) There is no specific scheme for grant of loans to the farmers.

Percentage of Electricity Loss in Tarnsmission.

***1482.** **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of Irrigation and Power be pleasd to state :

(a) the percentage of electricity lost in transmission on an average in the country in 1967-68 ;

(b) whether it is a fact that the said loss is much higher as compared to what it is in other countries ; and

(c) if so, the efforts being made to reduce the loss ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr.K.L. Rao) : (a) Transmission, transformation and distridution losses in the country in 1967-68 are assessed at 16.6% of the available energy for consumption.

(b) The losses are higher than in developed countries.

(c) The higher losses are due to overloading of the existing transmission and distribution systems as they are not adequate to carry the large loads that are building up in the country. Also the absence of adequate high voltage lines in many States has led to heavy loads being transmitted over long distances at lower voltages which has increased the transmission losses. Additional high voltage transmission lines are being undertaken in the Fourth Plan and on completion of these lines and with integrated operation of the State power systems on Regional Grid basis, these transmission, transformation and distribution losses are expected to be reduced.

पर्यटकों को वस्तुओं के बेचने से मिली विदेशी मुद्रा

***1483. श्री स० चं० सामन्त : श्री यशपाल सिंह :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कपा करेंगे कि :

(क) भारतीय वस्तुओं की विदेशी पर्यटकों को बिक्री से जो पर्यटकों के देशों की मुद्रा प्राप्त होती है उसका किस प्रकार उपयोग किया जाता है ;

(ख) पर्यटकों को भारतीय माल बेचने वाले व्यापारियों को प्राप्त होने वाली विदेशी मुद्रा की राशि का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है ; और

(ग) वर्ष 1968 में कितने भारतीय रुपयों की विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई ?

उप-प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) . दुकानदारों को रिजर्व बैंक से मुद्रा विनिमय लाइसेंस लेना पड़ता है ताकि वे विदेशियों के हाथ बेचे जाने वाले अपने माल के बदले विदेशी मुद्रा में कीमत ले सकें। विदेशी मुद्रा के अन्य प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा इकट्ठी की जाने वाली विदेशी मुद्रा की तरह दुकानदारों द्वारा इकट्ठी की जाने वाली विदेशी मुद्रा भी भारतीय मुद्रा विनिमय विभाग को ही मिलती है। इन दुकानदारों द्वारा स्वीकार की जाने वाली मुद्रा का मासिक विवरण आवश्यक कागज-पत्रों के साथ, उन्हें महीने की समाप्ति के बाद एक सप्ताह के अन्दर, रिजर्व बैंक के पास भेजना पड़ता है।

(ग) आवश्यक सूचना इकट्ठी की जा रही है और इस संबंध में एक विवरण सभा की मेज पर रख दिया जायगा।

Hospitals and Beds in Third and Fourth Plan Periods in Delhi.

*1484. **Shri Kanwer Lal Gupta** : Will the Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development be pleased to state :

(a) the target of providing additional hospitals and raising the number of beds in hospitals in Delhi during the Third Five Year Plan and how far it was fulfilled ;

(b) the number of additional hospitals and beds in hospitals required in Delhi ;

(c) whether it is a fact that there will not be any appreciable increase in the number of hospitals in Delhi even after the Fourth Five Year Plan ; and

(d) if so, the action being takan by Government in the matter ?

The Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri K. K. Shah) : (a) During the Third Five Year Plan period, the Delhi Administration had proposed to set up 7 general hospitals with the total bed strength of 2,350 beds but the actual achievement during the Third Plan period was three hospitals with 986 beds.

The All India Institute of Medical Sciences achieved the target of 750 beds at the end of the Third Plan period.

In the Safdarjang Hospital 391 beds were added, bringing the total number of beds to the target of 1,142 beds at the end of the Third Plan peried. 302 beds were added in the Willingdon Hospital against the target of 750 beds during the Third Plan period. During this period the bed strength of the Kalavati Saran Children's Hospital was increased from 68 to 229.

(b) Delhi already has one bed for a population of four hundred as against the national average of 1 bed for 2,000 population. More hospitals and hospital beds are expected to come up in the Fourth Plan period.

(c) Yes.

(d) In November, 1967, a Hospital Review Committee was set up to review the existing medical facilities in Delhi hospitals and to suggest ways and means for improving the same. The Committee submitted its report in April, 1969 and made over 200 recommendations of which 140 have been accepted and the rest are under examination. The recommendations that have been accepted will be implemented during the Fourth Plan period according to the availability of resources.

इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड

*1485. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्र यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन ड्रग एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड की स्थापना के समय और 31 मार्च, 1968 को अधिकृत तथा प्रदत पूंजी कितनी थी ;

(ख) 31 मार्च, 1968 को इस कम्पनी द्वारा केन्द्रीय सरकार, बैंकों तथा अन्य लोगों को पृथक-पृथक कितना ऋण देय था ;

(ग) गत तीन वर्षों में, कम्पनी द्वारा ब्याज के रूप में कितनी राशि दी गई ; और

(घ) गत तीन वर्षों के कारोबार के परिणाम क्या हैं कितना लाभ हुआ और यदि हानि हुई, तो उसके मुख्य कारण क्या हैं तथा 1968-69 के बारे में क्या अनुमान हैं ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री द.रा. चव्हाण) : (क) इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड की स्थापना के समय और 31 मार्च, 1968 को अधिकृत तथा प्रदत्त पूंजी ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :

	इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स की स्थापना के समय	31.3.68 को
अधिकृत पूंजी	15 करोड़ रुपये	25 करोड़ रुपये
प्रदत्त पूंजी	5 लाख रुपये	21. 75 करोड़ रुपये

(ख) 31 मार्च, 1968 को कम्पनी द्वारा भारत सरकार को 35.946 करोड़ रुपये का ऋण देय था। उस तारीख को कम्पनी द्वारा बैंकों तथा अन्य लोगों को कोई ऋण देय नहीं था।

(ग) गत तीन वर्षों में निम्नलिखित ब्याज की अदायगी की गई।

1965-66	10.7 लाख रुपये
1966-67	90.2 लाख रुपये
1967-68	169.6 लाख रुपये

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान कम्पनी को हानि होती रही है। हानियां निम्न प्रकार है :

1965-66	30.736 लाख रुपये
1966-67	60.113 लाख रुपये
1967-68	232.553 लाख रुपये

1968-69 में 840 लाख रुपये की हानि का अनुमान है। हानि के मुख्य कारण निम्न प्रकार है :—

(1) 1967-68 निर्माण कार्य के मुकम्मल करने, परीक्षण उत्पादन शुरु करने और औद्योगिक उत्पादन के लिये एण्टीबायोटिक्स तथा सिन्थैटिक संयंत्रों को चालू करने का वर्ष था ;

(2) अपर्याप्त मांग के कारण सर्जिकल औजारों के संयंत्र में कम उत्पादन।

वृहद् बम्बई में आवास समस्या

***1486. श्री जार्ज फरनेन्डीज :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि वृहद् बम्बई के नागरिकों को गम्भीर आवास समस्या का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार बम्बई में मकानों की कमी दूर करने के लिये कोई व्यापक गन्दी बस्ती सफाई योजना आरम्भ करेगी और आवश्यक वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था करेगी ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन और निर्माण, आवास और नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब. सू. मूर्ति) : (क) (ख) एवं (ग) . महाराष्ट्र सरकार ने अनुमान लगाया है कि लगभग 10 लाख व्यक्ति वृहद् बम्बई के गन्दे क्षेत्रों में रहते हैं, और इन व्यक्तियों को (मकानों में) बसाने के लिए कम से कम 175 करोड़ रुपयों के खर्च की आवश्यकता होगी। इस के विपरीत चौथी योजना में सारे राज्य के लिए गन्दी बस्ती सफाई योजना के अधीन 4 करोड़ रुपये के व्यय का सुझाव है। इस राशि से राज्य सरकार लगभग 4,500 टेनमेंट बनाने की आशा करती है।

2. आवास राज्य क्षेत्र के विकास कार्यक्रम में शामिल है। चौथी योजना के दौरान, राज्य क्षेत्र के सभी कार्यक्रमों के लिए, जिसमें आवास एवं गंदी बस्ती सफाई योजनाएं शामिल हैं, राज्यों को केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋण एवं ब्लाक अनुदान के रूप में दी जायगी। यह राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया है कि वे संपूर्ण राज्यप्लान की ऊपरी सीमा के अन्दर गन्दी बस्तियों की सफाई पर अपने व्यय को, जहां तक वे उचित समझें, बढ़ाएं।

तलचेर कोयला क्षेत्रो का उत्पादन

***1487. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) इस समय तलचेर कोयला क्षेत्रों में कोयले का कितनी मात्रा में उत्पादन होता है ;

(ख) क्या वर्ष 1970-71 तक अनुमानित 10.42 लाख टन की कोयले की मांग इससे पूरी हो सकती है ; और

(ग) वर्ष 1970-71 तक इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये क्या प्रयास किये जा रहे हैं।

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) लगभग 9 लाख मीट्रिक टन वार्षिक।

(ख) जी, हां ।

(ग) इस कोयला क्षेत्र से 12 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष कोयले की उत्पादन के लिये क्षमता पहिले ही स्थापित की जा चुकी है और 1970-71 तक मांग के अनुसार 14.2 लाख मीट्रिक टन तक बढ़ाया जा सकेगा ।

न्यू इण्डिया एश्योरेंस कम्पनी के एजेन्सी इन्स्पेक्टर

+1488. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यू इण्डिया एश्योरेंस कम्पनी ने बीमा अधिनियमों में कुछ सुरक्षा उपायों की व्यवस्था करने के लिये कहा है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि उन्होंने यह मांग की है कि एश्योरेंस कम्पनी की उन नकली एजेंसियों को समाप्त कर दिया जायें, जिनके माध्यम से लाखों रुपये का व्यापार बुक किया जाता है और उसका कमीशन कम्पनी के उच्च अधिकारियों की जेब में जाता है ;

(घ) क्या ऐसी कुप्रथाओं का समुचितरूप से निराकरण करने के लिये बीमा अधिनियमों में संशोधन करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क), (ख) और (ग) . जी, हां । दिसम्बर 1968 में आल इण्डिया फैडरेशन आफ न्यू इण्डिया एश्योरेंस डिवेलपमेंट एम्पलाईज़ एसोसियेशन से सरकार को एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था जो मुख्यतः उन स्थानों पर शाखाएं खोलने के सम्बंध में था जहां बीमा-कर्त्ता का पहले ही से कारोबार था । इस अभ्यावेदन में और भी मुद्दे उठाए गये थे जो इस प्रकार हैं ;

(i) मध्यस्थ व्यक्तियों एवं अधिभावी कमीशनों की परिपाटी को समाप्त करना ;

(ii) बीमाकर्त्ताओं के निदेशकों के कारोबार पर कमीशन समाप्त करना,

(iii) कर्मचारियों को दिये जाने वाला लाभ कमीशन समाप्त करना,

(iv) केवल उन्हीं शाखाओं के माध्यम से पालिसियां जारी करना,

जहां कि वे एजेंसी विशेष रजिस्टर की गई हैं ;

(v) बीमा एजेंटों को लाईसेंस देने के लिये कतिपय प्रतिमान और मानक लागू करना ;

(vi) टेरिफ और गैर-टेरिफ कारोबार के बीच का अन्तर मिटाना

(घ) और (ङ) जी, नहीं । बीमा अधिनियम 1938, जैसाकि उसमें हाल ही में बीमा (संशोधन) अधिनियम 1968 द्वारा संशोधन किया गया है, के अधीन बीमा नियंत्रक को हर

प्रकार के वर्तमान भ्रष्टाचार को प्रभावपूर्ण ढंग से रोकने के लिए पर्यवेक्षण और नियंत्रण सम्बन्धी पर्याप्त अतिरिक्त शक्तियां पहले ही दी जा चुकी हैं।

खनिज उत्पादन

***1489. श्री नि० रं० लास्कर :**
श्री वेंगलराया नायडू :

क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के खनिज उत्पादन ने वर्ष 1967 की तुलना में वर्ष 1968 में लगभग 80 प्रतिशत की वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1967 तथा 1968 में कुल कितना उत्पादन हुआ ; और

(ग) इस बात को सुनिश्चित करने के लिये कि वर्ष 1969 में खनिज उत्पादन में और भी वृद्धि हो, क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव): (क) और (ख). 1968 के दौरान मूल्य के रूप में खनिजों के कुल उत्पादन में 1967 से लगभग 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस में कोयले, प्राकृतिक गैस, आणविक खनिज और अप्रधान खनिजों तथा गोवा के उत्पादन का मूल्य सम्मिलित नहीं है। 1968 वर्ष के दौरान धात्विक खनिजों का कुल मूल्य 435, 173, 000 रुपये था, जबकि 1967 में 394, 173, 000 रुपये था। 1968 वर्ष में धात्विक खनिजों से भिन्न खनिजों का कुल मूल्य 360, 164, 000 रुपये था, जबकि 1967 में 318, 810, 000 रुपये था।

(ग) 1969 वर्ष चौथी पंच वर्षीय योजना का पहला वर्ष है। योजनावधि के दौरान, तांबा, जस्ता, लोहा तथा इस्पात, एल्यूमिनियम, उर्वरक, तापसह, रसायन आदि जैसे खनिज आधारित उद्योगों का विकास आयोजित किया गया है। इस के परिणाम स्वरूप खनिज उत्पादन में वृद्धि भी उपरोक्त उद्योगों के आयोजित बढ़े हुए उत्पादन के अनुसार होने की सम्भावना है।

नकली विदेशी मुद्रा

+1490. श्री बै० कृ० दासचौधरी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में जनवरी से मार्च 1969 के बीच की अवधि में नकली विदेशी मुद्रा का लेन देन करने वाले किसी गिरोह का पता लगाया है ;

(ख) इस सम्बन्ध में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी): (क) जी, हां।

(ख) अब तक 16 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं ।

(ग) आगे जांच-पड़ताल जारी है ।

नेत्र बैंक, बम्बई में भ्रष्टाचार

***1491. श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास तथा नगर विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई के नेत्र बैंक में भ्रष्टाचार के कुछ मामलों की ओर सरकार का ध्यान हाल में आकर्षित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो भ्रष्टाचार के ये मामले कैसे है तथा उसमें किस व्यक्ति अथवा किन व्यक्तियों का हाथ है ; और

(ग) उनके विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क), (ख) और (ग). बम्बई से प्रकाशित "दि करन्ट वीक्ली" में जे०जे० ग्रुप अस्पतालों के नेत्र बैंक में भ्रष्टाचार के बारे में लेखों की एक श्रृंखला प्रकाशित हुई है। प्रासंगिक सूचना महाराष्ट्र सरकार से मांगी गई है ।

भारत के विदेशी विनियोजन

***1492. श्री गार्डिलिंगन गौड़** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1969 तक रूस, ब्रिटेन तथा अमरीका द्वारा भारत में कुल कितनी पूंजी लगाई गयी थी;

(ख) क्या यह सच है कि अन्य देशों में इन देशों की पूंजी बढ़ती जा रही है जबकि भारत के सम्बन्ध में ऐसा नहीं हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) सोवियत समाजवादी जनतन्त्र संघ, ब्रिटेन और अमेरिका ने भारत में, 31 मार्च, 1969 तक जो पूंजी लगाई है उसके आंकड़े उपलब्ध नहीं है । भारत में लगायी गयी वास्तविक बकाया विदेशी पूंजी के जो सबसे ताजा आंकड़े उपलब्ध है, वे मार्च, 1965 के अन्त तक के हैं । एक विवरण लोक-सभा की मेज पर रख दिया गया है जिसमें दिसम्बर 1955, दिसम्बर 1961 तथा मार्च, 1965 के अन्त तक ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा भारत में लगायी गयी पूंजी और वे रकमें दिखायी गयी हैं जिनको लगाने की स्वीकृति, सरकार ने 31 दिसम्बर, 1968 तक दी थी। सोवियत समाजवादी जनतन्त्र संघ के गैर-सरकारी क्षेत्र की ओर से कोई विदेशी पूंजी नहीं लगायी गयी है ।

(ख) दो विवरण सभा की मेज पर रख दिये गये हैं [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी०998/69**] जिनमें वे रकमें दी गयी हैं जिन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन ने विदेशों में लगा रखा है। ये आंकड़े, (i) अमरीकी वाणिज्यिक विभाग द्वारा किये गये अध्ययन, पर, जो वर्तमान कारबार समीक्षा (सर्वे आफ करेंट विजनेस) में उपलब्ध हैं और (ii) ब्रिटेन के व्यापार मंडल की पत्रिका पर आधारित है। इन विवरणों से यह पता लगता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा भारत में प्रत्यक्ष रूप से लगायी जाने वाली पूंजी में जो अनुपातत: वृद्धि हुई है उसकी तुलना, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा, यूरोप को छोड़कर, अन्य क्षेत्रों में लगायी जाने वाली पूंजी की वृद्धि से की जा सकती हैं। जहां तक ब्रिटेन का सम्बन्ध है, उस देश द्वारा भारत में लगायी जाने वाली पूंजी में जो वृद्धि हुई है उसकी तुलना, ब्रिटेन द्वारा, स्टर्लिंग क्षेत्र के विकसित देशों और यूरोप को छोड़कर विश्व के अन्य क्षेत्रों में लगायी जाने वाली पूंजी से की जा सकती है।

(ग) संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य देशों द्वारा भारत में लगायी जाने वाली पूंजी के आंकड़े अपेक्षाकृत कम रहने का एक मुख्य कारण वास्तव में यह है कि भारत में विदेशी पूंजी लगाने की स्वीकृति, चयनात्मक आधार पर दी जाती है ताकि विदेशी पूंजी, देश की विकास आयोजनाओं के उद्देश्य के अनुकूल हो।

संयुक्त अरब गणराज्य के साथ दोहरा कराधान रोकने का करार

***1493. श्री रा० बरुआ** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत और संयुक्त अरब गणराज्य ने आय पर दोहरे कराधान को रोकने के लिए एक करार किया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) कब तक इसके लागू हो जाने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी हां,। आय पर दोहरे कराधान को बचाने की दृष्टि से भारत और संयुक्त अरब गणराज्य की सरकारों के बीच 20 फरवरी 1969 को काहिरा में एक कन्वेंशन पर हस्ताक्षर हुए थे ;

(ख) इस कन्वेंशन की खास खास बातें दर्शाने वाला एक विवरण-पत्र संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 999/69**]

(ग) यह कन्वेंशन अनु-समर्थन-लिखतों के आदान-प्रदान की तारीख से लागू होगा।

Coal Washeries in Madhya Pradesh

***1494. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) the places in Madhya Pradesh where Coal Washeries are located ;

(b) whether their financial position is sound ; and

(c) if not, the steps proposed to be taken by Government to improve the same ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri Jaganath Rao) : (a) to (c). In Madhya Pradesh there is one Coal Washery at Nowarzabad belonging to M/s. Associated Cement Company Limited, a Private Company. Government is not directly concerned with the finances of this Company.

Fertilizer Factory at Paradeep

***1495. Shri Deven Sen :** Will the Minister of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Orissa Government have requested the Central Government for approval of the setting up of a fertilizer factory by the Sahu Jain firm at Paradeep ;

(b) whether it is also a fact that certain other companies had also sent in applications for setting up such a factory there but their applications were rejected without assigning any reasons therefor ; and

(c) if so, the directions issued by the Central Government to the State Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan) : (a) The State Government have recommended the proposal.

(b) Government of India are not aware of any applications from other companies having been rejected by the State Government.

(c) Does not arise.

राजस्थान, आन्ध्र प्रदेश तथा बिहार में खनिज सर्वेक्षण

***1496. श्री रा० कृ० बिड़ला :** क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान, आंध्र प्रदेश और बिहार में हाल में कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ख) यदि हां; तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) और (ख). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

Treatment of M. Ps. in South Avenue Dispensary

***1497. Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development be pleased to state :

(a) the names of the firms from which medicines are purchased locally for Government hospitals in the capital ;

(b) whether it is also a fact that many kinds of injections, dates of effectiveness of which have expired, are given to Members of Parliament in the South Avenue dispensary ;

(c) the frequency at which the stocks of medicines are checked ; and

(d) the action taken against those responsible for such lapses and the number of firms against which action has been taken ?

The Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri K. K. Shah) : (a) A statement containing the requisite information is laid on the Table of the Sabha. **[Placed in Libary See No. LT—1000/69]**

(b) No Sir,

(c) The stocks of medicines in C. G. H. S. dispensaries are checked frequently, but there is no fixed periodicity of such checking.

(d) Does not arise.

पूर्णतः निर्मित वस्तुओं पर इकहरे उत्पादन शुल्क का लगाया जाना

***1498. श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग के एक सदस्य ने पुर्जों तथा कच्चे माल पर, जिससे अन्तिम रूप में उत्पाद तैयार किया जाता है, अनेक शुल्क वसूल करने की बजाय अन्तिम उत्पाद पर इकहरा उत्पादन-शुल्क लगाने का समर्थन किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हां। योजना आयोग के सदस्य (उद्योग) ने 8 मार्च, 1969 को नयी दिल्ली में इलेक्ट्रानिक्स विषयक एक संगोष्ठी का उद्घाटन करते हुए कहा था कि कुछ मामलों में, कच्चे माल और पुर्जों पर अलग-अलग अनेक शुल्क लगाने की अपेक्षा, अन्तिम रूप से तैयार वस्तु पर एक ही बार भारी उत्पादन-शुल्क लगाना बेहतर होगा।

(ख) सरकार का विचार है कि कच्चे माल और पुर्जों पर अनेक शुल्क लगाने की अपेक्षा अन्तिम रूप से तैयार वस्तु पर उत्पादन-शुल्क लगाना सैद्धान्तिक रूप से बेहतर है। लेकिन, व्यावहारिक रूप में, अन्तिम रूप से तैयार वस्तुओं पर कर लगाना हमेशा सम्भव नहीं होता और इसलिये पुर्जों और कच्चे माल पर शुल्क लगाये जाने की आवश्यकता होती है।

Excise Duty on Khandsari and Sugar

1499. Shri Molahu Prashad : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether it is a fact that orders have been issued to levy excise duty according to the prescribed price of khandsari and sugar ; and

(b) if so, the names and addresses of those millowners on whom excise duty has been levied and the extent of additional income likely therefrom ?

The Minister of state in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a)Clauses 30 (i) and 33 (i) of the Finance Bill 1969 seek to change the basis for assessment of vacuum pan sugar and khandsari from weight to value. By virtue of a declaration made under

the Provisional Collection of Taxes Act, 1931, this proposal has already come into force from 1st March, 1969 and instructions were accordingly issued to the Collectors of Central Excise to levy excise duty on vacuum pan sugar and khandsari on the basis of their value. In the case of khandsari, the ad valorem levy is effective only in the case of those manufacturers who have not opted to pay duty at compounded levy rates; the compounded levy continues to be applicable to other units but at higher rates.

(b) The extent of additional revenue expected from the above proposal is Rs. 2745 lakhs from vacuum pan sugar and Rs. 30 lakhs from khandsari during one full year.

There are over 1,500 vacuum pan sugar and khandsari factories in India. It is not feasible to compile their names and addresses without entailing disproportionate expenditure of time and labour.

सब्जी मण्डी यूनियन, दिल्ली

***1500. श्री काशीनाथ पाण्डेय** : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सब्जी मण्डी यूनियन, दिल्ली दुकानदारों से प्रतिदिन 1,500 रुपये तेह बाजारी लेती है और लिये गये किराये पर बैंकों से ब्याज भी लेती है और क्या यह राशि सरकार के पास जमा कराई गई है ;

(ख) उनसे कुल कितनी राशि तथा कर वसूल किये जाने हैं और अनधिकृत कब्जाधारियों को पुलिस की सहायता से वर्तमान मण्डी से न हटाये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि आजादपुर मार्किट में दुकानों के आंवटन के बारे में दिल्ली के अधिकारियों की सब्जी मण्डी यूनियन से सांठ-गांठ है और प्राधिकार के इन अधिकारियों के नाम क्या हैं जो दुकानों तथा अन्य मामले में उनका परामर्श ले रहे हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास और नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क), (ख) तथा (ग) . सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

चौथी पंचवर्षीय योजना में आरम्भ किये जाने वाले आदिम जातीय विकास खण्ड

***1501. श्री गाडिलिंगन गौड़** : क्या विधि तथा समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है कि देश में आदिम जातीय क्षेत्रों में पिछड़ापन किस सीमा तक है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ;

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना में राज्यवार कितने आदिम जातीय विकास खण्ड खोलने का विचार है; और

(घ) योजना की अवधि में इस काम के लिए कितना धन व्यय किया जाएगा ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) तथा (ख). "पिछड़ेपन" का पद अनिश्चित है। यह स्पष्ट नहीं है कि क्या "आदिम जातीय क्षेत्रों" द्वारा माननीय सदस्य का निर्देश संविधान की छठी अनुसूची में उल्लिखित आदिम जातीय क्षेत्रों की ओर है अथवा पंचम अनुसूची में आवृत "अनुसूचित क्षेत्रों" की ओर।

अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयोग की रिपोर्ट में, जिसकी प्रतियां पुस्तकालय में उपलब्ध हैं, अन्य बातों के साथ साथ अनुसूचित आदिम जातियों द्वारा सामना की जाने वाली तथा अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन में सामने आने वाली मुख्य समस्याओं का उल्लेख किया गया है।

(ग) तथा (घ). चतुर्थ पंचवर्षीय योजना को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

Manufacture of Small Transformers

***1507. Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a Company engaged in the manufacture of small transformers in the Industrial Area of Meerut City (Uttar Pradesh) is able to manufacture transformers at half the cost and with better quality as compared to those manufactured by big concerns ;

(b) whether it is also a fact that the said company has not been given the required quota of oil and if so, the reasons therefor ; and

(c) the broad outlines of the programme chalked out for the manufacture of lakhs of small transformers, keeping in view the target of installing 14 lakhs tubewells during the Fourth Five Year Plan ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ale Ahmed) : (a) It is reported by the Director of Industries, U. P. that there is an industrial unit located in the Industrial Estate, Partapur, Meerut District, which has taken up such manufacture. Particulars of the sale price and quality of transformers manufactured by the unit are, however, not available.

(b) There is no quota fixed for distribution of transformer oil to manufacturing units. Imported transformer oil is distributed by the I. O. C. to the various manufacturers. Transformer oil is also available freely from an indigenous unit.

(c) The facilities in existing units are sufficient to meet the estimated demand for transformers during the Fourth Plan period.

प्रथम दर्जे के डिब्बों में यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था

***1508. श्री श्रीचन्द गोयल :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पहले दर्जे के डिब्बों में यात्रियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने चालू वर्ष में क्या कार्यवाही की है ; और

(ख) क्या यह सच है कि कुछ गाड़ियों में पहले दर्जे के डिब्बों में रात के समय अटेन्डेन्ट की व्यवस्था नहीं है ?

रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) रात की सभी प्रमुख गाड़ियों में रेलवे पुलिस का पहरा रहता है। पहले दर्जे के कक्षों के सभी दरवाजों और खिड़कियों में सुरक्षा चिटखनी की व्यवस्था की गई है। जिन स्टेशनों पर रेलवे पुलिस तैनात की गई है, वहां यात्रियों की संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस कर्मचारियों को प्लेटफार्म ड्यूटी पर लगाया जाता है।

(ख) पहले दर्जे के पूरे गलियारेदार सवारी डिब्बों में रात और दिन दोनों समय की यात्रा के लिए परिचरों की व्यवस्था की जाती है।

Birla Group of concerns in India and Abroad

+*1509. **Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the number of companies, mills and firms, in India and abroad, belonging to M/s. Birla Brothers at present ;

(b) the capital invested in these concerns at present ;

(c) whether there has been any increase or decrease in their capital investment during the last three years ; and

(d) the extent of this increase or decrease during the above period and the details thereof ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) to (d). According to the information collected by the Monopolies Inquiry Commission, the total paid-up capital of 151 companies registered in India as belonging to Birla Group stood at Rs. 76.3 crores in 1963-64. After excluding two companies which were amalgamated with other companies within the Birla Group and one company which was taken over by the Government of Pakistan, the total paid-up captial of the remaining 148 companies, according to a survey by Shri B. Datta, stood at about Rs. 96.0 crores in the year 1966-67, showing an increase of Rs. 19.7 crores over the period of 3 years. According to the report of the Monopolies Inquiry Commission, six companies incorporated outside India belonged to the Birla Group during 1963-64.

उड़ीसा में नये उद्योग

+**1510. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही**
डा० सुशीला नैयर :

क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में उड़ीसा में कितने और किस-किस प्रकार के उद्योग स्थापित किए गए; और

(ख) निकट भविष्य में उड़ीसा में सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में कौन-कौन से नये उद्योग स्थापित करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) . आवश्यक सूचना देने वाले विवरण (अनुबन्ध 1 और 2) सभा पटल पर रखे जाते हैं। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1001/69]

बर्मा द्वारा रेल पटरियों तथा रेल के अन्य उपकरणों की भारत से खरीद

+**1511. श्री बे० कृ० दास चौधरी** : क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बर्मा का विचार भारत से रेल पटरियां तथा रेल के अन्य उपकरण खरीदने का है;

(ख) यदि हां, तो खरीदे जाने वाले उपकरण कितने टन होंगे और उनका मूल्य कितना होगा ; और

(ग) इस प्रकार खरीदे जाने वाले सामान के मूल्य का भुगतान किस प्रकार किया जायेगा ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) से (ग) . बर्मा सरकार ने भारत से रेल की पटरी तथा रेल का अन्य साज-सामान खरीदने का कोई प्रस्ताव नहीं किया है परन्तु ऐसा ज्ञात हुआ है कि एक भारतीय निर्यातक फर्म ई 78,000 टन के लगभग रेल की पटरी तथा रेल के कुछ अन्य उपकरणों के निर्यात के लिए कुछ मिलाकर 7 करोड़ रुपये के लगभग का आर्डर लिया है। यह भी ज्ञात हुआ है कि इस माल का आस्थगित भुगतान किया जायेगा।

काश्मीर सम्बन्धी औद्योगिक तथा आर्थिक विकास समिति

1512. श्री सीताराम केसरी : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताये की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने काश्मीर सम्बन्धी औद्योगिक तथा आर्थिक विकास की योजनाओं की शीघ्र क्रियान्वित करने के लिए एक समिति नियुक्त की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रकार की समितियां अन्य राज्यों के लिए भी स्थापित की जायेंगी ;

(ग) यदि हां, तो किन किन राज्यों के लिये ये समितियां स्थापित की जायेंगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) इस समय अन्य राज्यों के लिये इस प्रकार की समितियां बनाने का प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) जम्मू कश्मीर राज्य की विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उस राज्य में विकास योजनाओं को लागू करने के काम में निरन्तरता तथा गति लाने के काम का पुनर्वीक्षण करने के लिये एक समिति विशेषरूप से स्थापित की गई है। अन्य राज्यों में जहां इस समय विशेष परिस्थितयां नहीं हैं ऐसी आशा की जाती है कि राज्य सरकारें अपने-अपने क्षेत्रों की औद्योगिक तथा आर्थिक विकास योजना में गति लाने के लिये समुचित पग उठायेगी।

बोकारो इस्पात कारखाने में रूसी विशेषज्ञ

+**1513. श्री बाबूराव पटेल** : क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बोकारो इस्पात कारखाने में 572 रूसी विशेषज्ञ कब तक काम करते रहेंगे और वेतन तथा अन्य उपलब्धियों समेत उनका मासिक व्यय कितना है;

(ख) इन रूसी विशेषज्ञों की सेवाओं की कब तक आवश्यकता होगी और उनके लिये बजट में खर्च की कितनी व्यवस्था की गई है; और

(ग) इस समय वास्तव में कितने रूसी विशेषज्ञ काम कर रहे हैं और उन पर प्रतिमास कितना खर्च होता है?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) (क) और (ख). बोकारो के प्रथम चरण के कार्य के लिए 572 रूसी विशेषज्ञों की प्रतिनियुक्ति की व्यवस्था की गई है। इन 572 में प्रत्येक वर्ष में इनकी वास्तविक संख्या निम्नलिखित अस्थायी कार्यक्रम के अनुसार भिन्न-भिन्न होगी :

एक वर्ष के लिए	87
दो वर्ष के लिए	118
तीन वर्ष के लिए	148
चार वर्ष के लिए	123
पांच वर्ष के लिए	96
	572

चूंकि प्रत्येक वर्ष विशेषज्ञों की संख्या भिन्न-भिन्न होगी तथा उन पर व्यय भी भिन्न-भिन्न होगा। अतः औसत मासिक व्यय बताना मुश्किल है, लेकिन पूरी अवधि में कुल 55.28 मिलियन रुपये खर्च आने का अनुमान है।

(ग) 30 अप्रैल 1969 को 157 विशेषज्ञ काम कर रहे थे उनके वेतन और भत्तों पर औसत मासिक व्यय 0.455 मिलियन रुपये बैठता है।

बैंकाक में एशियाई विकास परिषद् की बैठक

+1514. श्री नि० रं० लास्कर
श्री बी० चं० शर्मा
श्री बलराज मधोक
श्री चेंगलराया नायडू
श्री वेरणी शंकर शर्मा
श्री हरदयाल देवगुण

क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फरवरी, 1969 में बैंकाक में हुई एशियाई विकास परिषद् की बैठक में भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने एशिया तथा सुदूर पूर्व के लिए आर्थिक आयोग के क्षेत्र में आने में देशों से निर्यात के क्रयादेश प्राप्त करने के लिए कुछ ठोस सुझाव दिये थे ;

(ख) यदि हां, तो भारतीय प्रतिनिधि मण्डल ने क्या मुख्य सुझाव दिये थे और वे उन सुझावों के सम्मेलन में स्वीकार कराने में कहां तक सफल हुए ; और

(ग) उस सम्मेलन में और किन-किन विषयों पर चर्चा की गई ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) (क) और (ख). भारतीय शिष्टमंडस द्वारा पेट्रो-रसायन, लोहा तथा इस्पात, खनिज का पता लगाने, कृषि की मशीनों आदि के क्षेत्रों में निशुल्क तथा विनियोजन पूर्व अध्ययन करने, प्रायोजना रिपोर्ट तैयार करने तथा परामर्शदायी सेवाएं प्रदान करने के सम्बन्ध में विशेष पेशकश की गई थी। भारत द्वारा दी जाने वाली सेवाएं, यदि मानली जाती हैं तो उनके भारत और अन्य विकासशील देशों के बीच दीर्घ कालिक आर्थिक सहयोग स्थापित किया जा सकेगा।

(ग) एशियाई औद्योगिक विकास परिषद की बैठक में निम्नलिखित अन्य विषयों पर चर्चा की गई थी:—(1) दक्षिण पूर्व एशिया तथा पश्चिम इकाफे क्षेत्र में लोहा तथा इस्पात उद्योग का विकास करना (2) दक्षिण-पूर्व एशिया में लोहा तथा इस्पात का एक संस्थान स्थापित करना (3) पेट्रो-रसायन उद्योगों का विकास करना (4) वनों पर आधारित उद्योगों का विकास करना (5) कृषि-मशीनों का निर्माण करना (6) नारियल परिष्करण उद्योग का विकास करना (7) औद्योगिक विकास तथा क्षेत्रीय सहयोग के लिए दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य का अध्ययन करना तथा (8) औद्योगिकरण के मामले में प्रस्तावित द्वितीय एशियाई सम्मेलन करना।

Investment of Foreign Capital in India

***1515. Shri Raghuvir Singh Shastri :** Will the Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs be pleased to state :

(a) whether attention of Government has been drawn to a statment made by the President of International Chamber of Commerce in a Press conference in New Delhi on

the 12th February, 1969 to the effect that red tapism is a hindrance to the investments of foreign capital in India ;

(b) if so, the reaction of Government thereto ; and

(c) the steps proposd to be taken by Government to encourage investment of foreign capital in India and to simplify the procedure ?

The Minister of Industrial Development Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) Yes.

(b) & (c). Government are of the view that such criticism is not justified, while every effort is being made to expedite disposal of proposals for foreign investment and collaboration, it is essential that such proposals must be carefully scrutinised so as to ensure that they are in the national interest and are consistent with the policies of Govt.In order that applications for investment/collaboration are disposed of speedily, a Foreign Investment Board has recently been set up, which precesses all such proposals. Government have also drawn up and published three lists of industries, viz, (a) where foreign investment may be permitted with or without technical collaboration, (b) where foreign technical collaboration may be permitted but not foreign investment and (c) where no foreign collaboration (financial or technical) is considered necessary. Lists (a) and (b) also indicate the range of royalty wherever it is permissible.

In respect of licensing/registration of Industrial undertakings, the procedures have been and are being constantly streamlined and wherever feasible, relaxations from the Industrial Licensing precedures have been allowed.

डीजल रेल इंजन कारखानों में निर्मित इंजन

***1516. श्री मयावन :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डीजल रेल इंजन कारखाने में निर्मित रेल इंजन द्रुतगामी रेल गाड़ियों के लिए उपयुक्त नहीं हैं ; और

(ख) यदि हां, तो अमरीकी फर्म के सहयोग से उनका भारत में निर्माण करने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्री (डा०राम सुभग सिंह) : (क) और (ख). डीजल रेल इंजन कारखाने में जो डीजल रेल इंजन बनाये जा रहे हैं, वे इस समय सामान्य सेवाओं में इस्तेमाल किये जाने के उद्देश्य से बनाये जाते हैं और उन्हें ट्रंक मार्गों पर माल और सवारी गाड़ियों चलाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तेज रफ्तार वाली गाड़ियों के लिए उपयुक्त प्रकार के रेल इंजन का, जो कि डीजल रेल इंजन कारखाने में बनाया जायेगा, अभिकल्प तैयार करने का प्रश्न अनुसंधान, अभिकल्प और मानक संगठन के विचाराधीन है।

मुरादाबाद स्टेशन पर पेट्रोल के वैगन में आग

***1517. श्री रा० बरूआ :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 19 फरवरी, 1969 को मुरादाबाद स्टेशन पर एक बन्द रेलवे वैगन में आग लग गई थी जिसमें मिट्टी के तेल और पेट्रोल के ड्रम थे ;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप कुल कितनी हानि हुई ;

(ग) क्या इस बारे में कोई जांच की गई है ;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ङ) क्या इस मामले में किसी तोड़-फोड़ का सन्देह है ?

रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां, लेकिन इसमें केवल पेट्रोल था।

(ख) लगभग 50,000 रुपये।

(ग) जांच हो रही है।

(घ) निष्कर्षों का अभी तक पता नहीं चला है।

(ङ) अभी तक तोड़-फोड़ का संदेह नहीं है।

Applications for Import Licences from States

***1518. Shri Molahu Prashad : Will the Minister of Inddstrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the number of applications for import licences, duly approved by the Directors of Industries in the States, received State-wise, in response to Notice No. 155 I.T. C. (P.N.) 66 dated the 17th December, 1966 with a view to accelerating the pace of progress of small-scale industries ; and

(b) the pace of progress in this regard ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) & (b). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Book Stalls on Railway Stations

***1519. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of Railways** be pleased to state :

(a) whether M/s Wheeler and Co. have been given monopoly over all those stalls of Railway Stations where reading material is available ;

(b) whether it is a fact that 90 percent of the books available at the stalls display obscene photographs of women ;

(c) if so, whether Government propose to prohibit such publicatiions and end the monopoly ; and

(d) if so, when ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) and (b). No, Sir.

(c) and (d). The sale of obscene books and literature is already prohibited at railway stations.

As regards monopoly of the company, the company has no monopoly right to open bookstalls on railways.

उद्योगों की स्थापना में प्रादेशिक असन्तुलन

+1520. श्री रा० कृ० सिंह : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उद्योगों की स्थापना के सम्बन्ध में प्रादेशिक असन्तुलन है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार चौथी पंचवर्षीय योजना में इन असन्तुलनों को दूर करने के प्रस्ताव को अन्तिम रूप देने के बारे में विचार कर रही है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) सरकार के प्रयत्नों के बावजूद भी देश के विभिन्न भागों में समानता के आधार पर औद्योगिक विकास नहीं हो पाया है और कुछ हद तक प्रादेशिक असंतुलन रहा है।

(ख) और (ग). चौथी योजना काल की अवधि में ऐसे प्रादेशिक असंतुलन को कम करने के लिए यथा संभव प्रयत्न किये जायेंगे ; इस सम्बन्ध में एक मुख्य पूर्वपेक्षा औद्योगिक विकास के मामले में गैर विकसित क्षेत्रों तथा प्रदेशों के लिए माप दंड तैयार करना है और इस क्षेत्र में औद्योगिक विकास को चालू करने के लिए आवश्यक नीतियों तथा प्रोत्साहन का निर्धारण करना है। इस पहलू के साथ-साथ प्रादेशिक असंतुलन को कम करने से सम्बन्धित अन्य पहलुओं पर भी सरकार इस समय विचार कर रही है।

Diposits forfeited in the 1969 Midterm Elections.

+*1521. **Shri Gunanand Thakur** : Will the Minister of Law and Social Welfaire be pleased to state :

(a) the number of candidates who lost their security deposits in the recent Mid-term elections in Punjab, U. P., Bihar and West-Bengal ;

(b) whether it is also a fact that some such candidates have also won the elcetions as have lost their deposits ;

(c) if so, the number thereof ; and

(d) whether Government propose to amend the election law so as to exclude winning candidates from forfeiting their security deposits ?

The Minister of Law (Shri Govinda Menon) :

(a)

Name of the State	No. of candidates who forfeited security deposits.
(1) Punjab	239
(2) Bihar	1,360
(3) Uttar Pradesh	1,785
(4) West-Bengal	431
Total	3,815

(b) Nil.

(c) Does not arise.

(d) No, Sir. Under Section. 158 (4) of the Representation of the People Act, 1951 the elected candidate will not forfeit his security deposit.

Divisionalisation of North-Eastern Railway

*1522. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Shri Ram Dev Sharma, Member of Legislative Assembly from the Muzaffarpur Constituency sent a letter to the Prime Minister on the 21st February, 1969 in connection with Government's proposal of introducing Divisioenal set-up on the North-Eastern Railway ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) the reaction of Government thereto ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) No such letter appears to have been received by the Prime Minister.

(b) & (c). Do not arise.

रेलवे भोजन व्यवस्था तथा यात्री सुविधा समिति का प्रतिवेदन

*1523. **श्री आत्म दास :**
श्री शिव कुमार शास्त्री :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे भोजन व्यवस्था तथा यात्री सुविधा समिति के प्रतिवेदन की मद संख्या 32 की कण्डिका 68 के अन्तर्गत दिनांक 4 अक्तूबर, 1968 के रेलवे बोर्ड के निर्णय के अनुसरण में बनाए नए नये नियमों से छोटे स्टेशनों पर लाइसेंसधारियों तथा छोटे ठेकेदारों को बड़ी असुविधा होने की संभावना है ;

(ख) क्या इन संशोधित नियमों का अहितकर प्रतिस्पर्धा के तर्क तथा सफाई से कोई सम्बन्ध नहीं है परन्तु उनसे छोटे ठेकेदार अपने रोजगार से वंचित हो गये हैं और बड़े ठेकेदार लाभान्वित हुए हैं ;

(ग) यदि हां, तो यह कार्यवाही समाजवाद के सिद्धान्त से कहाँ तक मेल खाती है और क्या इन संशोधित नियमों के कारण अनेक छोटे ठेकेदार अपना कारोबार बन्द करने के लिये बाध्य नहीं हो जायेंगे ; और

(घ) क्या सरकार का विचार नए नियम रद्द करने तथा पहले से चले आ रहे नियम जारी रखने का है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) (क) जी नहीं। अब तक इस तरह की कोई कार्यवाही नहीं की गयी है और न करने का इरादा है।

संशोधित नियम रेलवे खान-पान और यात्री सुविधा समिति की सिफारिशों पर आधारित है। समिति ने इस नियम के समर्थन में यह दलील दी है कि इससे खान-पान के ठेके इस प्रकार हो जायेंगे जिससे खाम-पान का अच्छा स्तर बना रहेगा। संशोधित नियम का उद्देश्य सभी रेलों में खान-पान के स्तर में सुधार लाना है और साधारण तथा बड़े ठेकेदारों के बीच कोई भेद-भावपूर्ण रुख का न अपनाया जाना संशोधित नियमों में अन्तर्निहित है। अच्छे ढंग से काम करने वाले सभी निपुण ठेकेदार नये नियम का लाभ उठा सकते हैं।

(ग) जैसा कि भाग (ख) के उत्तर में बताया जा चुका है, छोटे और बड़े ठेकेदारों के बीच भेदभाव बरते जाने की संभावना नहीं है; अतः समाजवादी आदर्श से कोई विरोध नहीं है। यह आशंका कि अनेक छोटे ठेकेदारों को बाध्य होकर अपना कारोबार बन्द कर देना पड़ेगा, ठीक नहीं जान पड़ता।

(घ) जी नहीं, क्योंकि नियम संसद सदस्य की समिति की सिफ़ारिश पर आधारित है रेलों में खान-पान सेवाओं का बिस्तृत अध्ययन किया था।

मैंसर्स सेंचुरी स्पिनिंग एण्ड मैनुफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड, बम्बई

***1524. श्री देवेन सेन :** क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री 11 मार्च 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2624 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैंसर्स सेंचुरी स्पिनिंग मैनुफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड, बम्बई की कुल पूंजी कितनी है ;

(ख) उनके द्वारा प्रत्येक देश को कितनी मात्रा में माल का निर्यात किया गया ;

(ग) वर्ष 1967 से निर्यात में किस आधार पर तथा कितनी वृद्धि हुई है ; और

(घ) इसके अंशधारियों की संख्या कितनी है और क्या कोई विदेशी संस्था भी इसकी अंशधारी है ?

औद्योगिक विकास आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) मैंसर्स सेंचुरी स्पिनिंग एण्ड मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड, बम्बई की कुल प्रदत्त-पूंजी, 31 दिसम्बर, 1967 तक 4.65 करोड़ रुपयों की थी।

(ख) तथा (ग). सूचना संग्रह की जा रही है व यह सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जिसने जायेगी।

(घ) 31 दिसम्बर, 1967 तक इक्विटी तथा अधिमान हिस्सेधारियों की कुल संख्या क्रमशः 9022 तथा 3916 थी। ऐसा कोई विदेशी संगठन नहीं है, जिसका इस कम्पनी में कोई हिस्सा हो।

इंडिया बेल्टिंग एण्ड कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड, सेरामपुर द्वारा हिसाब किताब रखा जाना

***1525. श्री प० मु. सईद :** क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडिया बेल्टिंग एण्ड कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड सेरामपुर द्वारा कोई समुचित हिसाब किताब रखे बिना तथा उसके द्वारा किये गये कारोबार का उल्लेख किये बिना समवाय पंजीयक, पश्चिम बंगाल के पास कुछ संतुलन पत्र तथा लाभ-हानि का वृत्त भेजा गया है ;

(ख) क्या विभिन्न संतुलन पत्रों में निदेशकों द्वारा विभिन्न प्रकार से किया गया पूंजी विनियोजन दिखाया गया है ;

(ग) यदि हां, तो इस समय निदेशकों की संख्या कितनी है और इस कम्पनी में इनकी कितनी पूंजी लगी हुई है ;

(घ) यदि उपर्युक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो अधिकारी यह निष्कर्ष किस प्रकार निकालते हैं कि यह कम्पनी ठीक तरह से हिसाब किताब आदि रखती है ; और

(ङ) इस कम्पनी के निदेशकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) (क) (घ) तथा (ङ). कम्पनी रजिस्ट्रार, पश्चिमी बंगाल के पास 1964, 1966 तथा 1967 के वर्षों के मिसिल किये गये विवरण-पत्रों से पता चलता है कि लेखा परीक्षकों ने लेखाओं को प्रमाणित करते समय कुछ निरीक्षण किये थे । 1965 के वर्ष के प्रलेख, जो नत्थी शुल्क न देने के कारण वापिस कर दिये गये थे, पुन: प्रस्तुत नहीं किये गये । इस चूक के लिये कम्पनी रजिस्ट्रार, कम्पनी पर मुकदमा दायर कर रहा है । विवरण-पत्र परीक्षान्तर्गत है ।

(ख) तथा (ग). कम्पनी रजिस्ट्रार के पास मिसिल किये गये, 1964, 1966 तथा 1967 के वर्षों के कम्पनी के तुलन-पत्रों से निदेशकों से 1,24,821.74 रुपयों के प्रतिभूति रहित ऋणों का पता चलता है । तुलन-पत्रों में एकाकी निदेशकों द्वारा विनियोजन दिखाना अपेक्षित नहीं है । डा० बी० दास तथा श्री ए० के० घोष, वर्तमान में कम्पनी के निदेशक हैं, जिनमें से प्रत्येक के कम्पनी में 100 रुपये प्रति हिस्से के 10 हिस्से हैं ।

इन्डिया बेल्टिंग एण्ड कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड, सेरामपुर

***1526. श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इन्डिया वेल्टिंग एण्ड कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड, सेरामपुर कुछ झूटे तथा बनावटी संतुलन पत्रों को छोड़ कर शेष संतुलन पत्र समवाय पंजीयक, पश्चिम बंगाल, के पास कभी समय पर दाखिल नहीं करती है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त समवाय तथा/अथवा इसके निदेशकों के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही आरम्भ करने का विचार है ।

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) कम्पनी के, 1964, 1966 तथा 1967 के वर्षों के तुलन-पत्र तथा लाभ-हानि के लेखे, कम्पनी रजिस्ट्रार को निम्नांकित तिथियों को मिसिल किये गये थे :—

वर्ष का तुलन-पत्र	देय तिथि	मिसिल किया गया
1964	अगस्त, 1965	24-10-1967
1966	जुलाई, 1967	3- 8-1968
1967	जुलाई, 1968	3- 8-1968

1965 के वर्ष का तुलन-पत्र अभी तक मिसिल नहीं किया गया है। कम्पनी अधिनियम, की धारा 614 क (2) के अन्तर्गत मुकदमा दायर कर दिया गया है। 1964, 1966 तथा 1967 के वर्षों के, कम्पनी रजिस्ट्रार, पश्चिमी बंगाल के पास मिसिल किये गये विवरण-पत्रों से पता चलाता है कि लेखा-परीक्षकों ने लेखाओं को प्रमाणित करते समय कुछ निरीक्षण किये थे। 1965 के वर्ष के प्रलेख, नत्थी शुल्क न देने के कारण वापिस कर दिये गये थे, जो अब तक पुनः प्रस्तुत नहीं किए गये। इस चूक के लिए कम्पनी रजिस्ट्रार, कम्पनी पर मुकदमा दायर कर रहा है। विवरण-पत्र परीक्षान्तर्गत है ।

(ख) कम्पनी तथा इसके निदेशकों पर, 1964, 1965 तथा 1966 के वर्षों के तुलन-पत्र मिसिल करने में, उनके द्वारा की गई चूकों के लिये मुकदमे दायर किये गये व जुर्माना किया गया। लेखा–परीक्षकों की रिपोर्ट में वर्णित योग्यताओं की परीक्षा की जा रही है।

रेलों के कार्य संचालन में दक्षता तथा मितव्ययता

***1527. श्री चन्द्रिका प्रसादः** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को रेलवे कार्य संचालन में दक्षता तथा मितव्ययता के बारे में अखिल भारतीय रेलवे वाणिज्यिक क्लर्क संघ से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) सम्भवत : माननीय सदस्य का आशय उस अपील से है जो पिछले वर्ष अखिल भारतीय वाणिज्यिक क्लर्क संघ की मदुरै शाखा की कार्य कारिणी समिति द्वारा जारी की गयी थी ।

(ख) इस अपील में संघ ने वाणिज्यिक कोटि में कर्मचारियों की छटनी के विरोध में अभ्यावेदन दिया था जिससे, उनके अनुसार, रेलवे की आमदनी में कमी होगी और भारी मात्रा में दावों का हर्जाना देना पड़ेगा।

(ग) कोई विशिष्ट कार्यवाही आवश्यक नहीं समझी गयी क्योंकि ऐसे मामलों पर मान्यता-प्राप्त संघों द्वारा स्थायी वार्ता तन्त्र के माध्यम से हमेशा बातचीत की जा सकती है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों

के आयुक्त के अधीन संगठन

***1528. श्री स० कुण्डू :** क्या विधि तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के अधीन सम्पूर्ण क्षेत्रीय संगठन को जून, 1967 में समाप्त कर दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे तथा कितने पदों को समाप्त किया गया था ;

(ग) क्या इस पुनर्गठन से अनुसूचित जातियों के संवैधानिक संरक्षण की क्रियान्विति तथा इन पिछड़ी जातियों की कल्याण योजनाओं का पता लगाने के लिये आवश्यक जानकारी स्वतंत्र रूप से इकट्ठी करने संबन्धी उपर्युक्त संगठन का प्रभाव सीमित हो जायेगा ; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह : (क) तथा (ख) . अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जाति के आयुक्त से परामर्श करके यह निश्चत किया गया था कि उसे केवल संविधान में दिए गए काम ही सौंपे जाएंगे तथा उससे विकास कार्य ले लिया जाएगा जो कि उचित रूप से सरकार का काम है। यह निर्णय इसलिए किया गया था क्योंकि यदि आयुक्त को विकास कार्य पर भी सरकार को सलाह देनी पड़े तो उससे सरकार का निष्पक्ष आलोचक होने की आशा नहीं की जा सकती। इसलिए, आयुक्त के अधीन पहले जो क्षेत्र कार्यालय थे, उन्हें समाज कल्याण विभाग ने ले लिया और उनका पांच क्षेत्रिय कार्यालयों के रूप में 15 जून, 1967 से पुनर्गठन कर दिया। उसके परिणामस्वरूप 80 पद फालतू हो गए।

(ग) तथा (घ) . जी, नहीं। मुख्य कार्यालय में आयुक्त के संगठन को सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों की स्वतंत्र जांच पड़ताल और मूल्यांकन करने के लिए पर्याप्त रूप से शक्तिशाली बनाया गया है।

C. B. I. Probe against Manager of Khadi Gramodyog Bhavan, New Delhi

***1529 Shri P. L. Barupal :** Will the Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs be pleased to state :

(a) whether Government are aware and whether they have received complaints against the Manager of Khadi Gramodyog Bhavan, New Delhi in regard to the leakages,

embezzlement and misuse of Bhavan's funds and if so, whether an enquiry is being conducted by his Ministry or whether it is proposed to be entrusted to the Central Bureau of Investigation ; and

(b) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Industrial Development Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) and (b) . The Khadi and Village Industries Commission have informed that they have received some complaints in respect of the Bhavan and are getting these looked into.

नया अखिल भारतीय राजनैतिक दल

+*1530. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या विधि तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में 'भारतीय क्रिश्चयन डेमोक्रेटिक पार्टी' नाम से एक नया राजनैतिक दल बना है ;

(ख) क्या सरकार द्वारा उक्त दल को मान्यता दी गई हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस दल के ध्येय तथा लक्ष्य क्या हैं ?

विधि मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) सरकार को 'भारतीय क्रिश्चयन डेमोक्रेटिक पार्टी' नामक पार्टी के गठन की कोई जानकारी नहीं है

(ख) और (ग) . प्रश्न ही नहीं उठता

राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा हीरों की नीलामी

8349. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जब से राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की स्थापना हुई है तब से लेकर अब तक उसने हीरों की कितनी बार नीलामी की, उससे कितनी आय हुई तथा नीलामी कहां-कहां पर की गई ;

(ख) क्या यह सच है कि नीलाम अधिकारी ने नीलामी से अनेक हीरे वापिस ले लिये थे क्योंकि उनका प्रत्याशित मूल्य नहीं मिल रहा था, यदि हां, तो उनकी संख्या तथा मूल्य क्या था ;

(ग) क्या यह भी सच है कि कलकत्ता में हुई राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की हीरों की चार-दिवसीय नीलामी के अवसर पर एक विशेष पुस्तिका प्रकाशित की गई थी जिसका मूल्य 50 रुपये था, यदि हां तो उस अवसर पर कितनी पुस्तकें बेची गई तथा उस पुस्तिका का इतना अधिक मूल्य होने के या कारण हैं ; और

(घ) इस कीमती पुस्तिका को छापने तथा प्रकाशित करने में कितनी हानि हुई है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा अपनी स्थापना से अब तक पन्ना, बम्बई, इन्दौर, जयपुर तथा कलकत्ता स्थानों पर हीरों की 13 निलामियां की गई हैं। उन से प्राप्त कुल आय 79.69 लाख रुपये है ।

(ख) पहली ग्यारह निलामियों में 78.59 लाख के अनुमानित मूल्य के 18,843 हीरे निलामी से रोक लिये गये थे। कुछ और हीरे बदि की दो निलामियों में रोके गये थे। उनकी संख्या तथा उनके अनुमानित मूल्य का संग्रहण किया जा रहा है ऊपर बताई गई कुल संख्या में ऐसे हीरे भी सम्मिलित हैं जो विभिन्न निलामियों के दौरान एक से अधिक बार रोके गये होंगे ।

(ग) प्रत्येक पुस्तिका का मूल्य प्रारम्भ में 50 रुपये नियत किया गया था परन्तु बदि में 5 रुपये प्रति पुस्तिका तक घटा दिया गया था । कलकत्ता की नीलामी में 30 पुस्तिकाएं 50 रुपये प्रति के मूल्य पर 2 तथा 5 रुपये प्रति के मूल्य पर शेष बेंची गई थी ।

(घ) इन पुस्तिकाओं की छपाई तथा प्रकाशन पर हुए 3156 रुपये के खर्चे के मुकाबले में 285 रुपये की राशि कलकत्ता की निलामी में इन पुस्तिकाओं की बिक्री से प्राप्ति हुई थी । इस पुस्तिका ने विशेष आमंत्रित लोगों में प्रचार तथा कलकत्ते में रखी गई पन्ना के हीरों की पहिली नीलामी को लोक प्रिय बनाने के उद्देश्य को पूरा किया ।

नेपथा की आवश्यकता

8350. श्री बाबूराव पटेल : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) आगामी पांच वर्षों में प्रति वर्ष कितनी मात्रा में नेपथा की आवश्यकता होगी, उसका मूल्य क्या होगा तथा वह किन-किन उद्योगों के प्रयोग में लाया जायेगा तथा वे कहां-कहां पर स्थित हैं ;

(ख) आगामी पांच वर्षों में प्रति वर्ष कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य का नेपथा देश में तैयार होगा;

(ग) यदि कमी महसूस की जाती है तो उसको कैसे पूरा करने की योजना है; और

(घ) नेपथा तैयार करने के लिये गौण परिष्करण तकनीक के सम्बन्ध में काम कर रही विशेषज्ञ समिति ने यदि कोई अध्ययन किया है तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री द० रा० चव्हाण) : (क) एक विवरण पत्र, जिसमें नेपथा आदि की मांग का नवीनतम अनुमान दिया गया है, सभा पटल पर रख दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1002/69**]

(ख) परिचालन में शोधन क्षमता पर निर्भर करते हुये, विभिन्न तथ्यों अर्थात मोटर स्पिरिट, मिट्टी का तेल, विमानन टरबाइन ईंधन आदि तैयार करने की आवश्यकता के कारण नेफथा के वार्षिक उत्पादन में परिवर्तन होगा। नेफथा के उत्पादन का हाल ही में लगाया गया अनुमान निम्न प्रकार है:—

("000" मीटरी टनों में)

वर्ष	अनुमानित उत्पादन
1970	1820
1971	1861
1972	2267
1973	2630
1974	2522

इस समय नेफथा का मूल्य तदर्थ आधारों पर नियत किया जाता है और इस पर शान्ति लाल शाह समिति द्वारा पुनरीक्षण किये जाने की आशा है। अतः इस समय आगामी वर्षों में नेफथा का उचित मूल्य नहीं बताया जा सकता।

(ग) और (घ) : इस समय एक विशेषज्ञ समिति नेफथा की मांग तथा सप्लाई, जिसमें गौण परिष्करण तकनीक से नेफथा तैयार करने का व्यवहारिकता शामिल है, पर विचार कर रही है। समिति की रिपोर्ट पर समुचित कार्यवाही के लिये जांच की जायेगी।

विदेशों में फिल्मों की शूटिंग के लिए दी गई विदेशी मुद्रा

8351. श्री बाबूराव पटेल : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन फिल्म निर्माताओं के नाम क्या हैं जिन्होंने गत तीन वर्षों में विदेशों में अपनी फिल्मों की शूटिंग की; इस प्रयोजन के लिये प्रत्येक फिल्म निर्माता को कितनी विदेशी मुद्रा दी गई तथा उन्होंने कौन-कौन सी फिल्में तैयार कीं;

(ख) विदेशों में इन फिल्मों के प्रदर्शन से अब तक कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई है तथा जिन देशों में फिल्में प्रदर्शित की गई उनके नाम क्या हैं; और

(ग) उन फिल्म निर्माताओं के क्या नाम हैं जिन्होने रिजर्व बैंक को दी गई गारंटी पूरी नहीं की है तथा प्रत्येक मामले में कितनी राशि कम रही है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क), (ख) और (ग). सम्बद्ध सूचना इकट्ठी की जा रही है और उसके सम्बन्ध में एक विवरण सभा की मेज पर रख दिया जायेगा।

उत्पादन शुल्क अधिकारियों द्वारा भारत कारपेट्स लिमिटेड, फरीदाबाद पर छापे

8352. श्री चन्द्रशेखर सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिकारियों ने मैसर्स भारत कारपेट्स लिमिटेड, अमर नगर, फरीदाबाद के कारखाना तथा नई दिल्ली स्थित उनके मुख्य कार्यलय पर उत्पादन शुल्क विनियमों के उल्लंघन के सम्बन्ध में अकस्मात कोई छापे मारे थे ;

(ख) यदि हां, तो इस कारखाने में तथा उसके मुख्य कार्यालय में गत तीन वर्षों में वर्षवार कितने-कितने छापे मारे गये ;

(ग) गत तीन वर्षों में वर्षवार ऐसे छापों के परिणामस्वरूप गलीचों के नीचे लगाई जाने वाली रबड़, चादरों, तैयार कपड़ों तथा ऊनी सामग्री पर कितना उत्पादन-शुल्क तथा जुर्माना वसूल किया गया ; और

(घ) इस मामले में हुई राजस्व की हानि को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). जी नहीं। 16-1-1968 से 18-1-1968 की अवधि में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिकारियों ने मेसर्स भारत कारपेट्स लि० के केवल फरीदाबाद के कारखाने के अहाते में रखे हुए तैयार ऊन गलीचों के स्टाक का अचानक सत्यापन किया।

(ग) और (घ) : उपर्युक्त सत्यापन के परिणाम-स्वरूप, तैयार ऊनी गलीचों के स्टाक में मामूली अन्तर पाए गए, और मामला न्याय-निर्णय के अधीन है।

बिक्री कर अधिकारियों द्वारा मेसर्स भारत कारपेट्स लिमिटेड फरीदाबाद पर छापे

8353. श्री चन्द्रशेखर सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय बिक्री कर अधिकारियों ने मेसर्स भारत कारपेट्स लिमिटेड, अमर नगर फरीदाबाद आथवा नई दिल्ली में इसके मुख्य कार्यालय पर गत तीन वर्षों में कोई अकस्मात छापे मारे थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके द्वारा बनाई जाने वाली वस्तुओं के संबंध में केंद्रीय बिक्री कर अथवा चुंगी का भुगतान न किये जाने के कोई मामले पकड़े गये थे ;

(ग) यदि हां तो उनकी संख्या कितनी है तथा इस में उपर्युक्त मामलों में कितनी धन-राशि अन्तर्ग्रस्त थी ; और

(घ) ऐसे प्रत्येक उल्लंघन के संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (घ). सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन की मेज़ पर रख दी जायेगी।

नागपुर के निकट कुण्डी में तापीय बिजली घर

8354. श्री न० रा० देवधरे : क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नागपुर के निकट कुण्डी में स्थापित किये जा रहे तापीय बिजली घर के निर्माण में अब तक कितनी प्रगति हुई है।

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : प्रारम्भिक सामान्य सर्वेक्षण, भूभैतिकीय परीक्षण और भूमि अनुसंधान कार्य पूर्ण हो गये हैं। लगभग 115 एकड़ भूमि अर्जित कर ली गई है। कोराडी ताप बिजली घर को ठण्डा पानी देने के लिए कँपतीखेरी वीयर और नहर पर कार्य प्रगति कर रहा है। आनुषंगिक संयंत्रों और अभिकल्पों के लिए विशिष्टियों तथा बिजली घर की नींव के लिए विशिष्टियों पर प्रगति जारी है।

बायलरों को संरचना के लिए अपेक्षित कच्चे माल से भरे जहाज आ रहे हैं और अब तक लगभग 25 प्रतिशत संरचना कार्य पूर्ण हो गया है।

महाराष्ट्र की पीने के पानी की सप्लाई सम्बन्धी योजनाएं

8355. श्री देवराव पाटिल : क्या स्वास्थ्य परिवार नियोजन, निर्माण, आवास एवं नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में केन्द्रीय सरकार को महाराष्ट्र सरकार से पीने के पानी की सप्लाई की कितनी और कौन सी योजनाएं अनुमोदन तथा मंजूरी के लिये प्राप्त हुई ;

(ख) किन किन योजनाओं का अनुमोदन कर दिया गया है तथा मंजूरी दे दी गई है और कौन कौन सी योजनाएं अभी लम्बित हैं ; और

(ग) इन योजनाओं पर कुल कितना व्यय होगा ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन, और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) (क) और (ख). पिछले दो वर्षों में (1-4-1967 से 31-3-1969 तक) महाराष्ट्र सरकार से कोई नगर जल पूर्ति योजना नहीं मिली। वैसे 105 ग्राम जल पूर्ति योजनाएं प्राप्त हुई थीं। अपेक्षित सूचना की एक सूची संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये सख्या एल. टी. 1009/69]**

(ग) ऐसी योजनाओं पर कुल कितनी धन राशि खर्च होगी इसके बारे में भारत सरकार के पास कोई सूचना नहीं है। फिर भी 1967-68 और 1968-69 में राष्ट्रीय जल पूर्ति एवं सफाई कार्यक्रम के अन्तर्गत जल पूर्ति एवं सफाई योजनाओं के लिए ऋण तथा अनुदान के रूप में महाराष्ट्र सरकार को निम्नलिखित राशि की संस्वीकृति दी गई है :

वर्ष	नगर जल पूर्ति	ग्राम जल पूर्ति
	(ऋण-100 प्रतिशत)	(सहाय्यानुदान-50 प्रतिशत)
1967-68	106.16 लाख रु०	106.67 लाख रु०
1968-69	464.98 लाख रु०	52.70 लाख रु०

महाराष्ट्र में ग्राम्य गृह-निर्माण योजना

8356. श्री देवराव पाटिल : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र सरकार को ग्राम्य गृह-निर्माण योजना को कार्यान्वित करने के लिये 1967-68 तथा 1968-69 में कितना कितना धन दिया गया ;

(ख) महाराष्ट्र के कितने गांवों में रिहायशी मकान बनाये गये तथा उनकी संख्या कितनी कितनी थी ; और

(ग) कितने धन का उपयोग नहीं किया तथा इसके क्या कारण थे ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास नगरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) ग्रामीण आवास परियोजना स्कीम के कार्यान्वियन के लिए ऋण और अनुदानों के रूप में केन्द्रीय सहायता राज्य सरकारों द्वारा उन द्वारा सूचित व्यय के आधार पर प्रति वर्ष ली जाती है। 1967-68 तथा 1968-69 के दौरान, योजना के अधीन क्रमश: 25.50 लाख रुपये और 49.60 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता महाराष्ट्र सरकार ने ली।

(ख) प्राप्त हुए प्रगति-प्रतिवेदनों के अनुसार राज्य सरकार 475 ग्रामों में योजना को कार्यान्वित कर रही है। 1967-69 के दो वर्षों में पूरे किए गए मकानों की संख्या 2,508 थी।

(ग) भाग (क). के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

महाराष्ट्र में ग्राम्य विद्युतीकरण योजनायें

8357. श्री देव राज पाटिल : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने महाराष्ट्र सरकार के साथ सलाह करके उस राज्य में गांवों में बिजली लगाने के बारे में कोई योजना बनाई है ; और

(ख) यदि हां तो उस का ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). केंद्रीय सरकार ग्राम-बिद्युतीकरण के लिए स्कीमें नहीं बनाती है। राज्य बिजली बोर्ड सरकार के परामर्श से ग्राम विद्युतीकरण के लिए स्कीमें तैयार करता है।

महाराष्ट्र राज्य से दो स्कीम रिपोर्टें प्राप्त हुईं-एक में 1271.45 लाख रुपये की लागत पर 31,205 कृषि संबंधी कनेक्शन और 1861 ग्रामों में बिजली लगाने की व्यवस्था थी और दूसरी में 1353.41 लाख रुपये की लागत पर 29,457 कृषि संबंधी कनेक्शन और 1940 ग्रामों में बिजली लगाने की व्यवस्था थी। इन स्कीम रिपोर्टों को योजना आयोग ने भी अनुमोदित कर दिया था।

राज्यों के पास ऋण की व्यय न की गई राशि

8358. श्री न० रा० देवघरे : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए वर्ष 1968-69 तक राज्यों को केंद्रीय सरकार द्वारा दिए गए ऋण की राज्यवार व्यय न को गई राशि कितनी कितनी है;

(ख) किन किन राज्यों ने व्यय न की गई राशि लौटा दी है ; और

(ग) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने व्यय न की गई राशि नहीं लौटाई है तथा उनमें से प्रत्येक राज्य की ओर ऐसी कितनी राशि बकाया है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और उसे सभा की मेज पर रख दिया जायेगा।

हंगरी द्वारा दिये गये ऋण का उपयोग

8359. श्री न० रा० देवघरे : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पारस्परिक हित वाली परियोजनाओं के लिए धन की व्यवस्था करने हेतु 15 जून, 1966 का हुए एक करार के अन्तर्गत प्राप्त 25 करोड़ रुपये के हंगरी के ऋण का उपयोग करने के लिए सरकार ने परियोजनाओं का चयन कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं तो परियोजनओं का चयन न करने के क्या कारण हैं जबकि इस ऋण की अवधि 31 दिसम्बर, 1970 को समाप्त होने वाली है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग). 15 जून, 1966 को, 25 करोड़ रुपये के ऋण के लिए, हंगरी के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किये गये थे। इस रकम में से 12·5 करोड़ रुपये की रकम भारत सरकार को दिये जाने वाले ऋण के रूप में और 12·5 करोड़ रुपये की रकम संभरक-ऋण के रूप में है। यह ऋण चौथी पंचवर्षीय आयोजना की योजनाओं के लिए है। अब तक इस ऋण में से 33 लाख रुपये की रकम, बिजली की एक प्रायोजना पर खर्च की गयी है। चूंकि राष्ट्रीय विकास परिषद ने चौथी पंचवर्षीय आयोजना के मसौदे की स्वीकृति दे दी है, इसलिए अब विचार किया जायेगा कि ऋण की शेष रकम किस प्रयोजन पर खर्च की जाय।

भारत में सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

8360. श्री वीरेन्द्र कुमार शाह : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 'इ' जवेस्तिया सोवियत संसद के वरिष्ठ सदन के अध्यक्ष मि० इवान स्पिरिडिनोव के साथ साक्षात्कार के उन कुछ अंशों की ओर दिलाया गया है जो 1 मार्च, 1969 के 'हिन्दू' दैनिक समाचार पत्र में उद्धृत किये गये थे ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह सच है कि कुछ कृत्रिम कठिनाइयों के कारण भारत के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के उत्पाद प्राप्त करने में विलम्ब है ; और

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक हो तो, ये कठिनाइयां क्या हैं तथा उन्हें दूर करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). रिपोर्ट में जिन "कृत्रिम कठिनाइयों" का उल्लेख किया गया है, वे स्पष्ट नहीं हैं ।

बेलाडिला लौह अयस्क परियोजना का उद्घाटन समारोह

8361. श्री यज्ञदत्त शर्मा :
श्री भारत सिंह चौहान :
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवम्बर 1968 में बेलाडिला लौह अयस्क परियोजना के उद्घाटन समारोह पर कितना धन व्यय किया गया था ;

(ख) विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत कितना कितना धन व्यय किया गया ? और

(ग) उस अवसर पर कितने व्यक्ति रात्रिभोजन पर आये ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव): (क) और (ख). राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा बेलाडिला लौह अयस्क प्रायोजना के उद्घाटन पर 1,57,140.03 रुपये का कुल खर्चा किया गया था, जिसके ब्यौरे निम्न प्रकार से हैं :—

मद	वास्तविक व्यय
	रुपये
1- परिवहन-	
हवाई जहाजों को किराये पर लेना आदि	39,472.00
2- सड़क परिवहन,	
बसों और मोटरकारों सहित	15,052.01
3- भोजन	28,154.00
4- फर्नीचर, लाउडस्पीकर, मंच और सजावट आदि पर किराया	48,196.16
5- प्रचार तथा छपाई	11,786.32
6- विविध तथा आकस्मिक	14,479.54
जोड़	1,57,140.03

(ग) जापानी अतिथियों के सम्मान में औपचारिक रात्रिभोज में 160 व्यक्तियों ने भाग लिया इसके अतिरिक्त अन्य आमन्त्रित लोगों को तथा परिवारों के सहित कर्मचारियों का "प्रीति भोजन" द्वारा अतिथि सत्कार किया गया था।

पंजाब में बिजली की कमी

8362. **श्री यज्ञदत्त शर्मा** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पंजाब में बिजली की कमी है और इसके फलस्वरूप वर्तमान उद्योगों में उत्पादन उतना नहीं हो रहा है जितना उन में करने का प्रस्ताव था तथा ऐसे उद्योगों की स्थापना अनुसूची के अनुरूप नहीं हो रही है जिन के स्थापित किये जाने की सम्भावना है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) उन्होंने राज्य में बिजली की कमी को दूर करने की क्या कार्यवाही की है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) उत्तरी क्षेत्र में बिजली सप्लाई की स्थिति पर लगातार ध्यान रखा जा रहा है। पंजाब में बिजली की कमी को न्यूनतम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये अथवा किये जा रहे हैं :—

(1) पंजाब में उपलब्ध सभी ताप और डीजल सैट चालू कर दिये गये हैं।

(2) भागी राज्यों और भाखड़ा नंगल प्रणाली के सामूहिक उपभोक्ताओं ने उर्जा उपभोग पर पाबन्दी के कदम उठाये हैं।

(3) पंजाब में उपयोग के लिये दिल्ली ने भाखड़ा प्रणाली से ली जाने वाली बिजली में 40 मेगावाट की कटौती कर दी है ।

(4) भाखड़ा नंगल बिजली प्रणाली और दिल्ली प्रणाली के समानान्तर प्रचालन लिए, जिस से पंजाब को दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान से लगभग 30 मेगावाट बिजली की सप्लाई और उपलब्ध होगी, प्रारम्भिक उपाय प्रगति कर रहे हैं ।

(5) बल्लभगढ़ से हिसार तक 220 के० वी० पारेषण पथ, जिसके समाकलित चालन से 50 मेगावाट बिजली का और लाभ होगा, शीघ्र पूर्ण किया जा रहा है ।

Power Rates for Agricultural Purposes in U. P.

8363 Shri Om Prakash Tyagi :
Shri Narain Swarup Sharma :
Shri Ram Swarup Vidyarthi :

Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 774 on the 16th December, 1968 and state :

(a) whether a revised proposal in regard to reduction in power rates for agricultural purposes has since been received from the Government of Uttar Pradesh ;

(b) if so, the nature thereof; and

(c) the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) to (c). Revised proposal from the Government of U. P. for grant of subsidy for power rates for agricultural purposes for the year 1968-69 was received and the Centre's share of Rs. 2.225 lakhs was released to the State Government in March, 1969.

गुजरात में उकाई सिंचाई परियोजना

8364. श्री द० रा० परमार :
श्री रा० की० अमीन :

क्या सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में उकाई सिंचाई परियोजना के निर्माण में अब तक क्या प्रगति हुई है ;

(ख) अब तक उस परियोजना पर कितनी राशि व्यय हुई है और भविष्य में कितनी राशि व्यय होगी ;

(ग) इसके कब तक पूरी हो जाने की संभावना है ; और

(घ) क्या ताप्ती नदी में हाल की बाढ़ के कारण परियोजना में कोई परिवर्तन हुआ है ?

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) उकाई बांध का लगभग एक-तिहाई चिनाई और कंक्रीट कार्य और लगभग आधा मिट्टी का कार्य पूर्ण हो गया है । बिजली घर की नींवों की खुदाई का कार्य भी प्रौढ़ावस्था में है ।

(ख) अब तक लगभग 40 करोड़ रुपये व्यय हुए हैं। लगभग 64 करोड़ रुपये शेष व्यय होने का अनुमान है।

(ग) कार्यक्रम अनुसार बांध पर कार्य जून, 1971 तक पूरा होगा। पहले बिजली उत्पादन सेट का भी इस तारीख तक चालू करने का प्रस्ताव है और शेष तीन सेटों का, इसके पश्चात् 6-6 मास के अन्तर से। ककरापार दक्षिण तट नहर को चौड़ा करने का कार्य प्रगति पर है। अन्य नहरों पर भी कार्य चौथी योजना में शुरू करने का प्रस्ताव है किन्तु इस कार्य का एक बड़ा भाग पांचवीं योजना में चला जायेगा।

(घ) जी, नहीं।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग

8365. श्री द० रा० परमार :
श्री रा० की० अमीन :

क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग में तीसरी तथा चौथी श्रेणी के पदों का विकेन्द्रीकरण किया जा रहा है और उन पदों पर प्रादेशिक प्राधिकारियों द्वारा स्थानीय काम दिलाऊ दफ्तर में रजिस्टर किये गये व्यक्तियों को नियुक्त किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि गुजरात से तीसरी और चौथी श्रेणी में नियुक्त किये गये व्यक्तियों की संख्या अन्य प्रदेशों में विद्यमान परिस्थितियों की तुलना में कम है; और

(ग) 31 दिसम्बर, 1968 तक तेल तथा प्राकृनिक गैस आयोग में प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में गुजरात राज्य के कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं और उसमें श्रेणीवार गुजरातियों और अन्य राज्य के व्यक्तियों की संख्या अलग-अलग कितनी-कितनी थी ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री द० रा० चव्हाण) : (क) जी हां।

(ख) तीसरी तथा चौथी श्रेणी के पदों में नियुक्त उन राज्यों के, जिनमें परियोजनाएं/क्षेत्र स्थित हैं, व्यक्तियों की संख्या की तुलना में इन श्रेणियों में कर्मचारियों की कुल संख्या निम्न प्रकार है:—

		कर्मचारियों की कुल संख्या	स्थानीय कर्मचारी
गुजरात			
(गुजरात में	श्रेणी III	7080	3037
परियोजनाएं)	श्रेणी IV	2151	1756
आसाम			
(आसाम में	श्रेणी III	2933	2102

		कर्मचारियों की कुल संख्या	स्थानीय कर्मचारी
परियोजनाएं)	श्रेणी IV	905	800
पश्चिमी बंगाल	श्रेणी III	303	150
	श्रेणी IV	80	30
महाराष्ट्र	श्रेणी III	20	7
	श्रेणी IV	5	4
दिल्ली	श्रेणी III	23	10
(संघीय क्षेत्र)	श्रेणी IV	15	2
जम्मू और काश्मीर	श्रेणी III	80	2
	श्रेणी IV	46	5
राजस्थान	श्रेणी III	150	77
	श्रेणी IV	107	86
मद्रास	श्रेणी III	92	33
	श्रेणी IV	31	12
पाण्डीचेरी	श्रेणी III	422	44
(संघीय क्षेत्र)	श्रेणी IV	120	94
उत्तर प्रदेश	श्रेणी III	1797	1302
	श्रेणी IV	522	465

(ग)

गुजरात

	कर्मचारियों की कुल संख्या	स्थानीय कर्मचारी	अन्य कर्मचारी
श्रेणी I	555	48	507
श्रेणी II	455	50	405
श्रेणी III	7080	3037	4043
श्रेणी VI	2151	1756	395

राज्यों में मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम को ठेस

8367. श्री मधु लिमये : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् की हाल में हुई बैठक में यह बताया गया था कि बहुत से राज्यों में मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम को ठेस पहुँची है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि यह ठेस इसलिये पहुँची है क्योंकि केन्द्र राज्यों को पर्याप्त कर्मचारी, उपकरण तथा कीटनाशक दवाइयां, नहीं दे सका ; और

(ग) यदि हां, तो क्या स्थिति में सुधार करने के लिये कोई योजनाएं बनाई गई हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) 16 और 17 अक्टूबर 1968 को बम्बई में हुई केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् की पन्द्रहवीं बैठक में राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन की स्थिति के बारे में विचार विमर्श किया गया और यह देखा गया कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात राज्यों के अधिकांश सघन क्षेत्रों में ही इस कार्यक्रम को ठेस पहुँची है एवं इसका प्रत्यावर्तर हुआ है ।

(ख) कुछ राज्यों में राष्ट्रीय मलेरिय उन्मूलन कार्यक्रम को ठेस पहुँचने के निम्नलिखित कारण हैं :-

(1) अपर्याप्त छिड़काव कार्य

(2) खासकर जटिल क्षेत्रों में निगरानी स्टाफ काफी संख्या में न होने के कारण अपर्याप्त निगरानी कार्य (सक्रिय तथा निष्क्रिय दोनों) ;

(3) प्रयोगशाला तकनीशियनों की अपर्याप्त संख्या के कारण प्रयोगशाला सेवाओं की असन्तोष जनक हालत ।

(4) अप्रभावकारी देख-रेख व्यवस्था तथा अपर्याप्त क्षेत्र कर्मचारी ।

(5) नगर क्षेत्रों में मलेरिया के सम्बन्ध में स्थानीय निकायों द्वारा चौकसी बरतने में असमर्थता ।

(6) कतिपय क्षेत्रों में वेक्टरों का कीटनाशकों के प्रति रोग-रोधक हो जाना ।

इस कार्यक्रम को समुचित रूप से क्रियान्वित करना राज्यों की जिम्मेदारी है । केन्द्रीय सरकार कार्य संचालन के एक भाग के खर्च को देने के अलावा कीटनाशक तथा साज सामान भी दे रही है ।

(ग) केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् ने इस स्थिति में सुधार करने के लिए निम्नलिखित सिफारिशें कीं ।

(1) इस कार्यक्रम की उपलब्धियों को बनाये रखने के लिए सभी प्रकार के प्रयत्न किये जाय और 1975-76 की अनुसूचित अवधि तक इस कार्यक्रम को पूरा किया जाय तथा राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम तथा शहरी क्षेत्रों में लार्वा निरोधी कार्य के लिए योजना में 108क रोड़ रु० का नियतन करने की मंजूरी देने तथा केन्द्र पुरस्कृत योजना के रूप में सौ प्रतिशत सहायता देने की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में योजना आयोग से अनुरोध किया जाय ।

(2) मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात जैसे समस्या प्रधान राज्यों की जिनमें इस कार्यक्रम को अधिक ठेस पहुँची है, चाहिए कि वे अपने अपने क्रियान्वयन सम्बन्धी मशीनरी को और सुदृढ़ करके अपने प्रयत्नों को दुगुना कर दें ताकि वे बिना समय की हानि उठाये ही अपने अपने राज्यों में इस कार्यक्रम को अपेक्षित स्तर तक लें आवें ।

(3) कुछेक एकक जो आक्रामक अवस्था को प्रत्यावर्तित हो गये हो, उनमें से निगरानी स्टाफ को वापस ले के लेने बारे में अन्तर्राष्ट्रीय दल की इस सिफारिश को इस शर्त पर

क्रियान्वित किया जाय जब इन राज्यों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि वे शत प्रतिशत क्षेत्रों में कीटनाशक कार्य करेंगे।

(4) राज्य स्तर पर इस कार्यक्रम की क्रियान्वयन के मामले में सही प्रकार का नेतृत्व देने के सम्बन्ध में सुनिश्चित करने के लिये राज्य अधिकारियों द्वारा केवल योग्य तथा अनुभव प्राप्त अधिकारियों का, जिनमें नेतृत्व एवं संचालन की क्षमता हो, चयन किया जाय।

(5) राज्यों को इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन और वार्षिक योजना को तैयार करने तथा कार्यक्रम के अन्य ब्यौरे तैयार करने के मामलों में राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम प्रादेशिक समन्वय संगठनों के अधिकारियों की सेवाओं का अधिकतम लाभ उठाना चाहिए।

(6) तुरन्त आवश्यक क्रियान्वयन के लिए अगले तीन वर्षों के अन्तर्गत पुरानी गाड़ियों को बदलने के लिए एक फेज्ड-प्लान तैयार किया जाय।

गत कुछ वर्षों में प्राप्त अनुभव के आधार पर राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम की फिर से फेजिंग की गई है। चौथी पंचवर्षीय योजना में इस कार्यक्रम को केन्द्र पुरस्कृत योजना के रूप में वर्गीकृत किया गया है और राज्यों को शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता देने का प्रस्ताव किया गया है। सभी क्षेत्रों को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाने के लिए चालू वर्ष में कीटनाशकों की मांग प्राप्त कर ली गई ताकि पूरे क्षेत्र को इसके कार्यक्रम के अन्तर्गत लाया जा सके।

Electric Charges in the States

+8368. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state :

(a) the minimum power consumption guarantee and maximum charges per unit suggested by the Centre for installation of power operated tubewells and pumping sets and the rates being charged by the States at present ; and

(b) the action being taken by Government to provide for proper guarantee and electric charges in the States asking for higher guarantee and charging higher rates ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) and (b). A statement showing the average rate for electricity charged for agricultural purposes and minimum power consumption guarantee fixed by the State is attached. [Placed in Library See No. LT—1004/69]

Power tariff for agricultural consumers as well as other consumers is determined on the basis of the cost of generation, the extent of tranmission and distribution lines needed for supplying the power, the cost of the connected equipment and overhead charges. With the object of rationalising the rates for agricultural consumers, State Governments and State Electricity Boards were advised to charge not more than 12 paise per unit for the energy consumed for agricultural purposes and to fix the minimum guarantee charge at Rs. 35 per H. P. per year. In order to encourage agricultural pumping in the context of increasing food production, Government of India agreed to subsidise the electricity rates in excess of 12 paise per unit the subsidy to be shared equally between the Centre and the State Government concerned. The subsidy scheme was in force for 3 years from 1. 4. 1966 till 1st April 1969. The continuance of this subsidy scheme is under consideration.

L. I. C. Loans to States for Housing

8369. Shri Kanwar Lal Gupta : Will the Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development be pleased to state :

(a) the names of State Governments with the amounts of loans advanced to them by the Life Insurance Corporation of India during the last three years, for construction of houses ;

(b) the terms and conditions thereof ;

(c) whether the Delhi Administration also applied for house-building loan from the Life Insurance Corporation ; and

(d) if so, the amount asked for and the amount actually given ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works Housing and Urban Development (Shri B. S Murthy) : (a) The information is given in the statement attached. (Placed in Library See No. Lt—1005/69

(b) The Life Insurance Corporation advance loans to State Governments for the implementation of the approved social housing schemes under arrangements made by the Department of Works, Housing and Urban Development. Allocation of loans to the States is made by this Department every year but agreement for the loans is executed by the respective State Governments with the Corporation direct. The detailed terms and conditions governing thc loans which may vary from time to time, are contained in the agreement. The main terms and conditions of the loans advanced by the Corporation during the year 1968-69 are given below :

(i) The loan will be repayable to the L. I. C. at Bombay, in twenty five years by equal annual instalments, the first instalment falling due on the expiry of one year from the date of advance ;

(ii) Interest will be payable at the rate of 6½% (six and a half) per cent per annum on the sums due from time to time, by half-yearly payments; the first payment becoming due on the expiry of six months from the date of advance.

(c) and (d) . During 1967-68, the Delhi Development Authority asked for a loan of Rs. 1.00 crore from the Corporation for construction of houses and it was given to them Again during 1968-69, on the recommendation of the Delhi Administration, a loan of Rs. 1.00 crore of the L. I. C. funds was allocated by this Department to the Authority against their demand of Rs. 4.00 crores.

दन्त चिकित्सा कालेज

8370. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :** क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास और नगर विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले वर्ष के अन्त तक देश में कुल कितने दंत चिकित्सक थे ;

(ख) प्रति वर्ष कालेजों से कितने दंत चिकित्सक स्नातक की उपाधि प्राप्त करते हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार दंत चिकित्सा कालेजों की संख्या में वृद्धि करने के लिये सुविधायें उपलब्ध करने का है ; और

(घ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास और नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब०सू० मूर्ति) : (क) मध्य प्रदेश, नागालैण्ड, पाण्डिचेरी और राजस्थान को छोड़कर जहां दन्त-चिकित्सकों के पंजीयन का कार्य पूरा नहीं हुआ है, 1-4-1968 को देश में दन्त चिकित्सकों की कुल संख्या 4964 थी।

(ख) दन्त-चिकित्सा के स्नातकों की संख्या प्रतिवर्ष बदलती रहती है। 1963 से 1967 की अवधि के दौरान ऐसे स्नातकों की संख्या इस प्रकार थीं :—

1963	....	199
1964	....	252
1965	....	283
1966	....	307
1967	....	321

(ग) और (घ). चौथी पंचवर्षीय योजना में कोई नया दन्त चिकित्सा कालेज खोलने का विचार नहीं है।

Goods Brought by Haj Pilgrims

8371. Shri Bharat Singh Chauhan :
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether any list of articles being brought by Haj pilgrims, while coming back is maintained by the Customs authorities at the check posts ;

(b) if so, the number of Diana guns brought by the Haj pilgrims from abroad during the last three years ; and

(c) the number of transistors and watches brought by the Haj pilgrims from abroad during the above period ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance, (Shri Morarji Desai) : (a) No, Sir, because ordinarily the baggage of all passengers, including Haj pilgrims, is cleared on the basis of their oral declarations to the Customs.

(b) & (c). Do not arise in view of (a) above.

M/s Dodsal (P) Ltd.

8372. Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Jugal Mondal :

Will the Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2819 on the 2nd December, 1968 and state :

(a) whether the information regarding contracts awarded to M/s Dodsal (P) Ltd., has since been collected ; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) & (b). Enquiries were made from the Chief Engineers of the various zones in the Central Public Works Department. It transpires that Messrs Dodsal Private Ltd. have not done any construction works for the Central P. W. D. since 1963 to date.

As regards the Collection of information from individuals and State Governments the time and labour involved will not be commensurate with the results.

उड़ीसा को जीवन बीमा निगम द्वारा ऋण

8373. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या वित्तमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम ने मकान बनाने के लिए उड़ीसा को ऋण दिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के लिए उड़ीसा को अब तक जीवन बीमा निगम द्वारा कुल कितनी राशि का ऋण दिया गया है ; और

(ग) जीवन बीमा निगम ने उड़ीसा में अब तक कितनी राशि के औद्योगिक ऋण दिये हैं ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां।

(ख) निगम द्वारा उड़ीसा राज्य में मंजूर किये गये ऋणों की कुल राशि 835·70 लाख रुपये हैं।

(ग) कुछ नहीं।

सिंचाई के प्रयोजनों के लिए गांवों को पानी सप्लाई करने की समस्या

8374. **श्री बे० कृ० दास चौधरी :** क्या सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिचाई के प्रयोजनों के लिए गांवों को पानी की सप्लाई की समस्या को हल करने के लिए केंद्र तथा राज्यों में एक ही एजेन्सी बनाने की योजना पर सरकार विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में कोई निर्णय कर लिया गया है ?

सिंचाई तथा विद्युत् मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारत में विदेशी गैर-सरकारी पूंजी विनियोजन

8375. **श्री बे० कृ० दास चौधरी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या अमरीका, ब्रिटेन तथा पश्चिमी जर्मनी भारत में विदेशी गैर-सरकारी पूंजी विनियोजन के मामले में सब से आगे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो 15 मार्च, 1969 तक इन में से प्रत्येक देश द्वारा विनियोजित पूंजी की कुल राशि क्या है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). भारत में लगायी गई बकाया विदेशी पूंजी के बारे में बिल्कुल हाल के जो आंकड़े उपलब्ध हैं वे 31 मार्च, 1965 के हैं। एक विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है, जिसमें उक्त तारीख के इन आंकड़ों का देशवार ब्यौरा और वे रकमें दी गई हैं जिनके निवेश की स्वीकृतियां उस तारीख के बाद दी गई हैं। इस विवरण से यह पता चलता है कि जहां तक भारत में लगायी गई बकाया विदेशी पूंजी का सम्बन्ध है, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिम जर्मनी ने भारत में औरों से अधिक पूंजी लगायी है। लेकिन जहां तक एक अप्रैल, 1965 से 31 दिसम्बर 1968 तक दी गयी नयी स्वीकृतियों का सम्बन्ध है, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और जापान को अधिक रकमों के निवेश की स्वीकृतियां दी गयी हैं।

विवरण　　　　　　　　**(करोड़ रुपयों में)**

देश	31 मार्च, 1965 को, भारत में लगाई गयी बकाया पूंजी	अप्रैल 1965 से दिसम्बर 1968 तक की अवधि में स्वीकृत रकमें
ब्रिटेन	529.3	23.5
संयुक्त राज्य अमेरिका	193.8	48.9
पश्चिम जर्मनी	24.5	5.6
फ्रांस	19.7	1.5
स्विट्जरलैंड	18.1	1.2
इटली	14.2	1.8
जापान	13.6	5.9
कनाडा	10.5	3.9
स्वीडन	8.1	0.8
अन्य देश	104.6	10.1
जोड़	935.8	103.2

टिप्पणी : भारत में लगायी गयी वास्तविक विदेशी पूंजी इन मदों का जोड़ है :— (क) भारत में कारबार करने वाली विदेशी कम्पनियों की शाखाओं की वास्तविक विदेशी देनदारियां, (ख) संयुक्त पूंजी वाली भारतीय कम्पनियों के विदेशियों के पास के सामान्य शेयर जिनमें मुक्त प्रारम्भिक निधियों में आनुपातिक भाग भी शामिल हैं, तरजीही शेयर और ऋण-पत्र (ग) निर्धारित पूंजीगत व्यय के वित्त प्रबन्ध के लिए इन कम्पनियों द्वारा, विदेशी सरकारी संस्थाओं से लिए गये दीर्घ-कालिक ऋण। स्वीकृत रकमें, केवल संयुक्त पूंजी वाली भारतीय कम्पनियों को सामान्य शेयर और तरजीही शेयर जारी करने के लिए दी गयी स्वीकृतियों का द्योतक है।

मिला जुला वित्त राजस्व लेखा

8376. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के मिल जुले वित्त तथा राजस्व लेखे अन्तिम बार कब प्रकाशित हुए थे ;

(ख) ये कब तक पुनः प्रकाशित होंगे ; और

(ग) इन के प्रकाशन में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). 1964-65 के लेखे अगस्त, 1968 में प्रकाशित किए गए थे। नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक ने बताया है कि 1965-66 के लेखे छप रहे हैं और आशा है, शीघ्र ही इनकी प्रतियां उपलब्ध हो जायेंगी। 1966-67 के लेखे भी छप रहे हैं और 1967-68 के लेखों से सम्बद्ध सूचना इकट्ठी की जा रही है।

(ग) इन लेखों के संकलन करने का काम केन्द्रीय, राज्यों और संघीय राज्य-क्षेत्रों की सरकारों के वित्तीय लेखे तैयार हो जाने पर ही शुरू किया जाता है। दूसरे, काफी बड़ा संकलन होने के कारण, जिसमें ज्यादातर आंकड़ों की सारणियां ही होती हैं, इसकी छपाई में भी काफी समय लगता है फिर भी, इस प्रकाशन को जल्दी तैयार करने के लिए पूरा प्रयत्न किया जा रहा है।

वित्तीय संस्थाओं का विलय

8377. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सुझाव प्राप्त हुए हैं कि गतिविधियों की द्विरावृत्ति को रोकने के लिये औद्योगिक विकास बैंक, औद्योगिक वित्त निगम और भारतीय औद्योगिक ऋण तथा विनियोजन निगम का विलय कर दिया जाना चाहिए ;

(ख) यदि हां, तो उन का ब्योरा क्या है ; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). सरकारी उपक्रम समिति (1968-69) ने, हाल में, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के साथ मिलाने के प्रश्न पर विचार किया था। 29 अप्रैल, 1969 को लोक-सभा को प्रस्तुत की गयी अपनी रिपोर्ट में समिति ने बैंक सिफारिश की है कि भारतीय औद्योगिक वित्त निगम को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के साथ मिलाने के प्रश्न पर सरकार को विचार करना चाहिए और इस मामले में जल्दी ही निर्णय किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे देश के औद्योगिक विकास पर अपेक्षाकृत अधिक प्रभाव पड़ेगा। समिति के अनुसार

इस प्रकार के विलय से अधिक साधनों और अनुभव का उपयोग हो सकेगा, नीतियों में पहले से अच्छा तालमेल बैठाया जा सकेगा और वर्तमान प्रबन्धों के अधीन होने वाली देरी तथा कार्यों की द्विरावृत्ति से बचा जा सकेगा।

भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम को, जो गैर-सरकारी क्षेत्र की एक वित्तीय संस्था है, इन दोनों में से किसी संस्था के साथ मिलाने का कोई सुझाव नहीं दिया गया है।

(ग) इस मामले पर सरकार विचार करेगी।

नदी विवादों को हल करने के लिए स्थायी आयोग की स्थापना

8379. श्री रा० बरुआ :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री चेंगलराया नायडू :

क्या सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियर्स ने हाल में हुए अपने 49 वें वार्षिक सम्मेलन में सरकार से राज्यों के बीच नदी जल विवादों को हल करने के लिये एक स्थायी आयोग स्थापित करने का अनुरोध किया है ;

(ख) क्या सम्मेलन में उन द्वारा सरकार के विचारार्थ कुछ अन्य सुझाव भी दिये गये थे, और

(ग) यदि हां, तो उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). यह सूचना मिली है कि नदी जल विवाद पर किसी एक सदस्य द्वारा एक पेपर प्रस्तुत करने के बाद और उस पर कुछ विचार-विमर्श करने के बाद जयपुर में हुए इन्जीनियरी संस्थान के 49 वें वार्षिक सम्मेलन में यह फैसला किया गया था कि अन्तर्राज्यीय जल विवादों के सम्बन्ध में वास्तविक जानकारी इकट्ठी करने तथा इस विषय का और अध्ययन करने के लिए एक समिति स्थापित की जाए।

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार को इन्जीनियरी संस्थान से कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

कपाडिया परिवार द्वारा किलिक उद्योग समूह का अपने अधिकार में लिया जाना

8380. श्री मधु लिमये :
डा. सुशीला नैयर :

क्या वित्त मंत्री 24 फरवरी, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 883 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपाडिया परिवार की गतिविधियों के बारे में जांच इस बीच पूरी हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो उस के परिणाम क्या है ;

(ग) इस जांच के परिणामों के आधार पर क्या कार्यवाही की गई है, अथवा किये जाने की संभावना है ; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो तो इस जाँच में कितना समय लगने की संभावना है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) . ये प्रश्न नहीं उठते ।

(घ) यह कहना कठिन है कि जाँच के पूरी होने में कितना समय लगेगा लेकिन, उसे यथाशीघ्र पूरी करने के सभी प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

केन्द्रीय जांच आयोजन तथा डिजाइन संगठन

8381. श्री गं० च० दीक्षित : क्या स्वास्थ्य परिवार नियोजन, निर्माण आवास एवं नगर विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने 25 जनवरी 1967 को सभी राज्य सरकारों को एक पत्र लिखा था जिसमें यह संकेत दिया गया था कि चौथी पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में एक केन्द्रीय जांच आयोजन तथा डिजाइन संगठन स्थापित किया जायेगा जिसमें उपयुक्त कर्मचारी होंगे और जिसको केन्द्रीय सरकार से शत-प्रतिशत सहायता अनुदान दिया जायेगा ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उनके मन्त्रालय ने इसकी पुष्टि नहीं की है और सर्वेक्षण जाच तथा डिजाइन का वांछित संगठन मध्य प्रदेश में स्थापित नहीं किया जा सका है ;

(ग) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने इस अपेक्षित संगठन की स्थापना करने के लिये 20 लाख रुपये का धन देने के लिये केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है ; और

(घ) यदि हां तो इस बारे में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

स्वास्थ्य परिवार नियोजन, निर्माण आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब०सु० मूर्ति) : (क) योजना आयोग के 25 जनवरी, 1967 को सभी राज्य सरकारों को भेजे गये पत्र में केन्द्रीय जांच आयोजन तथा डिजाइन संगठन राज्यों में स्थापित करने की योजना को चौथी पंचवर्षीय योजना में केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की सूची में सम्मिलित किया गया है जिनके लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा सौ प्रतिशत सहाय्यानुदान दिया जायेगा ।

(ख) (ग) और (घ). क्योंकि चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप तथा सहायता के स्वरूप में संशोधन किया जा रहा था। अत: इस सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया। अब इस योजना को समाप्त कर दिया गया है और यह योजना प्लान में सम्मिलित नहीं है। फिर भी, मध्य प्रदेश समेत राज्य सरकारों को ग्राम सर्वेक्षण तथा जांच प्रभागों के लिए आर्थिक सहायता देने का काम जारी है।

हरिदास मूंदड़ा द्वारा ब्रिटेन में अपने एजेन्ट को पत्र

8382. श्री यज्ञदत्त शर्मा : क्या वित्त मंत्री 24 फरवरी, 1969 के तारांकित प्रश्न संख्या 149 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हरिदास मूंदड़ा द्वारा ब्रिटेन में अपने वित्तिय नियंत्रक को लिखे गये कथित पत्र के बारे में जिसमें श्री वर्मा को पांच पौण्ड चाय देने के लिये कहा गया था, जांच इस बीच पूरी हो गई है ;

(ख) यदि हां तो की गई जांच का ब्यौरा क्या है और यदि जांच पूरी हो गई है तो उसके निष्कर्ष क्या हैं ; और

(ग) यदि जांच अभी पूरी नही हुई है, तो इसमें सरकार को कितना समय लगेगा ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). जी, नहीं। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच अभी भी जारी है। जा'ी जांच के ब्यौरे प्रकट करना लोकहित में नहीं होगा क्यों कि ऐसा करने से जांज-पड़ताल के कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

(ग) इस समय यह सही सही बता सकना सम्भव नहीं है कि यह जाँच कब तक पूरी हो सकेगी। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उन्हें शीघ्र अन्तिम रूप देने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

शारदूल सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य का मामला

8383. श्री रामावतार शास्त्री : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शारदूल सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि इस बारे में कि निलम्बन उचित था अथवा नहीं, एक तरफा निर्णय लिये जाने से अपीलकर्ता को अपील करने के अधिकार से वंचित रखा गया था और इस प्रकार स्पष्ट था कि उसे वास्तविक न्याय से वंचित रखा गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे अधिकारी इस त्रुटि को ठीक करने तथा उन सभी मामलों का जिनमें मूलभूत नियम 54 के अन्तर्गत निर्णय देने से पहले न तो पार्टी को अपनी बात कहने का अवसर दिया गया था और न ही उसे कारण बताओ नेटिस दिया गया था, पुनरीक्षण करके न्याय करने को तैयार हैं ; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) उल्लिखित मामले में दिल्ली के उच्च न्यायालय का निर्णय इस मंत्रालय या रेलवे मंत्रालय के नोटिस में नहीं आया।

(ख) और (ग). ये प्रश्न नहीं उठते।

Loans Sanctioned by Agricultural Finance Corporation in Madhya Pradesh

8384. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether the Agricultural Finance Corporation has sanctioned loans for the implementation of agricultural schemes for 1969-70 in Madhya Pradesh ;

(b) if so, the amount sanctioned for 1969-70 ;

(c) whether the Agricultural Finance Corporation had also sanctioned some loans to Madhya Pradesh in 1967-68 and 1968-69 for the same purpose ; and

(d) if so, the amount sanctioned and the amount spent ?

The Deputy Prime Minister & Minister of Finance (Shri Morarji Desai) (a) to (d]. The Agricultural Finance Corporation promoted by the Indian Banks Association and incorporated in April, 1968, has not so far sanctioned any loan for the implementation of agricultural schemes in Madhya Pradesh. However, the Agricultural Refinance Corporation set up under the Agricultural Refinance Corporation Act, 1963 sanctioned loans for the same purpose in that State as detailed below:—

(In lakhs of rupees)

Year	No. of Schemes	Financial outlay	Corporation's commitment	State Govt's/ Bank's/Party's commitment	Loans drawn from/debentures subscribed to by the Corporation
1967-68 (1. 7. 67 to 30. 6. 68)	5	374	337	37	—
1968-69 (1. 7. 68 to 30. 4. 69 i. e. the date up to which information is available).	5	808	727	81	11.70

सरकारी उद्यम ब्यूरो के लिए सचिव

8385. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशासनिक सुधार आयोग ने सिफारिश की थी कि अध्यक्ष के रूप में एक पूर्ण कालिक सचिव नियुक्त करके सरकारी उद्यम ब्यूरो को सुदृढ़ किया जाना चाहिये ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). प्रशासनिक सुधार आयोग ने "सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों" से सम्बन्धित अपनी रिपोर्ट में और बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की थी कि 'कार्यालय (ब्यूरो) को उसकी जिम्मेदारियों के अनुरूप अधिकार दिये जाने चाहिये और इसका मुख्य अधिकारी सचिव की हैसियत का व्यक्ति होना चहिये जो इसका पूर्णकालिक कार्यभारी अधिकारी हो ।"

(ग) कार्यालय को मजबूत बनाने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं ताकि कार्यालय वे कार्य कर सके जिन का उल्लेख प्रशासनिक सुधार आयोग की विभिन्न सिफारिशों के सम्बन्ध में सरकार द्वारा किये गए फैसलों में किया गया है । कार्यालय के लिए एक पूर्णकालिक महानिदेशक भी नियुक्त किया गया है जिसकी हैसियत सरकार के अतिरिक्त सचिव की है ।

विभिन्न आय वर्गों के रहन-सहन के स्तर में सुधार

8386. श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात का पता लगाने के लिये कोई मूल्यांकन लगाया गया है कि तीन पंचवर्षीय योजना अवधियों में विभिन्न आय के वर्गों के लोगों के रहन-सहन में कितना सुधार हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) . आशा है कि आय के वितरण और रहन-सहन के स्तरों से सम्बन्धित समिति, अपनी अन्तिम रिपोर्ट में पहली और दूसरी पंचवर्षीय आयोजनाओं की अवधि में रहन-सहन के स्तर में हुए परिवर्तनों के प्रश्न पर कुछ प्रकाश डालेगी । समिति ने अभी अपनी अन्तिम रिपोर्ट पेश नहीं की है ।

धार्मिक संस्थाओं को प्लाटों का आवंटन

8387. श्री काशीनाथ पाण्डेय : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री 2 दिसम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2898 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धार्मिक संस्थाओं को प्लाटों के आवंटन के सम्बन्ध में इस बीच जानकारी एकत्र कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन तथा निर्माण, आवास और नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां ।

(ख) दो विवरण सभा पटल पर रख दिये गये हैं, जिनमें 31 अगस्त, 1968 तक भूमि के लिये आवेदन करने वाले धार्मिक संस्थानों तथा जिन्हें प्लाट आवंटित किए गए हैं, के नाम दिखाये गये हैं। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 1006/69]

Allocation for Drainage to Check Seepage in Kotah (Rajasthan)

+8388. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state :

(a) the amount allocated for drainage to check seepage in Kotah, Rajasthan ;

(b) the amount spent thereon during 1968-69 ; and

(c) the amount to be provided for 1969-70 for this purpose ?

Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) to (c). The information is awaited from the Government of Rajasthan and will be laid on the Table of the House on its receipt.

Kotah Dam and Rawat Bhata Project in Rajasthan

+8389. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state :

(a) when the work on Kotah Dam and Rawat Bhata Project in Rajasthan is likely to be completed ;

(b) whether any increase would be effected in the irrigated area after the completion of the project ;

(c) the acreage of land being irrigated at present ; and

(d) the acreage of land which could be irrigated in addition to it after the completion of the project ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) The Rana Pratapsagar dam at Rawatbhata is expected to be completed by June this year. The Jawahar Sagar dam (Kotah dam) is expected to be completed in 1970-71.

(b) Yes.

(c) 6.2 lakh acres in Rajasthan and Madhya Pradesh from the storage in Gandhi Sagar dam. This is expected to increase to 11 lakh acres on full development.

(d) Additiooal 3 lakh acres from the storage at Rana Pratap Sagar bringing the total benefit to 14 lakh acres.

Scheme to Carry Water to Ajmer or Nasirabad from River Banas.

8390. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development be pleased to state :

(a) whether it is a fact that work on the scheme for taking water of river Banas from a place near Deoli to Ajmer or Nasirabad has been going on for many years ;

(b) whether it is also a fact that installation of pipe lines has been completed ;

(c) if not, when it is likely to be completed ;

(d) the target date originally fixed for the completion of this work ; and

(e) the reasons for delays in it ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) (a). (b), (c), (d) and (e). The information is still awaited from the Government of Rajasthan and will be laid on the Table of the Sabha when received.

Shifting of Income-Tax Office from Kotah to Udaipur

8391. Shri Onker Lal Berwa : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Income-tax Office, Kotah (Rajasthan) is being shifted to Udaipur ; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Deputy Prime Minister & Minister of Finance (Shri Morarji Desai) (a) No, Sir. There is no such proposal.

(b) Does not arise in view of (a) above.

Verification of Stocks of Items of New Levies.

8392. Shri Molahu Prashad : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether it is a fact that directions about the budget had been issued to all Central Excise Collectors, all Customs and Excise Collectors and all Customs Collectors vide his Ministrys's order F. No. 1. 1. 69-CX.I dated 24th February, 1969 ;

(b) whether it is also a fact that the Departmental employees had also been directed to verify the preliminary stocks of the items of new levies and to record the statements of their manufacturers in that regard ; and

(c) if so, the details in regard thereto ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) (a) Yes, Sir

(b) Instructions were issued to all Collectors of Central Excise that immediate steps should be taken after the announcement of the Budget to obtain declarations of opening stocks from the factories manufacturing the commodities subjected to excise levy in the Budget and to bring them under excise control.

(c) The number of factories from whom declarations of opening stocks were obtained is very large. It is not feasible to compile the details in respect of the factories or the opening stocks without entailing disproportionate expenditure of time and labour.

Verification of Stocks of Items of New Levies

8393. Shri Molahu Prashad : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether it is a fact that orders were issued to inspecting staff of the Department to verify the stocks of manufacturing firms with effect from the midnight of the

28th February, 1969 as per Finance Ministry order No. 1/1/69-CX.I dated the 24th February, 1969 ;

(b) whether it is also a fact that orders were issued for the verification of accounts of goods coming under excise duty apart form verification of stocks ;

(c) the names of officials who verified the stocks and accounts of producers, as also the names of producers, whose accounts and stocks were verified and other details in regard thereto ; and

(d) if not, the details thereof ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Financc (Shri Morarji Desai) : (a) & (b). Orders were issued to all Collectors of Central Excise on the 24th February, 1969 that immediate steps should be taken after announcement of the Budget to obtain declarations of opening stocks from the factories manufacturing the commodities subjected to excise levy in the Budget and to bring the them under excise control.

In respect of commodities already subject to a duty of excise, instructions were issued that the supervisory officers should move out and visit as many factories as possible and check the account maintained by the manufacturers to ensure that the balance in stock had been correctly arrived at.

(c) & (d). The number of central excise officers who would have conducted verification of stocks and accounts and the number of producers whose stocks and accounts would have been verified is very large. It is not feasible to compile their names and other details in regard to the verification conducted without entailing disproportionate expenditure of time and labour.

Verification of Stocks of Manufactured and Semi-Manufactured Goods

8394. Shri Molahu Prashad : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether it is a fact that employees of the Central Excise and Customs Department had been directed to verify on the 28th February, 1969 the stock of manufactured and semi—manufactured goods available with various manufacturers on which customs and excise duties could be levied ;

(b) whether it is also a fact that the verification of stock of the goods available with the various manufacturers was started on the midnight of the 28th February, 1969 ;

(c) whether it is further a fact that customs and excise duties have been assessed on various manufacturers following this verification ;

(d) if so, the details thereof ; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) Orders were issued to all Collectors of Central Excise on the 24th February, 1969 that immediate steps should be taken after the announcement of the Budget to obtain declarations of opening stocks from the factories manufacturing the commodities subjected to excise levy in the Budget and to bring them under excise control.

(b) Verification was to be conducted of the opening stocks, of the commodities subjected to excise levy in the Budget as existing on the midnight of the 28th February, 1st March 1969. Most of the factories and their offices are closed at midnight. Verification of the opening stocks in most cases could, therefore, commence only on the morning of the 1st March, 1969 when the factories resumed day's working and the manufacturers were available for obtaining the declaration of opening stocks existing at midnight of the 28ih February/1st ℕ arch, 1969.

(c) Customs duties are levied on the goods imported from abroad. No customs duties are payable on the goods manufactured within the country. Specified goods manufactured within the country are liable to excise duties. Such duties are assessed at the appropriate rate on all dutiable goods removed by various manufacturers from their factories. No excise duty is however, payable on opening stocks of the commodities subjected to excise levy in the Budget which were in a fully manufactured condition and ready for delivery on the mid-night of the 28th February-1st March, 1969 because these had been manufactred prior to the coming into effect of the new levy.

(d) & (c). There are a large number of factories manufacturing goods subjected to excise duty in the Budget. It is not feasible to compile the details of the factories, the goods manufactured by them or the duties assessed in respeet of such goods without entailing disproportionate expenditure of time and labour.

डेरा इस्माइल खां सहकारी गृह निर्माण समिति की भूमि का विकास

8395. श्री प० मु० सईद : क्या स्वास्थ्य परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डेरा इस्माइल खां सहकारी गृह निर्माण समिति लिमिटेड मुबारक बाग, जी० टी० रोड, आजाद पुर दिल्ली को आवंटित की गई भूमि का विकास कार्य पूरा करने के लिये कोई अन्तिम तारीख निश्चित की गई है ;

(ख) यदि हां, तो वह तारीख कौनसी है ; और

(ग) यदि इस प्रकार निर्धारित की गई तारीख तक समिति यह काम पूरा नहीं करती है तो सरकार का इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ब०सू० मूर्ति) : (क) और (ख). दिल्ली प्रशासन के साथ सोसाइटी के द्वारा किये गये करार के अनुसार सोसाइटी को 13 मार्च, 1970 तक भूमि का विकास करना होगा।

(ग) उस स्थिति में कि उपर्युक्त तारीख तक सोसाइटी विकास करने में असफल रहे तथा उसका वह संतोषजनक स्पष्टीकरण न दे सके तो भूमि सरकार के द्वारा ले ली जायेगी।

डेरा इस्माइल खां सहकारी गृह निर्माण समिति का कार्य संचालन

8396. श्री प० मु० सईद : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार अथवा विकास प्राधिकार के अधिकारियों को डेरा इस्माइल खां सहकारी गृह निर्माण समिति के सदस्यों की ओर से उस समिति के कार्य संचालन के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ग) क्या इस मामले में कोई जांच की गई है ;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन तथा निर्माण, आवास और नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) तथा (ख). डेरा इस्माइल खां सहकारी गृह निर्माण समिति ने कुछ समय पूर्व सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार से, सदस्यों की इच्छा के विरुद्ध प्रबन्ध समिति के सदस्यों के माध्यम से भूमि के भराई के कार्य करने की शिकायत की। रजिस्ट्रार ने सोसाइटी के सचिव को स्पष्ट कर दिया है कि प्रबन्ध समिति सोसाइटी की जनरल बोडी के अनुमोदन के बगैर ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकती।

(ग) जी, नहीं।

(घ) तथा (ङ). प्रश्न ही नहीं उठता।

सरकारी कर्मचारियों द्वारा कारों तथा मूल्यवान वस्तुओं का आयात

8397. **श्री कंवरलाल गुप्त** : क्या वित्त मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) उन सरकारी कर्मचारियों के नाम, पते तथा पदनाम क्या हैं जिन्होंने गत दो वर्षों में कारों तथा अन्य ऐसी वस्तुओं का आयात किया है जिनका मूल्य 10,000 रुपये से अधिक होता है ;

(ख) कारों तथा अन्य मूल्यवान वस्तुओं के आयात की अनुमति देने के क्या कारण हैं ; और

(ग) गत दो वर्षों में केन्द्रीय तथा प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा राज्यवार कितनी कारों का विदेशों में आयात किया गया ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). सीमाशुल्क प्राधिकारी कार और दूसरी कीमती वस्तुएं आयात करने वाले व्यक्तियों का कोई रिकार्ड नहीं रखते। 10,000 रुपये से अधिक मूल्य की कारें तथा अन्य वस्तुओं का आयात के लिए मुख्य आयात नियंत्रक द्वारा जारी किए गए सीमाशुल्क-निकासी-परमिट विषयक सूचना तथा इस प्रकार के आयातों की अनुमति देने के कारणों का पता लगाया जा रहा है और उन्हें सदन की मेज़ पर रख दिया जाएगा।

(ग) केन्द्रीय सरकार ने 33 कारें आयात की थी। पिछले दो वर्षों के दौरान राज्य सरकारों द्वारा आयात की गई कारों से सम्बन्धित सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायगी।

मंत्रियों द्वारा वस्तुओं का आयात

8398. श्री कंवरलाल गुप्त : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वह कौन-कौन सी वस्तुयें हैं तथा उनकी लागत कितनी-कितनी है जिन पर शुल्क देना पड़ता है अथवा जिन के आयात पर प्रतिबंध है और जिन्हें गत दो वर्षों में प्रधान मंत्री तथा केन्द्रीय मंत्रियों ने अपने नाम पर अथवा अपने परिवार के उन सदस्यों के नाम पर जो उनके साथ रहते हैं आयात किया था ;

(ख) ये वस्तुएं किन-किन देशों से आयात की गई थीं तथा उन पर कितना शुल्क दिया गया ;

(ग) ऐसे कौन-कौन से मामले हैं जिनमें वस्तुओं के आरम्भ में अनुमान लगाये गये मूल्यों को कम किया गया था ; और

(घ) आरम्भ में अनुमान लगाया गया मूल्य क्या था बाद में कितना मूल्य दिया गया ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (घ). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जायेगी।

ईसाई धर्म प्रचारकों द्वारा विदेशी मुद्रा में हेरफेर

8399. श्री भारत सिंह चौहान :
श्री उमानाथ
श्री पी० पी० एस्थोस :
श्री अनिरुद्धन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ विदेशी धर्म प्रचारक भारत में विदेशी मुद्रा में हेरफेर कर रहे हैं ?

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) दोषी धर्म प्रचारकों के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). प्रवर्त्तन निदेशालय की जानकारी में कुछ ऐसे मामले आए हैं, जिनमें विदेशी मुद्रा विनिमय के अनधिकृत लेन-देनों में भारत स्थित ईसाई मिशनों के कुछ व्यक्तियों का हाथ पाया गया है। इन लेन-देनों में मुख्यतया अनधिकृत माध्यमों से विदेशों से दान की प्राप्ति ग्रस्त है।

(ग) जो मामले प्रवर्त्तन निदेशालय के नोटिस में आए हैं, उनमें विदेशी मुद्रा विनिमय विनियमन अधिनियम, 1947 के उपबन्धों के अनुसार उपयुक्त कार्यवाही पहले ही शुरू की जा

चुकी है। इनमें से कुछ मामलों में प्रवर्त्तन निदेशालय द्वारा न्यायनिर्णय दिया जा चुका है और अन्य मामले जांच-पड़ताल/न्याय निर्णय की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

सोमवार को होने वाली सदन की बैठक के लिए प्रश्न पाकिस्तान द्वारा आसाम के निकट तेल के लिए ड्रिलिंग

8400. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :** क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान सरकार ने आसाम सीमा पर अपने भाग में तेल निकालने के लिए 12 ढांचे बनाये हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि यदि भारत शीघ्र अपनी ओर तेल निकालना आरम्भ नहीं करता तो तेल का सारा भण्डार पाकिस्तान की ओर चला जायेगा ;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा समय पर कोई कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं ;

(घ) इस बात को सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है कि आसाम में तेल का बड़ा भण्डार पाकिस्तान की ओर न चला जाये और पाकिस्तान सरकार उसका लाभ न उठाये ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री द० रा० चव्हाण) : (क) परीक्षण-व्यधन के लिए पूर्वी पाकिस्तान में भूगर्भीय और भूभौतिकी सर्वेक्षणों के आधार पर तैयार किये गये ढांचों (संरचनाओं) की सही संख्या मालूम नहीं है किन्तु केवल सात संरचनाओं में व्यधन किये जाने की जानकारी है।

(ख) कुछ संरचनाओं के विस्तारों में, जो अंततः पूर्वी पाकिस्तान में फैली हुई है, कुंएं व्यधन करने से त्रिपुरा और दक्षिण आसाम के सम्पूर्ण तेल संचयों में से कुल तेल निकाल लेने की सम्भावना नहीं है।

(ग) और (घ). कुछ अपनतियां, जिनके शिखर-हिस्से त्रिपुरा और दक्षिण आसाम में स्थापित हैं, पूर्वी पाकिस्तान में फैली हुई हैं। यदि इन सीमावर्ती संरचनाओं में तेल विद्यमान है, तो सम्भव है कि इन संरचनाओं के भारतीय-तरफ विद्यमान तेल भण्डारों का कुछ भाग पूर्वी पाकिस्तान में भी फैली हो। लेकिन तेल और गैस, संरचना के शिखर-भागों में निकाली और संचित की जाती है। जहां तक हमें ज्यादा से ज्यादा जानकारी है पाकिस्तान ने अभी तक किसी सीमावर्ती संरचना का व्यधन नहीं किया है। सीमावर्ती आशाजनक संरचनाओं के उच्चतम हिस्सों में परीक्षण-व्यधन शुरू करने के लिए, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग अब एक प्रस्ताव पर विचार कर रहा है।

ब्रिटेन में भारतीय डाक्टरों के निवास की समय सीमा

8401. श्री वेणीशंकर शर्मा : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास एवं नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन सरकार का विचार भारतीय डाक्टरों के निवास की समय सीमा निश्चय करने का है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर डाक्टरों तथा सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास तथा नगर विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) . ये प्रश्न नहीं उठते ।

कच्छ अथवा सौराष्ट्र में एल्यूमिनियम कारखाना

8402. श्री श्री राज मेघराज जी धरंगधरा : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्छ अथवा सौराष्ट्र क्षेत्र में बाक्साइट के निक्षेपों का उपयोग करने के लिये कच्छ अथवा सौराष्ट्र में एल्यूमिनियम कारखाना स्थापित करने का सरकार का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या प्रगति हुई है ; और

(ग) कब तक अन्तिम निर्णय किये जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) से (ग). चौथी योजनावधि के दौरान गैर-सरकारी, तथा सरकारी दोनों क्षेत्रों में वर्तमान प्रद्रावकों के विस्तार तथा नये प्रद्रावकों की स्थापने के लिये दिये गये लाइसन्सों की अनुज्ञप्त क्षमता को विचाराधीन करके गुजरात राज्य के कच्छ या सौराष्ट्र प्रदेश में किसी नये एल्यूमिनियम प्रद्रावक की स्थापना प्रस्तावित नहीं की गई है । परन्तु राज्य के बाक्साइट निक्षेपों पर आधारित एक निर्यात-अनुस्थापित एल्यूमिना संयंत्र की स्थापना का प्रस्ताव विचाराधीन है । राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम को प्रायोजना की तकनीकी-आर्थिक सम्भाव्यता अध्ययन तैयार करने के लिये कहा जा रहा है और उनकी रिपोर्ट मिल जाने पर इस विषय में अन्तिम निर्णय लिया जायेगा ।

अन्तर्राष्ट्रीय विकास सम्बन्धी आयोग के अध्यक्ष की यात्रा

8403. **श्री श्रद्धाकर कृपकार :** **श्री चेंगलराया नायडू :**
श्री शिवचन्द्र झा : **श्री अदिचन :**
श्री नि०रं० लास्कर : **श्री हिम्मतसिंह का :**
श्री रा० बरुआ : **श्री सु०कु० तापड़िया :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत को विकास सहायता के बारे में चर्चा करने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय विकास सम्बन्धी आयोग के अध्यक्ष श्री लैस्टर बी० पीयरसन अप्रेल, 1969 के प्रथम सप्ताह में भारत आये थे;

(ख) यदि हां, तो क्या चतुर्थ पंच-वर्षीय योजना के लिये सहायता के बारे में किन्हीं विशिष्ट प्रस्तावों पर चर्चा हुई थी, और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क), (ख) और (ग). अन्तर्राष्ट्रीय विकास आयोग के अध्यक्ष श्री लैस्टर बी० पीयरसन ने आयोग के अन्य दो सदस्यों के साथ 2 से 7 अप्रेल, 1969 तक भारत की यात्रा की। इस आयोग के विचारणीय विषय सामान्य रूप से अन्तराष्ट्रीय सहायता और व्यापारिक समस्याओं से सम्बन्धित हैं। इस लिए चौथी पंच-वर्षीय योजना के लिए भारत को सहायता देने के किसी विशिष्ट प्रस्ताव पर आयोग ने बातचीत नहीं की। फिर भी, सरकार ने, चौथी पंच-वर्षीय योजना के दौरान हमें कितनी तथा किस प्रकार की सहायता की आवश्यकता होगी, यह आयोग को बता कर, उसकी भारत यात्रा का लाभ उठाया।

उर्वरक ऋण प्रत्याभूति निगम (क्रेडिट गारंटी) कारपोरेशन

8404. श्री रा० बरुआ : श्री रघुबीर सिंह शास्त्री :
श्री रा० कृ० सिंह : श्री चेंगलराया नायडू :
श्री तुलसीदास दासप्पा : श्री नि० रं० लास्कर :
श्री क० प्र० सिंह देव :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सुनिश्चित करने के लिये कि उर्वरक तथा अन्य कृषि सामग्री का भण्डार बनाने और वितरण करने के लिये संस्थाओं को ऋण मिलता रहे, कोई ऋण प्रत्याभूति निकाय स्थापित किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) ग्रामीणों को ऋण दिलाने में यह संस्था कहां तक सहायक सिद्ध होगी ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां।

(ख) प्रस्तावित उर्वरक ऋण प्रत्याभूति निगम (फर्टिलाइजर क्रेडिट गांरटी कारपोरेशन) की स्थापना समवाय अधिनियम 1956 के अन्तर्गत की जायगी। इस निगम की अधिकृत पूंजी 10 करोड़ रुपया होगी जिसमें से 1.5 करोड़ रुपये के शेयर इस साल जारी किये जाने की सम्भावना है। इसकी शेयर पूंजी में रिजर्व बैंक (60 प्रतिशत), भारत सरकार 10 प्रतिशत) भारतीय स्टेट बैंक (5 प्रतिशत) और प्रमुख वाणिज्यिक तथा राज्य सहकारी बैंक (25 प्रतिशत)

अंशदान देंगे। स्वीकृत अभिकरणों को उर्वरक तथा खेती में काम आने वाली अन्य वस्तुओं का भण्डार बनाने तथा उनका वितरण करने के लिये वाणिज्यिक तथा सहकारी बैंकों से मिलने वाले ऋणों के लिए निगम गारण्टी देगी। निगम व चुकाई गई रकमों के अधिक से अधिक 65 प्रतिशत तक की जिम्मेदारी लेगा। निगम, वाणिज्यिक तथा सरकारी बैंकों के लिए, वित्त-व्यवस्था के अनुपूरक साधन के रूप में, पुनर्वित्त व्यवस्था की एक योजना भी चलायेगा जोकि रिजर्व बैंक से मिलने वाले वित्तीय साधनों के अतिरिक्त होगी।

(ग) निगम द्वारा चलायी जाने वाली योजनाओं से, सभी स्तरों पर विभिन्न वितरण अभिकरणों को उवर्रक तथा खेती में काम आने वाली अन्य वस्तुओं का भण्डार बनाने के लिए सुविधा मिलेगी और इसलिए खुदरा अभिकरण, किसानों को उवर्रक तथा खेती में काम आने वाली अन्य वस्तुएं उधार दे सकेंगे।

भेषजों का उत्पादन

+**8405. श्री रामचरण : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा एक परिपत्र प्रकाशित किया गया था जिसमें कहा गया था कि भारतीय भेषज संग्रह 1966 में दी गई भेषजों का उत्पादन उसके ही अनुसार किया जायेगा परन्तु अब भी अनेक भेषज अन्य भेषज संग्रहों, जो भारतीय भेषज संग्रह में शामिल नहीं की गई है के अनुसार तैयार की जा रही है, उदाहरण के लिये टी० आर जिंजीबोरिस मिटोस, जो भारतीय भेषज-संग्रह में सम्मिलित नहीं की गई है, का अब भी उत्पादन किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या उपाय करने का सरकार का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब०सू० मूर्ति) : (क) जी, हां ;

(ख) यदि ये भेषज वर्तमान भारतीय भेषज संग्रह के अन्तर्गत नहीं आतीं हैं तो उनका निम्नलिखित स्तर होना चाहिये :—

(1) जैसा कि विशेष रूप से निहित है, या
(2) यदि भेषज को देश के भेषज संग्रह में शामिल किया गया है और उस पर भेषज संग्रह में प्रस्तावित लेबिल लगाया गया है, या
(3) यदि वह स्वायलवाली दवाई है, जैसाकि उसके लेबिल या उसके आधान पत्र में उल्लिखित है।

राजस्थान में अकाल की स्थिति का मुकाबला करने के लिए केन्द्रीय सहायता

8406. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : श्री चेंगलराया नायडू :
श्री ओंकारलाल बेरवा : श्री नि० रं० लास्कर :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान के मुख्य मंत्री ने राज्य में अकाल की स्थिति का मुकाबला करने के लिये नई दिल्ली में 4 अप्रेल, 1969 को केन्द्रीय सरकार को 20 करोड़ रुपये देने को कहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां ।

(ख) भारत सरकार राजस्थान सरकार को, उसके सूखा-सम्बन्धी सहायता कार्यों के खर्च के लिये यथा सम्भव सब प्रकार की वित्तीय सहायता दे रही है । चालू वित्तीय वर्ष में भी आवश्यक वित्तीय सहायता दी जाती रहेगी ।

उर्वरक कारखानों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम के साथ करार

8407. श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री तुलसीदास जाधव :

क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व बैंक से सम्बन्ध अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने घोषणा की है कि भारत में एक नये उर्वरक कारखाने के लिये धन की व्यवस्था करने के लिये करार पूरा कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) इसे कब और किस स्थान पर स्थापित किया जायेगा ; और

(घ) क्या इसे सरकारी क्षेत्र अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र में स्थापित किया जायेगा और इस पर कितनी लागत आने का अनुमान है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री द० रा० चव्हाण) : (क) 25 मार्च, 1969 को अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम के निदेशकों के बोर्ड ने गोआ में जूरी एग्रो केमीकल फर्टिलाइज़र परियोजना (गोआ उर्वरक परियोजना) में लगभग 16.00 मिलियन डालर (12.15 मिलियन डालर सीधे ऋण के रूप में और 3.79 मिलियन डालर साम्य साझेदारी के तौर पर) के निवेश की स्वीकृति दी । यह एक उर्वरक कारखाने को लगाने के लिए वित्तीय अंश है ।

(ख) भारत सरकार ने वित्तीय नमूना का अनुमोदन किया था, जिसके अनुसार कम्पनी ने अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय निगम से सहायता प्राप्त की है ।

(ग) गोआ पर इस के 1973-74 तक उत्पादन शुरू करने की आशा है ।

(घ) गैर-सरकारी क्षेत्र लगभग 53.17 करोड़ रुपये ।

कलकत्ता में मिट्टी के तेल की सप्लाई के बारे में शिकायतें

8408. श्री ज्योतिमय बसु : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मिट्टी के तेल की सप्लाई के बारे में कलकत्ता में नियुक्त किये गये श्री इन्दु वीर के विरुद्ध कदाचार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) क्या सरकार ने इन शिकायतों की जांच की है ;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ; और

(घ) उनका तबादला किये जाने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री द०रा० चव्हाण) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) . प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) श्री इन्दु वीर का सामान्य प्रशासनिक कार्यविधि के तौर पर पूर्वी ब्रांच से तबादला किया गया है ।

Seizure of Bags Containing Coins

8409. Shri Yashwant Singh Kushwah :
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of Finance be pleased to state ;

(a) whether it is a fact that 45 bags containing counterfeit two-paise coins have recently been seized in Varanasi ;

(b) if so, the details thereof, the number of persons arrested in this connection and the action taken against them ; and

(c) the steps being taken by Government to check minting and circulation of counter-feit coins in the country ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance, (Shri Morarji Desai) : (a) to (c) . The information is being collected from the State Government and will be laid on the Table of the House.

Pyrites Phosphates and Chemicals Ltd., Amjhor

8410. Shri Ramavtar Shastri : Will the Minister of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals be pleased to state :

(a) the total number of labourers working in the Pyrites, Phosphates and Chemicals Ltd., Amjhor (Bihar) ;

(b) the number of confirmed and unconfirmed labourers among them ;

(c) the number of local labourers and officers, separately, in the said concern ;

(d) whether it is a fact that contract system of labour is being followed there even though it is a public sector concern ;

(e) if so, the reasons therefor ;

(f) whether the labourers working therein have made a demand for setting up a Wage Board for them ; and

(g) if so, the reactions of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan) : (a) to (g). The information is being collected and will be laid on the Table of the House in due course.

नई परिवार नियोजन योजना

8411. श्री बे० कृ० दासचौधरी : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में एक नई परिवार नियोजन योजना आरम्भ करने का है ;

(ख) यदि हां, तो योजना की रूपरेखा क्या है ; और

(ग) नई योजना पर कितना व्यय होने का अनुमान है ?

स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन तथा निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा० श्री चन्द्रशेखर) : (क), (ख) और (ग). चौथी योजना में परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत अनेक नयी योजनाएं चालू करने का विचार है जबकि मूल नीति वही है जो पहले निर्धारित की गयी है । अपेक्षित सूचना का एक विवरण संलग्न है । [**पुस्कालय में रखा गया** । देखिये **संख्या एल० टी० 1007/69**]

तिब्बती नारियों द्वारा चमकदार धागे की तस्करी

8412. श्री मीठालाल मीना :
श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री वि० नरसिम्हा राव :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनेक तिब्बती नारियां नेपाल से भारत में चोरी छिपे चमकदार धागा लाने का धन्धा करती है, जैसा कि सरकारी सर्वेक्षण में बताया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तस्करी करने वाले इस गिरोह को समाप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ;

(ग) क्या सरकारी सर्वेक्षण में कोई ऐसा अनुमान लगाया गया है कि इस तस्करी के कारण विदेशी मुद्रा की कितनी हानि हुई है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार इस से सम्बन्धित सरकारी सर्वेक्षण का प्रतिवेदन सभा पटल पर रखने का है ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क), (ख) और (ग). ऐसे कोई संकेत नहीं मिले हैं कि तिब्बती औरतें नियमित रूप से नेपाल से भारत में चमकीले धागे की तस्करी में लगी हुई हैं, लेकिन फरवरी, 1969 में दो मामले ऐसे हुये थे जिनमें तिब्बती औरतों से चमकीला धागा पकड़ा गया था। इस सम्बन्ध में कोई सरकारी सर्वेक्षण नहीं किया गया है। इस प्रकार की तस्करी गतिविधियों के परिणामस्वरूप होने वाली विदेशी मुद्रा की हानि का सही अनुमान लगा सकना कठिन है किन्तु फरवरी 1969 में उक्त दो मामलों में पकड़े गए चमकीले धागे का मूल्य लगभग 14,000 रुपये मात्र था। चूंकि, ऐसा कोई तस्कर जालचक्र नोटिस में नहीं आया है जिसमें तिब्बती औरतें लगी हों, इसलिए ऐसे तस्कर जालचक्र को तोड़ने के उपाय करने का प्रश्न ही नहीं उठता। फिर भी भारत-नेपाल सीमा पर तस्करी रोकने के लिए अनेक उपाय किए गये हैं जिनमें अतिरिक्त कर्मचारियों को नियोजन, सीमा पर कार्य कर रहे विभिन्न संगठनों के कार्यकलापों का बेहतर समन्वय तथा सीमा-शुल्क (संशोधन) अधिनियम, 1969 के उपबन्धों का प्रवर्तन भी शामिल हैं।

(घ) यह सवाल नहीं उठता।

खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा दिया गया ऋण

8413. श्री धीरेन्द्र नाथ देव :
श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री दे० अमात :

क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने कच्चे मैंगनीज के उत्पादकों और सप्लाई करने वालों को उत्पादन और सप्लाई के विकास के लिए बड़ी राशि का अग्रिम ऋण दिया है ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन फर्मों और व्यक्तियों को कितनी-कितनी अग्रिम राशि दी गई है ; और

(ग) ऐसे ऋण देने का आधार क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क), (ख) और (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

Slum Clearance Schemes in Bihar

8414. Shri Ramavtar Shastri: Will the Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development be pleased to state :

(a) the amount granted to Bihar under the Slum Clearance Scheme during 1966-67, 1967-68 and 1968-69 ;

(b) the manner in which the Bihar/Government utilised this amount ;

(c) the amount provided by the State Government to Patna Improvment Trust and Patna Municipal Corporation for this purpose ;

(d) the nature of work done by these bodies with the amount provided to them ; and

(e) the terms on which this amount is provided to such bodies ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) The amount of Central assistance allocated to, and drawn by the Government of Bihar during these three years under the Slum Clearance Scheme is as under :—

(Rs. in lakhs)

Year	Amount allocated	Amount drawn
1966-67	6.00	0.94
1967-68	3.50	0.09
1968-69	2.10	1.89

(b), (c), (d) and (e) . Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

प्रयुक्त स्नेहक तेल को पुनः प्रयोग के योग्य बनाना

8415. श्री राजदेव सिंह : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, अनुसंधान, डिजाइन और मानक संगठन, रेलवे मंत्रालय और प्रतिरक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला (सामग्री), कानपुर ने सफल परीक्षण किया है और इसकी विधि निकाली है कि प्रयुक्त स्नेहक तेल को पुनः प्रयोग के योग्य बनाया जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो क्या देश में इसकी कमी को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार उक्त अनुसंधान संगठनों द्वारा निकाली गई विधि का शीघ्र ही वाणिज्यिक आधार पर प्रयोग करने का है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री द. रा. चव्हाण) : (क) जी हां ।

(ख) इस बारे में राज्य सरकारों को परामर्श किया गया है । पांच व्यापारिक पार्टियों ने इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ पेट्रोलियम, देहरादून द्वारा तैयार की गई प्रक्रिया की जानकारी में दिलचस्पी दर्शायी है ।

बरौनी और गोहाटी तेलशोधक कारखानों में उत्पादन

8416. श्री राजदेव सिंह : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोहाटी और बरौनी के तेल शोधक कारखाने और गैर-सरकारी क्षेत्र के डिग्बोई स्थिति कारखाने की अपेक्षा कम वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं ;

(ख) क्या तीनों कारखाने एक ही प्रकार के कच्चे तेल का प्रयोग करते हैं ;

(ग) यदि हां, तो सरकारी क्षेत्र के कारखानों में अपनी उत्पादन प्रणाली में विविधता न लाने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री द० रा० चव्हाण) : (क), (ख) और (ग). गोहाटी और बरौनी शोधनशालाएं, आयल इण्डिया लि० द्वारा और थोड़ी मात्रा में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा सप्लाई किये गये कच्चे तेल को साफ करती हैं। डिग्बोई (शोधनशाला) अपने कच्चे तेल तथा आयल इण्डिया लि० द्वारा सप्लाई की गई मात्राओं को साफ करती है। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के 2,000 मीटरी टन कच्चे तेल के पारसल को खरीदने के लिये भी डिग्बोई उक्त आयोग के साथ पत्र-व्यवहार कर रहा है। डिग्बोई के अपने कच्चे तेल में अत्यन्त मोम है। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के कच्चे तेल के पारसल में भी जिसको खरीदने के बारे में डिग्बोई पत्र-व्यवहार कर रहा है, अत्यन्त मोम है। इस प्रकार डिग्बोई लगभग 40,000 मीटरी टन मोम और चाय बागात जैसे स्थानीय प्रयोग कर्ताओं के लिए अन्य उत्पादों की कुछ मात्राओं का उत्पादन कर सकता है। डिग्बोई के इन उत्पादों में से कुछ के लिये आसाम से बाहर बाजार में कम अथवा शून्य मांग है। सरकारी क्षेत्रीय दोनों शोधनशालाएं मुख्य उत्पादों का उत्पादन करने के लिए रूपांकित की गई थी। बरौनी शोधनशाला के उत्पाद नमूनें में रदो-बदल (अपवर्तन) किया गया है ; जिसमें न ही केवल व्यापारिक उत्पादन शामिल है बल्कि पैट्रोलियम कोक, इस्फाल्ट, लूब बेस आयलिस और तेल पैट्रोलियम गैस भी। गोहाटी शोधनशाला भी शीघ्र ही तरल पैट्रोलियम गैस का उत्पादन करने का कार्यक्रम तैयार कर रही है।

राजस्थान के भानेका ग्राम में टाईफाइड से मृत्यु

+8417. **डा० कर्णीसिंह :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 30 मार्च, 1969 के "नव भारत टाइम्स" में प्रकाशित इस समाचार की जानकारी है कि राजस्थान की कोलापत तहसील के भानेका गाँव में फैले टाइफाइड (मियादी बुखार) से 50 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है ;

(ख) क्या सरकार को इसकी भी जानकारी है कि कोलापत की पंचायत समिति के हस्तक्षेप करने पर केवल एक डाक्टर भेजा गया था जिससे कोई लाभ नहीं हुआ क्योंकि उसके बाद भी और 10 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई ;

(ग) क्या यह सच है कि वह क्षेत्र अकालग्रस्त है और ग्रामीण लोग दवाईयां खरीदने की स्थिति में नहीं है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का प्रस्ताव वहां तुरन्त चिकित्सा सहायता भेजकर इस रोग का अन्त करके लोगों के जीवन की रक्षा करने का है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब. सू. मूर्ति) : (क) जी, हां। राजस्थान के कोलापत तहसील के भानेका गांव से टाइफाइड से किसी की मृत्यु होने का समाचार नहीं मिला है। बीकानेर के जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने गांव का 11 अप्रेल, 1969 को दौरा किया था और वहां उन्हें दस्तों की बीमारी, पेचिश, खसरा के बाद के कुछ मामलों का पता लगा था। जिनके इलाज की व्यवस्था की गई थी।

(ख) बीकानेर के कलक्टर के अनुरोध पर दो डाक्टरों और दो कम्पाउडरों के एक दल ने 3 अप्रेल, 1969 को उक्त गाँव का दौरा किया था। मार्च, अप्रेल, 1969 में टाइफाइड से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु का समाचार नहीं मिला है।

(ग) और (घ). जी हाँ, ग्रामीणों को दवाइयों के खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि वहां देत्रा उप-केन्द्र और आकाल कैम्पों में डाक्टरी सहायता की व्यवस्था है।

उड़ीसा में चौथी पंचवर्षीय योजन में उर्वरक कारखाने

8418. श्री मुहम्मद शरीफ : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चौथी पंचवर्षीय योजना में उड़ीसा में उर्वरक बनाने के दो कारखाने लगाये जायेंगे ;

(ख) क्या ये कारखाने सरकारी क्षेत्र में होंगे अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र में ;

(ग) ये कारखाने किस किस स्थान पर स्थापित किये जायेंगे ; और

(घ) इन कारखानों की स्थापना पर कितना धन व्यय किया जायेगा ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री द० रा० चव्हाण) : (क) से (ग). पारादीप में एक उर्वरक कारखाना स्थापित करने के लिये प्राइवेट पार्टियों से दो प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन पर विचार किया जा रहा है। तालचर में सरकारी क्षेत्र में कोयले पर आधारित उर्वरक कारखाना स्थापित करने के प्रस्ताव पर भी जांच की जा रही है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि निकट भविष्य में लगाये जाने वाले कारखानों की संख्या तथा स्थान का अभी निर्णय नहीं किया गया है।

वित्तीय सम्बन्धों पर विचार करने के लिये मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन बुलाना

8419. श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या केन्द्र और राज्यों के बीच बढ़ते जा रहे मतभेदों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह उचित समझा है कि राज्य के मुख्य मंत्रियों का एक सम्मेलन संविधान के उपबन्धों विशेषतः वित्तीय सम्बन्धीं उपबन्धों पर विस्तार से विचार करने के लिये बुलाया जाय ;

(ख) क्या नयी दिल्ली में हाल में हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में उक्त विषय को उठाया गया था ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उप-प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क), (ख) और (ग) . केन्द्र और राज्यों के वित्तीय सम्बन्धों पर आम तौर पर राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठकों में तथा इसी प्रकार की अन्य बैठकों में विचार-विमर्श किया जाता है । पिछले महीने नयी दिल्ली में हुई राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक में कुछ मुख्य मंत्रियों ने सामान्य तौर पर यह मामला भी उठाया था । इस लिए इस प्रयोजन के लिए अलग सम्मेलन बुलाना जरूरी नहीं समझा गया

केन्द्र और राज्यों के वित्तीय सम्बन्धों के कुछ पहलुओं पर वित्त आयोग इस समय विचार कर रहा है और केन्द्रीय सरकार वित्त आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए स्थिति पर फिर विचार करेगी ।

प्रशासनिक सुधार आयोग भी केन्द्र और राज्यों के वित्तीय सम्बन्धों के प्रश्न का अध्ययन कर रहा है और वह इस विषय पर सिफारिशें करेगा ।

जीवन बीमा निगम में सहायक प्रशासनिक अधिकारियों की भर्ती

8420. श्री स० मो० बनर्जी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहायक प्रशासनिक अधिकारियों के संवर्ग में सीधी भर्ती के बारे में जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों में असंतोष बढ़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ ने इस कार्यवाही का विरोध किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). निगम के तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के कुछ प्रतिनिधि संघों ने, जिनमें अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ भी शामिल है, सहायक प्रशासनिक अधिकारियों के संवर्ग में किसी भी प्रकार की सीधी भर्ती का विरोध किया है ।

(ग) इस मामले का सम्बन्ध मूलत : जीवन बीमा निगम से है, जो प्रशासनिक अधिकारी संवर्ग में अपने लिपिक-वर्ग से पदोन्नति करके और अखिल भारतीय प्रतियोगिता के आधार पर सीधे भर्ती करके दोनों ही प्रकार से भर्ती करने की अपनी वर्तमान नीति में परिवर्तन करना वांछनीय नहीं समझता ।

बम्बई के निकट करेतरी द्वीप पर विदेशी माल का पकड़ा जाना

8421. श्री हुकम चन्द कछवाय : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अप्रेल, 1969 के प्रथम सप्ताह में बम्बई के समीप करेतरी द्वीप पर भ्रष्टाचार विरोधी विभाग के अधिकारियों ने विदेशी माल और कपड़ा पकड़ा था ;

(ख) यदि हां, तो कितने मूल्य का माल पकड़ा गया ; और

(ग) वह किन किन देशों से लाया गया था ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क), (ख) और (ग). 3 अप्रेल, 1969 को महाराष्ट्र सरकार के भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो ने केनरी लाइट हाउस द्वीप में, न कि क्रेत्री द्वीप में, विदेशी माल, जिसमें कपड़ा भी शामिल था पकड़ा था, जिसका मूल्य (बाजार दर पर) लगभग 13 लाख रुपये था । यह माल जापान और पश्चिम जर्मनी में बना था ।

अनिवार्य परिवार नियोजन कार्यक्रम

8422. **श्री विक्रम चन्द महाजन :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार परिवार नियोजन को अनिवार्य करने का है ;

(ख) यदि हां, तो इसे कब से लागू किया जायेगा ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) परिवार नियोजन कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिये क्या प्रोत्साहन दिये जा रहे हैं ।

स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन तथा निर्माण, आवास और नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्रीपति चन्द्रशेखर) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) भारत में परिवार नियोजन आन्दोलन नैतिक, विवेक, वैज्ञानिक और स्वैच्छा के आधार पर आधारित है । सामाजिक क्षेत्र में दबाव और जबरदस्ती की अपेक्षा लोगों द्वारा स्वेच्छा से किये गये निर्णय का प्रभाव काफी स्थायी होता है । अतः परिवार नियोजन कार्यक्रम में किसी प्रकार का दबाव डालने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(घ) परिवार नियोजन सेवाएं स्वीकार करने के लिए धन सम्बन्धी कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है । जो व्यक्ति स्वेच्छा से नसबन्दी आपरेशन कराने/लूप पहनने के लिए आता है, उसे मजदूरी की हानि के लिए मुआवजे के रूप में और यातायात खर्च तथा अन्य आकस्मिक खर्च पूरा करने के लिए कुछ पैसा दिया जाता है ।

लघु परिवार आदर्श समिति ने लघु परिवार के आदर्श को अपनाने के लिए प्रोत्साहित और निरुत्साहित करने के लिए कुछ सिफारिशें की हैं। इन सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है।

Akhil Bharat Netra Sudhar Sangh. New Delhi

8423. Shri Shiv Charan Lal : Will the Minister of Health Family Planning and Works, Housing and Urban Development be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Akhil Bharat Netra Sudhar Sangh, Lajpat Nagar, New Delhi, was provided with 2 acres of land on lease basis and was given a grant of Rs.20,000/-each in 1961-62 and 1962-63 for starting an eye hospital ;

(b) whether the above Sangh has the right to transfer the land which it got on lease basis and also the building constructed and equipment purchased with the money which it received in the form of grant ;

(c) whether the Sangh still has the above land, building and equipment in its possession ;

(d) if so, the extent to which the Sangh pyas rent and depreciation to the Dr. Bhagwan Dass Memorial Trust ; and

(e) in case the above property is not in the possession of the Sangh, the reason therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) 1.56 acres of land was leased to the Sangh by the Government on a concessional premium. No grant was given to the Sangh in 1961-62 and 1962-63.

(b) and (c). The Sangh has been permitted to transfor the land. But the building and equipment are still in the use and possession of the Sangh.

(d) The information is being collected.

(e) Does not arise.

दक्षिण बम्बई में तस्करी के सोने का पकड़ा जाना

8424. श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 9 अप्रेल, 1969 को महाराष्ट्र भ्रष्टाचार निरोधी विभाग ने दक्षिण बम्बई से 28 लाख रुपये के मूल्य का तस्करी का सोना पकड़ा था ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) उसका ब्यौरा क्या है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां ।

(ख) सीमा शुल्क विभाग ने पकड़े गए सोने को अपने कब्जे में ले लिया है और सीमा-शुल्क अधिनियम तथा विदेशी मुद्रा विनिमय विनियमन अधिनियम के अधीन न्याय-निर्णय की कार्यवाही की जा रही हैं ।

(ग) सूचना मिलते ही, महाराष्ट्र के भ्रष्टाचार-विरोधी ब्यूरो के अधिकारी और कर्मचारी 9 अप्रेल, 1969 को सवेरे बम्बई के नेपियन सी रोड स्थित आशुतोष बिल्डिंग के पिछवाड़े समुद्र तट पर फौरन पहुँचे । उन्होंने वहां सन्देहोत्पादक गतिविधि देखी । उन्होंने जब तस्करों को ललकारा तो वे माल को वहीं छोड़कर रात के अंधेरे में बच निकले । उस इलाके को छानने के फलस्वरूप आठ बोरे बरामद किए गए, जिनमें 14 जाकिटे थीं । और प्रत्येक जाकिट में दस दस तोले के वजन की सोने की सौ छड़े थीं । इस प्रकार, विदेशी मार्के वाला कुल 14,000 तोला सोना पकड़ा गया, जिसका अब तक कोई दावेदार सामने नहीं आ रहा है । कोई गिरफ्तारी नहीं की गई । ऐसा विश्वास किया जाता है कि यह सोना फारस की खाड़ी के इलाके से लाया गया है । इस अवैध सोने पर "एंगल हार्ड" "जानसन मेथे" तथा "क्रेडिट" ये विदेशी मार्का थे ।

उत्तर प्रदेश में ग्रामीण आवास योजना

8425. श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में ऐसे देहातों की संख्या कितनी है जहां पर ग्रामीण आवास योजना चालू की गई है ;

(ख) राज्य में इस योजना की कार्यान्विति में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ग) उस पर कितनी लागत आयेगी और गत तीन वर्षों में इस उद्देश्य के लिये कितनी सहायता ऋण तथा अनुदानों के रूप में दी गई हैं ?

स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन तथा निर्माण, आवास और नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब०सू० मूर्ति) : (क), (ख) और (ग). उत्तर प्रदेश सरकार ने जिसने कि 248 गांवों में ग्रामीण आवास परियोजना स्कीम आरम्भ की थी, उसको 1965-66 से क्रियान्वित करना बन्द कर दिया है । तथापि, जिन मकानों के लिए ऋण स्वीकृत किया जा चुका है उनका निर्माण चालू रहा । उनसे प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, योजना के आरम्भ होने से अब तक, 2,857 मकान बनाए गये जिनके लिए राज्य सरकार के द्वारा लगभग 58 लाख रुपये की ऋण सहायता की राशि निकाली गयी । 1966-67 के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने 1.11 लाख रुपये की राशि की केन्द्रीय सहायता ली । इसके बाद के दो वर्षों में उन्होंने इस योजना के अन्तर्गत कोई राशि नहीं ली ।

पैट्रो रसायन निगम की स्थापना

8426. श्री रा० की० अमीन : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया गया है कि पैट्रो-रसायन निगम की स्थापना की जाये ;

(ख) यदि हां, तो इसकी स्थापना कब होगी और क्या गुजरात सरकार को इसमें उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा और कुल पूंजी में उसके अंशो की समुचित भाग होगा ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री द०रा० चव्हाण) :

(क), (ख) और (ग). 30 करोड़ रुपये की अधिकृत पूंजी से, भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व में दी इंडियन पैट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लि० नामक उपक्रम 22 मार्च, 1969 को गुजरात राज्य में पंजीकृत किया गया है। निदेशकों के बोर्ड के गठन को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। गुजरात राज्य के उपयुक्त संख्या में प्रतिनिधि शामिल किये जाने की प्रश्न पर विचार हो रहा है। केन्द्रीय सरकार की ऐसी अन्य परियोजनाओं की तरह, इस में गुजरात सरकार द्वारा कोई ईक्विटी साझेदारी निहित नहीं है।

पालीथाइलीन और पोली ब्टाडीन रबड़ के उत्पादन की परियोजनाएं

8427. श्री रा० की अमीन : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात पेट्रो-रसायनिक उद्योग समूह के माध्यमिक दबाव वाले पोलीथाइलीन और पोली-बुटाडीन रबड़ के उत्पादन की परियोजनाओं को तकनीकी विकास महानिदेशक द्वारा अभी मंजूरी नहीं दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं की मंजूरी देने में सरकार और कितना समय लेगी ; और

(ग) इस सम्बन्ध में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री द०रा०चव्हाण) : (क), (ख) और (ग). तकनीकी विकास के महा निदेशालय परियोजनाओं की मंजूरी नहीं देता है। वे तकनीकी दृष्टि कोण से सम्बद्ध प्रशासनिक मंत्रालय को केवल अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने माध्यमिक दाबव वाले पोलीथाइलीन के बारे में, जो गुजरात में नेफथा भंजक उद्योग-समूह के डाउन स्ट्रीम यूनिटों का हिस्सा है, अपने विचार दिये हैं। उद्योग-समूह के समन्वयकृत विकास के लिए समस्त विचारों पर पूर्णतया विचार करते हुए सारे डाउनस्ट्रीम

प्रस्तावों का तुलनात्मक मूल्यांकन पूरा किया गया है और विभिन्न यूनिटों पर निर्णय शीघ्र किया जायेगा।

कच्चे तेल पर स्वामित्व की पुनरीक्षित दरें लागू करना

8428. श्री रा० की० अमीन : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात सरकार ने केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है कि कच्चे तेल पर स्वामित्व की पुनरीक्षित दरें 1 जनवरी, 1968 की बजाय 1 नवम्बर, 1966 से लागू की जायें ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री द०रा०चह्वाण): (क) जी हां।

(ख) जिस तारीख से स्वामित्व की पुनरीक्षित दरें लागू की जानी हैं ; उस तारीख के निर्धारण में प्रधान मन्त्री ने सारे सम्बद्ध तथ्यों पर विचार किया और पंचाट को अन्तिम तथा दोनों पार्टियों पर लागू समझना चाहिये।

Allocation of Funds for Rajasthan Canal Project.

+8429 **Shri Meetha Lal Meena :** Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state :

(a) the percentage of total amount allocated for the Rajasthan Canal Project by the Centre as well as the State Government which is spent on actual digging work etc. and the percentage of expenditure being incurred on administration, pay of staff, travelling allowance and transport ;

(b) whether there is a wide gap between the two ; and

(c) If so, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) Out of the total expenditure on the Rajasthan Canal Project during the last 10 years, on an average about 85% have been spent on actual digging work etc. and about 15% on administration, pay of staff T. A. etc.

(b) & (c). Although the percentage is somewhat on the high side, it is not unreasonable, taking into view the difficult working conditions and scattered nature of the work.

फरीदाबाद में सरकरी फ्लैटों के साथ संलग्न खुले स्थान का किराया

8430. श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : **श्री निहाल सिंह :**
श्री ओंकार लाल बेरवा : **श्री गुणानन्द ठाकुर :**

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फरीदाबाद में कुछ सरकारी फ्लैटों के साथ संलग्न लान के लिए खुले स्थान का कोई किराया लिया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली तथा नई दिल्ली में इसी प्रकार के फ्लैटों के सम्बन्ध में भी ऐसा किराया वसूल किया जाता है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या फरीदाबाद में इस प्रकार के फ्लैटों के अलाटियों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ङ) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन तथा निर्माण, आवास और नगर-विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी, हां ।

(ख) दिल्ली में इसी प्रकार के फ्लैटों से संलग्न लान और बग़ीचों का अनुरक्षण केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा नहीं किया जाता, और इसी कारण किसी प्रभारों की वसूली का प्रश्न ही नहीं उठता।

नई दिल्ली में उसी प्रकार के फ्लैटों या निवास स्थानों से संलग्न बाग़ीचों या लान के बारे में कोई प्रभार वसूल नहीं किए जाते ।

(ग) मूल नियम तथा अनुपूरक नियमों के अनुसार लान का किराया उन सरकारी कर्मचारियों से वसूल किया जा सकता है, जिन्हें सरकारी निवास स्थान आवंटित हैं । परन्तु नई दिल्ली के बारे में दी गई छूट, नई दिल्ली में रिहायशी निवास स्थानों के निर्माण के समय से ही जारी है, क्योंकि नई दिल्ली की योजना एक उद्यान-नगर के रूप में बनाई गई थी जहां अधिकतर निवास स्थानों के साथ खुले मैदान एवं बाग़ीचे संलग्न किये गये थे और सरकारी कर्मचारियों को जिन्हें ऐसे निवास स्थान आवंटित किये गये, उन्हें ऐसे खुले मैदानों और बाग़ीचों के किराए के भार से लादना औचित्यपूर्ण नहीं समझा गया, जिन की व्यवस्था सरकार द्वारा नई दिल्ली की उद्यान-नगर के रूप में आयोजना करने के कारण की गई थी।

(घ) तथा (ङ). जी, हां । एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था और अस्वीकार कर दिया गया ।

दिल्ली विकास प्राधिकार की नारायणा
रिहायशी योजना के जी० ब्लाक में प्लाट

8431. श्री रामचन्द्र वीरप्पा : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकार की नारायणा रिहायशी योजना में जी० ब्लाक में प्लाट संख्या 177 से 179 तक पूर्ण रूप से विकसित प्लाटों के रूप में 30 जनवरी, 1966 को नीलाम किये गये थे ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन प्लाटों के सामने की सड़क को अभी तक डामर की सड़क नहीं बनाया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और डामर की सड़क बनाने में कितना समय लगेगा ?

स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन तथा निर्माण, आवास और नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) प्लाट संख्या जी/177 16 जनवरी, 1966 को नीलाम हुआ, और प्लाट नं० जी/178 और जी/179 केवल अर्ध-विकासित प्लाटों के रूप में 30 जनवरी, 1966 को नीलाम किए गए।

(ख) और (ग). जी, हां, इन प्लाटों के निकट सड़क का एक भाग, रेलवे/सड़क के पुल के निर्माण होने के कारण पक्का नहीं किया गया जो अभी चालू है और जिसके एक और वर्ष या इसके लगभग समय में पूरा होने की संभावना है।

उच्च स्तरीय सिंचाई आयोग की स्थापना

8432. डा० रानेन सेन : क्या सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में स्थापित उच्च स्तरीय सिंचाई आयोग में पूर्वी क्षेत्र का कोई भी सदस्य सम्मिलित नहीं किया गया ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार ने हाल ही में कई परियोजनाओं में धन लगाने के लिये विश्व बैंक से अनुरोध किया है परन्तु उस सूची में पश्चिम बंगाल की एक भी परियोजना को सम्मिलित नहीं किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) इस प्रकार के उच्च अधिकार प्राप्त आयोगों के लिए नियुक्तियां किसी क्षेत्रीय आधार पर नहीं की जाती। बहर-हाल सिंचाई आयोग का उपाध्यक्ष एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पूर्वी क्षेत्र के हैं।

(ख) और (ग). विश्व बैंक अन्तर्राष्ट्रीय विकास संख्या ने चौथी योजना के कृषि और सिंचाई कार्यक्रमों के लिये धन देने में कुछ रूचि दिखाई है। इस के लिये उन कुछ एक बृहत् परियोजनाओं के बारे में विश्व बैंक के प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श हो रहा है जो निर्माण की प्रारम्भिक अवस्था में हैं या जिन को निकट भविष्य में आरंभ करने की संभावना है।

पश्चिम बंगाल में केवल बृहत् परियोजनाएं हैं जिन के नाम ये हैं - मयूराक्षी, दामोदर घाटी परियोजना सिंचाई नहरें और कंसबती मयूराक्षी और दामोदर की नहरें काफी हद तक

पूरी हो गई हैं। कंसबती पर आधे से ज्यादा काम पूरा हो गया है। क्योंकि विश्व बैंक ने केवल ऐसी परियोजनाओं के लिये धन देना पसंद किया है जो निर्माण की प्रारंभिक अवस्था में हैं या जिन को निकट भविष्य में आरंभ करने की संभावना है, इसलिये तीनों परियोजनाएं इस सूची में शामिल नहीं हो सकी हैं।

बिड़ला उद्योग समूह में वित्त मंत्री के अंश (शेयर)

8433. श्री वि० नरसिम्हा राव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिड़ला उद्योग समूह की दो कम्पनियों में उनके काफी अंश हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन कम्पनियों के नाम क्या हैं और इनमें से प्रत्येक में उनके कितने मूल्य के तथा कुल कितने अंश हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). उप-प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री के पास "बिड़ला उद्योग समूह" की किसी भी कम्पनी के शेयर नहीं हैं ; बल्कि उनके पास किसी भी औद्योगिक कम्पनी के शेयर नहीं है।

औद्योगिक समवायों में बैंकों के अंश :

8434. श्री शिवचन्द्र झा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि औद्योगिक समवायों में बैंकों ने अंश ले रखे हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन बैंकों तथा औद्योगिक समवायों के नाम क्या हैं, और उन बैंकों के उद्योग-बार कुल कितनी राशि के तथा कितने अंश हैं; और

(ग) क्या भारतीय समवायों में किसी विदेशी बैंक के भी अंश हैं और यदि हां, तो उसका नाम क्या है तथा उसके पास कुल कितनी राशि के तथा कितने अंश है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 19 में निर्धारित कुछ सामान्य प्रतिबन्धों के अलावा किसी कम्पनी के शेयर रखने के सम्बन्ध में बैंकों पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। उपर्युक्त अधिनियम की उप-धारा 19 (2) और 19 (3) के अनुसार, किसी बैंक को गिरवीदार, रहनदार या पूरे तौर पर मालिक की हैसियत से, किसी कम्पनी की चुकता शेयर पूंजी के तीस प्रतिशत तक की रकम के या अपनी (बैंक की) चुकता शेयर पूंजी और प्रारक्षित निधियों के तीस प्रतिशत तक की रकम के, इनमें से जो भी कम हो, शेयर रखने की अनुमति है। फिर भी बैंकों को किसी ऐसी कम्पनी के शेयर रखने की अनुमति नहीं है जिसके प्रबन्ध से उस बैंक के किसी प्रबन्ध निदेशक या प्रबन्धक का सम्बन्ध हो या उसका कोई स्वार्थ हो।

(ख) और (ग). 31 मार्च, 1968 को वाणिज्यिक बैंकों के पास परिवहन और बागान कम्पनियों सहित औद्योगिक कम्पनियों के, बाजार मूल्य के अनुसार, 9.5 करोड़ रुपये के

शेयर थे। उस तारीख को भारत की औद्योगिक कम्पनियों में विदेशी बैंकों द्वारा लगायी गयी पूंजी की रकम 69 लाख रुपया थी। रिजर्व बैंक इस सम्बन्ध में अलग अलग बैंकों के नाम नहीं बताता। बैंकों के पास के शेयरों की संख्या और कम्पनियों के उद्योग-वार वर्गीकरण के सम्बन्ध में ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

बी० आर० ग्रुप तथा कानपुर के श्री राम रतन गुप्त की ओर आयकर की बकाया राशि

8435. **श्री शशि भूषण** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बी० आर० ग्रुप तथा इस ग्रुप पर नियंत्रण रखने वाले कानपुर के श्री राम रतन गुप्त की आय-कर की बकाया राशि कितनी है ;

(ख) बकाया राशि वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है और उसके क्या परिमाण निकले हैं ; और

(ग) उनके विरुद्ध मुकदमें न चलाये जाने के क्या कारण हैं ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) कानपुर के बी० आर० समूह और श्री राम रतन गुप्ता पर बकाया की रकमें, क्रमशः 2, 13, 60, 000 रुपये और 2, 68, 000 रुपये हैं।

(ख) विभाग को जिन अचल सम्पत्तियों, कम्पनियों के शेयरों और भागीदारी फर्मों में शेयरों का पता है, वे कुर्क कर लिये गए हैं। सम्पत्तियों से मिलने वाला किराया कुर्की द्वारा वसूल किया जा रहा है।

(ग) बकाया कर की अदायगी न करने पर मुकदमा चलाने की व्यवस्था आय-कर अधिनियम में नहीं है।

Minor Hydro Electric Schemes in Bihar

+8436. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state :

(a) whether Government are aware that minor hydro-electric schemes are more useful for ensuring more effective and rapid supply of electricity in Bihar ;

(b) if so, whether Government have formulated any scheme to utilise the waters of fast flowing and perenial rivers for this purpose ; and

(c) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) to (c). Potentialities for the development of minor hydro-electric schemes in Bihar are scarce. Preliminary investigations carried out at certain sites in Bihar have revealed that the capital costs and the operating expenses involved in these schemes are comparatively high. Besides, minor hydro-electric schemes in Bihar would have limited value in view of the proximity of rich coal bearing areas affording possibillity of power generation at economic rates by large mine-head thermal power stations.

Pay Scales of Employees in Beas Project

+8437. **Shri Ram Singh Ayarwal :** Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state :

(a) wtherer it is a fact that the employees working in the Beas Project have not been given the revised scales of pay of the Punjab State so far ;

(b) if so the reasons therefor ;

(c) whether it is also a fact that the question of allocation of the employees in the Beas Project has not been settled so far and if so, the reasons therefor ; and

(d) whether it is further a fact that there is great discontentment among the employees on this account and if so, the steps taken by the Central Government in settling the question ?

Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddeshhwar Prasad): (a) & (b). The staff working on the Beas Project is on deputation both from Punjab and Haryana and only the employees allocated to Punjab are entitled to revised pay scales announced by the Punjab Government. The Punjab Government notified revised pay scales but those of Haryana Government were expected to be announced at any time. The matter was kept pending so that simultaneous order regarding revision of pay scales could be issued in order to avoid discrimination.

(c) & (d). The staff working on the Beas Project has been allocated to the three States of Punjab, Haryana and Himachal Pradesh except the circle cadre staff. The Central Government has already initiated action under section 82 (4) of the Punjab Re-organisation Act and the Committee has been requested to expedite their recommendations..

Allocation of Funds for Power Requirements in Bihar

+8438. **Shri K. M. Madhukar :** Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state :

(a) whether Government are aware of a statement made by Shri V. N. Ojha, Chief Engineer of Bihar Electricity Board, and published in the morning edition of Searchlight, a Patna English daily of the 12th April, 1969, that Bihar needs 300 crores of rupees during the Fourth Five Year Plan for fulfilling the power requirements of the State and for meeting the demands ;

(b) if so, the steps proposed to be taken by Government in this regard with details ;

(c) whether Government propose to meet the demands of the State in full ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) to (d). It seems that the Chief Engineer, Bihar State Electricity Board has expressed some personal views about the requirements of funds for power development in Bihar. However, the Government of Bihar proposed an outlay of Rs. 153.55 crores for power development under the Fourth Five Year Plan and the Planning Commission after taking into consideration the availability of funds have approved an outlay of Rs. 119.60 crores.

Disruption of Electricity Supply in Bihar

+8439. **Sari K. M. Madhukar :** Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state :

(a) whether Governmeet are aware that the supply of electricity is disrupted every now and then in Bihar resulting in great loss to the farmers, industrialists and public in general ;

(b) if so, the number of times supply of electricity was disrupted in Bihar during the last three months ;

(c) the steps taken by the Government to prevent such disruptions in the supply of electricity in Bihar ; and

(d) if no such steps have been taken, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) Yes, Sir.

(b) The number of interuptions of duration of over two minutes in the supply of electricity in Bihar during January March 1969 is as follows :

(i) 56 times from Barauni Power Station.

(ii) 6 times from Pathratu Power Station.

(iii) 59 times from Damodar Valley Corporation source.

(c) & (d) : With a view to prevent disruptions in the Power supply in Bihar, the commissioning of the first 50 MW unit at Barauni thermal station and the inter-connection between the grid systems in the North & South Bihar are being expedited. These works are expected to be completed by June 1969.

Centre New Dams Constructed Since 1947

+8440 **Shri Jageshwar Yadav :** Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state :

(a) the number of new dams constructed at the Central level in the country since 1947 till-date to increase the irrigation capacity of the country ;

(b) the irrigstion capacity of the said dams separately ; and

(c) the extent to which the electricity production capacity has increased as a result of these dams ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) to (c). Almost all the dams built in the country since 1947, have been assisted by the Central Government either directly or indirectly through miscellaneous development loans etc. Details of major and medium irrigation projects and power projects taken up during the last three plans are contained in the publication "India Irrigation and Power Projects (Five Year Plans)" copies of which are available in the Parliamant Library.

Since 1947, an additional irrigation potential of about 24 million acres has been created from major and medium irrigation projects. The installed capacity of Hydel Power has increased from 0.5 million KW in 1947 to 6.03 million KW in 1968-69

पश्चिमी बंगाल में प्रति व्यक्ति योजना व्यय

8441. श्री देवेन सेन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में और 1966-67 और 1967-68 की वार्षिक योजनाओं में पश्चिमी बंगाल में योजना व्यय प्रति व्यक्ति क्या था ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : तीसरी पंचवर्षीय आयोजना की अवधि में पश्चिम बंगाल में आयोजना-व्यय प्रतिव्यक्ति 82 रुपया था। 1966-67 और 1967-68 में आयोजना-व्यय प्रतिव्यक्ति क्रमश: 16 रुपया और 14 रुपया था।

अर्जेन्टाइना का गेहूं खरीदने तथा कुएं लगाने के लिए भारत को स्विटजरलैंड द्वारा उपहार

8442. श्री रा० बरुआ :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री चेंगलराया नायडू :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्विटजरलैंड ने भारत को 45 लाख रुपये का उपहार देने की घोषणा की है ताकि भारत अर्जेन्टाइना का गेहूँ खरीद सके तथा पंजाब में कुओं की व्यवस्था कर सके ;

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी मात्रा में गेहूँ खरीदा जायेगा ; और

(ग) पंजाब में कुओं की व्यवस्था करने पर कितना धन व्यय किया जायेगा ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग). स्विटजरलैंड ने, अन्तर्राष्ट्रीय अन्न व्यवस्था के अन्तर्गत खाद्य सहायता संबंधी समझौते के अनुसार, भारत को अर्जेण्टाइना का 10,000 मीट्रिक टन गेहूँ की पेशकश की है। किसी करार पर अभी हस्ताक्षर नहीं किये गये हैं क्योंकि ब्यौरा, जिसमें प्रतिरूप रुपया निधि की रकमों के (जो लगभग 45 लाख रुपया होंगी) बंटवारे का सवाल भी शामिल है, अभी तैयार किया जा रहा है।

Requirements of Drinking Water in Rural Areas of Maharashtra

8443 Shri Deorao Patil : Will the Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development be pleased to state :

(a) whether the Investigation Division set up by the Government with a view to find out the requirements of drinking water in the rural areas of Maharashtra has submitted its report ; and

(b) if so, the details of the recommendations made by it and the action taken thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) (a): A preliminary report has been submitted by the Investigation Division set up by the Government.

(b) The salient features of the report are given below:—

1. Out of 35,851 villages in Maharashtra having a total population of 28.39 millions 4594 villages have been categorised as villages located in the difficult and scarcity areas of the State. The population living in these villages is about 4.91 millions which works out to about 17% of the total rural population.

2. The cost of providing piped water supply to all the 4594 villages, based on a rough assessment, is estimated at Rs. 58.97 crores. Subsequently, the State Government was requested to reclassify the data to furnish information in the following categories.

(i) Villages where drinking water is not available within 50' depth or within a distance of one mile.

(ii) Villages exposed to Cholera, Guinea Worm infestation and other problems.

3. In respect of category (i), the State Government have included the original figure of 4594 villages and Rs. 58.97 crores towards the cost of providing piped water supply. Under category (ii) it has been stated that there are 639 villages in the State which are exposed to endemic Cholera and that the cost of providing water supply facilities would be about Rs. 21.52 crores.

4. The Schemes will be implemented by the State Government subject to availability of funds.

डाक्टरों को अतिरिक्त भत्ते देना

8444. श्री जी० वाई० कृष्णन् : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास और नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी अस्पतालों के डाक्टरों की तुलना में एन० आई० एस० तथा केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के डाक्टरों को कौन-कौन से अतिरिक्त भत्ते दिये जा रहे हैं ; और

(ख) क्या सरकार को पता है कि इस प्रकार की प्रथा से इस व्यवस्था में कदाचार में वृद्धि हुई है जिससे रोगियों को हानि हो रही है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, भ्रावास भ्रौर नगर विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब. सु. मूर्ति) : (क) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के डाक्टर एन. आई. एस. में नहीं वरन् कर्मचारी राज्य बीमा निगम और केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना में कार्य कर रहे हैं। कर्मचारी राज्य बीमा निगम तथा केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के डाक्टरों को दिये जा रहे अतिरिक्त भत्ते इस प्रकार हैं:—

कर्मचारी राज्य बीमा निगम : दिल्ली के विभिन्न ई. एस. आई. औषधालयों में बीमा चिकित्सा अधिकारियों ग्रेड—I कनिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों (बीमा) को 100 रुपये का ई. एस. आई. भत्ता दिया जा रहा है।

केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना : घर पर जाकर रोगियों का उपचार करने तथा अन्य सरकारी कार्यों के लिए सवारी भत्ता इस प्रकार दिया जाता है:—

(1) जिनके पास अपनी मोटरकार हैं उन्हें 120 रुपये प्रतिमास

(2) जिनके पास अपनी मोटर साइकिल/स्कूटर हैं उन्हें 40 रुपये प्रतिमास

(3) जिनके पास अपनी मोटर, कार या मोटर साइकिल/स्कूटर नहीं है उन्हें 20 रुपये प्रतिमास

(ख) कोई ऐसा मामला अभी तक ध्यान में नहीं लाया गया है जिससे उक्त भत्तों के दिये जाने पर कदाचार को बढ़ावा मिला हो तथा रोगियों को हानि हुई हो।

सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा विदेशी पर्यटकों को अनुज्ञा

8445. श्री बृजराज सिंह : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सीमा शुल्क अधिकारी विदेशी पर्यटकों को अनावश्यक रूप से परेशान करते हैं, विशेष रूप से उस समय जबकि वे अपने हथियार और कारतूस लेकर भारत में शिकार खेलने के लिये आते हैं ; और

(ख) लाल फीताशाही तथा विलम्ब को कम से कम करने तथा ऐसे पर्यटकों को शीघ्र अनुज्ञा दिलाने के लिये क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं। इसके विपरीत, सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा विदेशी पर्यटकों को जल्दी जांच करके जाने दिया जाता है।

(ख) स्वास्थ्य, सीमा शुल्क और आप्रवास विनियमों और कार्यविधियों की वर्तमान प्रणाली एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों पर आधारित है जिसके अध्यक्ष अर्थ विभाग के तत्कालीन सचिव श्री एल० के० झा थे तथा सदस्य थे पर्यटन महानिदेशक गृह मंत्रालय और तत्कालीन केन्द्रीय राजस्व बोर्ड के प्रतिनिधि तथा इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के महाप्रबंधक। यह देखने के लिए कि लालफीताशाही तो नहीं चलती हो या देरी तो नहीं लगती है, सम्बन्धित प्राधिकारी कार्यविधियों की सतत समीक्षा करते रहते हैं।

एशियाई विकास बैंक

8446. श्री बृज राज सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एशियाई विकास बैंक से निर्यात ऋण पुनर्वित सुविधाओं की व्यवस्था करने का अनुरोध किया है जिस से विकासशील देश निर्मित वस्तुओं के निर्यात के मामले में विकसित देशों का मुकाबला कर सकें ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में बैंक की क्या प्रतिक्रिया है ।

उप-प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) हाल में सिडनी में हुई, एशियाई विकास बैंक के गवर्नरों के बोर्ड की दूसरी वार्षिक बैठक में मैंने जो वक्तव्य दिया था उसमें मैंने यह सुझाव दिया था कि एशियाई विकास बैंक को निर्यात ऋण सम्बन्धी पुनर्वित्त की उपयुक्त सुविधाएं प्रस्तुत करने के बारे में विचार करना चाहिए । वास्तव में मैंने यह अनुरोध किया था कि एक विकासशील देश से दूसरे विकासशील देश में पूंजीगत माल भेजने के लिए ऋण सम्बन्धी सुविधाएं देने के पूरे प्रश्न के सभी पहलुओं पर बैंक को विचार करना चाहिए ।

(ख) इस सुझाव के सम्बन्ध में बैंक की प्रतिक्रिया का पता तभी चलेगा जब बैंक यथा समय उसका अध्ययन कर ले ।

'ओपरेशन हार्ड रॉक'

8447. श्री बृजराज सिंह : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेगे कि :

(क) क्या हाल ही में विमान द्वारा किये गये 'आपरेशन हार्ड रॉक' नामक सर्वेक्षण में राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र भी शामिल थे ;

(ख) यदि हां, तो उसके मुख्य परिणाम क्या थे ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी, आपरेशन हार्डराक के अन्तर्गत अभी हाल ही में किये गये हवाई भूभौतिक सर्वेक्षण में पूर्वी राजस्थान के भाग शामिल थे ।

(ख) हवाई भूभौतिक सर्वेक्षणों से कई विद्युत चम्बकीय असंगतियां प्रकट हुई हैं । इनमें से कुछ असंगतियों की अनुसरण एक एकीकृत भूरासायनिक, भूभौतिक तथा भूवैज्ञानिक भूमि-अनुपरीक्षण द्वारा लिया जा रहा है । इन विस्तृत भूमि अध्ययन के आधार पर झुनझुनू जिले में अजित सागर के निकट एक असंगत अन्त: खण्ड व्यधन के द्वारा जांच के लिये चुना गया था, जो कार्य अब प्रगति पर है । प्रथम व्यधन छिद्र से अल्पमात्रा के तांबा पाइराइट के साथ

सल्फाइड खनिजायान की विद्यमानता प्रकट हुई है तथा दूसरे व्यधन छिद्र का किया जाना प्रगति पर है। ऐसी संभावना है कि इस क्षेत्र में कुछ और व्यधन छिद्रों से इस बात का निर्धारण करने में सहायता मिलेगी कि क्षेत्र तांबा खनिजायन का प्रदेश आशाजनक है कि नहीं। अजित सागर के उत्तर में असंगत अन्तः खण्डों में वे अन्य लक्ष्य स्थल भी नियत कर लिये गये हैं, जहां पर जल्द ही व्यधन कार्य प्रारम्भ किये जाने हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

चलचित्र उद्योग के लोगों को विदेशी मुद्रा की मंजूरी

8448. श्री जुगल मण्डल :
श्री काशी नाथ पाण्डेय :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चलचित्र उद्योग के निम्नलिखित व्यक्तियों में से प्रत्येक को विदेशों में जाने के लिये मार्च 1969 तक गत तीन वर्षों में कितनी विदेशी मुद्रा मंजूर की गई :

(एक) श्री राज कपूर, (दो) श्री राजेन्द्र कुमार, (तीन) श्री रामानन्द सागर, (चार) श्री बी० आर० चोपड़ा, (पांच) कुमारी वहीदा रहमान, (छः) श्रीमती माला सिन्हा, (सात) श्रीमती वैजयन्ती माला, (आठ) श्रीमती पद्मिनी, (नौ) कुमारी लता मगेश्कर, (दस) श्री मुहम्मद रफी और (ग्यारह) श्री देवानन्द ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : आवश्यक सूचना इकट्ठी की जा रही है और उपलब्ध सूचना का विवरण सभा की मेज पर रख दिया जायगा।

पेट्रोलियम शोधन कारखानों के योगदान के बारे में विचार गोष्ठी

8449. श्री क० प्र० सिंह देव : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और प्रौद्योगिकीय प्रगति में पेट्रोलियम शोधन कारखानों के योगदान के बारे में हाल में बम्बई में एक विचार गोष्ठी हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो इस विचार-गोष्ठी में किन मुख्य विषयों पर चर्चा की गई थी ; और

(ग) क्या सरकार पेट्रोलियम शोधन कारखानों में प्रौद्योगिक प्रगति और राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के हित में इन संकल्पों/सिफारिशों पर विचार करेगी ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री द० रा० चव्हाण) : (क) जी हां।

(ख) सेमिनार अनिवार्य रूप से शोधन कारखानों के कर्मचारियों की एक बैठक थी।

(ग) कोई संकल्प या सिफारिश नहीं की गई।

सिंचाई आयोग

8450. श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :

क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक सिंचाई आयोग की स्थापना की है ;

(ख) यदि हां , तो आयोग के निदेश पद क्या हैं ;

(ग) आयोग अपना प्रतिवेदन सरकार को कितने समय में प्रस्तुत कर देगा ;

(घ) उस पर कितनी धन-राशि खर्च होने की सम्भावना है ;

(ङ) क्या योजना आयोग द्वारा सिंचाई, खेती और पानी के संसाधनों, उनका मूल्यांकन, उपयोग और संरक्षण के सम्बन्ध में तालिकायें बनायी गयी हैं जो इनका अध्ययन कर रही हैं ;

(च) यदि हां तो क्या आयोग द्वारा अध्ययन की जाने वाली समस्याओं को उन तालिकाओं का क्षेत्र विस्तृत कर के उन्हें नहीं सौंपा जा सकता था ; और

(छ) यदि हां, तो पृथक आयोग स्थापित करने के क्या कारण हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां

(ख) विचारार्थ विषयों की एक प्रति संलग्न है ।

(ग) दो वर्ष ।

(घ) लगभग 7. 5 लाख रुपये ।

(ङ) से (छ). सिंचित फार्मों और जल संसाधनों से सम्बन्धित पेनल वैज्ञानिक दल है जो योजना आयोग ने सिंचित फार्मों के दीर्घकालीन आयोजन के लिए वैज्ञानिक आंकड़े प्राप्त करने के लिए अपेक्षित अनुसंधान, अनुसंधान समन्वय और अनुसंधान कार्यक्रमों के संबंध में और तलवर्ती तथा भूगत जल संसाधनों के अनुमानन, उपयोग और संरक्षण के संबंध में सलाह देने के उद्देश्य से स्थापित किए हैं । दूसरी ओर सिंचाई आयोग से 1903 से देश में हुए सिंचाई विकास का सम्पूर्ण पुनरवलोकन और विचारार्थ विषयों में उल्लिखित नीति संबंधी विभिन्न मामलों के संबंध में सलाह देना अपेक्षित है जिन में विशेषकर ये सम्मिलित हैं :- सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए भावी कार्यक्रम, चिर सूखाग्रस्त और अनाज की कमी वाले क्षेत्रों के लिये अनिवार्य कार्यक्रम; सिंचाई कार्यक्रम के लिए अपेक्षित धनराशि ; परियोजनाओं को स्वीकार करने के सिद्धान्त और सभी प्रकार के सिंचाई कार्यों से सम्बन्धित प्रशासनिक और संगठनात्मक पक्ष ।

योजना आयोग के पेनल आंश-कालिक अध्ययन दलों के रूप में हैं न कि सिंचाई आयोग के समान ; जिस का कार्यालय अपना होगा । आयोग के विचारार्थ विषय अधिक व्यापक हैं और आयोग निःसन्देह पेनलों के कार्य का लाभ उठाएगा ।

विवरण

सिंचाई आयोग के विचारार्थ विषय

(1) भारत में 1963 से जब पिछले सिंचाई आयोग ने अपनी सिफारिशें पेश की थीं, लेकर अब तक सिंचाई के विकास का पुनरवलोकन करना और भूमि की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए और वृष्टि की अनियमितताओं के प्रति सुरक्षा प्रदान करने के लिए सिंचाई के अंशदान पर रिपोर्ट देना।

(2) उन क्षेत्रों में उपलब्ध सिंचाई सुविधाओं की विस्तारपूर्वक जांच करना, जो हमेशा सूखाग्रस्त रहते हैं और जहां खाद्यान्न की कमी रहती है, और यह सुझाना कि वहां पर कौन से अत्यावश्यक तथा न्यूनतम सिंचाई कार्यों को तुरन्त ही हाथ में लिया जाए।

(3) अनाज में आत्मनिर्भरता लाने के लिए और अन्य फसलों की उपज को अधिकतम करने के लिए सभी किस्मों की सिंचाई के विकास की मोटी रूप-रेखा तैयार करना तथा इस उद्देश्य के लिए अपेक्षित धन का मोटा अनुमान लगाना।

(4) वृहत् सिंचाई परियोजनाओं में पानी की सप्लाई की पर्याप्तता की जांच करना।

(5) परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने और उनकी तैयारी की अवधि को कम करने के विशेष उद्देश्य से सिंचाई कार्यों के आयोजन, कार्यान्वियन और प्रचालन के लिए प्रशासनिक तथा संगठनात्मक प्रणाली की जांच करना।

(6) सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकार करने के लिए मानदण्ड सुझाना।

(7) देश में सिंचाई के विकास से सम्बन्धित अथवा किसी अन्य प्रासंगिक विषय पर विचार करना और उपयुक्त सुझाव देना।

नेशनल फेडरेशन आफ इण्डिया रेलवेमैन का बाहरवां वार्षिक सम्मेलन

8451. श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री हिम्मतसिंहका :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान वाल्टेयर में हुए नेशनल फेडरेशन आफ रेलवेमैन के बाहरवें सम्मेलन में की गई इस मांग की ओर दिलाया गया है कि मंहगाई भत्ता देने के वर्तमान फार्मूले के स्थान पर तीसरा वेतन आयोग स्थापित करके जीवन निर्वाह की लागत के साथ मंहगाई भत्ता जोड़ने की एक योजना चालू की जाये, और संयुक्त सलाहकार व्यवस्था के ढांचे में कुछ परिवर्तन किये जायें ;

(ख) यदि हां, तो उस फेडरेशन द्वारा इसके समर्थन में क्या दलीलें दी गई थीं और उनके द्वारा अन्य क्या मांगें की गई थीं ; और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति रेलमंत्रालय से प्राप्त हो चुकी है:—

(i) वाल्टेयर में 12-13 अप्रेल, 1969 को हुई नेशनल फैडरेशन आफ इण्डियन रेलवेमैन की साधारण सभा की वार्षिक बैठक में स्वीकृत संकल्प ;

(ii) नेशनल फैडरेशन आफ इण्डियन रेलवेमैन के अध्यक्ष का भाषण ;

(iii) नेशनल फैडरेशन आफ इण्डियन रेलवेमैन के 12वें वार्षिक सम्मेलन की रिपोर्ट साधारण सभा ने अपने संकल्पों में अन्य बातों के साथ साथ एक वेतन आयोग की स्थापना की मांग की है ; साथ ही यह भी कहा है कि यदि यह आयोग एक मात्र रेलवे कर्मचारियों के लिए ही हो तो अधिक उत्तम होगा और इसके निर्देश पद नेशनल फैडरेशन आफ इण्डियन रेलवेमैन की सलाह से तय किए जाएं। उन्होंने संयुक्त परामर्शदाता तन्त्र में रेलवे के लिए एक अलग फोरम की भी मांग की है ।

वेतन आयोग की स्थापना की मांग मुख्य रूप से इस आधार पर की गई है कि कर्मचारियों का वेतन ढांचा पिछले 10 वर्षों से ज्यों का त्यों बना हुआ है। यह दावा किया गया है कि वेतन ढांचे से सम्बन्धित अन्य अनेक समस्याओं के अलावा, जिनके हल को और अधिक समय तक स्थगित नहीं रखा जा सकता है, कीमतों में वृद्धि की अपर्याप्त प्रतिपूर्ति कर्मचारियों के वास्तविक उपार्जनों को भी खा गई है ।

रेलवे के लिए एक अलग फोरम का सुझाव इस आधार पर दिया गया है कि प्रशासनिक सेवाओं और साथ ही औद्योगिक सेवाओं, दोनों की एक ही राष्ट्रीय परिषद बनाना न तो वाँछनीय है और न ही इष्टकर। एक उद्योग के रूप में भी रेलवे सरकारी सेवाओं की विभिन्न शाखाओं से अलग ही है क्योंकि इसकी कार्य-परिस्थितियां अन्य विभागों की कार्य-परिस्थितियों से पूर्णतया भिन्न हैं ।

(ग) जहां तक वेतन आयोग की स्थापना का सवाल है, सरकार का विचार है कि आयोग की नियुक्ति के लिये अभी उपयुक्त अवसर नहीं आया है। संयुक्त परामर्शदाता तंत्र में सुझाए गए परिवर्तनों के बारे में, सरकार कोई परिवर्तन करना आवश्यक नहीं समझती क्योंकि अन्य विभागों की तरह ही रेलवे में भी उनके कर्मचारियों की समस्याओं पर ध्यान देने के लिये एक विभागीय परिषद है । इसके अतिरिक्त रेलवे कर्मचारियों को अतिरिक्त सुविधा यह भी प्राप्त है कि वे एक स्थायी समझौता-वार्ता तंत्र को जारी रखे रह सकते हैं ।

बम्बई पत्तन न्यास के अध्यक्ष द्वारा सैर करने के काम में आने वाली तीव्रगामी नौका का आयात

8452. श्री जार्ज फरनेन्डीज : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई के सीमाशुल्क कलेक्टर बम्बई पत्तन न्यास के अध्यक्ष द्वारा रेशेदार कांच की बनी सैर के काम में आने वाली तीव्रगामी नौका का आयात किए जाने पर आपत्ति की है और उनके पुनः निर्यात करने का आदेश दिया है ;

(ख) तीव्रगामी नौका का आयात किन परिस्थितियों में तथा कितनी लागत पर किया गया था ;

(ग) क्या आयात विनियमों का उल्लंघन करने के कारण उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं।

(ख) फाइबर ग्लास की बनी एक तीव्रगामी नौका (स्पीड वोट) को एक अमरीकी अन्नवाही जहाज द्वारा, जहाज के उपकरण के भाग के रूप में लाया गया था। चूंकि इस नौका को बन्दरगाह में गश्त लगाने और निरीक्षण-कार्य के लिये, बम्बई पत्तन न्यास की आवश्यकताओं की पूर्ति के अनुरूप पाया गया, अतएव पत्तन न्यास के उपयोग के लिए अतिरिक्त मुख्य इन्जीनियर, पत्तन न्यास ने इसे 30,000 रुपये में खरीद लिया तथा सीमाशुल्क की अदायगी पर और आयात व्यापार नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा दिए गए सीमाशुल्क निकासी परमिट के पेश कर देने पर, उसे निकासी की अनुमति दे दी गई।

(ग) चूंकि सीमाशुल्क निकासी परमिट पेश किया गया था, अतः आयात विनियमों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए, यह सवाल ही नहीं उठता।

Income-Tax Arrears Due from Firms in Indore

Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the number of firms in Indoro District of Madhya Pradesh from which income-tax arrears are to be recovered ;

(b) the amount of income-tax arrears to be recovered at the present from persons, firms etc. in Indore ; and

(c) the steps proposed to be taken for the recovery thereof ?

The Deputy Prime Minister & Minister of Finance, (Shri Morarji Desai) : (a), (b) & (c). The requisite information is being collected and will be laid on the Table of the House as soon as possible.

Issue of Policies for New Life Insurance Proposals

Shri Chandra Shankar Singh : Will the Minister of Finance be pleased to state:

(a) the number of proposals in respect of which policies have not been prepared so far out of the new life insurance business transacted in Delhi and New Delhi by the end of the year concluded on the 31st March, 1969, and the reasons therefor ;

(b) the number of proposals still pending finalisation ;

(c) whether such proposals will be treated as finalised on the 31st March, 1969 or earlier so as to entitle the concerned policy-holders to bonus for 1668-69 ; and

(d) how long it will take to despatch all the policies in respect of proposals received by the 31st March, 1969 ?

The Deputy Prime Minister & Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) & (b). During the year 1968-69 nearly 44 thousand proposals were received in Delhi Divisional Office. Out of these and the proposals pending at the beginning of the year nearly 42 thousand resulted in to Policies. Nearly 450 policies are still to be despatched. The main reason for delay is the heavy year-end rush.

(c). No, Sir.

(d) The policies are being despatched.

Basant Competition organised by Life Insurance Corporation

Shri Chandra Shekhar Singh : Will the Minister of Finance be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No, 6317 on the 14th April, 1969, and state :

(a) whether it is a fact that the last date for Basant competition organised by the Life Insurance Corporation was 10th March, 1969 ;

(b) if so, the number of proposals submitted during this competition in respect of which policies have not so far been issued and the reasons therefor ;

(c) whether it is also a fact that inspite of repeated requests of Agents and Development Officers some branches (e. g. Unit No. 312) have not so far informed them about their position ;

(d) if so, the reasons therefor and, if not, the date on which such information was supplied to them and the manner thereof ; and

(e) the date by which final lists would be ready, Branch and Divisionwise regarding insurance business introduced and completed by agents and Development Officers for Basant and Last-lap competitions ?

The Deputy Prime Minister & Minister of Finance (Shri Morarji Desai) (a) Yes, Sir

(b) Out of 7475 proposals received during the period 7131 resulted into policies all of which have been despatched to the policyholders.

(c) & (d) The Agents/Development Officers were kept informed of quantum of business introduced by the Branches through their respective Assistant Branch Managers (Development)/Development Officers

(e) The results in respect of Basant competition would be finalised by the middle of May and that for the Last Lap competition by the end of May 1969.

भारतीय उर्वरक निगम के मजदूर संघ के कार्यकर्ताओं का निलम्बन

8456. श्री ज्योतिर्मय बसु : श्री पी० पी० एस्थोस :
श्री भगवान दास : श्री उमानाथ :

क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय उर्वरक निगम के सिंदरी कारखाने के मजदूर संघ के 12 कार्यकर्ताओं को लगभग एक वर्ष के लिये निलम्बित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि प्रबन्धकों को इन कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि उन्हें नैतिक भ्रष्टाचार के आरोप में दंड नहीं दिया गया ; और

(घ) यदि हां, तो उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री द० रा० चव्हाण) : (क) जी हां। भारतीय उवर्रक निगम के सिन्दरी यूनिट के श्रमिकों के दो ग्रुपों को, जिन पर फौजदारी मुकदमा चला था और जो न्यायाधीन है, क्रमश, 1.4.1968 और 30.4.1968 से निलम्बित किया गया था।

(ख) एक मामले में श्रमिक पर, प्रबन्धकों द्वारा आयोजित सुरक्षा प्रदर्शनी को आग लगाने का आरोप था ; दूसरे मामले में श्रमिकों पर पुलिस आदि पर प्रहार करने का आरोप था।

(ग) जी नहीं। स्थायी आदेशों के अनुसार प्रबन्धकों को उस कर्मचारी को जिस पर नैतिक नीचता सम्बन्धी किसी दण्डनीय दोष के कारण न्यायालय में अपराधी होने का आरोप हो मुकदमे के निपटान तक निलम्बन करने का अधिकार है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

बोडरा वैल नं० 1 के लिये वैराइट्स पाउडर की खरीद

8458. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोर्ट केनिंग तेल परियोजना क्षेत्र में स्थित बोडरा वैल नम्बर 1 के लिये 10,000 टन बैराइट्स पाउडर खरीदने के लिये लगभग 16 लाख रुपये खर्च किये गये हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो बैराइट्स पाउडर वास्तव में कुल कितनी मात्रा में खरीदा गया और किस कीमत पर खरीदा गया ; और

(ग) क्या काफी मात्रा में माल मैसर्स बी० के० इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन कलकत्ता द्वारा खरीदा गया; और

(घ) क्या इन सौदों के बारे में कोई लेखा परीक्षा सम्बंधी आपत्तियां की गई हैं जिनकी केन्द्रीय जांच विभाग द्वारा जांच कराई जानी चाहिये ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री द० रा० (चव्हाण) : (क) जी नहीं।

(ख) 5,288 मीट्रिक टनों की कुल मात्रा 8,01,162.00 रुपये की कुल लागत से खरीदी थी।

(ग) जी हां।

(घ) जी नहीं।

कालापानिया नहर पर बांध का निर्माण

8459. श्री किरित विक्रमदेव बर्मन : क्या सिचाई तथा विद्युत मंत्री 14 अप्रेल, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6334 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालापानिया नहर पर बांध बनाने के विरूद्ध पाकिस्तान सरकार को कब विरोध पत्र भेजा गया था ;

(ख) क्या पाकिस्तान सरकार से इस विरोध पत्र का उत्तर का उत्तर प्राप्त हो गया हैं;

(ग) यदि कोई उत्तर प्राप्त हुआ है तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या पकिस्तान सरकार बाँध को गिराने के लिये सहमत हो गई ; और

(ङ) यदि नहीं, तो त्रिपुरा में भविष्य में आने वाली निरन्तर बाढ़ों के रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां। त्रिपुरा सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान की सरकार को 4 जनवरी, 1969 को कालापानिया नहर पर तटबन्ध के निर्माण के बारे में विरोध पत्र भेजा था और साथ ही इसको शीघ्र ही तोड़ देने की मांग भी की थी।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ). पाकिस्तानी तटबन्ध द्वारा निरूद्ध क्षेत्र में हौड़ा नदी के बाढ़ पानी के पश्च-प्रवाह को रोकने के लिये भारतीय प्रदेश में बने तटबन्ध को पाकिस्तान की सीमा तक बढ़ा दिया गया है और इस तटबन्ध को ऊंचा तथा पक्का करने का अगला काम चल रहा है।

विट्ठलभाई पटेल भवन, नई दिल्ली में 'तैरने का तालाब'

8460. श्री बाबूराव पटेल : श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री देवेन सेन : श्री तुलसीदास दासप्पा :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद सदस्यों के उपयोग के लिये विट्ठल भाई पटेल भवन में 2.5 लाख रुपये की लागत से बनाया गया "तैरने का तालाब" जिसका उद्घाटन 18 अप्रैल, 1969 को किया गया था खराब बना हुआ है तथा इससे कई बार गन्दा पानी निकालने के लिये कम से कम 20 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है ;

(ख) इसके निर्माण कार्य के प्रभारी केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के नाम क्या हैं तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) इसका निर्माण करने वाले ठेकेदार का नाम क्या है तथा खराब निर्माण के लिये उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन तथा निर्माण, आवास और नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी, नहीं। 3.22 लाख रुपये की लागत से बना तैरने का तालाब (स्वीमिंग पूल) 22 अप्रैल, 1969 को पानी से भरा गया था। सिवाय पानी के अन्तिम कुछ इन्चों के, जिसे 8 से 10 व्यक्ति शारीरिक श्रम से बाहर निकालते हैं, इसे ट्रेलर पम्प द्वारा खाली करने की व्यवस्था है। एक सैल्फ प्राईमिंग पम्प के लगाए जाने पर व्यक्तियों द्वारा खाली करने के तरीके को छोड़ दिया जायेगा। इस उद्देश्य से पाईप कनेक्शन मूल निर्माण के समय ही लगा दिए गये थे।

(ख) तथा (ग). प्रश्न ही नहीं उठता।

बेत्तिया सब-डिवीजन में नेपाली गांजा तथा विदेशी माल पकड़ा जाना

8461. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री रा० कृ० सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 10 अप्रैल, 1969 को मोतीहारी के निकट बेत्तिया सब-डिवीजन में घोघा तथा खेरातियां गांवों के बीच सीमा शुल्क के असिस्टेंट कलेक्टर ने पीछा करने के बाद एक ट्रक से 3 लाख रुपये से अधिक मूल्य का निषिद्ध नैपाली गांजा तथा 27,000 रुपये के मूल्य का जापानी रेयन, टेरिलीन, ट्रांजिस्टर सैट आदि विदेशी माल पकड़ा था ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई गिरफ्तारियां की गई हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) 9 अप्रेल 1969 की रात को सहायक समाहर्त्ता, मोतीहारी के नेतृत्व में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिकारियों ने बेतिया से मोतीहारी जाने वाली सड़क पर एक ट्रक का पीछा करके छत्तिया चौर के निकट उस ट्रक से लगभग 3 लाख रुपये का मूल्य का लगभग 4832 कि० ग्रा० नैपाली गांजा और लगभग 27,000 रुपये मूल्य विदेशी उपभोक्ता माल बरामद किया ।

(ख) और (ग). अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है। मामले में जांच-पड़ताल जारी है।

गैर-सरकारी डाक्टरों द्वारा ली जाने वाली फीस

8462. श्री वेणी शंकर शर्मा : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास एवं नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-सरकारी डाक्टर देश के महानगरों में बहुत अधिक फीस लेते हैं ;

(ग) क्या उस पर कोई रोक लगाने की वांछनीयता पर विचार किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

राज्य मंत्री, स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास तथा नगर विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क), (ख) और (ग). दूसरे व्यवसायों के प्रेक्टिशनरों की भांति गैर-सरकारी डाक्टर भी अपनी योग्यता और अनुभव के आधार पर फीस लेते हैं। भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा तैयार की गई नैतिक संहिता के अनुसार किसी चिकित्सक को जिस समुदाय में वह प्रेक्टिश करता हो उसमें प्रचलन के अनुकूल व्यावसायिक सेवाओं की क्षतिपूर्ति के लिए विभिन्न परिस्थितियों में यथासम्भव एकरूपता बरतने में गौरव अनुभव करना चाहिए। गैर-सरकारी चिकित्सकों की फीस को सीमित करने के लिए कोई कानून बनाना आवश्यक नहीं समझा जाता है।

Shanker Garden Colony, Delhi

8463. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of Healhth and Family Planning and Works, Housing and Urban Development be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Shanker Garden Colony of West Delhi is an approved colony ;

(b) whether it is also a fact that permission to undertake construction work in this colony has not so far been granted ;

(c) if so, the reasons therefor ;

(d) whether it is further a fact that despite completion of all formalities in this regard, permission to start construction work is not being given.

(e) if so, the authority responsible for this delay and making the plot-holders suffer financially and mentally ;

(f) whether Government propose to take action to expedite the necessary permission being granted ; and

(g) if so, when it would be done and, if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministary of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) Yes.

(b) Yes.

(c) Certain development works such as erection of poles, carpeting of roads, sewers and water connections etc. have not yet been completed by the Coloniser.

(d) No.

(e) The Coloniser is responsible for the delay.

(f) and (g). Permission will be granted as soon as the development works have been completed (by the coloniser) to the satisfaction of the Authority.

Non-Illumination of Statues of National Leaders on Republic Day

8464. Shri Ram Gopal Shalwale : Will be **Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Central Government offices and buildings were illuminated on the occasion of Republic Day ;

(b) whether it is also a fact that near the statues of national leaders, namely, of Pandit Motilal Nehru, Dr. B. R. Ambedkar, Pahdit Govind Ballabh Pant, Sardar Patel, Lokmaya Tilak, Mahatma Gandhi and others, no illumination was done ;

(c) if so, the reasons therefor ;

(d) the authority responsible for this lapse ; and

(e) whether Government propose to take any action against the officers responsible for this lapse and ensure that such lapses do not occur in future ?

The Minister of State in the Ministery of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) Yes, Sir.

(b) Yes. Sir.

(c) Government have not taken any decision so far to illuminate the statues of National Leaders on Republic Day.

(d) Does not arise.

(e) Does not arise.

Impro vement of Plots Having Statues of National Leaders

8465. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development be pleased to state:

(a) whether it is a fact that lakhs of rupees are being spent by the New Delh Municipal Committee for imyrovement and decoration of roads and parks ;

(b) whether it is also a fact that while enough improvement and decoration has been done in respect of the roads and the traffic island (roundabout) near Pandit Gobind Ballabh Pant's statue, no improvement or decoration has been carried out in the plot where the statue stands because that piee of land belcngs to Government ; and

(c) if so, the steps proposed to be taken to carry out proper improvment and decoration of the plots where this statue and the statues of other national leaders stand?

The Minister of State in the Ministery of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) Every possible effort is being made by the N. D. M. C. to improve and beautify various sites within its limits.

(b) and (c). The Garden surrounding the statue of Pandit Govind Ballabh Pant is being maintained by the C. P. W. D. statisfactorily. It is also proposed to illuminate suitably the statue and to beautify the area by developing the plot of land behind the statue into a lawn and by growing trees and hedges. Other plots having statues of national leaders and belonging to the C. P. W. D. or the N. D. M. C. are being properly maintainded.

मेडिकल कालेज

8467. श्री रा० कृ० सिंह : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास और नगर विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1969 को देश में मेडिकल कालेजों की संख्या कितनी थी ; और

(ख) प्रतिवर्ष उन से कितने व्यक्ति डाक्टरी पास करके निकलते हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास और नगर विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) 31 मार्च, 1969 को देश में 93 मेडिकल कालेज थे ।

(ख) मेडिकल कालेजों से निकलने वाले स्नातकों की संख्या प्रतिवर्ष भिन्न भिन्न होती है । 1967 में 7407 छात्रों ने एम० बी० बी० एस० की अन्तिम परीक्षा पास की ।

Ayurvedic Pharmacies

8468. Shri Nihal Singh : Will the Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development be pleased to state :

(a) the names of the pharmacies wherefrom medicines are procured for the Government Ayurvedic dispensaries in the Capital ;

(b) whether Government propose to open any Government pharmacy for manufacturing Ayurvedic medicines ;

(c) if not, the reasons therefor ; and

(d) the value of Ayurvedic medicines procured from each pharmacy during the last three years, year-wise ?

The Minister of State in the Ministery of Heath aud Family Planing and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) and (d)- The requisite information is given in the attached Statement. **[Placed in Library See No Lt. 1008/69]**

(b) and (c). No. The number of C. G. H. S. Ayurvedic dispensaries is small at present and it is not considered economical to open any Government pharmacy for manufacturing Ayurvedic medicines.

Double-Storeyed Quarters as Panchkuin Road, New Delhi

8469. **Shri Nihal Singh :** Will the Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development be pleased to state :

(a) whether it is a fact that no separate staircases have been provided in the upper flats of double-storeyed quarters of Class IV employees at Panchkuin Road, New Delhi, as a result of which in case of fire breaking out in the upper flat, a person in the kitchen connot come out ;

(b) whether it is also a fact that in 1966-67 the then Minister of Works and Housing, Shri Mehr Chand Khnna, had given an assurance in this regard to the Class IV Employees Association but no staircases have so far been Provided there ; and

(c) if so, the action being taken in the matter ;

The Minister of State in the Ministery of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) Although it is a fact that no separate stair-case has been provided to each flat on the first floor yet there is a common stair-case serving 6 flats which can be used in case of emergency.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

C. G. H. S. Ayurvedic Dispensaries in Delhi

8470. **Shri Nihal Singh :** Will the Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development be pleased to state :

(a) the places in Delhi where C. G. H. S. Ayurvedic Dispensaries are located ;

(b) the number of Vaidyas, Store Keepers and Compounders working therein ;

(c) whether it is a fact that no Vaidya and Compounder remain on emergency duty in those dispensaries ;

(d) whether it is also a fact that there is shortage of both male and female Vaidyas in Gole Market and North Avenue Dispensaries, as a result of which patients have to wait for hours to get medicines ; and

(e) if so, the action being taken in this regard ?

Minister of State in the Ministery of Health and Family Planning and Works Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) (a) There are 4 C. G. H. S. Ayurvedic dispensaries in Delhi. These are located at the following places:—

1. Gole Market	2. North Avenue
3. Kidwai Nagar	4. R. K. Puram

(b) 6 Ayurvedic Physicians and 8 Pharmacists (Compounders) are working in these dispensaries at present. There are no Store Keepers.

(c) Yes. Emergency treatment outside the normal working hours of these dispensaries is provided by the allopathic dispensaries.

(d) and (e). Difficulty has been felt during the last few months because one vaidya each from the Gole Market and Kidwai Nagar Ayurvedic Dispensaries has to be withdrawn

to commence work at the two newly opened C. G. H. S. Ayurvedic dispensaries at North Avenue and R. K. Puram. Besides, one lady Physician remained on long leave and no substitute could be provided. The lady Physician has since joined duty and additional physicians are being appointed.

Selection Garde Posts for Daftries

8471. **Shri Nibal Singh :** Will the Miniter of Finance be pleased to state :

(a) the number of Selection Grade posts of Daftries in various Ministeries as also the Pay Scales thereof and if there is no such post the reasons therefor ;

(b) whether it is a fact the duties prescribed for the post of Record Keeper in various Ministries, bearing pay scale of Rs. 95-3-110, are merely to look after old records and supply and maintenance of recorded files whereas the duties of a Daftry are handling all new and old files of a Branch and attending to other work also and yet his pay scale is Rs. 75-1-85-2-95 only ;

(c) if so, the reasons for disparity between the two scales when a Daftry has to do more work than a Record Keeper ;

(d) whether Government propose to consider grant of Rs. of Rs. 95-3-110 scale to Daftries by giving them Selection Grade ; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finese (Shri Morarji Desai) : (a) (b) & (c) The requisite information is not readily available. This will be collected and laid on the Table of the House as soon as possible.

(d) & (e). No, Sir. There is already a Selection Grade for Daftries in the scale of Rs. 80-1-85-2-95-EB-3-110. The question of creating another Selection Grade of Daftries in the ssale of pay of Rs. 95-3-110 does not, therefore, arise.

Eradication of Diseases

8472. Shri Shiva Chandra Jha : Will the Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development be pleased to state :

(a) whether Government have completely eradicated any disease, like Malaria, Small-pox, Cholera. etc ; in the country ;

(b) if so, the details thereof ; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) and (b). It has not been possible to completely eradicate the diseases like Malaria, Small-pox, Cholera. etc ; but substantial progress has been made in bringing down the incidence of these diseases as will be seen from the details given below:—

Malaria : As against the figure ef 75 million cases in 1952 before the Eradication Programme was launched, there were about 2.20 lakhs cases in 1968, which means a reduction of 99.% of the original case incidence.

Small-pax : As against 83,423 cases and 26,360 deaths in India in 1963 there were 34,741 cases and 7,727 deaths in 1968. This represents a reduction of about 58% both in morbidity and mortality due to small-pox.

Cholera : The disease which has shown a trend of decline since 1900, has been responsible for 30,700 cases and 9,700 deaths annually on an average during the past decade. Endemic foci which are responsible for over 85% ceses and deaths in the country during the decade 1959-68, are in the 8 States of Andhra Pradesh, Bihar, Tamil-Nadu, Maharashtra, Mysore, Orissa, West Bengal and Uttar Pradesh. Control measures in these areas will be initiated in the Fourth Plan period.

Tuberculosis : Out of the population of about 530 milliom, there were about 8 million active T. B. cases in the country of which 1/4th are estimated to be infectious. 248 million people have been tuberculin tested and 117 million have been B. C. G. vaccinated. 502 T. B. Clinice, 36 mobile X-ray units, 15 T. B. Training Demonstration Centres and nearly 35,000 beds have been established.

Filaria : Filaria being mainly an urban problem, the National Filaria Control Programme, has been restricted to the urban population. About 7 million people are being protected by anti-larval measures, which has shown a downward trend in the transmission of the disease in 50% of the units functioning with regard to **w. bancrofti** infeetion. 72 Control Units, 3 Rural Research-cum-Training Centres, 5 Headquarters units and 23 Clinics are in operation.

Leprosy : 182 Leprosy Control Units and 1130 Survey, Educations and Treatment Centres have been established besides giving grant-in-aid to various voluntary organisations. With a total population of about 300 million at risk and 25 lakhs of cases 72.5 million population have so far been covered and the total cases recorded are 7,51,770 out of which 6,82,777 are under treatment.

Trachoma : Trachoma, as a result of survey conducted by the Indian Council of Medical Research during the period 1958-63, is a major problem in the North and North Western States ; the prevalence of this disease ranging from 79.1 per cent in Punjab to 56% in Gujarat. A total population of about 20.98 million has been brought under the Control Programme. As a result of the implementation of this programme, the rejcetion rate-amongst the recruits for the Army came down by 20%.

(c) It has not been possible to comletely eradicate the disease due to the following reasons:—

Malaria : This is a biologieal programme involving men, mosquito and parasite. It has not been possible to achieve the goal of eradication due to various reasons both administrative and technical.

Small-pox : Complete vaccination coverage in the vulnerable age group of the population i. e. O-15 pears is still to be achieved.

Cholera : Eradication of Cholera can be achieved only through an all-round improvement in environmental sanitation, partieularly the provision of safe water and proper disposal of sewage. For this purpose, increasing financial provisions are being made under the National Water Supply and Sanitation Programme in the suceessive Five Year Plans. It will, however, taks sometime before the desired objectives in this regard are attained.

Tuberculosis : Though its prevalence is being reduced in many countries especially in the Western Uurope and the Northern part of the American continent, it has not been

eradicated so far any where in the world. This is, because the person who gets infections with the T. B. germ today, may develop the discase even after 50 years. The break down and the development of the infection into the disease depends on many varied factors both in-born and extraneous like malnutrition, poverty and other socio-economic conditions which cannot be easily controlled. The disease is insidious and chronic in nature and requires long treatment, when developed, for a minimum period of one year to 18 months. Even in the treated cases relapases cannot be fully prevented. The B. C. G. vaccine, though effective to a fair degree, does not afford 100% protection. Thus the eradication of the disease is a very long term and difficult process.

Filaria : With the available resources, knowledge and techniques, it is not possible to launch an eradication programme against Filariasis.

Leprosy : The Control/Eradication of leprosy in a country like India with 2.5 million leprosy patients is a vast problem. The eradication of the disease can be possible after the transmission has been intercepted. The primary object of the Programme is to record the maximum number of cases, put them under treatment and thereby convert them into non-infectious and bacteriologically negative cases so that the quantum of infection is reduced and the transmission of the disease is intercepted.

Trachoma : This is a phased programme and wide coverage in this programe can be achieved in stages.

आधुनिकीकरण के लिये भारतीय उद्योगों को करों में रियायत

8473. श्री शिवचन्द्र झा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने आधुनिकीकरण के लिये भारतीय उद्योगों को पहली योजना से लगातार करों में रियायत दी है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त रियायतों तथा भारतीय उद्योगों की आधुनिकीकरण के लिये योजनावार और उद्योगवार दी गई अन्य वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है और उन रियायतों का उनके द्वारा उक्त प्रयोजनों के लिये कहां तक उपयोग किया गया ; और

(ग) यदि करों में दी गई रियायतें तथा अन्य वित्तीय सहायताओं का उक्त प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं किया गया तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). सरकार ने औद्योगिक विकास के लिए, जिसमें संयंत्रों और मशीनों का आधुनिकीकरण शामिल है, समय-समय पर, कर सम्बन्धी कई प्रोत्साहन दिये हैं। संयंत्रों और मशीनों के आधुनिकीकरण के लिए दिए जाने वाले कर-सम्बन्धी प्रोत्साहन ये हैं:—

(1) **नये औद्योगिक उपक्रमों और उन उपक्रमों को, जिनका काफी विस्तार किया जाना है, पांच वर्ष के लिये कर से छूट :** किसी नये औद्योगिक उपक्रम को (जिसमें ठण्डे गोदाम चलाने वाला उपक्रम शामिल है), किसी भारतीय कम्पनी के नये जहाज को (या पुराने जहाज को, जिसे भारत के किसी निवासी ने, भारत की समुद्री सीमा में पहले न चलाया हो) और 5 लाख रुपये या इससे

अधिक की चुकता-पूंजी वाली किसी भारतीय कम्पनी द्वारा चलाये जाने वाले नए होटल को, उस उपक्रम, जहाज या होटल में लगायी गई पूंजी के 6 प्रतिशत के बराबर के वार्षिक लाभ पर, पाँच वर्ष तक—सहकारी समिति के मामले में सात वर्ष तक—आय-कर से छूट दी जाती है। छूट की अवधि उपक्रम द्वारा उत्पादन शुरू किये जाने (या ठण्डे गोदाम के मामले में उसके चलाये जाने) या जहाज के चलाये जाने या होटल को शुरू करने के वर्ष से आरम्भ होती है।

यदि किसी मौजूदा उपक्रम का काफी विस्तार करना हो तो उसे भी विस्तार से होने वाले लाभ के संबंध में कुछ शर्तों पर, कर-सम्बन्धी छूट दी जाती है।

1967-68 के कर-निर्धारण वर्ष और उसके बाद के वर्षों से सम्बन्धित "कर से छूट" की, इस्तेमाल न की गयी रकम, कारबार शुरू किए जाने के वर्ष के बाद के आठ वर्षों तक इस्तेमाल की जा सकती है।

कर-सम्बन्धी यह रियायत 1949 से दी गई थी और यह उन औद्योगिक उपक्रमों को दी जाती थी जिनमें पहली अप्रेल, 1948 से उत्पादन शुरू हो गया था, पर बाद में इस रियायत का क्षेत्र और बढ़ा दिया गया। शुरू में जिस अवधि के लिए रियायत दी गयी थी, वह समय-समय पर बढ़ायी जाती रही और वित्त विधेयक, 1969 में इस अवधि को 31 मार्च, 1976 तक बढ़ाये जाने की व्यवस्था की गयी है।

(2) **औद्योगिक उपक्रमों द्वारा "करों से छूट" से होने वाले लाभ में से वितरित लाभांश** : किसी औद्योगिक उपक्रम द्वारा (और होटल या जहाज चलाने वाली किसी भारतीय कम्पनी द्वारा), जिसे उपर्युक्त व्यवस्था के अन्तर्गत "कर से छूट" मिली हो, इस रियायत के कारण होने वाले लाभ की जो रकम लाभांश के रूप में बांटी जाती है, उस पर शेयर-होल्डरों से आयकर बिलकुल नहीं लिया जाता। भारतीय आय-कर अधिनियम में यह व्यवस्था 1949 में की गयी थी।

(3) **विकास छूट** : मूल्यह्रास छूट के अलावा, विकास छूट के रूप में एक विशेष निवेश छूट दी जाती है। किसी कर-दाता द्वारा व्यापार के लिए लगाए गए नए संयंत्र या नयी मशीनों की लागत का एक खास प्रतिशत भाग इस छूट के रूप में दिया जाता है।

विकास छूट की वर्तमान दरें ये हैं:—

(i) नया जहाज — 40 प्रतिशत

(ii) प्राथमिकता-प्राप्त उद्योग में लगायी गयी नयी मशीनें या नया संयंत्र (अनुबन्ध [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 1009/69**] में दी गई सूची के अनुसार) :

(क) पहली अप्रैल, 1965 से 31 मार्च, 1970 तक की अवधि में — 35 प्रतिशत

(ख) 31 मार्च, 1970 के बाद — 25 प्रतिशत

(iii) किसी भारतीय कम्पनी द्वारा मंजूरशुदा होटल की इमारत में लगायी गई नयी मशीनें या नया संयंत्र :

(क) पहली अप्रैल, 1967 से 31 मार्च, 1970 तक की अवधि में — 35 प्रतिशत

(ख) 31 मार्च, 1970 के बाद — 25 प्रतिशत

(iv) नयी मशीनें और नया संयंत्र जो किसी कर-दाता के कारबार से सम्बद्ध वैज्ञानिक गवेषणा के पूंजीगत खर्च के द्योतक हों :

(क) पहली अप्रैल, 1967 से 31 मार्च, 1970 की अवधि में — 35 प्रतिशत

(ख) 31 मार्च, 1970 के बाद — 25 प्रतिशत

(v) उपर्युक्त मामलों से भिन्न मामलों में स्थापित नयी मशीनें या नया संयंत्र :

(क) पहली अप्रैल, 1965 से 31 मार्च, 1970 तक की अवधि में — 20 प्रतिशत

(ख) 31 मार्च, 1970 के बाद — 15 प्रतिशत

निम्नलिखितों के संबंध में भी कुछ शर्तों पर विकास छूट दी जाती है:—

(1) किसी अ-निवासी से प्राप्त किये गये पुराने जहाज, और

(2) विदेशों से पहली बार आयातित पुरानी मशीनें या संयंत्र ।

मूल्यह्रास छूट का हिसाब लगाने के लिए परिसम्पत्ति का मूल्य कम करते समय विकास छूट की रकम घटायी नहीं जाती । इस तरह, यह विकास छूट कर-दाता के लिये नयी मशीनों और संयंत्रों पर सरकार से मिलने वाली सहायता है क्योंकि विकास-छूट और मूल्यह्रास-छूट मिलने से कोई उपक्रम किसी प्राथमिकता-प्राप्त उद्योग में या इससे भिन्न किसी उद्योग में या किसी जहाज के लिये परिसम्पत्ति के इस्तेमाल किये जाने के अनुसार लागत का क्रमशः 135 प्रतिशत, 120 प्रतिशत या 140 प्रतिशत भाग अन्ततः अपने संचालन व्यय के अन्तर्गत खर्च के रूप में दिखा सकता है ।

कर-संबंधी प्रोत्साहन देने की योजना 1955–से (1-4-1955 से) शुरू की गयी थी लेकिन मूल व्यवस्था समय-समय पर कई परिवर्तन कर दिये गये हैं।

कर-संबंधी प्रोत्साहन के अलावा, उद्योगों को नए एककों की स्थापना और पुराने एककों के आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता भी दी गयी थी। ऐसी वित्तीय सहायता भारतीय औद्योगिक वित्त निगम और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक जैसे वित्तीय निगमों की मारफत दी गयी थी। संयंत्रों और मशीनों के आधुनिकीकरण के लिये काम में लायी गयी कर-संबंधी रियायतों का आयोजनावार या उद्योगवार ब्योरा उपलब्ध नहीं है। संयंत्रों और मशीनों के आधुनिकीकरण के लिए दी गयी और इस्तेमाल की गयी वित्तीय सहायता के भी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) विकास छूट के रूप में प्रोत्साहन केवल उस समय दिया जाता है जब संयंत्र या मशीनें प्राप्त कर ली जाती हैं और लगा दी जाती है। इसी प्रकार, जब वित्तीय संस्थाएं संयंत्र और उपकरणों की खरीद के लिए ऋण देती है, तो ऋण की रकम उसी काम के लिए इस्तेमाल करनी पड़ती है। कर से छूट केवल कोई नया औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने पर या किसी पुराने उपक्रम का ऐसा काफी विस्तार होने पर मिल सकती है जिससे निर्दिष्ट शर्तें पूरी होती हों।

राज्यों पर केन्द्र के ऋण भुगतान की अवधि का पुनः निर्धारण

8474. श्री शिवचन्द्र झा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार चौथी पंचवर्षीय योजना में राज्यों पर केन्द्रीय ऋण को पुनः निर्धारण करने के बारे में योजना बना रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

उप-प्रधानमंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग). सरकार चाहती है कि जब चौथी आयोजना की अवधि में राज्यों को दी जाने वाली रकमों के सम्बन्ध में पांचवें वित्त आयोग की सिफारिशें प्राप्त हो जायँ तब वह केन्द्र द्वारा राज्यों को दिये गये ऋणों की वापसी की समय-सारणी को फिर से निर्धारित करने के बारे में विचार करें।

रानीगंज जल सम्भरण योजना

8475. श्री देवेन सेन : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास एवं नगर विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रानीगंज जल सम्भरण योजना को मंजूरी दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर कितनी लागत आने का अनुमान है ;

(ग) उसके लिए वित्त की व्यवस्था किस प्रकार की जायेगी ; और

(घ) इस योजना की क्रियान्विति की वर्तमान अवस्था क्या है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास तथा नगर विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) मार्च 1966 में भारत सरकार ने रानीगंज जल पूर्ति योजना के भाग-1 को मंजूरी दे दी थी। चौथी योजना में धन की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए इस योजना के भाग-2 और 3 के क्रियान्वयन के प्रश्न पर विचार किया जा सकेगा।

(ख) इस योजना के भाग-1 के लिए अनुमानित लागत 3.54 करोड़ रुपये है।

(ग) योजना के भाग-1 के लिए धन की व्यवस्था इस प्रकार की जायेगी :—

		(रुपये करोड़ों में)
(1)	नगर योजनाओं के लिए (भारत सरकार द्वारा ऋण के रूप में दिया जाना है)	0.56
(2)	कोयला खान श्रमिक संगठन का अंशदान	1.00
(3)	भारत सरकार द्वारा सहायता	0.99
(4)	राज्य सरकार का अंशदान	0.99
	योग–	3.54

(घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

चलचित्र कलाकारों द्वारा आयकर का अपवंचन

8477. श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चलचित्र उद्योग के निम्नलिखित व्यक्तियों ने गत तीन वर्षों में आयकर तथा अन्य करों का अपवंचन किया है ;

(1) श्री आई० एस० जौहर (2) श्री प्राण (3) श्री बलराज साहनी (4) श्री लक्ष्मी कांत (5) श्री प्यारे लाल (6) श्रीमती सुमन कल्याणपुर (7) श्री मोहन कमल (8) श्री ओ० पी० रल्हन (9) श्री बी० के० आदर्श (10) श्री ओम प्रकाश ; और

(ख) यदि हां, तो उनमें से प्रत्येक के बारे में इसका ब्यौरा क्या है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) . सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

फिल्म वितरक

8478. श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के ऐसे पचास बड़े फिल्म वितरकों के नाम क्या है जो अधिकतम आय-कर देते हैं ;

(ख) 31 मार्च, 1968 तक इनमें से प्रत्येक व्यक्ति पर कितना आयकर बकाया था ; और

(ग) बकाया राशि की वसूली के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क), (ख) और (ग) . अपेक्षित सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है । वह कर-निर्धारण सम्बन्धी काफी बड़े रिकार्ड की छानबीन के बाद ही एकत्र की जा सकती है, जिसमें बड़ा ही समय और श्रम लगेगा ।

अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था में तदर्थ नियुक्तियां

8479. श्री निहाल सिंह : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास एवं नगर विकास मंत्री 17 मार्च, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3348 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों में (1) अस्पताल कार्य (2) अध्यापन (3) अनुसचिवीय कार्य के लिये श्रेणी-वार कितने तथा किन-किन व्यक्तियों को अखिल भारतीय चिकित्सा संस्था में तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया ; और

(ख) उनमें से कितने तथा किन-किन व्यक्तियों को नियमित कर दिया गया है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास तथा नगर विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल.टी. 1010/69**]

भाखड़ा में दाहिने किनारे पर स्थित बिजली घर का उद्घाटन समारोह

8480. श्री हेम राज : क्या सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'टाइम्स आफ इंडिया' के 18 अप्रैल, 1969 के अंक में छपा यह समाचार सही है कि भाखड़ा में दाहिने किनारे पर स्थित बिजली घर के उद्घाटन समारोह में हिमाचल प्रदेश के मंत्री श्री हरि राम को पंजाब और हरियाणा के मंत्रियों के साथ मंच पर स्थान नहीं दिया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण थे ।

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). इस उद्घाटन समारोह के लिये कई व्यक्तियों को आमंत्रण पत्र भेजे गये थे जिन में हिमाचल प्रदेश के मंत्री आदरणीय श्री हरिराम का नाम भी है । इस की स्वीकृति के सम्बन्ध में न तो उन से और न ही उन के सचिवालय से कोई जवाब आया था । फोन पर इस जानकारी को प्राप्त करने के प्रयत्न निष्फल रहे । आदरणीय श्री हरिराम इस समारोह पर उस समय पहुँचे

जिस समय कार्यवाही प्रारम्भ हो चुकी थी और वे वी० आई० पी० वाले अहाते में पहली कतार में एक जगह पर बैठ गए । ज्योंही उन की उपस्थिति का पता लगा, उप राष्ट्रपति के साथ उन का परिचय कराया गया और अन्य मंत्रियों के साथ साथ उन का ध्यान रखा जाने लगा ।

Amount Received Under 'General Head Under Barter Agreement'

8481. Shri Prakash Vir Shastri: Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the amount received during the last three years as non-Government donations under the "General head under the Barter Agreement" and whether any such head exists for religious preachers and religious institutions ;

(b) if so, whether some amounts under the said head are included under second and third heads of PL 480 as well as under remittance schemes ;

(c) if so, the amount drawn from the accoont of the said head for religious preachers and religious organisations during the last three years ;

(d) whether Government are satisfied that these sums would be utilised for that purpose only for which they were drawn ; and

(e) if not, whether Government propose to reconsider the matter ?

The Deputy Prime Minister & Minister of Finance (Shri Morarji Desai) (a), (b) & (c) : The question is not quite clear as to what is the information desired by the Hon. Member. There is currently no control at all on inward remittances. Data maintained thereon are merely for statistical purposes and are basically designed for considering the requirement of economic decision making. Barter agreements again normally provide for export of certain commodities as a quid pro quo for comparable import facilities. Thus there would be no question under barter agreements of receiving amounts as donations or such other remittances. If the Hon. Member could kindly clarify the specific details that he has in mind, these could be ascertained to the extent possible.

(d) & (e). There is no control on inward remittances from the point of view of their purpose or end utilization. Where such activities contravene laws other than the Foreign Exchange Regulation Act, the normal legal processes would apply.

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम को हुई हानि

8482. श्री नीतिराज सिंह चौधरी : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की स्थापना के बाद इसे कुल कितनी हानि हुई है और उस में लगी हुई पूंजी की तुलना में इस हानि का अनुपात क्या है ;

(ख) क्या उक्त हानियों में वृद्धि हो रही है अथवा कमी ;

(ग) यदि हानि में वृद्धि हुई है, तो राष्ट्रीय कोयला विकास निगम का समापन न करने के क्या कारण हैं ;

(घ) यदि हानि में कमी हुई है, तो किस वर्ष तक लाभ होने की सम्भावना है ; और

(ङ) क्या गिरिडीह कोयला खानों में लगातार हानि हो रही है और उनको बन्द न करने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) विकास छूट आरक्षण, कराधान, आकस्मिक देयता आदि के लिए व्यवस्था करने के पश्चात 1967-68 के अंत पर निबल संचयी हानि 6.65 करोड़ रुपये हैं। 31 मार्च, 1968 के दिन लम्बी अवधि के आधार पर निवेशित पूंजी लगभग 167 करोड़ रुपये है। अतः संचयी हानि का अनुपात लम्बी अवधि के आधार पर निवेशित पूंजी पर 4 प्रतिशत बैठता है।

(ख) पिछले वर्षों की तुलना में 1967-68 में हानियां कम हो गयी हैं। 1968-69 के दौरान वित्तीय अवस्था में और भी सुधार की सम्भावना है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) ऐसी सम्भावना है कि निगम के 1968-69 वर्ष से संबंधित लेखे लाभ दिखाएंगे।

(ङ) गिरिडीह कोयला खानें पिछले कई वर्षों से लगातार हानियां दिखा रही हैं। कुछ खानों में उपलब्ध उच्च श्रेणी के कोकिंग कोयले को निकालने के विचार से उन्हें चलाया जा रहा है। 1956-57 से 1967-68 तक केवल गिरिडीह पर संचयी हानियां 5.03 करोड़ रुपये की हैं, जबकि इस अवधि में निगम की कुल हानियां 6.65 करोड़ रुपये की हैं।

दिल्ली के चारों ओर के नगरीय क्षेत्र में आने वाले गांवों के लिये नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था

+8483. श्री बलराज मधोक :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कुल कितने गांव, नगरीय क्षेत्र के अन्तर्गत आ गये हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार ने दिल्ली के नगरीय क्षेत्र के अन्तर्गत आ गये गांवों में जल, शौचालयों आदि न्यूनतम नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था करने का निर्णय किया है ; और

(ग) यदि हां, अब तक ये सुविधाएं किन-किन गांवों में हैं तथा किन किन गांवों में अगले वर्ष इनकी व्यवस्था की जायेगी ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) (क) 111

(ख) नगरीय क्षेत्रों में नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था करने का दायित्व सम्बद्ध स्थानीय निकाय का है। दिल्ली विकास अधिकरण का दायित्व उन नगरीय क्षेत्रों का यथा सम्भव सुविधाएं प्रदान करना है जो क्षेत्र "विकास क्षेत्रों" में आते हैं। अधिकरण ने पहले ही 32 गांवों के लिये विकास योजनाएं तैयार की हैं और उनको मूल सुविधाएं जैसे शौचालयों, पटरियों तथा पानी निकासी की सुविधाएं दी जा रही है।

(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

दिल्ली में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना के औषधालय

8484. श्री बलराज मधोक :

क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास एवं नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना के कुल कितने औषधालय हैं और वे कहां-कहां पर स्थित हैं ;

(ख) उनमें से ऐलोपैथी, होम्योपैथी और आयुर्वेद के कितने-कितने औषधालय हैं ;

(ग) इन औषधालयों में डाक्टरों तथा महिला डाक्टरों को मिला कर कुल कितने कर्मचारी काम करते हैं ; और

(घ) उनमें से कितने औषधालयों के अपने भवन हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख). पार्लियामेण्ट हाउस के पास स्थित प्राथमिक उपचार केन्द्र सहित दिल्ली में 61 केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना औषधालय हैं। इनमें से 55 एलोपैथिक, 4 आयुर्वेदिक तथा 2 होम्योपैथिक औषधालय हैं। इन औषधालयों के नाम तथा स्थान का ब्यौरा परिशिष्ट-1 में दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 1011/69]**

(ग) अपेक्षित सूचना परिशिष्ट-11 में दी गई है।

(घ) पन्द्रह।

सोमवार को होने वाली सदन की बैठक के लिए प्रश्न केन्द्रीय गैस ग्रिड

8485. श्री रा० को अमीन : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार केन्द्रीय गैस ग्रिड के लिये किसी कार्यक्रम पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री द०रा० चव्हाण) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

फिल्मों के लिये वित्त की व्यवस्था करने वाले व्यक्तियों तथा फिल्म निर्माताओं के कार्यालयों आदि पर छापे

8486. श्री अर्जुन सिंह भदौरियां :
श्री जुगल मंडल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अप्रेल, 1969 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि में फिल्मों के लिये वित्त की व्यवस्था करने वाले व्यक्तियों तथा फिल्म निर्माताओं के कार्यालयों आदि पर छापे मारे थे ;

(ख) यदि हां, तो उन फिल्म कलाकारों के नाम क्या हैं जिनके बारे में फिल्मों के लिये वित्त प्रदान करने वाले व्यक्तियों तथा फिल्म निर्माताओं के कार्यालयों आदि से ऐसे कागजात पकड़े गये थे जिनसे यह पता चलता हो कि उन फिल्म कलाकारों को काला धन दिया गया था ; और

(ग) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क), (ख) और (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

तमिल नाडू तथा पश्चिम बंगाल में फिल्म स्टूडियों के मालिकों तथा फिल्म प्रदर्शकों की ओर आयकर की बकाया राशि

8487. श्री जुगल मण्डल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल में उन फिल्म स्टूडियों के मालिकों तथा फिल्म प्रदर्शकों के नाम क्या हैं जिनकी ओर इस समय एक लाख अथवा उससे अधिक आयकर की राशि बकाया है ;

(ख) उनसे आयकर की बकाया राशि अब तक वसूल न किये जाने के क्या कारण हैं ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) तथा (ख). अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और यथाशीघ्र सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

फिल्मी कलाकारों द्वारा आय-कर की चोरी

8488. श्री जुगल मंडल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस आशय की शिकायतें मिली है कि निम्नलिखित फिल्मी कलाकार गत तीन वर्षों में आयकर तथा अन्य करों की चोरी करते रहे हैं ;

(एक) श्री उत्तम कुमार चटर्जी (दो) श्री विश्वजीत (तीन) श्रीमती शर्मिला टैगोर (चार) श्री जीतेन्द्र (पांच) कुमारी बबिता (छः) कुमारी नन्दा (सात) श्री शशि कपूर (आठ) श्री दारा सिंह (नौ) श्रीमती शशि कला (दस) श्री ओम प्रकाश (ग्यारह) श्री प्राण (बारह) श्री जानी वाकर (तेरह) कुमारी सिम्मी (चौदह) श्रीमती बी० सरोजा देवी (पन्द्रह) श्रीमती पद्मिनी (सोलह) कुमारी मुमताज ;

(ख) क्या उनकी ओर अब भी आय कर की राशि बकाया है ;

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक की ओर कितनी राशि बकाया है तथा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ;

(घ) क्या सरकार ने उपर्युक्त कलाकारों में से किसी के स्थान पर छापा मारा है ; और

(ङ) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ङ). सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायगी ।

फिल्मों में काम करने के लिये फिल्म कलाकारों द्वारा ली जाने वाली राशि

8489. श्री जुगल मंडल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निम्नलिखित फिल्म कलाकार एक फिल्म में कार्य करने के लिए निम्नलिखित राशि लेते हैं :

(1) उत्तम कुमार चटर्जी (8 लाख रुपये) (2) श्री विश्वजीत (9 लाख रुपये) (3) श्रीमती शर्मिला टैगोर (6 लाख रुपये) (4) मिस बबिता (5½ लाख रुपये) (5) श्री जींतेन्द्र (5 लाख रुपये) (6) कुमारी नन्दा (5½ लाख रुपये) (7) श्री शशि कपूर (8 लाख रुपये) (8) श्री दारा सिंह (5 लाख रुपये) (9) श्रीमती शशिकला (4 लाख रुपये) (10) श्री ओम प्रकाश (3 लाख रुपये) (11) श्री प्राण (4 लाख रुपये) (12) श्री जानीवाकर (4 लाख रुपये) (13) मिस सिम्मी (3 लाख रुपये) (14) श्रीमती बी० सरोजा देवी (5 लाख रुपये) (15) श्रीमती पद्मिनी (6 लाख रुपये) और (16) कुमारी मुमताज (3 लाख रुपये) ;

(ख) क्या यह भी सच है कि फिल्म कलाकार प्रति वर्ष तीन अथवा चार फिल्मों में काम करते हैं परन्तु वे बहुत कम आयकर देते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का इन फिल्म कलाकारों से आयकर वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) सरकार के पास ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) और (ग). कुछ चोटी के फिल्मी सितारे एक ही समय में एक से अधिक चित्रों में काम करते हैं। उनके द्वारा आयकर अपनी पिछले वर्ष की उस कुल आय पर दिया जाता है, जिसे आवश्यक जांच-पड़ताल के बाद सम्बन्धित आयकर अधिकारी निर्धारित करते हैं। बहुत से फिल्मी सितारे कर के रूप में काफी बड़ी रकम अदा करते हैं।

पश्चिम बंगाल में फिल्म उद्योग में काम करने वाले लोगों द्वारा देय धन कर की बकाया राशि

8490. श्री जुगल मंडल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में फिल्म उद्योग में काम करने वाले उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिन पर धन कर की 50 हजार रुपये अथवा अधिक बकाया राशि है ; और

(ख) अब तक उनसे धनकर वसूल न किये जाने के क्या कारण हैं ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और(ख). अपेक्षित सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है और वह एकत्रित की जा रही है । उसे यथाशीघ्र सदन की मेज पर रख दिया जायगा ।

चोरी छिपे लाई गई घड़ियां पकड़ी जाना

8491. श्री देवेन सेन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली और बम्बई में अलग-अलग 1 जनवरी से 15 अप्रेल 1969 के बीच चोरी छिपे लाई गई घड़ियों के कितने मामलों का पता लगाया गया ;

(ख) पकड़ी गई घड़ियां कितने मूल्य की थीं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) दिल्ली में 7 और बम्बई में 115 मामलों का पता लगाया गया।

(ख) दिल्ली और बम्बई में पकड़ी गई हाथ घड़ियों का मूल्य क्रमशः 28, 000 रुपये और 54, 70, 000 रुपये के लगभग है।

(ग) दिल्ली में कोई गिरफ्तारी नहीं की गई। बम्बई में पकड़े गये माल के सम्बन्ध में 26 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए थे, जिन्हें बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया। आगे जांच-पड़ताल जारी है।

गोआ के कैथोलिक धर्म के अनुयाइयों द्वारा परिवार नियोजन कार्यक्रम का विरोध

8492. श्री शिंकरे :क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि होली पोप के परिपत्र के कारण भारत में और विशेष-कर गोआ के कैथोलिक परिवार नियोजन के कार्यक्रम का विरोध कर रहे हैं ;

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि गोआ में सरकारी अस्पताल में काम करने वाले अधिकतर कैथोलिक डाक्टर और नर्सें इस क्षेत्र में स्थानीय सरकार के साथ सहयोग नहीं कर रही हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाही करने का है कि सभी डाक्टर और नर्सें चाहे वह किसी सम्प्रदाय तथा जाति के हों परिवार नियोजन के कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए भरसक प्रयत्न करें।

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास और नगर विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा० श्रीपति चन्द्रशेखर) : (क) सरकार को ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली है कि भारत में या विशेषकर गोआ में कैथोलिक परिवार नियोजन का विरोध कर रहे हैं। गोआ में किए गए एक अध्ययन से पता चलता है कि कैथोलिक तथा अन्य समुदाय इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं।

(ख) और (ग). गोआ, दमन और दीव प्रशासन से इस स्थिति का पता लगाया जा रहा है और सूचना प्राप्त होते ही लोक सभा को भेज दी जाएगी।

केन्द्रीय परिवार नियोजन परिषद ने अप्रेल, 1968 में हुई अपनी बैठक में कुछ इक्की दुक्की घटनाओं पर ध्यान दिया जिनमें चिकित्सा कर्मचारियों ने परिवार नियोजन की सेवाएं प्रदान करने के सम्बन्ध में अन्तःकरण की आपत्ति का तर्क प्रस्तुत किया। परिषद ने यह सिफारिश की कि राज्य सरकारें इस पर विचार करें कि चिकित्सा तथा परा-चिकित्सा कर्मचारियों को सेवा नियमों के अनुसार सेवा काल में ऐसा कोई तर्क देने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिये। यह सिफारिश राज्य सरकारों को आवश्यक कार्यवाही के लिए भेज दी गई है।

गोआ में पैलेट बनाने का कारखाना

8493. श्री शिंकरे : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि गोआ में खानों में निकलने वाला लौह अयस्क प्रायः बहुत घटिया किस्म का होता है तथा उस अयस्क के पैलेट बनाकर उसका निर्यात करने से अधिक लाभ होगा ;

(ख) क्या सरकार को इस बात का भी पता है कि मैसर्स चौगू (प्राइवेट) लिमिटेड की पैलेट बनाने के कारखाने में ऐसी सफलता मिली है जिससे पता चला है कि अयस्क की बजाय पैलेटों का निर्यात करने से निर्यात सामग्री की मात्रा कम हो जाती है तथा अन्य देशों में आयातकर्ताओं की ओर से किस्म के बारे में शिकायतें किये जाने की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है ; और

(ग) क्या गैर-सरकारी क्षेत्र में पैलेट बनाने के कारखाने के अच्छे काम को देखते हुए गोवा में सरकारी क्षेत्र में पैलेट बनाने का कोई कारखाना स्थापित करने के प्रस्ताव पर सरकार अन्तिम रूप से विचार कर रही है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) पिंड लोह अयस्क पाउडर-अयस्क से लोह मात्रा की तुलना में निम्न है। गोवा में उत्पादित पिंड अयस्क में लोह मात्रा सामान्यता 50 प्रतिशत के (लोह) से कम हैं। संसाधित खनिजों का निर्यात लाभप्रद हो सकता है बशर्ते कि माल के लिए मार्किट हो और उसके मूल्य विदेशी क्रेताओं को आकर्षित करने के लिए स्पर्धा योग्य हों।

(ख) गोवा में उत्पादित लोह अयस्क सूक्ष्म जिन्हें पैलेटस् में उपयोग किया गया, के निवेश तथा उत्पादन का अनुपात 1967 तथा 1968 में क्रमश: 1.34 : 1 तथा 1.13 : 1 है जिससे ज्ञात होता है कि पैलेटस् के भार से सूक्ष्मों के भार में लगभग 25% और 12% तक की कमी है।

(ग) चौथी योजना के दौरान गोवा में किसी पैलेटाइजेशन संयंत्र की स्थापना का प्रस्ताव नहीं है।

All India Conference on Alcohol. Tobacco and Narcotics.

8494.. Shri Sheopujan Shastri : Will the Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to a news-item published in the Navbharat Times of the 30th March, 1968 under the heading "Nashile padarthon ka prayog rokne ke liye Sammelan" ;

(b) whether the All India Council of Physical Education, New Delhi, had submitted to Government in March, 1968, a proposal to organise an All India Conference on Alcohol, Tobacco and Narcotics ; and

(c) if so, the decision taken in respect of giving grant for this purpose and whether Government propose to encourage such programmes ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) and (b). No. But an application dated 29.3.68 from Akhil Bharatiya Shareerik Shiksha Parishad was received requesting for a grant of Rs. 10,000/- to hold a conference from 3rd to 7th October, 1968, on Alcoholism, Tobacco and Narcotics.

(c) The matter is under correspondence.

Increase in Leucoderma Patients

8495. Shri Sheopujan Shastri : Will the Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Develpment be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the news-item published in the Nav Bharat Times and the Hindustan of the 26-27th June, 1968 under the heading "Nation-wide Survey of Persons suffering from Leucoderma" ;

(b) whether the number of patients of Leucoderma has increased during the last ten years ;

(c) whether any research has been conducted or is proposed to be conducted in India to overcome this disease and if so, the results thereof ;

(d) whether the All India Council of Physical Education, New Delhi has forwarded its scheme to the Delhi Administration and to his Ministry for the purpose of getting some grant therefor ; and

(e) if so, the decision taken by Government in this regard and the policy of Government in regard to research work and for giving assistance for this purpose ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) No.

(b) No nation-wide survey of Leucoderma has been undertaken so far and there is no evidence to conclude that the incidence of Leucoderma has increased.

(c) The I. C. M. R. has been supporting studies on the Physiological, biochemical and enzymological aspects of depigmentation of the human skin. The Council is also supporting a research scheme entitled "Study of pigmentary changes on the transplanted skin of Indian patients", and drug trials with a new drug "Psoralen" at the All India Institute of Medical Sciences, and Irwin Hospital, Delhi.

(d) & (e). The All India Council of Physical Education, New Delhi made a request to the Delhi Administration for a grant-in-aid of Rs. 28,000/-for undertaking a nation-wide survey of persons suffering from Leucoderma. The Administration referred this to this Ministry very recently. The request is being examined to determine the utility of such a survey.

संसद् भवन में ध्वनि-उपकरण संचलन कर्मचारी

8496. श्री विभूति मिश्र : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संसद भवन में ध्वनि उपकरणों का संचालन करने वाले कर्मचारियों को अनिवार्य सेवा कर्मचारी माना जाता है ;

(ख) यदि हां, तो उन्हें आवास समयोपरि भत्ता आदि क्या क्या सुविधाएं दी जाती हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि उन कर्मचारियों के वेतनमान उनके कार्यों तथा उन्हें सौंपे गये उत्तरदायित्वों की तुलना में बहुत ही कम हैं ;

(घ) क्या सरकार उनके वेतनमान बढ़ाने के लिए कोई कार्यवाही कर रही है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास और नगर-विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) उन्हें आवश्यक (एसेन्सियल) ड्यूटी स्टाफ घोषित करने का कोई विशेष आदेश जारी नहीं किया गया है।

(ख) वे केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की उसी प्रकार की श्रेणी के समान मिलने वाली सभी सुविधाओं के अधिकारी हैं।

(ग) जी नहीं। कर्मचारियों का वेतनमान उनकी ड्यूटियों तथा उन्हें सौंपे गये उत्तर-दायित्वों के अनुरूप हैं।

(घ) जी नहीं।

(ङ) कर्मचारियों का वेतन मान द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप संशोधित किया गया था। ऐसी अवस्था में वेतन मान का और पुनरीक्षण करना न्यायसंगत नहीं है।

सहायक इंजीनियरों की सीधी भर्ती

8497. श्री एस० डी० सोमसुन्दरम् : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय-विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के प्रमुख इंजीनियर ने वर्ष 1967 में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की एक कर्मचारी संस्था को सूचित किया था कि अस्थायी रिक्त पदों के लिए सहायक इंजीनियरों की सीधी भर्ती रोक दी गई है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि वर्ष 1968 की परीक्षा में पचास अस्थायी रिक्त पदों के सहायक इंजीनियरों की सीधी भर्ती करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से प्रार्थना की गई थी ; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन और निर्माण, आवास और नगर-विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के प्रमुख इंजीनियर ने 1967 में सेवा की एक संस्था को गलती से यह सूचित किया कि श्रेणी II के अस्थाई पदों में नई भर्ती के लिए विज्ञापन न देने का निर्णय किया गया था।

(ख) केन्द्रीय इंजीनियरिंग सेवा श्रेणी II (अस्थाई) के लिए 30 उम्मीदवार, और केन्द्रीय इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेवा, श्रेणी II (अस्थाई) के लिए 10 उम्मीदवार, 1968 की परीक्षा से नामित करने की मांग आयोग के पास भेजी गई थी।

(ग) श्रेणी II की अस्थाई रिक्तियों में सीधी भर्ती को अलग करने के प्रस्ताव से संघ लोक सेवा आयोग सहमत नहीं हुआ, और यह सुझाव दिया कि श्रेणी II की सेवा के लिए उम्मीदवारों की आवश्यकता की सूचना दी जानी चाहिये, और इसलिए उपर्युक्त कार्यवाही की गई।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में सिविल सहायक इंजीनियरों की नियुक्ति

8498. श्री एस० डी० सोमसुन्दरम : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री 7 अप्रेल, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5520 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ लोक सेवा आयोग सम्बद्ध मंत्रालय की स्वीकृति के बिना भर्ती के नियमों में ढील करने का निर्णय नहीं कर सकता;

(ख) क्या यह सच है कि लिखित परीक्षा के बिना चुने गये उम्मीदवार संकटमय स्थिति में सब-डिवीजनल पदों का काम सम्भालने में असफल हैं क्योंकि वे संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की गई प्रतियोगी परीक्षा में सफल न हो सके; और

(ग) विभागीय स्नातक इंजीनियरों के पक्ष में, क्योंकि वे समान अर्हता प्राप्त, अच्छे अनुभवी और अपनी पदोन्नति की बहुत समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं और आयु का प्रतिबन्ध होने के कारण वे संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में नहीं बैठ सके ?

स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन तथा निर्माण, आवास और नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां। भर्ती नियमावली में छूट देते हुए, केन्द्रीय इन्जीनियरिंग सेवा द्वितीय श्रेणी (अस्थाई) के लिए तदर्थ आधार पर भर्ती का निर्णय सरकार तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करने के बाद लिया गया था।

(ख) जी नहीं। ऐसा जरूर मान लेना चाहिए कि उचित और उपयुक्त व्यक्तियों को भर्ती किया गया था।

(ग) उस समय सहायक इन्जीनियर के ग्रेड में ग्रेज्युएट सैक्शन आफीसर्स की पदोन्नति के लिए पात्रता के मान में वास्तव में छूट थी।

महलनवीस समिति का आय विवरण पर प्रतिवेदन

8499. श्री प्र० रं० ठाकुर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आय के वितरण के सम्बन्ध में महल-नवीस समिति के दूसरे और अन्तिम प्रतिवेदन को अन्तिम रूप दे दिया गया है तथा उसे सरकार को प्रस्तुत कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रतिवेदन को सरकार का संसद् में कब सभा पटल पर रखने का विचार है ; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

(ग) समिति ने सरकार को सूचित किया है कि समिति की पिछली दो बैठकें 9 नवम्बर और 18 नवम्बर 1968 को हुई थीं। अन्तिम रिपोर्ट सात सदस्यों की सहमति से स्वीकार की गयी थी। 12 नवम्बर, 1968 को हुई समिति की बैठक में यह निश्चय किया गया था कि उक्त रिपोर्ट उन तीन सदस्यों के पास भेजी जाय जो बैठक में उपस्थित नहीं थे और उनसे रिपोर्ट की प्राप्ति के 1 महीने के भीतर टिप्पणी सहित या टिप्पणी के बिना रिपोर्ट के सम्बन्ध में अपना अनुमोदन देने के लिए कहा जाय। तदनुसार 18 दिसम्बर, 1968 तक सम्बन्ध सदस्यां को रिपोर्ट की प्रतियां भेज दी गयी थीं ; दो सदस्यों ने तो टिप्पणी के साथ रिपोर्ट के सम्बन्ध में अपना अनुमोदन दे दिया है। तीसरे सदस्य के अनुमोदन की अभी प्रतीक्षा है।

इंडियन ड्रग्ज एण्ड फार्मेसिटिकल्स लिमिटेड के अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेश के विरुद्ध आरोपों के बारे में रिपोर्ट

†8501. श्री ई० के० नायनार : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इन्डियन ड्रग्ज एण्ड फार्मेसिटिकल्स लिमिटेड के अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक के विरुद्ध कुछ आरोपों के बारे में निदेशकों द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट की एक प्रति सभा पटल पर रखेगी ; और

(ख) क्या यह सच है कि अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक किसी गैर-सरकारी फर्म विशेष में नौकरी करने का प्रयत्न कर रहे हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री द० रा० चव्हाण) : (क) सरकार को इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मेसिटिकल्स लिमिटेड के अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक के विरुद्ध लगाये गये आरोपो की जानकारी नहीं है। ना हि निदेशको ने इस प्रकार की कोई रिपोर्ट तैयार की है।

(ख) जी हां, उन्हें 1 मई 1969 से सेवा से निवृत्त होने और उसी तारीख से गैर-सरकारी क्षेत्र में नौकरी स्वीकार करने की अनुमति दी गई है।

संश्लिष्ट औषधि निर्माण कारखाना हैदराबाद में स्टाक का जमा हो जाना

8502 श्री ई० के० नायनार : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या सरकार को पता है कि हैदराबाद स्थित संश्लिष्ट औषधि निर्माण कारखाने में भारी स्टाक जमा हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि इस कारखाने में उत्पादन, निर्धारित तिथि से बहुत पहले आरम्भ हो गया है; और

(घ) जमा स्टाक की बिक्री के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री द० रा० चव्हाण) : (क) संश्लिष्ट औषधि निर्माण संयन्त्र में कुछ स्टाक जमा हो गया है ।

(ख) इसके निम्न कारण हैं:—

(1) आयातित औषधियों के मूल्यों की तुलना में उत्पादन की उच्चतर लागत; और

(2) मार्किट में आयातित औषधियों का अधिक मात्राओं में उपलब्ध होना ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) निम्न प्रारम्भिक कार्यवाही की गई है :—

(1) इस संयन्त्र के उत्पादन कार्यक्रम में औषधियों के आयात पर प्रतिबन्ध; और

(2) उत्पादन के मूल्यों को कम करने के विचार से ; जिसके परिणामस्वरूप उत्पादों के विक्रय-मूल्यों में कमी आ जाए, मूल्य-ढांचा की जांच करना ।

ज्योंही आयातित औषधियों के स्टाक उत्तरोत्तर समाप्त होंगे, इस सन्यन्त्र के उत्पादों की खपत में सुधार होने की आशा है ।

झूठे डाक्टरी प्रमाण पत्रों पर बारी के बिना क्वाटरों का आवंटन

+8503. **श्री गयूर अली खां :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जिन कर्मचारियों को बारी के बिना क्वाटर मिले हैं, उनमें से अधिकतर कर्मचारियों ने झूठे डाक्टरी प्रमाणपत्र देकर ये सरकारी क्वाटर लिये हैं ; और क्या सरकार का विचार 1965 से इस प्रकार बारी के बिना आवंटित प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के क्वाटरों के मामलों की जांच करने का हैं ;

(ख) 1955 से भर्ती हुए कर्मचारियों की, जिनके क्वाटर मिलने के अवसरों पर बारी के बिना बहुत से क्वाटर दिये जाने के कारण प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, आवास समस्या को हल करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ग) 1955 से भर्ती किये गये प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के क्वाटरों के हकदार कर्मचारियों को सरकार द्वारा कब तक क्वाटर दिये जाने की सम्भावना हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) सम्बद्ध सरकारी कर्मचारियों द्वारा डाक्टरी प्रमाण पत्र के प्रस्तुत करने के आधार पर बिना बारी के क्वार्टर आंवटित किये जाते हैं। कुछ मामलों में यह शिकायतें प्राप्त हुई थी कि सरकारी कर्मचारियों द्वारा झूठे डाक्टरी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये गये थे लेकिन जांच करने पर वे प्रमाण पत्र वास्तविक साबित हुए। इन सब आवंटनों के मामले में जांच करने का प्रश्न नहीं उठता।

(ख) उन सरकारी कर्मचारियों की हित की रक्षा के लिये, जिनका नाम नियमित प्रतीक्षा सूचियों में है, बिना बारी से केवल कुछ ही स्थानों को भरा गया है। धनराशि की उपलब्धता के अनुसार सरकार सार्वजनिक पूल में से यथा सम्भव स्थान आंवटित करने के बारे में आवश्यक कार्यवाही कर रही है।

(ग) दिल्ली/नई दिल्ली में टाइप एक में 12 अक्टूबर, 1955 तक की प्राथमिकता वाले कर्मचारियों को क्वार्टर अलाट कर दिये गये हैं जबकि टाइप 2 में 3 जून 1949 वाले प्राथमिकता प्राप्त कर्मचारियों को क्वार्टर अलाट किये गये हैं। वर्ष 1955 में नियुक्त अधिकांश कर्मचारियों दिल्ली/नई दिल्ली में सार्वजनिक पूल से "टाइप एक" में क्वार्टर अलाट कर दिये गये हैं। लेकिन वर्ष 1955 में नियुक्त कर्मचारियों को टाइप दो दिल्ली/नई दिल्ली में सार्वजनिक पूल से क्वाटर अलाट करने में कुछ समय लगेगा। वर्ष 1968-69 में टाइप दो के 428 क्वार्टरों का निर्माण हुआ और वर्ष 1969-70 में दिल्ली/नई दिल्ली में 1128 'टाइप दो क्वाटरों का निर्माण जारी है या निर्माण किया जा रहा है। निम्न टाइप में अधिक क्वार्टर निर्माण करने की सरकार की नीति रही है।

सब्जी मण्डी के दुकानदार

+8504. **श्री काशीनाथ पाण्डेय :**

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री क्रमश : 14 अप्रेल, 1969 और 21 अप्रेल, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6260 और 7024 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1942 में दिल्ली विकास प्राधिकार द्वारा और पुन : 1959 में नगर निगम द्वारा किन शर्तों पर दुकानें आवंटित की गई थीं ;

(ख) क्या किराया अधिनियम के अन्तर्गत प्रत्येक सुनवाई के समय किराया तथा अन्य कर न्यायालय में जमा करा दिये गये थे और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) इस सम्बन्ध में कौन कौन अधिकारी दोषी हैं और उनमें से प्रत्येक व्यक्ति के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क), (ख) और (ग). अपेक्षित जानकरी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

उन्नत देशों से सहायता

8505. श्री शिवचन्द्र झा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्नत देशों ने अपने कुल राष्ट्रीय उत्पादन का 1 प्रतिशत अविकसित देशों के विकास के लिये देने का वचन दिया है ;

(ख) यदि हां, तो लक्ष्य की पूर्ति के लिये किन-किन देशों द्वारा वचन दिया जा चुका है तथा किन-किन देशों ने ऐसा वचन नहीं दिया है ;

(ग) वचन देने वाले देशों द्वारा लक्ष्य की पूर्ति कब की जायेगी ; और

(घ) सरकार ने संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन के देशों के माध्यम से उन देशों पर, जिन्होंने वचन नहीं दिया है, वचन देने के हेतु दबाव डालने के लिये क्या कार्यवाही की है तथा अब तक कितनी सफलता मिली है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क), (ख) और (ग). दूसरे संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन ने एक प्रस्ताव पास किया था जिसमें यह सिफारिश की गई थी कि आर्थिक दृष्टि से उन्नत प्रत्येक देश को चाहिए कि वह उन देशों की विशेष स्थिति को ध्यान में रखते हुए जो वस्तुतः पूंजी का आयात करते हैं, विकासशील देशों को प्रतिवर्ष बाजार मूल्य पर अपने कुल राष्ट्रीय उत्पादन के कम से कम 1 प्रतिशत भाग के बराबर के वित्तीय साधन वास्तविक भुगतानों के रूप में देने का प्रयत्न करें। लक्ष्य की पूर्ति के लिए कोई तारीख नियत नहीं की गयी थी। लेकिन, यह आशा की जाती है कि विकसित देश जितना जल्दी हो सकेगा, लक्ष्य तक पहुँचने का प्रयत्न करेंगे। आर्थिक विकास और सहयोग संगठन की विकास और सहायता समिति की 1968 की समीक्षा के अनुसार फ्रांस, नीदरलैंड और पुर्तगाल ने 1967 में, निर्धारित लक्ष्य से अधिक सहायता दी है

(घ) हर मुनासिब मौके पर सरकार इस मामले को उठाती है। परिणामों का पता यथा-समय ही चल सकता है।

भ्रष्टाचार निवारक विभाग द्वारा महाराष्ट्र में घड़ियां पकड़ना

8506. श्री रा० बरुआ :
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र के भ्रष्टाचार निवारक विभाग ने तस्करी से लाई गई बहुत अधिक संख्या में कलाई घड़ियां, जिनका मूल्य 31. 25 लाख रुपये था पकड़ी थीं ;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं ;

(ग) क्या ये घड़ियां सहकारी समितियों के माध्यम से बेची जाती हैं ;

(घ) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि इन घड़ियों के मूल्य बहुत हैं जिसके कारण धनी लोगो के अतिरिक्त इन घड़ियों को कोई नहीं खरीद सकता है ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार इनका रियायती मूल्य निर्धारित करने पर बिचार करेगी ताकि निम्न आय वाले लोग भी उन्हें खरीद सकें ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्तमंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) महाराष्ट्र के भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो ने 27 मार्च 1969 को बम्बई में वार्डन रोड से परे समुद्र-तल से 20 टीन बाहर निकाले जिसमें विदेशों में बनी 19881 हाथ घड़ियां थीं, साथ ही एक टूटी हुई नौका भी निकाली। ब्यूरो ने इन हाथ घड़ियों का मूल्य 31, 24, 250 रुपये आंका। यह मामला बम्बई सीमाशुल्क को सौंप दिया गया है।

(ख) पकड़ी गयी हाथ घड़ियों का कोई दावेदार नहीं था और कोई गिरफ्तारियां नहीं की गई।

(ग) सभी जब्तशुदा हाथ घड़ियां राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ लिमिटेड, सैनिक कैंटीन भंडारों और गृह मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही उपभोक्ता सहकारी समितियों के माध्यम से बेची जाती हैं।

(घ) जब्तशुदा हाथ-घड़ियों की खुदरा कीमत, भारत में उसी प्रकार की हाथ-घड़ियों की बाजार कीमत को ध्यान में रखते हुए और उसमें से हाथ-घड़ियों की किस्म के मुताबिक 10 प्रतिशत से 30 प्रतिशत तक घटा कर निर्धारित की जाती है जिससे कि उन हाथ-घड़ियों को समुचित अवधि के भीतर बेचा जा सके।

(ङ) जी, नहीं।

सरकारी उपक्रमों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों की पदोन्नति

8507. श्री अ० श्री० कस्तूरे : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों के गोपनीय अभिलेखों के वर्गीकरण के तरीके के बारे में गृह-कार्य मंत्रालय के हाल के आदेश उनके मंत्रालय के अधीन विभिन्न सरकारी उपक्रमों में क्रियान्वित किये जा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनके मंत्रालय के अधीन सरकारी उपक्रमों में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित आदिम जातियों के कितने कर्मचारियों की श्रेणीवार पदोन्नति की गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो संविधान में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित आदिम जातियों के लिये पदों का आरक्षण के लिये विशिष्ट उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए इन आदेशों के अब तक क्रियान्वित न किये जाने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० रा० चव्हाण) : (क), (ख) और (ग) . सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

जिन कर्मचारियों के पास अपने मकान हैं उन्हें सरकारी क्वाटरों का आवंटन

8508. श्री रा० मो० बनर्जी : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री 24 मार्च, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4222 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि वे विभिन्न पहलू क्या हैं जिनके कारण उन कर्मचारियों को जिनके पास अपने मकान हैं दिल्ली में केन्द्रीय पूल से सरकारी क्वाटर पाने का हकदार बनाया गया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास और नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : मकानदार सरकारी कर्मचारियों को सरकारी वास के लिए पात्र घोषित करते समय, सरकार ने मुख्यत: निम्नांकित बातें ध्यान में रखी हैं:—

(1) सैनिक सेवा के अधिकारियों की हालत में यह उन सेवा की शर्तों का एक भाग है कि निर्धारित किराये की अदाएगी पर वे सरकार द्वारा रिहायशी वास के उपलब्ध किये जाने के पात्र हैं । सिविल अधिकारियों के सम्बन्ध में स्थिति समरूप नहीं है, परन्तु सिद्धान्तत:, यह वैसी ही है, जहां यह सेवा की एक शर्त नहीं है, अपितु सेवा की एक सुविधा है । उनके मामले में इस सुविधा को वापस लेने से काफी असुविधा होगी ।

(2) यदि मकानदार सरकारी कर्मचारियों को सरकारी वास के लिए अपात्र घोषित किया जाता है, तो यह उन सरकारी कर्मचारियों से पक्षपात होगा, जिन्होंने रिहायशी वास में धन लगाया है, अपेक्षाकृत उन लोगों के जिन्होंने पूंजी दूसरे प्रकार से लगाई है । मकान पर पूंजी लगाना न्यायसंगत है और उन सरकारी कर्मचारियों पर जो पूंजी आवास पर लगाते हैं उन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाना चाहिये ।

(3) एक सरकारी कर्मचारी, जो मकानदार है, भूमि-देय (ड्यू) और म्युनिसिपल कर तथा आय के ऊपर स्लैब दर पर आय-कर अपने वेतन से देता है जिससे ऋण तथा ब्याज की अदायगी के बाद एक साधारण रकम की वास्तविक आय बच जाती है । अधिकतर सरकारी कर्मचारियों से, जिन के अपने मकान हैं, इन्हें ऋण और अग्रिम लेकर निर्मित किया है, और यदि प्रतिबन्ध लगा दिया जाय, तो उनके लिए ऋण वापस करना असंभव हो जाएगा ।

(4) देश भर में रिहायशी वासों की बहुत कमी को देखते हुए, सरकारी कर्मचारियों द्वारा निजी मकानों के निर्माण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये । सरकार ने ऐसे निर्माणों के लिए प्रेरित करने के लिए, कई योजनाएं आरम्भ की हैं । यदि

अपने मकान होने के कारण, सरकारी आवास के लिए अपात्र होने से, सरकारी कर्मचारी अथिक दृष्टि से अपने को घाटे में पायेंगे, तो सरकारी कर्मचारियों द्वारा मकान के निर्माण कार्य को धक्का लगेगा। पहले सरकारी आवास के आवंटन के लिए अपात्र घोषित करने के नियम ने, सरकारी कर्मचारियों की ओर से भवन-निर्माण के कार्य को निरुत्साहित किया।

इम्फाल के असैनिक अस्पताल में आंख तथा नाक कान और गले के डाक्टरों के पद

8509. श्री मेघचन्द्र : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास एवं नगर विकास मन्त्री 21 दिसम्बर 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5338 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंख तथा नाक, कान और गले के डाक्टरों के पदों को वर्गोन्नित करके विशेषज्ञ वेतनमान वाले पद बनाने के प्रस्ताव पर विचार किया गया है और क्या विशेषज्ञों के रिक्त पदों पर भी विशेषज्ञों की नियुक्ति की जाएगी ; और

(ख) यदि नहीं, तो उस पर कब विचार किया जायेगा और कब अन्तिम रूप दिया जायेगा ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास एवं नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख). वर्तमान वित्तीय कठिनाइयों के कारण पदों के वेतनमानों के उन्नयन पर रोक लगी हुई है। फिर भी नेत्र विशेषज्ञ के एक नये पद का सृजन करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। पद के सृजन होने पर नियुक्ति की जायेगी।

मनीपुर में चोरी छिपे लाया गया माल, जब्त किया जाना

8510. श्री एम० मेघचन्द्र : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा 1969 में अब तक मनीपुर में चोरी छिपे लाई गई कौन कौन सी वस्तुएं जब्त की गई ;

(ख) क्या उन वस्तुओं का निपटान कर दिया गया है ;

(ग) यदि हां, तो जिन वस्तुओं का निपटान किया गया है उन की सूची क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उन का निपटान किस प्रकार किया जायेगा ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) वर्ष 1969 के दौरान 15 अप्रैल, 1969 तक सीमा-शुल्क प्राधिकारियों ने चोरी छिपे लाये गये सन्देह वाला निम्न-लिखित माल मणिपुर में पकड़ा प्रत्येक माल का मूल्य उसके सामने नीचे दिया गया है:—

		मूल्य रुपयों में
i)	बर्मा के करेंसी नोट	6,907
ii)	बहुमूल्य नगीने	2,325
iii)	हाथ घड़ियां	16,620
iv)	मकेनिकल लाइटर्स	135
v)	लाइटर चकमक-पत्थर	450
vi)	मोटर गाड़ियों के पुर्जे	6,800
vii)	ट्रांजिस्टर रेडियो	550
viii)	सुपारी	1,025
ix)	चप्पलें	225
x)	अन्य माल	774
		35,811

(ख) माल का अभी तक निपटारा नहीं किया गया है ।

(ग) प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) यदि माल की जब्ती की गई है तो उसके निपटान-योग्य होते ही उसका निम्नलिखित तरीके से निपटान कर दिया जाएगा :—

i) करेंसी नोट भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा कर दिये जायेंगे ।

ii) बहुमूल्य नगीने नीलाम कर के लाइसेंस धारियों को बेच दिये जायेंगे ।

iii) सुपारी राज्य व्यापार निगम को बेच दी जाएगी ।

iv) मोटर गाड़ियों के पुर्जे महानिदेशक, पूर्ति तथा निपटान के माध्यम से आम नीलामी द्वारा बेच दिये जायेंगे ।

v) अन्य माल, राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ लिमिटेड के माध्यम से उपभोक्ता सहकारी भंडारों या सैनिक कैंटीन या गृह-मंत्रालय के अधीन सहकारी भंडारों को बेच दिये जायेंगे ।

Allopathic and Indigenous System of Medicines

8511. Shri Onkar Lal Bohra : Will the Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development be pleased to state :

(a) the expenditure incurred during the last three years on the import of allopathic medicines and other medical instruments to meet the requirements of the country ;

(b) the extent to which the requirements in the country are being met indigenously and the extent and nature of foreign assistance being received in this regard ;

(c) the nature of assistance being provided by the Central and State Governments in regard to the manufacture of indigenous medicines, i. e. Ayurvedic, Unani, and Homoeopathic ; and

(d) the expenditure incurred during the last three years on indigenous systems of medicines and also on allopathic system of medicine ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a), (b), (c) and (d). The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha in due course.

Rehabilitation of Oustees of Chambal Project

+8612. **Shri Onkar Lal Bohra** : Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state :

(a) the nature of assurances given to the residents of those villages which were submerged under the Chambal Project regarding their rehabilitation, employment, provision of water, electricity and land and the extent to which such assurances have been fulfilled, with details ,

(b) when the pontoon bridge between Bhainsaro Garh and Rawat Bhata, assurance in regard to which was given in the past, would be completed ;

(c) the amount of compensation paid to the villagers uprooted as a result of work on the Chambal project ; and

(d) the amount spent on Chambal project so far and the estimated expenditure to be incurred on completion of this project ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) The villages which were submerged under the Chambal Project were assured priority for provision of land, water and electricity. The State Government have reported that the facilities provided to displaced persons are:—31 schools, 42 chaupals, 14 roads, 6 dispensaries and 47 wells. Besides, a scheme of lift irrigation is under consideration by the Chambal Control Board. Apart from this, lands have been allotted for cultivation and bullock carts have been engaged for water supply in Kulthi Block.

(b) The State Government have reported that the work on bridges will be taken in hand shortly.

(c) Rs. 88.58 lakhs up to January 1969.

(d) The State Governmeut have reported that the expenditure incurred on Stages II and III of the Chambal Project was Rs. 35.54 crores and Rs. 10.27 crores respectively up to March 1969. It is anticipated that another Rs. 13.40 crores would be required to complete the works of both the Stages.

Hindustan Zinc LTD.

8513. **Shri Onkar Lal Bohra** : Will the Minister of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals be pleased to state :

(a) the present number of officials working in the various offices, factories and mines of the Hindustan Zinc Ltd., Udaipur ;

(b) the number of those who have come there on deputation and the names of their parent offices ;

(c) the date and basis on which and the grade in which each of the aforesaid officials was appointed ; and

(d) the pay drawn by each of the officials on deputation in his respective parent office and that being drawn by him in Hindustan Zinc Ltd., Udaipur, as also the period of his deputation ?

The Minister of state in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri Jagannath Rao) : (a) Number of officers in various units of the Company (in the scales of Rs. 400-950 above) is indicated below:—

Unit	No. of officers
(i) Head Office	16 (including Liaison Officer, New Delhi.)
(ii) Zinc Smelter	68
(iii) Zawar Mines	36
(iv) Lead Smelter	12
(v) Calcutta Office	1

(b), (c) and (d). A statement giving the required information is enclosed. (Placed in Library See No. LT—1012/69).

गोदावरी नदी तथा उसकी सहायक नदियां

8514. श्री नीतिराज सिंह चौधरी : क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोदावरी नदी तथा उस की सहायक नदियां किन किन राज्यों से हो कर बहती हैं;

(ख) गोदावरी नदी तथा उस की सहायक नदियों में 75 प्रतिशत पानी उपलब्ध होने पर प्रति वर्ष पानी के बहाव की मात्रा का औसत क्या है ;

(ग) उपर्युक्त मात्रा में क्रमश : महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तथा आन्ध्र प्रदेश से कितना पानी आता है ;

(घ) गोदावरी नदी तथा उस की सहायक नदियों के पानी की कितनी मात्रा का क्रमश: महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तथा आन्ध्र प्रदेश द्वारा सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है ; और

(ङ) गोदावरी नदी तथा उस की सहायक नदियों के जल से उपर्युक्त राज्यों में प्रत्येक राज्य अपने लिए बिजली की कितनी मात्रा का उत्पादन करता है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, उड़ीसा, मैसूर और आंध्र प्रदेश ।

(ख) और (ग) . कृष्णा गोदावरी आयोग, जिसने इस प्रश्न पर बड़े विस्तार से विचार किया था, ने यह बताया था कि इस समय 75 प्रतिशत निर्भरता के प्रवाह को अथवा निर्भरता के किसी और सिद्धान्त को तय नहीं किया जा सकता और विविध कल्पनाओं पर

निकाले गये आंकड़ों से गलत परिणाम निकल सकते हैं। अत: आयोग ने यह सुझाव दिया कि बेसिन में नियमित रूप से निस्सार प्रेक्षण किए जाएं। अब ये प्रेक्षण किए जा रहे हैं।

(घ) विविध राज्यों द्वारा औसतन वार्षिक उपयोग जैसा कि कृष्णा गोदावरी आयोग को बताया गया था (1961-62) निम्नलिखित था :

राज्य	औसतन वार्षिक व्यपवर्तन टी० एम० सी० में		
	1951 तक	1951 से	कुल
आंध्र प्रदेश	392.8	27.5	420.3
मध्य प्रदेश	20.2	4.9	25.1
महाराष्ट्र	56.0	87.5	143.5
मैसूर	0.2	---	0.2
उड़ीसा	1.4	7.8	9.2

अद्यतन जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ङ) गोदावरी बेसिन में निम्नलिखित रूप से अब तक लगभग 137 मेगावाट लगातार वास्तविक बिजली शक्यता उत्पन्न की गई है :

स्कीम	राज्य	प्रतिष्ठापित क्षमता	वास्तविक बिजली शक्यता (संतत)	ऊर्जा उत्पादन (1968-69)
पुर्ना	महाराष्ट्र	7.5-7.5 मेगावाट के 3 यूनिट	4.5 मेगावाट	उपलब्ध नहीं
अपर सिलेरू	आंध्र प्रदेश	60-60 मेगावाट के दो यूनिट	44 मेगावाट	504.34 मिलीयन यूनिट
मचकुण्ड-वही- (70%भाग) ग्रौर उड़सा (30%भाग)		21-21 मेगावाट के 3 यूनिट और 17.25-17.25 मेगावाट के 3 यूनिट	84 मेगावाट	289.8मीलियन यूनिट 24.2 मीलियन यूनिट
निजामसागर	ग्रांध्र प्रदेश	5-5 मेगावाट के 3 यूनिट	सिंचाई के लिए छोड़े गये पानी पर निर्भर (5 मेगावाट औसत)	31.64मीलियन यूनिट

पश्चिम बंगाल में बोदरा में तेल निकालना

8515. श्री समरगुह : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने पश्चिम बंगाल में पोर्ट कैनिंग के निकट बोदरा कुएं की फिर से खुदाई करने के लिये कहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण है ;

(ग) क्या प्रारम्भिक जांच पड़ताल से यह संकेत मिले हैं कि पोर्ट कैनिंग के आस पास के क्षेत्रों तथा कलकत्ता के दक्षिणी भाग में पर्याप्त मात्रा में तेल और गैस मिलने की संभावना हैं ; और

(घ) यदि हां, तो वहां पर तेल और गैस की खोज की संभावनाओं का पता लगाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री द० रा० चव्हाण) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) इस क्षेत्र में अब तक तेल/गैस के व्यापारिक मात्राओं में कोई चिन्ह नहीं पाया गया है ।

(घ) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग संरचनाओं को जो व्यधन द्वारा परीक्षण के योग्य हों, जानने के विचार से पश्चिम बंगाल में आगामी भूकम्पीय सर्वेक्षण कर रहा है ।

यात्रा सम्बन्धी पाबन्दियों को विदेशों में व्यापार यात्रा के लिये शिथल करना

8516. श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम एशिया, पूर्व अफ्रीका और पूर्व एशिया के देश भारत के साथ व्यापार बढ़ाना चाहते हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि व्यापारियों तथा निर्माताओं पर यात्रा सम्बन्धी वर्तमान पाबन्दियां व्यापारिक सम्पर्क स्थापित करने तथा देश के पक्ष में मांग का पता लगाने के लिये उनके द्वारा समय समय पर यात्रा करने में बाधक हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार व्यापारिक दौरे करने के लिये व्यापारियों को अधिक छूट देने का है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क), (ख) और (ग). भारत और इन देशों के बीच व्यापार बढ़ाने की आम इच्छा है । रिजर्व बैंक व्यापार के उद्देश्य से की जाने वाली वास्तविक विदेश-यात्राओं के लिये पर्याप्त सुविधाएं देता है । निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ऐसे सभी व्यापारियों आदि को सामान्य अनुमति की सुविधा भी दी जाती है जो उस योजना के अन्तर्गत इसके लिए योग्य होते हैं । इस समय और रियायत देना आवश्यक नहीं जान पड़ता ।

दिल्ली में विदेशी एयर लाइंस कंपनियों के कार्यालयों पर छापे

8517. श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रवर्तन निदेशालय ने विदेशी मुद्रा विनियमों के उल्लंघन के संबंध में 1968 के आरम्भ में कुछ विदेशी एयरलाइंस कंपनियों के कार्यालयों पर छापे मारे थे ।

(ख) यदि हां, तो किन किन विदेशी एयरलाइंस कम्पनियों के कार्यालयों पर छापे मारे गये थे ; और

(ग) इस संबंध में की गई जांच के निष्कर्ष क्या हैं ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) . विदेशी मुद्रा विनिमय विनियमन अधिनियम 1947 के उपबन्धों के संदिग्ध उल्लंघन के लिये, अप्रेल 1968 में प्रवर्त्तन निदेशालय ने दिल्ली और बम्बई में मेसर्स मिडलईस्ट एयरलाइन्स के स्थानों की तलाशी ली थी ।

(ग) तलाशी के दौरान और जांच-पड़ताल के बाद पकड़े गये दस्तावेजों की छानबीन के आधार पर प्रवर्त्तन निदेशालय ने उक्त एयरलाइन्स और इसके कुछ अधिकारियों को विदेशी मुद्रा विनियम विनियमन अधिनियम 1947 का निश्चित प्रथम दृष्टया उल्लंघन करने के संबंध में दो कारण बताओ नोटिस जारी किये हैं । इन नोटिसों के उत्तरों की प्रतीक्षा है । इस मामले में और भी कुछ जांच-पड़ताल जारी है ।

इंजीनियरों को अपने उद्योग स्थापित करने की सलाह

8518, श्री बाबूराव पटेल : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 16 नवम्बर, 1968 को प्रधान मंत्री ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था में दीक्षान्त भाषण देते हुए इंजीनियरों को अपनी ओर से सलाह दी थी कि वे वैतनिक नौकरी पर निर्भर रहने के बजाय स्वयं अपने उद्योग स्थापित करें ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस कार्य को करने के हेतु इंजीनियरों की सहायता करने के लिए सरकार ने कोई योजना तैयार की हुई ; और

(ग) यदि कोई योजना है, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ।

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फकरुद्दीन अली अहमद) : (क) प्रधान मंत्री ने इंजीनियरों को नौकरी पर निर्भर रहने की अपेक्षा अपने उद्योग स्थापित करने का परामर्श दिया था ।

(ख) और (ग). इंजीनियरों, तकनीशियनों और अन्य तकनीकी योग्यता रखने वाले उद्यमियों को लघु उद्योगों की स्थापना में आर्थिक सहायता देने के लिए एक योजना "माडल स्कीम" के नाम से तैयार की गई है और सभी राज्य सरकारों को भेजी गई ताकि वे राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत सहायतार्थ इसे भी सम्मिलित कर लें । योजना की प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं:-

(1) योजना का प्रमुख उद्देश्य ऐसे तकनीशियनों इंजीनियरों और अन्य योग्य व्यक्तियों को प्रोत्साहन देना और सहायता करना है जो लघु उद्योगों की स्थापना में विशेष रुचि रखते हैं और उन्हें चलाने में समर्थ हैं, किन्तु अपर्याप्त आर्थिक साधनों के कारण ऐसे एककों की स्थापना करने में असमर्थ हैं ।

(2) राज्य क्षेत्र में यह योजना राज्य सरकारों और संघीय प्रशासनों द्वारा चलाई जायेगी ।

(3) सभी ऐसी तकनीशियन, प्राद्योगिकीविद, इंजीनियर तथा अन्य तकनीकी योग्यता रखने वाले व्यक्ति उदाहरण स्वरूप विज्ञान और वाणिज्य के स्नातक आदि यदि वे किसी औद्योगिक एकक के पूर्णतः या अंशतः स्वामी नहीं है तो वे यह सहायता प्राप्त करने के हकदार होंगे ।

(4) अर्हता रखने वाले व्यक्ति लघु उद्योग स्थापित कर सकते हैं किन्तु निम्नलिखित उद्योगों की प्राथमिकता प्रदान की जायेगी :—

(क) जो उद्योग आयात प्रतिस्थापन, निर्यात की उन्नति और कृषि विवेश के उत्पादनों में सहायक हों ;

(ख) जो बृहत् उद्योगों के सहायक उद्योगों के रूप में काम करें ;

(ग) वे उद्योग जो उपभोज्य आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन करते हों और देशीय कच्चे माल पर निर्भर हो ।

(घ) वे उद्योग जिनसे ग्रामीण कर्मशालाओं की स्थापना हो ।

(5) लघु उद्योगों के प्रकरण में एक उद्योग को आर्थिक सहायता 6. 20 लाख रुपये तथा सहायक उद्योगों के प्रकरण में 8 लाख रुपये से अधिक प्रारम्भ में नहीं मिलेगी ।

(6) आर्थिक सहायता निम्नलिखित रूपों में दी जायेगी:—

(क) स्थान भवन और मशीनें

40 प्रतिशत राशि राज्य के भाग के रूप में जहाँ कहीं आवश्यक समझा जाय, 55 प्रतिशत राशि लम्बी अवधि के ऋण के रूप में दी जा सकेगी और शेष 5 प्रतिशत राशि तकनीशियन और इंजीनियर इत्यादि द्वारा स्वंय जुटाई जायगी ।

(ख) कार्यकारी पूंजी

20 प्रतिशत अल्पकाल ऋण के रूप में प्राप्त हो सकेगी । 70 प्रतिशत वित्त प्रदायक संस्थाओं से प्रान्त करनी होगी और 10 प्रतिशत स्वयं उद्यमियों को देनी होगी ।

(7) मशीनों आदि की खरीद के लिए दिया गया ऋण 7 वर्षों में चुकाया जायेगा जबकि अन्य कार्यों के लिए दी गई सहायता की राशि 7 वर्षों के उपरान्त 5 वर्षों में चुकानी होगी ।

(8) यदि वित्त प्रदायी संस्थानों और बैंकों से जिनमें स्टेट बैंक आफ इण्डिया, स्टेट फिनांसियल कारपोरेशन आर अन्य वाणिज्यिक बैंक भी सम्मिलित हैं धन प्राप्त

करने में कठिनाई हो तो अचल पूंजी के लिए राज्य सरकारों द्वारा लम्बी अवधि के ऋण प्रदान किए जायेंगे ।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के कार्यकरण में सुधार

8519. श्री बाबू राव पटेल : क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 5 अप्रैल, 1968 को विभागवार "परफारमेंस आफ हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड" (हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड का कार्य) पुस्तिका निकाली जाने के बाद से अब तक हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के कार्यकरण में सुधार के लिये क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) "मेनेजमेंट आर्गेनाइजेशन", 'कंट्रोल टैकनीक", "कास्ट रिडक्शन", "सेल्ज प्रमोशन", जन शक्ति तथा अन्य विभागों के व्यय में विभागवार, वास्तविक रूप से, मासिक कितने रुपये की बचत हुई है ;

(ग) उपर्युक्त कार्य के लिए जिन विशेषज्ञों अथवा सलाहकारों से सलाह ली गई है उन के नाम क्या हैं तथा उन्हें कितना पारिश्रमिक दिया गया है ; और

(घ) उपर्युक्त उपायों के परिणामस्वरूप वर्ष 1968-69 के अन्त में बचत अथवा अन्य रूप में कुल कितने रुपये का लाभ होगा ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेट के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए किये गए/किये जा रहे विभिन्न उपायों का उल्लेख 'परफारमेंस आफ हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड' नामक पुस्तिका में किया गया है । इन उपायों को कार्यान्वित किया जा रहा है परन्तु पूर्ण परिणाम दृष्टिगोचर होने में कुछ समय लगेगा । यह बताना मुश्किल है कि इन उपायों में से प्रत्येक का क्या वित्तीय प्रभाव पड़ा परन्तु इनका सामूहिक प्रभाव यह हुआ है कि वर्ष 1967-68 की तुलना में वर्ष 1968-69 में उत्पादन अधिक हुआ हैं और प्रेषण भी अधिक हुए हैं। इस्पात पिण्ड के उत्पादन में 7.9 प्रतिशत और विक्रेय इस्पात में 8.2 प्रतिशत वृद्धि हुई। कच्चे लोहे के प्रेषण 5.1 प्रतिशत और विक्रेय इस्पात के 18.5 प्रतिशत अधिक हुए। कम्पनी की कुल बिक्री (आर्थिक सहायता और कोयला शोधनशालाओं की बिक्री को निकालकर) जो 1967-68 में 243 करोड़ रुपये थीं बढ़कर 1968-69 में 303 करोड़ रुपये हो गई। इन उपायों का सुझाने और कार्यान्वित करने के लिए केवल विशिष्ट कार्यों के लिए ही बाहर से परामर्शदाताओं की सेवाएं प्राप्त की गईं जैसे कम्पनी की उत्पादन-प्रोत्साहन योजनाओं में संशोधन करने के लिए हैदराबाद के एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कालेज के परामर्श और व्यावहारिक अनुसंधान प्रभाग की सेवाएं प्राप्त की गईं जिनके लिए उनको प्रतिवर्ष 2.5 लाख रुपये के लगभग दिए गए तथा दुर्गापुर इस्पात कारखाने के संधारण संगठन का अध्ययन करने के लिए राष्ट्रीय उत्पादकतापरिषद् की सेवाएं प्राप्त की गईं । हाल में एक जर्मन टीन ने राउरकेला इस्पात कारखाने के लिए कच्चे माल की सप्लाइ के बारे में एक रिपोर्ट दी है ।

पश्चिमी रेलवे के दिल्ली स्थित अन्य रेलवे यातायात लेखा कार्यालय में ग्रेड दो के क्लर्कों की पदोन्नतियां

8520. श्री जमना लाल :
श्री इसहाक सम्भली :
श्री रामचरण :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम रेलवे के दिल्ली स्थित अन्य रेलवे यातायात लेखा कार्यालय में, मध्य रेलवे में धारणाधिकार रखने वाले ग्रेड दो के कुछ क्लर्कों की पदोन्नतियां की गई हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो उनकी संख्या कितनी है तथा पदोन्नत किये गये इन क्लर्कों का पूरा ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि रेलवे बोर्ड ने इसी प्रकार के मामले में पहले ही निर्णय कर लिया है कि उपयुक्त व्यक्ति पदोन्नत किये जायें और उन्हें 'प्रफोर्मा' वेतन निर्धारण का लाभ दिया जाये ;

(घ) क्या यह भी सच है कि अन्य रेलवे लेखा कार्यालय के कर्मचारियों की उपेक्षा की गई है तथा रेलवे बोर्ड के अनुसार उन्हें लाभ नहीं दिया गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (ङ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

उत्तर रेलवे में सिगनलरों की कमी

8521. श्रीतुलसीदास दासप्पा : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे में पिछले पांच वर्षों से सिगनलरों की कमी है ; और

(ख) यदि हां, तो इन पदों पर नियुक्तियां करने के लिए क्या कारगर कार्यवाही की जा रही है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क)जी नहीं, इस संवर्ग में केवल थोड़े स्थान खाली हैं।

(ख) रिक्त पदों को भरने के लिए प्रबन्ध किया जा रहा है।

मैसर्स भारत कारपेट्स लिमिटेड, नई दिल्ली तथा फरीदाबाद

8522. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समवाय कार्य विभाग ने किसी भी समय मैंसर्स भारत कारपेट्स लिमिटेड, नई दिल्ली और फरीदाबाद के लेखों का निरीक्षण किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ।

(ग) क्या यह सच है कि अपने विभिन्न अनियमित कार्यों को छिपाने के लिए इस फर्म के प्रबन्धक फरीदाबाद स्थित अपने कारखाने में जानबूझकर बारंबार अनेक कर्मचारी नियुक्त कर रहे हैं और उन्हें निकाल रहे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है अथवा सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) नहीं, श्रीमान्

(ख) मैसर्स भारत कारपेट्स लिमिटेड 28-10-1965, को एक पब्लिक कम्पनी के नाम से पंजीकृत हुई है। इस कम्पनी के प्रतिकूल कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) तथा (घ). कम्पनी कार्य विभाग के पास कम्पनी के अनियमित कार्यकलापों से आरोपित, अथवा इसके कर्मचारियों की बार बार अदला बदली की बाबत, कोई शिकायतें नहीं है।

इंजीनियरी यूनिटों में संकट

8523. **श्री रामावतार शर्मा** : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नियंत्रित मूल्यों पर कच्चा माल न मिलने के कारण लघु इंजीनियरी यूनिटों को संकट का सामना करना पड़ रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इन यूनिटों को सहायता देने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) छोटे पैमाने के एकक दुर्लभ प्रकार के इस्पात और कच्चे लोहे की कमी का अनुभव कर रहे हैं इस आशय के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) छोटे पैमाने के एककों को दुर्लभ प्रकार के इस्पात का नियतन बढ़ा दिया गया है, और अधिक नियतन करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। विद्यमान आयात लाइसेंस नीति के अनुसार लघु पैमाने के क्षेत्र के वास्तविक प्रयोगकर्ता आयात करने के अधिकारी हैं।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के उत्पादकों के लिए क्रयादेश

8524. श्री वीरेन्द्र कुमार शाह : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 12 मार्च, 1969 के फाइनेन्शियल एक्सप्रेस में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि उपयुक्त ऋण व्यवस्था न होने के कारण हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के उत्पादों के लगभग 6,000 डालर के क्रयादेश किस प्रकार क्रियान्वित नहीं किये जा सके हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास, आंन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) (क) तथा (ख). मई 1968 में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड ने संयुक्त राज्य अमरीका के पूर्वी क्षेत्रों में अपने उत्पादों को बेचने के लिये मेरीलेंड अमरीका की एक पार्टी से बात चीत की थी। चूंकि सम्बन्धित पार्टी ने इस हेतु एक नयी कम्पनी चालू करनी थी इसलिये हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के उत्पादों के वितरण से पूर्व यह शर्त थी कि वह पार्टी पहले कम्पनी को पंजीयित करायेगी और पंजीयन प्रमाण पत्र तथा नई कम्पनी का उद्देश्य पत्र हिन्दुस्तान मशीन टूल्स को भेजेगी इसके अतिरिक्त चूंकि एक नयी कम्पनी का पंजीयन कराया जाना था, इसलिये समझौते में ऐसी व्यवस्था की गई थी कि पार्टी को मशीनी औजार ऋण के आधार पर भेजे जायेंगे। पार्टी ने प्रस्तावित नई कम्पनी को पंजीयत नहीं कराया और नहीं मशीनी औजारों के सम्भरण के लिये ऋण पत्र ही जारी किया। अतः हिन्दुस्तान मशीन टूल्स को विदेशी पार्टी से हुये करार को रद्द करना पड़ा। इस मामले में उपयुक्त ऋण न मिलने की व्यवस्था का प्रश्न ही नहीं उठता है।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड ने अपने उत्पादों को कनाडा तथा अमरीका के पूर्वी क्षेत्र में बेचने के लिये ओन्टारियों, कनाडा की एक मेसर्स आर० जी० गार्डनर मशीनरी लिमिटेड के साथ एक बिक्री अभिकरण करार किया है। मेरीलेड पार्टी के साथ पहले हुई बातचीत के कारण हिन्दुस्तान मशीन टूल्स को व्यापार की कोई हानि नहीं हुई है।

Running of Passenger Train on Buti Bori-Umrer Line

***8525. Shri N. R. Deoghare :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether Government propose to run a passenger train on the Buti Bori-Umrer line which has been constructed for transporting coal from the Umrer coal mines so that the people living in that area may get transport facility ;

(b) if so, the date by which the train is likely to be introduced ; and

(c) if not, reasons therefor ?

The Minister for Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a), (b) & (c). The Butibori-Umrer line was constructed for the movement of coal from the Umrer collieries. The question of opening this line to passenger traffic can be considered only when Stage II of the project (i. e. extension of the line to Umrer Town) is taken up and completed. A revised traffic survey for this extension has been carried out and the survey report is under the examination of the Railway Board. A decision regarding this extension will be taken after the examination is completed.

पूर्व रेलवे में विद्यार्थियों द्वारा रेल यातायात का रोका जाना

8526. श्री न० रा० देवघरे : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 14 अप्रेल 1969 के स्टेट्समैन में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि पश्चिम बंगाल में थोड़े से विद्यार्थियों ने अपनी मामूली सी मांगें मनवाने के लिये पूर्व रेलवे पर रेल यातायात रोक दिया था जिसके कारण अनेक रेलगाड़ियां देर से अपने गन्तव्य स्थानों पर पहुंची ; और

(ख) यदि हां, तो इन विद्यार्थियों के विरुद्ध तथा यातायात के रुकने के समय केवल दर्शकों की भांति खड़े रहने वाले पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां ; मामले का तथ्य यह है कि 1-4-69 से ब्लैक डायमण्ड एक्सप्रेस गाड़ी को हवड़ा-बर्दवान कार्ड के रास्ते चलाये जाने के विरुद्ध में प्रदर्शनकारियों ने इस गाड़ी को 29-3-69 को मेमारी स्टेशन पर रोक दिया था। इसके फलस्वरूप मेमारी स्टेशन पर सभी अप और डाउन गाड़ियों का आना-जाना दो घंटे तक बन्द रहा ।

(ख) स्थानीय पुलिस और सरकारी रेलवे पुलिस घटना-स्थल पर पहुँच गयी और उसने आवश्यक कार्रवाई की । पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है । और उसकी जांच-पड़ताल की जा रही है ।

मशीनी औजारों सम्बन्धी सर्वेक्षण

8527. श्री रामावतार शर्मा : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में लगाये गए मशीन औजारों के निर्माण ढांचे तथा अवधि वर्ग का पता लगाने लिये मशीनी औजारों का सर्वेक्षण किया है ; आर

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत किये जाने की संभावना है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) जी हां ।

(ख) अक्टूबर 1969 तक ।

रेलवे में श्रेणी 'एक' के पदों का दर्जा बढ़ाना

8528. श्री सूरज भान : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूतपूर्व मंत्री द्वारा नव वर्ष के उपहार की घोषणा करने के परिणामस्वरूप हाल में श्रेणी एक के 250 पदों का दर्जा बढ़ा कर उन्हें अखिल भारतीय आधार पर जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड तथा इन्टर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड के पद बनाया गया था ;

(ख) यदि हाँ, तो इन पदों पर श्रेणी वार क्रमश : अनुसूचित जातियों अनुसूचित आदिम जातियों तथा अन्य जातियों (गैर-अनुसूचित जातियों और गैर-अनुसूचित आदिम जातियों) के कितने अधिकारियों की पदोन्नति की गई है :

(ग) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के ऐसे कितने अधिकारा हैं हैं जो पदोन्नति के हकदार हैं किन्तु उनकी पदोन्नति नहीं की गई है तथा उनकी सेवा का विवरण क्या है अर्थात् श्रेणी एक के संवर्ग में उनका सेवा काल कितना है, सीनियर 'स्केल' में वे कितने वर्षों से कार्य कर रहे हैं तथा उन्हें वर्तमान ग्रेड में कब से स्थायी किया गया था ; और

(घ) क्या भविष्य में पदों के रिक्त होने पर उनके मामलों पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जायेगा ?

रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) कनिष्ठ प्रशासी ग्रेड के 106 और वरिष्ठ वेतनमान के 148 पदों का ग्रेड बढ़ाकर क्रमशः मध्यवर्ती प्रशासी ग्रेड और कनिष्ठ प्रशासी ग्रेड कर दिया गया है ।

(ख) और (ग). मांगी गयी सूचना इकट्ठी की जा रही हैं और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(घ) भावी रिक्तियों को भरते समय अधिक्रान्त अधिकारियों के मामलों की सदैव समीक्षा की जाती है ।

विधान परिषद के चुनाव में अध्यापकों को भाग लेना

***8529. श्री श्रीचन्द्र गोयल :** क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों ने सरकार को अभ्यावेदन किया है कि कानून में उपयुक्त संशोधन किया जाये ताकि वे अध्यापक निर्वाचन क्षेत्रों से विधान परिषदों के चुनावों में भाग ले सकें ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मांग के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्री मु. यूनस. सलीम) : (क) जी, हां ।

(ख) मामला विचाराधीन है ।

Implemntation of Order of Ministry of Home Affairs Under Official Language ACT

8530. Shri Molahu Prashad : Will the Minister of Law and Social Welfare be pleased to state :

(a) the steps taken by the Department of Social Welfare in view of the orders issued by the Ministry of Home Affairs under the Official Languages Act in regard to :—

(i) printing all of their publications in Hindi ;

(ii) preparation in Hindi of the Service Books concerning Class IV employees ;

(iii) obtaining funds from the Ministry of Finance for appointing additional translators and Hindi typists.

(iv) preparation of a programme to teach Hindi to all the officers and employees who are less than 45 years of age on the 1st January, 1969 ;

(v) insisting upon the Hindi knowing to work in Hindi ;

(vi) appointment of Hindi-knowing persons to the posts of Additional Secretary, Deputy Secretary and Under Secretary in order to implement the schemes for introducing and teaching of Hindi ;

(b) the dates on which the action was taken on the items mentioned in part (a) above, and the results thereof ; and

(c) the steps proposed to be taken to remove the anti-Hindi feeling in the Department ?

The Minister of State in the Department of Social Welfare (Dr. (SMT) Phulrenu Guha) : (a) (i) All publications are normally printed both in Hindi and English.

(ii) This will be given effect to as as soon as the Service Books in diglot form (Enlish and Hindi) are received from the Chief Controller of Printing and Stationery.

(iii) At present, requirement of the Department for translation and typing work are met with the existing ataff. The question of increasing staff for such work will be taken up as and when the situation demand. A post of whole-time Hindi officer has been created and the officer is likely to be appointed shortly.

(iv) Officers and employees required to undergo the training in Hindi are already being sent for the training in a phased manner, consistently with maintenance of efficiency in disposal of normal work.

(v) There is no restriction on the use of Hindi or English.

(vi) Posting of these officers is done by the Ministry of Home Affairs.

(b) Action was initiated on the relevant items soon after the Department was established in January, 1966. As can be judged from the details indtcated under Part (a), the results have been reasonably good.

(c) There is no anti-Hindi feeling in the Department.

Report of Committee on Railway Accidents

8531. Shri Brij Bhushan Lal: Shri Ram Gopal Shalwale: Shri Jagannath Rao Joshi: Shri Ranjit Singh: Shri Atal Bihari Vajpayee: Shri Bal Raj Madhok:

Will the Minister of Railways be pleased to state:

(a) whether the first report of the High-Level Committee on Railway Accidents has been received;

(b) if so, its recommendations; and

(c) the action taken by Government to implement them?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh): (a) to (c). Presumably the reference is to Railway Accidents Inquiry Committee-1968. Part I of the Report submitted by the Committee has already been laid on the Table of the House and the views of Ministry of Railways (Railway Board) on the various observations and recommendations made by the Committee have been circulated alongwith the Railway Budget Documents. Action as necessary has also been initiated in the light of the observations and recommendations of the Committee and the Government's views thereon.

Promotion of Assistant Station Masters in The Grade of Rs. 205-280

+8532. Shri Brij Bhushan Lal: Shri Ram Gopal Shalwale: Shri Jagannath Rao Joshi: Shri Ranjit Singh: Shri Atal Bihari Vajpayee:

Will the Minister of Railways be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Assistant Station Masters in the scale of Rs. 205-280 are not accepting their promotion as Station Masters in the same scale; and

(b) if so, the reasons therefor and the action taken in this regard?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh): (a) & (b). Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Station Masters and Assistant Station Masters

+8533. Shri Brij Bhushan Lal : Shri Ranjit Singh : Shri Ram Gopal Shalwale : Shri Jagannath Reo Joshi :

Will the Minister of Railways be pleased to state the number of permanent and temporary Station Masters and Assistant Station Masters actually required in various Divisions in various categories in the country and their actual number at present ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Rajdhani Express

8534. Shri Brij Bhushan Lal : Shri Ranjit Singh : Shri Ram Gopal Shalwale : Shri Atal Bihari Vajpayes : Shri Jagannath Rao Joshi : Shri Yashwant Singh Kushwah : Shri Har Dayal Devgun : Shri D. C. Sharma : Shri Beni Shanker Sharma : Shri Bal Raj Madhok : Shri R. K. Sinha : Shri Mayavan : Shri Maharaj Singh Bharati :

Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the special features of Rajdhani Express and the reaction of the public so far in regard to it ;

(b) the outlines of the future plan in this regard ; and

(c) whether its fare would be brought at par with the ordinary fare keeping in view the convenience of the general public ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) 101 Up/102 Dn Rajdhani Expresses, introduced from 1. 3. 1969, are running under diesel traction. Booked to run at a speed of 115 kmph these are the fastest trains introduced so far on the Indian Railways. They cover the distance of 1445 kms between New Delhi and Howrah in 17 hours 20 minutes, providing an overnight journey between these points. The classes of accommodation provided on this train are airconditioned sleeper and airconditioned chair car, the fares per passenger being Rs. 280 and Rs. 90 respectively. These fares are inclusive of the charges for evening tea dinner, morning tea and breakfast. A specially designed Pantry Car equipped with modern gadgets has been provided on this train for catering service. A lounge attached to the Pantry Car has been provided as an additional facility to airconditioned sleeper coach passengers. A Public Address System, with provision to play soft music and relay the A. I. R. news bulletins, is also fitted in the train.

The passengers have appreciated the facilities and service provided on this train.

(b) This is the first experimental fast train to be introduced in India. Techno-economic studies are under way to determine the feasibility of introducing more of such trains between principal cities depending upon the financial resoures.

(c) This train provides special facilities and there is no proposal for fares by this train to be brought at par with ordinary fares.

हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड

8535. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्रय, ठेके तथा विक्रय के लिये 500 रुपये मासिक से अधिक वेतन वाले पदों पर कर्मचारियों की नियुक्ति के लिये हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड द्वारा कोई नियम बनाये गये हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या ये नियम बनाने का कोई प्रस्ताव है।

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड ने कर्मचारियों की भर्ती, माल खरीदने और ठेके देने के बारे में नियम बनाये हैं। चूंकि हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेट उत्पादन-इकाई नहीं है, इसलिए विक्री के लिए कोई नियम नहीं बनाये गये हैं।

Industries in the Country

8536. **Shri Hukam Chand Kachwai**: Will the Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs be pleased to state :

(a) the total number of industries in the public and private sector in the country at present having an investment of more than Rs. 50 lakhs ; and

(b) the individuals and groups with which the private sector industries are connected ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed): (a) The information relating to the capital investment of the Joint Stock Companies (Government and non-Government separately) at work in India as on 31st March, 1965 in the various industries in the Public and Private sector has been published in Department of Company Affairs publication "Company News & Notes" dated 1st January, 1969 and 1st February, 1969. The information relating to the later period is not yet available.

(b) By the terms "individuals" and "Groups" the Hon' ble Member perhaps is referring to the companies comprising the Business Groups Houses in the country. This information is available in the report of Monopolies Inquiry Commission for the period ended 31st March, 1964. Information subseqent to 31st March, 1964 is not available for all the 75 Groups listed by M. I. C.

Sahu Jain Group of Industries

+8537 **Shri Hukam Chand Kachwai**: Will the Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs be pleased to state :

(a) the total capital invested in the Sahu-Jain group of industries at present ; and

(b) the ratio in which the industries and their capital investments have increased during the last three years ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade & Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) & (b). According to the information collected by the Monopolies Inquiry Commission, the total paid up capital of 26 companies belonging to the Sahu Jain Group stood at Rs 19.6 crores in 1963-64. After excluding 2 companies which went into liquidation since then, the total paid-up capital of the remaining 24 companies stoodat about Rs. 20.0 crores in 1966-67, showing an increase of about Rs. 0.4 crores over the period of 3 years. There is no information whether any new companies have been floated by the Group or have come under its control.

Staff strength of the Ministry

8538. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs be pleased to state :

(a) the total number of employees working in his Ministry ; and

(b) the break-up of gazetted and non-gazetted officials among them ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) 1138

(b) Gazetted : 193
Non-gazetted : 945

Employees working in the Ministry of Steel and Heavy Engineering

8539. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of Steel and Heavy Engineering be pleased to state :

(a) the total number of employees working in his Ministry at present ; and

(b) the break-up of Gazetted and non-Gazetted staff among them ?

The Minister of State in the Ministry of Steel & Heavy Engineering (Shri K. C. Pant) : (a) The total number of employees working in the Ministry, excluding subordinate offices, at present is 223.

(b) (i) Gazetted Officers 51.
(ii) Non-Gazetted Staff 172.

आसाम के आदिवासी आदिम जाति के लोगों को अनुसूचित आदिम जाति के रूप में मान्यता

8540. श्री बे० कृ० दास चौधरी : क्या विधि तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम आदिवासी परिषद् ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि आसाम के आदिवासी आदिम जातीय लोगों को संविधान में किये गये उपबन्ध के अनुसार अनुसूचित आदिम जाति के रूप में मान्यता दी जाये ; और

(ख) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) तथा (ख). अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की सूचियों के पुनरीक्षण का प्रश्न संसद के दोनों सदनों की संयुक्त समिति के विचाराधीन है।

समाज कल्याण योजनाओं पर व्यय

8541. **श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी** : क्या विधि तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत तीन वर्षों में समाज कल्याण योजनाओं पर काफी व्यय किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में किये गये व्यय का ब्यौरा क्या है तथा वह किस तरीके से व्यय किया गया है ; और

(ग) अगले तीन वर्षों में कितना धन व्यय किया जायेगा तथा किन शीर्षों के अन्तर्गत व्यय किया जायेगा ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार द्वारा सीधे अथवा केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के माध्यम से विभिन्न समाज कल्याण कार्यक्रमों की कार्यन्विति पर यह खर्च हुआ था। उपलब्ध खर्च का ब्यौरा इस प्रकार है :—

वर्ष	राशि (रुपए लाखों में)
1966-67	259. 91
1967-68	280. 05
1968-69	320. 42

(ग) इस समय यह बताना सम्भव नहीं है कि अगले तीन वर्षों में कितना खर्च होगा क्योंकि यह साधनों की उपलब्धि पर तथा कार्यन्वित की जा रही योजनाओं की प्रगति पर निर्भर करता है।

जांच तथा आदेश के निमित्त विचाराधीन फाइलें

8542. **श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी** : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि काफी बड़ी संख्या में फाइलों पर इस कारण कोई निर्णय नहीं लिया गया है कि मंत्री ने उनकी जांच नहीं की है और कोई आदेश नहीं दिए हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन पर शीघ्र निर्णय करने और आदेश जारी करने के लिए मंत्री जी क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Conversion of Narrow-Gauge Railway Lines into Broad Gauge

+8543. **Shri Yashwant Singh Kushwah :**
Shri Hem Raj :

Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the total length of Narrow-Gauge Railway lines in the country at present;

(b) whether any scheme has been chalked out to convert these narrow gauge lines into broad-gauge and metre-gauge lines ;

(c) if so, the details thereof ;

(d) the number of locomotives, bogies and goods wagons plying on these narrow gauge lines; and

(e) the number of locomotives and carriages rendered unserviceable each year on these lines and the arrangements that exist to replace them ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Route length of Narrow Gauge lines in the country, including non-Government Railway lines, as on 31-3-1968 was 4944 Kilometres.

(b) & (c). There is no proposal for the wholesale conversion of all narrow gauge lines to broad gauge or metre gauge. However, conversion of a particular narrow gauge section to wider gauge can always be considered on its merits.

(d) Narrow Gauge Rolling Stock in service as on 31-3-1968:—

	Govt. Rlys.	Non-Govt. Rlys.
Locos	438	95
Coaches	1754	311
Wagons	6120	1447

(e) i) Narrow Gauge Locos and Coaches taken off the line during (Govt. Railways only) :—

	1965-66	1966-67	1967-68
Locos	4	1	8
Coaches	56	44	68

ii) In the draft Fourth Plan frame for Railways the following Narrow Gauge locos and coaches have been proposed for procurement on Replacement account :—

Locos—10 Diesel.
Coaches—168.

मैसर्स किलिक्क इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, बम्बई

8544. श्री क० लकप्पा :
श्री यशपाल सिंह :

क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री मैसर्स किलिक्क इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, बम्बई के बारे में 3 दिसम्बर, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 489 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जानकारी इस बीच इकट्ठी कर ली है ; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) तथा (ख). नहीं, श्रीमान् । जांच-पड़ताल अभी तक प्रगति पर है । सूचना प्राप्त हो जाने पर यथा शीघ्र सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

मैसूर में रेयन की लुग्दी का कारखाना

8545. श्री बे० कृ० दास चौधरी : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निकट भविष्य में मैसूर राज्य में रेयन की लुग्दी का एक कारखाना स्थापित करने का सरकार का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो इस कारखाने पर कितनी लागत लगेगी तथा उसमें वार्षिक उत्पादन कितना होगा ; और

(ग) प्रस्तावित कारखाना कहां पर स्थापित किया जायेगा तथा वास्तव में कब कार्य करना प्रारम्भ कर देगा ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

बम्बई-वीरामगाम पैसेंजर ट्रेन को रेल डाक सेवा के डिब्बों को आग लगना

8546. श्री बे० कृ० दास चौधरी : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 15 फरवरी, 1969 को बम्बई-वीरामगाम यात्री गाड़ी का रेल डाक सेवा का डिब्बा आग लग जाने के कारण जल कर भस्म हो गया था और तीसरे दर्जे के एक डिब्बे को क्षति पहुँची थी ;

(ख) यदि हां, तो आग लगने का क्या कारण था ;

(ग) क्या उस सम्बन्ध में कोई जांच की गयी थी ; और

(घ) इस अग्निकांड के कारण रेलवे को कितनी हानि हुई ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) 15-2-1969 को बड़ौदा यार्ड में बम्बई-वीरामगाम सवारी गाड़ी में जुड़ा हुआ डाक तथा तीसरे दर्जे का डिब्बा आग से प्रभावित हुआ ।

(ख) और (ग). टपक रहे एक टंकी मालडिब्बे से रेल पक्ष पर गिरे हुए ईंधन तेल के यकायक जल उठने के कारण आग लगी ।

(घ) रेल सम्पत्ति को लगभग 55,000 रुपये की क्षति पहुँचने का अनुमान है ।

पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे का अलीपुरदुआर तथा बामनहाट रेल स्टेशन

8547. **श्री बे० कृ० दास चौधरी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे के अलीपुर-दुआर और बामनहाट स्टेशनों का महत्व कम हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इन स्टेशनों की बुकिंग क्लर्क इंचार्ज स्टेशनों के रूप में बदलने तथा कर्मचारियों को हटाने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

(ग) प्रश्न के भाग (क) में जिन स्टेशनों का ज़िक्र किया गया है, उनमें से बामनहाट को न्यू गीतालदह-बामनहाट खण्ड पर केवल एक इंजन प्रणाली लागू किये जाने के फलस्वरूप 6-7-1967 से एक फ्लैग हाल्ट में बदल दिया गया है और यहां एक बुकिंग क्लर्क इंचार्ज की व्यवस्था कर दी गयी है । 'केवल एक इंजन प्रणाली' किसी प्रकार से स्टेशन महत्व को कम नहीं करती और रेल उपयोगकर्ताओं के लिए जो सुविधाएं उपलब्ध है, उनमें किसी प्रकार की कमी नहीं की गयी है ।

तेज रफ्तार वाले रेल इंजन

8548. **श्री मायावन** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय तेज रफ्तार वाले रेल इंजन कितने हैं ; और

(ख) क्या हम तेज रफ्तार वाले इंजन उधार देते हैं ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) राजधानी एक्सप्रेस में जिस टाइप के इंजन लगते हैं, उस तरह के 72 डीज़ल बिजली इंजन हैं जो 120 कि० मी० प्रति घंटे की गति से चल सकते हैं ।

(ख) जी नहीं ।

Manufacture of Tractors by Mining and Allied Machinery Corporation, Durgapur

8549. Shri Maharaj Singh Bharati :
Shri Rajdeo Singh :

Will the Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs be pleased to state :

(a) whether the Mining and Allied Machinery Corporation, Durgapur has since received the report asked for from the National Industrial Development Corporation about the manufacture of tractors ;

(b) if so, which of the tractors—Zetor or the one invented by the Central Mechanical Engineering Research Institute has been recommended in the report ; and

(c) the number of tractors likely to be manufactured, the sale price thereof and the time by which they are likely to be manufactured ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) to (c). The NIDC have submitted the report on the manufacture of tractors. It is understood that they have also sent copies of the report to the Mining and Allied Machinery Corporation, Durgapur and to the Hindustan Machine Tools Ltd., Bangalore. The report is under examination and it would not be proper to disclose its contents at this stage.

भारत खादी ग्रामोद्योग संघ

8550. श्री भोगेन्द्र झा : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या यह सच है कि बिहार खादी ग्रामोद्योग संघ कार्यकर्त्ता यूनियन के अर्थात् सर्वश्री नरेन्द्र द्व, रघुनाथ प्रसाद वर्मा, सत्य नारायण ठाकुर तथा अन्य अनेक प्रमुख पदाधिकारियों को अनियमितताओं तथा भ्रष्टाचार के साक्ष्य को खत्म करने के लिए नौकरी से निकाला जा रहा है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : उपेक्षित जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह यथा-समय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिये नियतन

8551. श्री गं० च० दीक्षित : क्या विधि तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश राज्य में पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए कार्यकारी दल ने वर्ष 1968-69 के लिए 207.936 लाख रुपये के परिव्यय की सिफारिश की थी परन्तु वास्तव में केवल 194.37 लाख रुपये का नियतन किया गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि वर्ष 1969-70 के लिए कार्यकारी दल ने केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम के अन्तर्गत 159.12 लाख रुपये की अधिकतम सीमा की सिफारिश की थी ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार 1960-70 के लिए भी नियत राशि कम करने का है ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) तथा (ख). समग्र योजना प्राथमिकताओं और साधनों को देखते हुए अनुभागिक कार्यकारी दलों की सिफारिशों का हमेशा पुर्नविलोकन किया जा सकता है ।

(ग) संसद द्वारा बजट पारित कर दिये जाने के बाद वर्ष 1969-70 के लिए विभिन्न राज्य सरकारों के लिए आवंटन अन्तिम रूप से निश्चित किए जाते हैं ।

मध्य रेलवे के भुसावल-इलाहाबाद सेक्शन पर डीलक्स एक्सप्रेस

8552. श्री गं० च० दीक्षित : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के सभी भाग डी लक्स एक्सप्रेस की सेवा का लाभ उठा रहे हैं परन्तु मध्य रेलवे के भुसावल-इलाहाबाद सेक्शन को इस सेवा के लाभ से वंचित रखा गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभाग सिंह) : (क) और (ख). देश में महत्वपूर्ण महानगरों के बीच तेज गाड़ियों की व्यवस्था करने के लिए सभी उपलब्ध वातानुकूल एक्सप्रेस रेकों का अधिकत्तम उपयोग किया जाता है। यातायात सम्बन्धी औचित्य के अलावा अपेक्षित प्रकार के स्टाक और लाइन क्षमता आदि जैसे अन्य साधनों के अभाव में भुसावल-इलाहाबाद खण्ड पर इस समय वातानुकूल एक्सप्रेस गाड़ी चलाना व्यावहारिक नहीं है ।

Capital Express From Jabalpur to New Delhi Via Itarsi.

8553. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the former Railway Minister Shri S. K. Palil had agreed to introduce one Capital Exprass service from Jabalpur to New Delhi via Itarsi in 1964 ;

(b) if so, the action taken so far in this regard ;

(c) if no action has been taken, the reasons therefor ;and

(d) whether it is also a fact that ever since the railway lines have been constructed, no additional train service has been introduced in Allahabad-Jabalpur-Itarsi section except the Bilaspur-Indore Express which is not proving very useful in that big region ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) There is nothing on record about Shri S. K. Patil ex. Minister for Railways, having agreed to introduce such a services.

(b) & (c). Do not arise.

(c) No.

Guna-Maksi Railway Line

+8554. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the work on the Guna-Maksi Railway line has been totally stopped inspite of large expenditure having been incurred thereon ;

(b) if so, the reasons therefor and whether Government propose to take up the work early to complete the line ; and

(c) if so, the time by which the work would be completed ?

The Minister of Railway (Dr. Ram Subhag Singh) : (a), (b) & (c). The work on this line was never totally stopped but only slowed down. In view of the slow generation of traffic in this sector a re-appraisal of traffic is under way with a view to rephase the work. The question of fixing a revised target date for the completion of this line, taking into account the rate of traffic growth in the area, and subject to availability of adequate funds, is under consideration.

बनसुआ खान से लौह अयस्क के उत्पादन में कमी

8556. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :
श्री श्रद्धाकर सूपकार :

क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि रूरकेला इस्पात कारखाने की ग्रहीत (कैपिटल) खान, बनसुआ लौह अयस्क खान में उत्पादन 50 प्रतिशत कम हो गया है ;

(ख) क्या उत्पादन अत्यधिक घट जाने से इसकी प्रति टन उत्पादन लागत बहुत बढ़ गई है ;

(ग) यदि हां, तो प्रति टन उत्पादन लागत कितनी है ;

(घ) वर्ष 1966-67, 1967-68 और 1968-69 में अब तक हिन्दुस्तान स्टील ने गैर-सरकारी खान मालिकों से लौह अयस्क की कितनी मात्रा खरीदी है , और

(ङ) क्या यह खान बन्द कर दी जायेगी ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) राउरकेला इस्पात कारखाने की बरसुआ की लौह अयस्क खान से आजकल जिस कोटि का लौह अयस्क निकलता है, उसमें बाहर से खरीदा हुआ अच्छी कोटि का लौह अयस्क मिलाना पड़ता है, जिससे धमन भट्टियों का परिचालन मितव्ययी ढंग से हो सके इसलिए बरसुआ में लौह अयस्क का उत्पादन कारखाने की बरसुआ के लौह अयस्क की माँग के अनुसार किया जाता है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) राउरकेला इस्पात कारखाने ने गैर-सरकारी खान मालिकों से वर्ष 1966-67 में 6,76,505 टन, वर्ष 1967-68 में 4,93,752 टन, और अप्रेल 1968 से फरवरी 1969 की अवधि में 5,15,483 टन लौह अयस्क खरीद किया ।

(ङ) जी, नहीं ।

Halt of Trains at Mananpur Station

8557. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is a Railway station named Mananpur on the main-line on the Eastern Railway ;

(b) whether it is also a fact that many Government offices, High Schools, Bazars etc. are there in Mananpur region ;

(c) whether it is also a fact that after Independence only two Up and two Dn trains halt there, whereas four Up and four Dn trains used to halt at Mananpur Station during the British days ;

(d) if so, whether it is also a fact that any signed Memorandum was presented to him by the local public to increase the number of trains to halt there ; and

(e) if so, the reaction of Government thereof ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Yes.

(b) There are no schools/offices situated at Mananpur.

(c) Even during pre-independence days, Mananpur station was served by 2 trains each way.

(d) Yes.

(e) The request was examined but was not found justified on considerations of traffic.

Sheds and Platforms at Stations

8558. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a decision was taken at the meeting of the Divisional Railway Users Consultative Committee in Kota (Rajasthan) for constructing sheds and platforms at several Railway stations for which sanction of higher authorities has also been received ; and

(b) if so, the reasons for not constructing them ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) & (b). The Railway Users Amenity Committee had approved only provision of sheds over platforms at 28 stations on Kota Division. Out of these 28 stations sheds have already been provided at 8 stations. The need for the work at the remaining 20 stations was reviewed and proposals were dropped as the present level of passenger traffic dealt with at these stations did not justify the provision of sheds over platforms. Shady trees are however available at platforms of many of these stations.

Replacement of Clocks in Kota Railway Station

8559. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that almost all the clocks in the Kota Railway Division mostly remain out of order because of their being very old ; and

(b) if so, the number of clocks which are out of order at present and the objection that Government have in replacing them by new clocks ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) & (b). No. Only 15 out of 398 clocks on Kota Division are out of order at present. They are being replaced.

Transfer of Doctors Working in Kota Railway Hospital.

8560. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the number of Doctors in the Kota Railway Hospital and since when they have been posted at Kota ; and

(b) the reason for which they have not been transferred inspite of the fact that they have been working there for a long time ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) there are thirteen doctors in the Railway Hospital at Kota. The period of stay at the Hospital of these doctors is as under:—

5 doctors under one year
1 doctor under two years
1 doctor under three years
1 doctor under four years
4 doctors under five years
1 doctor under eight years

(b) No rigid period of stay of doctors at one place has been fixed. Periodical transfers are made keeping in viaw administrative requirements.

पिछड़े क्षेत्रों सम्बन्धी राष्ट्रीय विकास परिषद् की सिफारिशें

8561. श्री रा० कृ० बिड़ला :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय विकास परिषद् ने पिछड़े क्षेत्र निधारित करने की कसौटी के बारे में कुछ सिफारिशें की हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में यदि कोई सिफारिशें की गई हैं तो उनका ब्यौरा क्या है ;

(ग) उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार किया है ;

(घ) केन्द्रीय सरकार ने राजस्थान में किन-किन विशिष्ट क्षेत्रों को पिछड़ा क्षेत्र निर्धारित किया है ; और

(ङ) इन क्षेत्रों के लिए यदि कोई विकास योजनाएं हैं, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ङ). सम्भवतया उल्लेख राष्ट्रीय विकास परिषद् की सिफारिश पर औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों का निर्धारण करने तथा वहाँ उद्योगों के आकर्षण के लिए अभ्युपायों का सुझाव देने के लिए योजना आयोग द्वारा स्थापित दो कार्यकारी दलों की ओर है। कार्यकारी दलों ने अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिये हैं और यह राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा स्थापित समिति के विचाराधीन है और विचार के पूर्ण होने के पश्चात उन्हें सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

Visit of General Maneger, Western Railway to Sawai Madhopur (Western Railway)

8562. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is also a fact that the General Manager of the Western Railway visited Sawai Madhopur, Kota, on the 5th March, 1969 ;

(b) whether it is also a fact that Shri Meetha Lal Meena, Member of Parliament from that area was informed about this on behalf of Jaipur Division.

(c) whether it is also a fact that when Shri Meetha Lal Meena, informed the General Manager that he wanted to see him, but the latter did not give him time.

(d) whether it is also a fact that the General Manager met Shri Meetha Lal Meena for a short-while just for the sake of formality, while he was going away ; and

(e) if so, the reasons for such treatment being meted out to Members of Parliament and what action he proposes to take in such matters ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Yes.

(b) Yes.

(c) & (d). Shri Meetha Lal Meena, Member of Parliament, met the General Manager, Western Railway, who gave him a patient hearing. During the course of discussions, Shri Meena raised a number of points which were taken note of by the General Manager and action on the same is being processed by the Western Railway Administration.

(e) Does not arise.

Facilities for Railwry Employees Working in Goods Shed at Adityapur (South Eastern Railway)

8563. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of Railways be pleased to state:

(a) whether it is a fact that at Adityapur on the South Eastern Railway, there is a Goods Shed for Tata Factory ;

(b) if so the number of railway emplyees working there;

(c) whether it is a fact that no arrangements have been made there for providing facilities to the Railway employees, like supply of filtered water, primary schools for children, medical facilities, conveyance and train facilities, playgrounds, recreation centres, etc.

(d) if so, the reasons therfore ; and

(e) the steps proposed to be taken by Government for providing amenities to them ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) No.

(b) Dose not arise.

(c), (d) & (e). The following facilities exist for the Railway employees at Adityapur

(i) Two Primary schools, one in Hindi and the other in Bengali medium.

(ii) The Consumer Co-operative Society.

(iii) One Health Unit.

(iv) A mobile Library visits this Station once a month

(v) Adequate supply of filtered water.

Owing to paucity of funds recreational facilities like Railway institute, reading room etc. could not be provided.

'B' Grade Nurses in Railway Hospitals

+8564. Shri Molahu Prasad : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether all the 'B' grade Nurses working in all the Railway hospitals in the country have been given 'A' grade in pursuance of Railway Board letter No. E/(N.G.) 62 PM/16 dated the 9th September, 1963 ;

(b) if so, the details thereof, hospital-wise ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh): (a) to (c). Railway Board's letter No. E (NG) 62 PM 1/16 dated 14. 8. 1963 prescribes the channel of promotion for Nurses. According to the orders contained therein, vacancies of Nursing Sisters in the scale of Rs. 210-320 are to be filled by promotion of Staff Nurses in the scale of Rs. 150-280 who have put in 5 years service in that post and by those who possess Senior Nursing 'A' Certificate in whose case the condition of 5 years service will not operate ; direct recruitment is to be made to the extent staff are not available for promotion. No orders have been issued that all the 'B' grade Nurses (i. e. Staff Nurses) working in all the Railway Hospitals should be given 'A' grade (i. e. Rs 210-320)

Hindi Training Centres in Railways

8365. Shri Molahu Prasad : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Hindi Training Centres have been established by the Ministry of Home Affairs in the Zonal Headquarters of each Railway since 1961 ;

(b) whether it is also a fact that Hindi Parishads have also been established in each of the Zonal Headquarters ;

(c) if so, the names and designations of the Heads of the said Parishads ;

(d) the number of circulars relating to the (i) staff (ii) administrative matters and (iii) procedural matters issued in diglot form by each Headquarters since December 1968 ; and

(e) the full details in this regard ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Information is being collected and will be laid on the table of the Lok Sabha.

(b) to (d). A statement, giving the requisit informations, is attached.

[Placed in Liqrary, See No. LT-1013/69]

जेलों के इन्सपैक्टर जनरलों की बैठक

8566. श्री रा० कृ० सिंह : क्या विधि तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में हाल ही में जेलों के इन्सपैक्टर जनरलों की एक बैठक हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उसमें कितने विषयों पर चर्चा हुई और क्या-क्या सिफारिशें की गईं ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) जी, हां। सुधारात्मक सेवाओं सम्बन्धी एक गोष्ठी 11 से 13 मार्च, 1969 को हुई थी और अन्य लोगों के साथ-साथ उसमें जेलों के महा निरीक्षकों ने भी भाग लिया था।

(ख) गोष्ठी ने मुख्य रूप से निम्नलिखित बातों पर विचार विमर्श किया था:—

(1) अखिल भारतीय जेल नियम पुस्तक समिति के आधार पर राज्य जेल नियम पुस्तकों को दोहराने में प्रगति का पुनर्विलोकन।

(2) जेल कार्यक्रमों, संस्थाओं और बंदियों का वर्गीकरण, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा उपचार।

(3) कानून में परिवर्तन।

(4) खुले बन्दीगृह।

(5) सुधारात्मक कर्मचारियों की सेवा परिस्थितियां।

(6) जेलों में परिवीक्षा, बाद की देखभाल और कल्याण सेवाएं।

(7) प्रशिक्षण तथा अनुसंधान।

गोष्ठी की सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है।

कार्यालयों में टाइपराइटरों के रखरखाव पर व्यय

8567. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विभिन्न कार्यालयों से मैसर्स गोदेरेज टाइपराइटर कम्पनी द्वारा निर्मित अंग्रेजी/हिन्दी के टाइपराइटरों के घटिया काम की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ;

(ग) प्रत्येक मंत्रालय/अधीनस्थ सम्बद्ध कार्यालय में अंग्रेजी/हिन्दी के विभिन्न कम्पनियों के बने टाइपराइटरों की संख्या कितनी-कितनी हैं ; और

(घ) उन कार्यालयों ने विभिन्न कम्पनियों द्वारा बने टाइपराइटरों के रखरखाव/मरम्मत पर 1965, 1966 और 1967 और 1968 में कितना व्यय किया ?

औद्योगिक विकास आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) तथा (ख). जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) तथा (घ). चूंकि इस प्रकार के विभिन्न विवरणों की जानकारी इकट्ठी करने में लाने वाला समय तथा परिश्रम इससे प्राप्त होने वाले लाभ से कहीं अधिक होगा अतः विभिन्न मन्त्रालयों/कार्यालयों से इस प्रकार की जानकारी इकट्ठी न करना ही प्रस्तावित है।

प्रत्येक रेलवे में कल्याण निरीक्षण तथा सहायक कार्मिक (परसोनेल अधिकारी)

8568. श्री गाडिलिंगन गौड : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1969 को रेलवे के प्रत्येक क्षेत्र (जोन) में कितने कल्याण निरीक्षण तथा कितने सहायक कार्मिक (पारसोनेल) अधिकारी कार्य कर रहे थे ;

(ख) कितने कल्याण निरीक्षक और कितने सहायक कार्मिक अधिकारी, आशुलिपिकों और लिपिक/निरीक्षक वर्ग में से पदोन्नत किये गये हैं ;

(ग) प्रत्येक रेलवे जोन में से प्रत्येक वेतनमान में कितने-कितने आशुलिपिक कार्य कर रहे हैं ;

(घ) कल्याण निरीक्षकों/सहायक कार्मिक अधिकारी वर्ग में आशुलिपिकों को कितनी प्रतिशत प्रतिनिधित्व प्राप्त है ;

(ङ) 210-425 रुपये के ग्रेड के आशुलिपिकों के अपने वर्ग में पदोन्नति के कितने अवसर क्या हैं और 31 मार्च, 1969 को रेलवे जोनवार ऐसे पदोन्नति वाले पदों की संख्या कितनी थी ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (ङ). सूचना इकट्ठ की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

बिलैटों पर आधारित इस्पात के रिरोलर

8569. श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिलैट पर आधारित इस्पात रिरोलरों के सम्बन्ध में निम्नलिखित व्यौरा क्या है : (1) रिरोलर का नाम, (2) लोहा तथा इस्पात नियन्त्रण आदेश के अन्तर्गत स्वीकृत क्षमता, (3) किस-किस तारीख को स्वीकृत क्षमता बढ़ाने की अनुमति दी गई थी ; (4) बढ़ाई गई क्षमता, (5) कुल स्वीकृत क्षमता, (6) 31 दिसम्बर, 1968 तक गत तीन वर्षों के लिये कच्चे माल का औसत वार्षिक आवंटन, (7) श्री एस० सी० मुखर्जी की अध्यक्षता में हाल ही में नियुक्त तकनीकी समिति द्वारा आंकी गई क्षमता, और (8) संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा 1969 के लिये निर्धारित कच्चे माल का आवंटन ;

(ख) यदि कच्चा माल स्वीकृत क्षमता की आवश्यकता से अधिक आवंटित किया गया था तो रिरोलरों की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से लोहा तथा इस्पात नियंत्रण आदेश की त्रुटियों का लाभ उठाने में सांठ-गांठ करने के क्या कारण थे और जिन अधिकारियों ने आवंटन किया उनके नाम क्या हैं ; और

(ग) यदि 1969 के लिये आवंटन निर्धारित क्षमता के अनुपात से नहीं है, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क), (ख) और (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायगी।

पटना में बिहार खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग का कार्यालय

8570. श्री भोगेन्द्र झा : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1 अप्रेल, 1965 को बिहार राज्य (पटना) के खादी तथा ग्रामोद्योग एसोसिएसन के कार्यालय के कार्य को बिहार राज्य खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग को हस्तांतरित कर दिया गया था ;

(ख) क्या आयोग के बिहार राज्य कार्यालय (पटना) को पुनः खोलने का निर्णय किया गया है, यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या यदि आयोग का पटना कार्यालय पुनः कार्य करना आरम्भ करता है तो बिहार बोर्ड के सभी कर्मचारियों को जो आयोग का कार्य कर रहे थे, रख लिया जायेगा ; यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी हां, 16 अप्रेल, 1969 को हस्तान्तरित किया गया।

(ख) जी हां- मुख्य कारण ये हैं :—

(1) राज्य सरकार द्वारा स्थापना के व्यय की पूर्ति के लिए स्वीकृत धन की कमी के कारण राज्य खादी बोर्ड ने खादी और ग्रामोद्योग कार्यक्रम को क्रियान्वित करने में स्वयं को असमर्थ पाया है

(2) खादी और ग्रामोद्योग आयोग राज्य बोर्ड की गतिविधियों से निकट सम्पर्क रखना और राज्य में आयोग के निवेश पर निगरानी रखना आवश्यक समझता है।

(ग) इस प्रश्न पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा अब तक विचार नहीं किया गया है किन्तु समुचित विचार किया जायेगा।

उत्तर प्रदेश में पिछड़े क्षेत्रों का विकास

8571. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में पिछड़े क्षेत्रों के विकास, उन क्षेत्रों में सरकारी क्षेत्र के उद्योगों को स्थापित करने और प्राथमिकता के आधार पर उद्योगों की स्थापना के लिए इस अवधि में लाइसेंस देने का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) चौथी योजना में ऐसे क्षेत्रों के अग्रेतर विकास की योजना क्या है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). औद्योगिक विकास की योजना बनाते समय राज्य का समस्त क्षेत्र एक एकक माना जाता है। उत्तर प्रदेश में अब तक चार केन्द्रीय प्रायोजनाएं स्थापित हो गई हैं ये प्रयोजनाएं डीजल लोको फैक्टरी वाराणसी गोरखपुर फर्टलाइज गोरखपुर एण्टीवायोटिक्स फैक्टरी ऋषिकेष तथा इलैक्ट्रिकल ईक्विमेंट फैक्टरी हरिद्वार हैं। इन प्रायोजनाओं का कार्य तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में प्रारम्भ किया गया था। एक अन्य एकक जिसका नाम त्रिवेणी स्ट्रक्चरलर प्रायोजना है इस समय नैनी (इलाहाबाद) में चल रही है। राज्य क्षेत्र में स्थापित प्रमुख प्रायोजनाऐं, सीमेंट फैक्टरी चुर्क, और मीजन इन्स्ट्रूमेंट फैक्टरी लखनऊ हैं। एक अन्य सीमेंट फैक्टरी का कार्य डल्ला में प्रारम्भ हो गया है इस में इस वर्ष के अन्त तक उत्पादन प्रारम्भ होने की सम्भावना है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की अवधि में प्रस्तावित प्रायोजनाओं का विवरण योजना आयोग द्वारा प्रकाशित "चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (1968-74) का मसौदा" नामक पुस्तक में दिया गया है। छोटे पैमाने के उद्योगों का संगठन भी राज्य में विभिन्न उद्योगों के छोटे पैमाने के एकक स्थापित करने में उद्यमियों की सहायता करता रहा है। निजी क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने के लिए जारी किये गये लाइसेंसों की सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

उत्तर प्रदेश में रेलवे की लम्बाई

8572. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1950 में उत्तर प्रदेश राज्य में रेलवे की कुल कितनी लम्बाई थी ; और

(ख) उत्तर प्रदेश में इस समय रेलवे की कुल कितनी लम्बाई है ?

रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख). रेलवे लाइनों की लम्बाई के सम्बन्ध में सूचना राज्यवार नहीं, बल्कि केवल रेलवेवार संकलित की जाती है। 31 मार्च, 1950 और 1968 को खुले मार्ग मील/मार्ग किलोमीटर का ब्यौरा क्रमशः भारतीय रेल व्यवस्था पर रेलवे बोर्ड की रिपोर्ट-1949-50 भाग 2 (सांख्यिकी) और 1967-68 के लिए भारतीय रेल व्यवस्था पर रेलवे बोर्ड की रिपोर्ट के अनुपूरक के सांख्यिकीय विवरणों के विवरण 8 में दिया गया है। इन रिपोर्टों की प्रतियां संसद पुस्तकालय को दी गयी हैं।

पूर्वोत्तर रेलवे के स्टेशनों पर ठेकों को किराये पर देना

8573. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर रेलवे के रेलवे स्टेशनों पर लगभग सभी ठेके किराये पर दे दिये गये हैं जिससे कुछ कदाचार होते हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का कोई प्रस्ताव इस कदाचार को समाप्त करने का है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) रेल प्रशासनों के लिए यह अपेक्षित है कि इस सम्बन्ध में निगरानी रखें । जिन मामलों में यह सिद्ध हो जाता है कि ठेका किराये पर उठाया गया है, वहां ठेका समाप्त कर दिया जाना अनिवार्य है।

(ग) सवाल नहीं उठता ।

Scholarhips to Rajasthan Scheduled caste/Scheduled Tribes Students

8575. Shri Meetha Lal Meena : Will the Minister of Law and Social Welfare be pleased to state :

(a) the number and the names of the students belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes and studying in various calsses in various schools and colleges in District Sawai Madhopur cf Rajasthan, who have been getting Government scholarships during the year 1968-69 and the amount of scholarships granted to them ;

(b) whether the scholarships were granted monthly or yearly ;

(c) whether it is a fact that no scholarships of any kind were granted to the students belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes studying in the schools of Gangapur city ;

(d) if so, the reasons therefor ; and

(e) if not, the names of the students to whom scholarships were granted & the amount of scholarships granted to each of them.

The Minister of State in the Department of Social Welfare (Dr. (SMT) Phulrenu Guha) : Such student-wise and class-wise details are not readily available.

(b) Scholarships are normally sanctioned for the whole of the academic year but are distributed on a monthly or quarterly basis.

(c) to (e). This information is being collected from the State Government and will be communicated to the House on receipt.

Meena Tribes in Ganganagar, Rajasthan

8576. Shri Meetha Lal Meena : Will the Minister of Law and Social Welfare be pleased to state :

(a) the nature of various facilities being provided to the students of Meena Tribes Hostel located in Gangapur city (District Sawai Madhopur, Rajasthan) ;

(b) whether those facilities are actually being made available to them ;

(c) the average monthly expenditure borne be Government in respect of the said Hostel ;

(d) whether any Plan is under consideration in regard to its development;

(e) if so, the details thereof; and

(f) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Department of Social Welfare (Dr. (SMT) Phulrenu Guha) : (a) to (f). The information is being collected from the State Government and will be laid on the Table of the Sabha when received.

कमर्शियल क्लर्क और कमर्शियल इन्सपेक्टर

8577. श्री चंद्रिका प्रसाद : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे में कितने कमर्शियल क्लर्क और कमर्शियल इन्सपेक्टर कार्य कर रहे हैं;

(ख) प्रत्येक जोन में कितने-कितने कमर्शियल क्लर्क 450-575 रुपये, 370-475 रुपये, 330-425 रुपये, 250-380 रुपये, 205-280 रुपये, 150-240 रुपये और 110-200 रुपये, के ग्रेड में, अलग-अलग कार्य कर रहे हैं;

(ग) प्रत्येक जोनों में, विभिन्न ग्रेडों में, कुल कितने-कितने कमर्शियल इन्सपेक्टर कार्य कर रहे हैं;

(घ) रेलवे में ऐसे कमर्शियल क्लर्कों की संख्या कितनी है जिनका वेतन 575-00 रुपये हो चुका है; और

(ङ) कुल कितने कमर्शियल क्लर्क अपने ग्रेड के अधिकतम वेतन पर रुके हुए हैं ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) 36, 364

(ख) और (ग). 12 मार्च, 1968 के अतारांकित प्रश्न सं० 3643 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1014/69]**

(घ) और (ङ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

Collision Between a Motor Water Carrier and a Railway Engine

8578. Shri P. L. Barupal : Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a motor water carrier which had been supplying water to the people in famine affected villages in District Bikaner of Rajasthan had a serious collision with a rail engine on the 27th March, 1969 as a result of which the motor water carrier was destroyed and some passengers were injured; and

(b) if so, whether with a view to check such sudden and innumerable accidents, Govrnment would take necessary action after reconsidering the proposals and suggestions regarding security on Bikaner-Lalgarh railway line repeatedly made by the local Municipal Committee, Town development Trust, District Congress Committee, M. L. As. and M. Ps. ?

The Minister of Railyays (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Presumably the reference is to the accident in which a light engine moving from Bikaner to Lalgarh collided with a motor truck at a level crossing at kilometre 321/11-12 on 19.3.1969. In this accidant 2 persons sustained minor injuries.

Unless it is known as to what are the specific suggestions and proposais being referred to, a precise reply cannot be given.

अनुसूचित जातियों के लिए पीने के पानी का सर्वेक्षण

8579. श्री प्र० रं० ठाकुर : क्या विधि तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में समूचे देश में अनुसूचित जातियों के लिये पीने के पानी की समस्या के बारे में एक सर्वेक्षण किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण के मुख्य निष्कर्ष क्या थे ; और

(ग) ये इस बारे में अस्पृश्यता सम्बन्धी समिति के निष्कर्षों से कहां तक मेल खाते है ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फुलरेणु गुह) : (क) से (ग). ग्रामीण क्षेत्र में अनुसूचितजातियों को पीने के पानी की उपलब्ध के बारे में सूचना राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से एकत्रित की गई थी। उस अध्ययन से पता चला था कि पीने के पानी की ऐसी कमी 30,000 से ऊपर गांवों में थी।

अस्पृश्यता सम्बन्धी समिति ने पीने के पानी की कमी का सर्वेक्षण नहीं किया है, परन्तु उसने ऐसे लगभग 32 मामलों को सूची बद्ध किया है, जिन के बारे में उसे पता चला था कि वहां अनुसूचित जातियों के लोग वर्तमान सार्वजनिक सूत्रों से पानी नहीं ले सकते हैं

मेट्रोपालिटन क्रेडिट कारपोरेशन लिमिटेड, कलकत्ता

8580. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मेट्रोपालिटन क्रेडिट कारपोरेशन लिमिटेड, कलकत्ता की प्रदत्त शेयर पूंजी कितनी है ;

(ख) उसके अध्यक्ष का क्या नाम है ;

(ग) क्या यह सच है कि उपर्युक्त कार्पोरेशन ने समाज कल्याण संगठन से दो लाख रुपये उधार लिये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो खरीदी गई और बेची गई और सम्पति का ब्यौरा क्या है और इसमें किन-किन व्यक्तियों का हाथ है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद): (क) 6 मई 1963 को पश्चिमी बंगाल में पंजीकृत मेट्रोपालिटन क्रेडिट कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड की प्रदत्त पूंजी, 30 जून 1968 तक 71,000 रुपयों की थी।

(ख) कम्पनी के निदेशक मंडल में, 23-8-1968 तक निम्नांकित व्यक्ति सम्मिलित थे ;

1- श्री श्रीराम गोइन्का

2- श्रीमती उर्मिला देवी गोइन्का, तथा

3- श्रीमती सुशीला देवी गोइन्का

कम्पनी के अध्यक्ष का नाम, यदि कोई हो, तो पता नहीं है, सुनिश्चित करने पर यदि कोई होगा, तो उसका नाम सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

(ग) कम्पनी अधिनियम में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है, जिसके अन्तर्गत, इच्छित सूचना कम्पनी द्वारा अपनी विधिक विवरणियों में, भेजना अपेक्षित हो। तथापि 30-6-64 के कम्पनी के प्रथम तुलन-पत्र से यह देखा गया है कि इसने विविध पार्टियों से 2,33,760.44 रुपयों की सीमा तक प्रतिभूति रहित ऋण प्राप्त किये थे, एवं इस राशि में वर्षानुवर्ष, परिवर्तन होता रहा है।

(घ) 30-4-64 के कम्पनी के प्रथम तुलन-पत्र के अनुसार, भवन का मूल्य (लागत पर) 2,88,664 रुपये था। 30-6-68 तक के नवीनतम उपलब्ध तुलन-पत्र में, भूमि तथा भवन का मूल्य, 2,74,231 रुपये दिखाया गया है। 30-6-68 की वर्ष समाप्ति के कम्पनी के लाभ-हानि के लेखे से यह पाया गया है कि उस वर्ष में कम्पनी की 30,000 रुपयों की मुख्य आय, उसकी अचल सम्पतियों से प्राप्त किराये के कारण थी। कोई अन्य सूचना उपलब्ध नहीं है।

रेयनग्रेड पल्प के स्थान पर जूट स्टिक का प्रयोग

8581. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या औद्योगिक विकास आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेयनग्रेड पल्प के स्थान पर, जो देश में कम मात्रा में उपलब्ध है, जूट स्टिक का प्रयोग करने की कोई योजना बनाई जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा पटल पर रख दी जायेगी।

लघु उद्योगों का विकास

8582. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या औद्योगिक विकास आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी योजना की अवधि में, राज्यवार, प्रतिवर्ष लघु उद्योगों की कितनी वृद्धि की व्यवस्था की गई है ;

(ख) गत तीन योजनाओं की अवधि में लघु उद्योगा में कितनी वृद्धि की गई ।

(ग) यदि उद्योग की वृद्धि में प्रर्याप्त अन्तर है तो इसके क्या कारण है ; और

(घ) सरकारी संस्थाओं और विशेष कर स्टेट बैंक आफ इण्डिया द्वारा दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में लघु उद्योगों के विकास कार्यक्रम मुख्यतया सहायता तथा सुविधाओं को विभिन्न रूपों में प्रदान करने पर आधारित है। अतः चतुर्थ पंचवर्षीय योजनावधि में विभिन्न राज्यों में लघु उद्योगों की वार्षिक वृद्धि बता सकना सम्भव नहीं। फिर भी ऐसा प्रत्याशित है कि उन उद्योगों जोकि फैक्टरी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयत हैं में चतुर्थ पंचवर्षीय योजनावधि में 13 प्रतिशत की वृद्धि होगी।

(ख) तृतीय पंचवर्षीय योजनावधि में फैक्टरी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयत उद्योगों में 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। इससे पूर्वगामी योजनाओं में हुई वृद्धि की दर के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ग) इन उद्योगों की वृद्धि मुख्यत : अवस्थापना सुविधाओं की उपलब्धी उद्यमीय तथा प्रबन्धकीय प्रतिमा सरकार तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रदान की गई ऋण सुविधाओं तथा लघु अद्यमियों को आकर्षित करने के लिये दिये गये राजकोषीय तथा अन्य प्रोत्साहनों का लाभ उठाने के लिये दिये गये प्रयत्नों आदि पर निर्भर करती है।

(घ) राज्य वित्तीय कारपोरेशनें लघु उद्योगों की दीर्घकालिक ऋण की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम इन उद्योगों को मशीनें किराया-खरीद आधार पर देता है। राज्य सरकारें लघु उद्योगों को उनकी दीर्घकालिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उद्योगों को राजकीय सहायता अधिनियम के अन्तर्गत रियायती दर पर ऋण प्रदान करती है। स्टेट बैंक तथा उसके अधीनस्थ कार्यालय की फरवरी, 1969 के अन्त तक ऋणदान की सीमा कुल 165 करोड़ रुपये थी।

तीसरी योजना में अपूर्ण रहने वाली रेलवे परियोजनाएं और निर्माण कार्य

8583. **श्री मगलाथुमाड़ोम** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय रेलवे प्रयोक्ता सलाहकार समिति ने अपनी पिछली बैठक में तीसरी योजना में अपूर्ण रहने वाली रेलवे परियोजनाओं तथा निर्माण कार्यों को शीघ्र पूरा करने की सिफारिश की थी; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) तीसरी योजना में जिन परियोजनाओं और निर्माण कार्यों को आरम्भ किया गया था, साधनों की उपलब्धता के अनुरूप उन्हें यथासंभव शीघ्र पूरा करने के लिए हर प्रयास किया जा रहा है।

मध्य प्रदेश और राजस्थान में रेलवे लाइनें

8584. श्री नीतिराज सिंह चौधरी : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश तथा राजस्थान के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र में रेल लाइनों की लम्बाई सब से कम है ;

(ख) क्या उस क्षेत्र के तथा वहां की जनसंख्या के अनुपात में ये रेल लाइनें अत्यन्त अपर्याप्त हैं; और

(ग) इन क्षेत्रों में अधिक रेल लाइनों की व्यवस्था करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) रेलवे लाइनों की मार्ग-दूरी के सम्बन्ध में सूचना राज्यवार नहीं, बल्कि केवल रेलवे क्षेत्रवार संकलित की जाती है। 31 मार्च, 1968 का खुले मार्ग किलोमीटर, निर्माणाधीन लाइनों आदि का ब्योरा 1967-68 के लिए भारतीय रेल व्यवस्था पर रेलवे बोर्ड की रिपोर्ट के अनुपूरक के सांख्यिकीय विवरणों के विवरण 8 में दिया गया है। इस रिपोर्ट की प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ख) और (ग). रेलवे का विकास राज्य या क्षेत्र या क्षेत्रफल या जनसंख्या के आधार पर नहीं, बल्कि राष्ट्रहित के समग्र विकास की दृष्टि से किया जाता है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में वर्तमान रेल सुविधाएं क्षेत्र की यातायात सम्बन्धी सामान्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त समझी जाती हैं। फिर भी, अभी हाल में राजस्थान में उदयपुर-हिम्मतनगर और पोकरन-जैसलमेर लाइनें और मध्य प्रदेश में ओबरा-सिंगरौली और बेला-डिल्ला लाइन का निर्माण किया गया है। राजस्थान में हिन्दुमलकोट-श्रीगंगानगर और मध्य प्रदेश में सिंगरौली-कटनी और गुना-मक्सी लाइनों का निर्माण हो रहा है। इन दो राज्यों में किसी और नयी लाइन के सम्बन्ध में इस समय विचार नहीं किया जा रहा है।

औद्योगिक क्षेत्र में जापान का सहयोग

8585. श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र में जापान का अधिक सहयोग/सहकारिता प्राप्त करने के लिये उप देश के साथ व्यापारिक सम्बन्धों में और सुधार करने के लिये कार्यवाही की है ;

(ख) गत तीन वर्षों में भारतीय उद्योगों में जापान द्वारा कितनी पूंजी लगाई गई है;

(ग) इसी अवधि में तकनीकी जानकारी के रूप में कितनी सहायता प्राप्त हुई है; और

(घ) अन्य देशों से प्राप्त तकनीकी जानकारी की तुलना में जापान से प्राप्त तकनीकी जानकारी पर कितना व्यय हुआ है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) मित्रों देशों से जिनमें जापान भी सम्मिलित है सम्बन्ध बढ़ाने और उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में सहयोग/सहकारिता प्राप्त करने का सरकार का सदैव प्रयत्न रहता है ।

(ख) गत तीन वर्षों में उद्योगों में जापानी निवेश के स्वीकृत प्रस्ताव निम्न प्रकार थे:—

1966-67	—	3. 2 करोड़ रुपये
1967-68	—	1. 4 करोड़ रुपये
1968-69	—	कुछ नहीं

(ग) 1966-67 से 1968-69 तक की अवधि में जापानी पार्टियों के विदेशी सहयोग के 55 प्रस्ताव स्वीकृत हुए हैं ।

(घ) तकनीकी जानकारी का मूल्य उद्योगों के अनुसार और समय के अनुसार पृथक पृथक होता है । किसी ऐसे सामान्य निष्कर्ष पर पहुँचना जिसके आन्तरिक उद्योगों का समस्त क्षेत्र निहित हो, बड़ा कठिन है । किसी भी प्रकरण में तुलनात्मक अंकन नहीं किया गया है ।

दुर्गापुर इस्पात कारखाने का पुनर्गठन

8586. श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :

क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दुर्गापुर इस्पात कारखाने के पुनर्गठन के प्रश्न पर ब्रिटेन की सरकार के साथ बातचीत करने के लिये एक सरकारी प्रतिनिधिमंडल को लन्दन भेजा गया था ;

(ख) क्या इस्पात कारखाने के उत्पादन में सुधार करने के सम्बन्ध में एक ब्रिटिश प्रतिनिधिमंडल ने कई सुझाव दिये थे ;

(ग) क्या भारतीय प्रतिनिधिमंडल ब्रिटिश प्रतिनिधिमंडल द्वारा की गई सिफारिशों के बारे में ब्रिटिश सरकार के साथ बातचीत करेगा अथवा कारखाने के उत्पादन में सुधार करने के लिये उन्होंने कुछ अपने सिद्धान्त बनाये हैं ; और

(घ) प्रतिनिधिमंडल के दौरे के क्या परिणाम निकले हैं ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (घ). भारत सरकार के कहने पर ब्रिटिश स्टील कारपोरेशन ने पिछले वर्ष के शुरू में एक दल भारत भेजा था जिसका काम दुर्गापुर इस्पात कारखाने की आवश्यकताओं का पता लगाना तथा यह बताना था कि इस काम के लिए ब्रिटेन क्या क्या साज-सामान तथा तकनीकी सहायता दे सकता है । इसने कई सिफारिशें की थीं इन सिफारिशों पर विचार-विमर्श करने तथा उपकरणों, फालतू पुर्जों, आदि के लिए धन की व्यवस्था के बारे में बातचीत करने तथा कुछ विशेष कार्यों के लिए अंग्रेज प्रविधिज्ञों की परामर्शदाता के रूप में सेवाएं प्राप्त करने के उद्देश्य से इस्पात और भारी इंजीनियरी मंत्रालय के सचिव के नेतृत्व में एक दल पिछले महीने यू० के० गया था । आवश्यक प्रबन्धों के बारे में एक समझौता हो गया है बशर्ते दोनों सरकारें इस समझौते का अनुसमर्थन कर दें ।

"लेटेक्स फोम" के निर्माताओं की कठिनाइयां

8587. श्री वासुदेवन नायर : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि डनलप रबड़ कम्पनी छोटे कारखानों को समाप्त करने के विचार से "लेटेक्स फोम" जैसी छोटी वस्तुओं के उत्पादन के लिये वित्तीय सहायता दे रही है ;

(ख) क्या सरकार को "लेटेक्स फोम" बनाने वाले छोटे निर्माताओं से उनकी कठिनाइयों के बारे में कोई अभ्यावेदन मिला है ; और

(ग) यदि हां, तो इस उद्योग के छोटे कारखानों की रक्षा करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). लेटेक्स फोम निर्माताओं से इस आशय के अभ्यावेदन प्राप्त हुये थे कि लेटेक्स फोम के सभी निर्माताओं ने मार्च 1969 में अपने मूल्यों में 10 से 15 प्रतिशत की वृद्धि कर दी थी किन्तु डनलप ने लघु एककों को कुचलने के उद्देश्य से मूल्य में वृद्धि नहीं की । प्रतिनिधियों को यह बताया गया था कि डनलप का उत्पादन देश के कुछ उत्पादन का 30 प्रतिशत है अतः उसका अन्य सभी एककों को बाजार से निकालने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रतिनिधियों को यह भी आश्वासन दिया गया था कि सरकार डनलप के उत्पादन को उसके वर्तमान स्तर तक सीमित रखेगी ताकि लघु एककों को डनलप से बड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना न करना पड़े।

पठानकोट स्टेशन से दिल्ली अनाज लाया जाना

8588. **श्री विक्रम चन्द महाजन** : क्या रेल्वे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यद्यपि पठानकोट से दिल्ली अनाज (चावल, गेहूँ) भेजने के लिये परमिट की कोई आवश्यकता नहीं है फिर भी पठानकोट रेलवे स्टेशन के अधिकारी दिल्ली अनाज भेजने से इन्कार करते हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) पठानकोट रेलवे स्टेशन पर दिल्ली को चावलों के परेषण बुक कराने के लिये अब तक स्वीकार नहीं किये जाते जब तक उनके साथ पंजाब सरकार द्वारा जारी की गयी परिवहन पर्ची लगी नहीं रहती। जहां तक गेहूँ का सम्बन्ध है, ऐसी कोई शर्त नहीं लगायी गयी है।

(ख) यद्यपि उत्तरी चावल क्षेत्र (परिवहन) नियंत्रण आदेश, 1968 के अनुसार पठानकोट से दिल्ली चावल भेजने के लिए कोई सरकारी विनियम नहीं हैं, लेकिन ऐसा जान पड़ता है कि पंजाब सरकार ने यह आदेश जारी किया है कि ऐसे परिवहन के साथ परिवहन पर्ची लगी रहनी चाहिए। पंजाब सरकार द्वारा रेलों को ऐसे किसी आदेश की सूचना नहीं मिली हैं, लेकिन पठानकोट स्टेशन के अधिकारी इस अपेक्षित शर्त को जानकर इस पर अमल कर रहे हैं।

(ग) उत्तर रेल प्रशासन को आदेश दिया गया है कि राज्य सरकार से तुरन्त सम्पर्क स्थापित करें और स्थिति स्पष्ट करायें। राज्य सरकार को यह स्पष्ट रूप से बता दिया जायेगा कि जब तक वह उत्तरी चावल क्षेत्र (परिवहन) नियंत्रण आदेश, 1968 को संशोधित करते हुए रेल प्रशासन को तुरन्त कोई कानूनी तौर पर बन्धनकारी आदेश नहीं देती तब तक इस नियंत्रण आदेश के अनुसार परिवहन निर्बाध रूप से जारी रहेगा।

संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़ में हरिजनों का उत्थान

8589. **श्री हेमराज** : क्या विधि तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में हरिजनों के उत्थान के लिये पिछले दो वर्षों के आय-व्ययकों में कितनी धन राशि नियत की गई थी ; और

(ख) इन दो वर्षों में कितनी धन राशि का उपयोग किया गया तथा वर्ष 1969-70 के लिये कितनी धन राशि नियत की गई है ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) तथा (ख). पंजाब तथा हरियाणा राज्यों की हरिजन कल्याण योजनाएं चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र के हरिजनों पर भी लागू होती हैं। उक्त संघ राज्य क्षेत्र में इस प्रयोजन के लिए कोई विशेष योजना नहीं है।

"सील रहित" दियासलाइयों की बिक्री

8590. श्री रामावतार शर्मा : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दियासलाई बनाने वाली कम्पनियों द्वारा सील-रहित दियासलाइयों की बिक्री किये जाने की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ;

(ख) क्या सरकार का ध्यान इस ओर भी दिलाया गया है कि अब दियासलाइयों में पहले से कम तीलियां होती हैं और इस प्रकार परोक्ष रूप से दियासलाइयों के मूल्य में वृद्धि हो गई है ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) और (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक है तो मूल्यों में इस अनधिकृत वृद्धि को रोकने के लिए क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

औद्योगिक विकास आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) दिनांक 1.10.68 से दियासलाई बक्सों पर सील लगाना आवश्यक नहीं रहा हैं क्योंकि उत्पादन करने के लिए सील लगाने की प्रथा इस तिथि से समाप्त कर दी गई है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

संयुक्त अरब गणराज्य में लघु उद्योग के विकास के लिए भारत की सहायता

8591. श्री रामवतार शर्मा :　　　　　**श्री क०प्र० सिंह देव :**

क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त अरब गणराज्य ने उस देश में लघु उद्योगों का विकास करने के लिये भारत की सहायता मांगी है ;

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में भारत सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) संयुक्त अरब गणराज्य सरकार ने मोटर के हिस्से, मोटर गाड़ी तथा साइकिलों के पुर्जे बनाने के लिए काहिरा के समीप हेलवाम में एक सहायक औद्योगिक बस्ती स्थापित करने तथा मंसूरा में एक दूसरी साधारण और औद्योगिक बस्ती स्थापित करने के लिए भारत से सहायता मांगी है। इस प्रयोजन के लिए कुछ विशेषज्ञों की सेवाएं प्राप्त करने के लिए भी अनुरोध किया गया है।

(ग) आवेदन विचाराधीन है।

रेलवे संघों को मान्यता

8592. श्री चन्द्रिका प्रसाद :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे पहले से मान्यता प्राप्त दो संघो को छोड़कर कर्मचारियों के किसी अन्य संघ को मान्यता देने से इन्कार कर रहा है ;

(ख) मान्यता देने के सिद्धान्त क्या हैं ;

(ग) रेलवे में कार्य करने वाले रेलवे कर्मचारियों की प्रमुख ऐसोसियेशनों के नाम क्या हैं, उनके सदस्य कितने हैं और उनके प्रमुख पदाधिकारियों के नाम क्या हैं ;

(घ) वे सभी ऐसोसियेशनें रेलवे की मान्यता प्राप्त ऐसोसियेशन हैं और यदि नहीं तो इस के क्या कारण हैं ; और

(ङ) क्या सरकार बदली हुई परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सभी प्रमुख ऐसोसियेशनों को मान्यता देने के विषय में विचार करेगी ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 10 15/69**] जिसमें मोटे तौर पर वे मार्ग-दर्शक सिद्धान्त दिये गये हैं जिनके आधार पर क्षेत्रीय रेलों के महाप्रबन्धक, यदि मान्यता-प्राप्त यूनियन की आवश्यकता हो, तो किसी यूनियन को मान्यता दे सकते हैं।

(ग) और (घ). एक विवरण संलग्न है जिसमें उन यूनियनों के बारे में सूचना दी गई है जिन्हें क्षेत्रीय रेलों पर 19-9-68 से पहले मान्यता मिली हुई थी।

जहां तक रेलों में क्षेत्रीय स्तर पर काम कर रही गैर-मान्यता प्राप्त यूनियनों और अखिल रेलवे एसोसिएशनों के रूप में काम कर रही आल इंडिया रेलवे कमर्शियल क्लर्क्स एसोसिएशन' आल इंडिया गार्ड्स कौंसिल जैसी वर्ग-वार एसोसिएशनों का सम्बन्ध है, सरकार को उनकी सदस्य संख्या और पदाधिकारियों के बारे में विशिष्ट रूप से कोई जानकारी नहीं है।

इन्हें मान्यता नहीं दी गयी है क्योंकि भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित मार्ग-दर्शक सिद्धान्तों के अनुसार इन्हें मान्यता का पात्र नहीं समझा गया है।

(ङ) वर्गवार और अन्य यूनियनों को मान्यता देने के प्रश्न पर नये सिरे से विचार किया जा रहा है लेकिन निर्णय पर पहुँचने में कुछ समय लगेगा।

रेलवे में अत्यावश्यक तथा अनावश्यक कर्मचारियों का वर्गीकरण

8593. श्री चन्द्रिका प्रसाद :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **रेलवे मंत्री** रेलवे के अत्यावश्यक तथा अनावश्यक कर्मचारियों के वर्गीकरण के बारे में 26 मार्च, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 855 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे कर्मचारियों की अत्यावश्यक तथा अनावश्यक कर्मचारियों की श्रेणियों में वर्गीकृत करने के क्या सिद्धान्त हैं ;

(ख)कर्माशियल क्लर्कों को अनावश्यक वर्ग करार दिये जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या कर्माशियल क्लर्कों को दिन तथा रात के किसी समय ड्यूटी पर नहीं बुलाया जा सकता ;

(घ) यदि हां, तो यह बात किस कार्यादेश में अधिसूचित की गई थी ; और यदि नहीं तो कर्माशियल क्लर्कों को अत्यावश्यक करार न दिये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ङ) क्या सरकार उनके कर्त्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों को ध्यान में रखते हुए कर्माशियल क्लर्कों तो अत्यावश्यक घोषित करेगी ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (ङ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

रेलवे में कार्ड टिकटों की छपाई

8594. श्री चन्द्रिका प्रसाद :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या रेलवे मंत्री रेलवे में कार्ड टिकटों की छपाई के बारे में 20 फरवरी, 1968 को अतारांकित प्रश्न संख्या 1369 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस तथ्य का पता लगाने के लिये कि बुकिंग क्लर्कों के कार्य में पांच गुना वृद्धि हुई है अथवा नहीं, कुछ टिकट घरों की जांच कराई है ;

(ख) क्या बुकिंग क्लर्कों की वास्तविक कठिनाइयों का पता लगाने के लिए एक समिति नियुक्त करने का सरकार का विचार है ;

(ग) क्या बुकिंग क्लर्कों को विवरण (रिटर्न) तैयार करने के लिये महीने में एक बार भी कोई विशेष समय दिया जाता है ;

(घ) भारतीय रेलवे के किन स्टेशनों पर विवरण तैयार करने के लिये अलग कर्मचारियों की व्यवस्था की गई है ; और

(ङ) किस सिद्धान्त के अनुसार विवरण तैयार करने के लिये अलग कर्मचारी दिये जाते हैं ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जैसाकि अतारांकित प्रश्न 1369 के भाग (क) के उत्तर में बताया जा चुका है, बुकिंग क्लर्कों पर काम का भार बिकने वाले टिकटों की संख्या पर निर्भर हैं। जब कभी, किसी रेल प्रशासन के नोटिस में यह बात आती है कि किसी स्टेशन विशेष पर जारी होने वाले टिकटों की संख्या में भारी वृद्धि हो गई है और इसके फलस्वरुप बुकिंग क्लर्कों पर काम का भार बढ़ गया है, तो इस बात का आकलन किया जाता है कि वृद्धि किस सीमा तक हुई है ताकि यह मालूम हो सके कि वहां पर अतिरिक्त कर्मचारियों की तो जरुरत नहीं है।

(ख) जी नहीं।

(ग) कर्मचारियों की संख्या निर्धारित करने और काम के घंटे विनियम के अधीन उनकी संख्या निर्धारित करने और वर्गीकरण करने के लिए बुकिंग क्लर्कों के सभी विश्लेषण में विवरणियां तैयार करने में लगने वाले समय का भी ख्याल रखा जाता है।

(घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(ङ) केवल उन बड़े स्टेशनों पर विवरणियां तैयार करने के लिए अलग कर्मचारियों की व्यवस्था रहती है, जहां पर बुकिंग क्लर्कों पर काम का भार अत्यधिक रहता है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता का संशोधन

+8595. **श्री श्रीगोपाल साबू** : क्या विधि तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ध्यान दण्ड प्रक्रिया संहिता की भरण-पोषण के बारे में धारा 488 की ओर दिलाया गया है जिस में असमानता सम्बन्धी ये उपबन्ध हैं कि (1) मजिस्ट्रेट के निर्णय के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती (2) सैशन जज को भरण-पोषण के आदेश देने का अधिकार नहीं है जबकि उनके अधीनस्थ मजिस्ट्रेट को अधिकार प्राप्त हैं (3) ऐसे मामलों को विभिन्न स्तरों पर निबटाने के बारे में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है जबकि इसका उद्देश्य यह है कि पतियों या (पिताओं) को संक्षिप्त मुकदमा चला कर बाध्य किया जाये कि वह उपेक्षित पत्नियों और बच्चों के रहन सहन की सस्ती तथा शीघ्र व्यवस्था कर सकें ;

(ख) क्या उक्त असमानता को दूर करने के उद्देश्य से सरकार का विचार दण्ड प्रक्रिया संहिता में संशोधन करने का है जिससे सैशन जज को भरण-पोषण के अधिकार दिये जा सकें उक्त मामलों को छः महीने में निबटाने की सीमा निर्धारित और अपील की व्यवस्था की जा सके ; और

(ग) यदि हां, तो ऐसा कानून कब बनाये जाने की सम्भावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री मु. यूनस-सलीम) : (क) जी, नहीं

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के विकास के लिए कार्यक्रम

8596. श्री विश्व नाथ पाण्डेय : क्या विधि तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के विकास के लिये वर्ष 1969-70 के लिये अथवा चौथी पंच वर्षीय योजना में क्रियान्वित करने के लिये कोई कार्यक्रम राज्य सरकार द्वारा भेजा गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उस पर कितना धन खर्च होगा ; और

(ग) इस बारे में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फुलरेणु गुह) : (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1016/69**]

(ग) चतुर्थ पंच वर्षीय योजना को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

उत्तर प्रदेश में विकलांगों को छात्रवृत्तियां

8597. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या विधि तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967, 1968 और 1969 (मार्च तक) में उत्तर प्रदेश से (जिलावार) छात्रवृत्ति के लिये विकलांगों से कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए ;

(ख) उक्त वर्षों में जिलावार कितनी छात्रवृत्तियां स्वीकार की गई ; और

(ग) उन विद्यार्थियों के नाम क्या हैं; जिन्हें छात्रवृत्तियां प्राप्त हुई हैं और उन विद्यार्थियों के नाम क्या हैं जिनके आवेदन पत्र अस्वीकृत किये गये हैं ;

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह): (क) तथा (ख).

वर्ष	प्राप्त हुए आवेदन पत्रों की संख्या	दी गई छात्रवृत्तियों की संख्या
1967	77	19
1968	89	58
1969 (मार्च तक)	38	22

जिला-वार सूचना उपलब्ध नहीं है तथा छात्रवृत्तियां समस्त राज्य के लिए दी जाती हैं।

(ग) दो सूचियां, (1) चुने हुए उम्मीदवारों की अनुबंध 'ए' पर तथा (2) न चुने गए उम्मीदवारों की अनुबन्ध 'बी' पर, सभा पटल पर रखी जाती हैं। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1017/69**]

मैसर्स रायपुर मेटल प्रोडक्टस (प्रा०) लिमिटेड, मध्य प्रदेश की स्टेनलैस स्टील की चादरों के लिए दिये गये लाइसेंसों का दुरुपयोग

8598. **श्री तू० मू० सेठ** : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अक्टूबर, 1961 मार्च, 1962, अप्रेल-सितम्बर, 1962 और अक्टूबर 1962 से फरवरी 1963 की अवधि के लिये मैंसर्स रायपुर मेटल प्रोडक्टस (प्रा०) लिमिटेड मध्य प्रदेश को स्टेनलैस स्टील की चादरें और 'कायल अस्पताल वेयर' 'बनाने के लिये 'वास्तविक प्रयोक्ता' लाइसेंस दिये गये थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि अस्पताल में काम आने वाले उपकरण बनाने के बजाय उपर्युक्त कम्पनी ने आयातित स्टेनलैस चादरें तथा 'कायल' बेच दिये थे ;

(ग) क्या यह भी सच है कि 12 जून 1965 को स्थानीय पुलिस ने 6 बक्स पकड़े थे जिनमें बताया जाता है कि उपर्युक्त कम्पनी के गोदाम/गैरेज में तीरपुर के लिये बनाये गये "अस्पताल की ट्रे" रखी हुई थी ;

(घ) क्या पुलिस को उस माल में 'अस्पताल की ट्रे' के स्थान पर स्टेनलैस स्टील सर्किलें मिले थे ;

(ङ) क्या औद्योगिक विकास विभाग के एक अधिकारी द्वारा आयातित सामग्री के दुरुपयोग के इस मामले की जांच की थी और इन आरोपों को ठीक पाया है ;

(च) यदि हां, तो क्या इस कम्पनी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जा रही है यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां ।

(ख) से (छ). सूचना मिली है कि आयातित माल बेच दिया गया है। न्यायालय में मुकदमा दायर कर दिया गया है मामला न्यायाधीन है ।

मैसर्स रायपुर मेटल प्रोडक्टस (प्राइवेट) लिमिटेड

8599. श्री तु० मू० सेट : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिनियम की धारा 397 और 398 के अन्तर्गत समवाय विधि बोर्ड के लिए याचिकाओं में अभ्यावेदन देना अनिवार्य होता है ;

(ख) यदि हां, तो धारा 397 और 398 के अन्तर्गत 1965 की याचिका संख्या 12 में कोई अभ्यावेदन दिये गये थे ;

(ग) यदि नहीं, तो कोई अभ्यावेदन न दिये जाने के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या यह सच है कि उपर्युक्त याचिका में मैसर्स रायपुर मेटल प्रोडक्टस (प्राइवेट) लिमिटेड के विरुद्ध कानून के अनिवार्य उपबन्धों का उल्लंघन करने के बारे में गम्भीर आरोप लगाये गये थे ;

(ङ) क्या यह सच है कि गम्भीर त्रुटियों के दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध सम्बन्धित अधिकारियों ने कोई कार्यवाही नहीं की है ; और

(च) असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) नहीं, श्रीमान् ।

(ग) इस कम्पनी के विरुद्ध पहले कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी, तथा इसका निरीक्षण भी नहीं किया गया था, अतः न्यायालय के लिए, ग्रस्त निर्गमों पर किसी निर्णय पर पहुँचने में सहायता देने के लिए, कम्पनी विधि बोर्ड अथवा इसके क्षेत्रीय कार्यालयों के पास कोई सामग्री उपलब्ध नहीं थी ।

(घ) न्यायालय की याचिका में कानून के अतिक्रमण की बाबत, कुछ आरोप लगाये गये थे ।

(ङ) तथा (च). यह विषय निर्णयाधीन है, तथा आरोपों को सिद्ध करना पार्टी के ऊपर है। यह पता चला है कि कम्पनी के लेखे की किताबें, अन्य उद्देश्यों के लिए निर्यात की गई स्टेनलैस स्टील को बेचने से, आयात तथा निर्यात नियन्त्रण अधिनियम, के उल्लंघन के आरोपों पर, केन्द्रीय जांच विभाग द्वारा हस्तगत कर ली गई हैं ।

Mechanisation of Casheow Industry

8600. Shri Raghuvir Singh Shastri · Will the Minister or Industaial Development, Internal Trade and Company Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the process of extracting Cashew kernels from nuts has been mechanised in foreign countries and India would have to face stiff competion with them in cashew exports as a result thereof ; and

(b) if so, the steps taken by Government to mechanise India's cashew industry ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) Reports have been received that steps to establish mechanised cashew factories have been taken in certain African countries. The resultant impact (a) on supply of raw cashew nuts, and (b) price of finished products in the world market is likely to be felt after some time.

(b) Government are taking appropriate steps, consistent with our labour policy, to counter the possible adverse effects on our industry.

उत्तर रेलवे के विभागों में हिन्दी के बारे में निदेश

8601. श्री राजदेव सिंह : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे में विभागाध्यक्ष हिन्दी शाखा द्वारा परिचालित हिन्दी सम्बन्धी निदेशों को क्रियान्वित करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं करते ; जिससे उनके अधीनस्थ अधिकारी तथा कर्मचारी हिन्दी में काम करें ;

(ख) यदि नहीं, तो उन विभागाध्यक्षों के नाम क्या हैं जिन्होंने इस प्रकार के निदेशों को क्रियान्वित करने के लिए अपने अधीनस्थ अधिकारियों तथा कर्मचारियों को आदेश जारी किए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस प्रकार के निदेशों को वास्तव में क्रियान्वित करने के लिए उनके द्वारा क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) हिन्दी के सम्बन्ध में निदेश महा प्रबन्धक की ओर से कार्मिक शाखा द्वारा जारी किये जाते हैं और सभी विभागों में उन पर अमल किया जा रहा है।

(ग) सवाल नहीं उठता।

Memorandum from Employees of Heavy Engineering Corporation, Ranchi

8602. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of Steel and Heavy Engineering be pleased to state -

(a) whether it is a fact that Muslim employees of the Heavy Engineering Corporation, Ranchi, have sumbitted a Memorandum to Shri K. C. Pant, Minister of State in his Ministry ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) the action taken by Government so far in this connection ?

The Minister of State in the Ministry of Steel & Heavy Engineering (Shri K. C. Pant) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c). The memorandum has been passed on to the Chairman, Heavy Engineering Corporation for examination and necessary action.

चोला पावर हाउस, ठाकुरली (मध्य रेलवे) के कर्मचारियों को मकान किराया तथा नगर प्रतिकर भत्ता

8603. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को चोला पावर हाउस, मध्य रेलवे के कर्मचारियों के मकान किराया तथा नगर प्रतिकर भत्ते के बारे में कोई माँग प्राप्त हुई है ;

(ख) यदि हां, तो माँगों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) माँग यह थी कि कर्मचारियों को उन्हीं दरों पर मकान किराया भत्ता और नगर प्रतिकर भत्ते दिया जायें जिन दरों पर बम्बई में काम करने वाले कर्मचारियों को ये भत्ता दिये जाते हैं ।

(ग) चोला बिजली घर, ठाकुर्ली के कर्मचारी केवल मकान किराया भत्ता पाने के हकदार हैं, जो "ग" श्रेणी के नगरों में काम करने वाले कर्मचारियों को मिलता है । जनसंख्या के आधार पर ठाकुर्ली क्षेत्र को ऐसे स्थान के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है जहां काम करने वाले कर्मचारी उतना ही मकान किराया भत्ता और नगर प्रतिकर भत्ता पाने के हकदार हों जितना "क" श्रेणी के रूप में वर्गीकृत बम्बई क्षेत्र के कर्मचारियों को मिलता है । ठाकुर्ली क्षेत्र न तो बम्बई नगर निगम से लगा हुआ है और न इसकी सीमाओं से 8 किलोमिटर के घेरे के अन्दर है । इसलिए उन्हें उन दरों पर मकान किराया भत्ता और नगर प्रतिकर भत्ता देने की माँग को स्वीकार नहीं किया जा सका जिन दरों पर बम्बई क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को दिया जाता है ।

पश्चिम रेलवे में स्थानीय ढोला भावनगर गाड़ी का बोटाड ढोला भावनगर तक बढ़ाया जाना

8604. **श्री रा० की० अमीन** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम रेलवे में स्थानीय ढोला भावनगर गाड़ी को बोटाड ढोला भावनगर तक बढ़ाये जाने की जनता द्वारा मांग की गई ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) इस मांग पर विचार किया गया है, लेकिन यातायात को देखते हुए इसका औचित्य नहीं पाया गया है ।

आविष्कार संवर्धन बोर्ड पुरस्कार

8605. श्री विक्रम चन्द महाजन : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आविष्कार संवर्धन बोर्ड पुरस्कार जीतने वाले उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिन्हें गत तीन वर्षों में अभी तक राष्ट्रीय पुरस्कार नहीं दिये गये हैं ;

(ख) प्रत्येक मामले में विलम्ब के कारण हैं ; और

(ग) पुराने राष्ट्रीय पुरस्कार विजेताओं को समुचित सम्मान देने के लिये किस तारीख को तथा किस स्थान पर औपचारिक समारोह किये जाने की सम्भावना है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) उन व्यक्तियों को छोड़कर जिन्होंने वर्ष 1968 की अवधि में पुरस्कार जीता है, अन्य लोगों को आविष्कार सम्वर्धन बोर्ड द्वारा पुरस्कार की राशि दी जा चुकी है । वर्ष 1968 के विजेताओं के नाम अनुबंध में दिये गये हैं । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1018/69**]

(ख) और (ग). जिन आविष्कर्ताओं ने वर्ष 1968 की अवधि में पुरस्कार जीते हैं, उन के नामों की घोषणा 15 अगस्त, 1968 तथा 26 जनवरी, 1969 को की गई थी । विजेता चाहे तो व्यक्तिगत रूप से आ कर या समारोह में उपस्थित हो कर पुरस्कार प्राप्त करे यह उस की स्वेच्छा पर छोड़ दिया गया था । पुरस्कार प्रदर्शनी के उद्घाटन के समय दिए जाएंगे जो सितम्बर, 1969 में नई दिल्ली में आयोजित की जानी है ।

सिगरेटों, रूमाल आदि पर भारत के नाम तथा मानचित्र का प्रयोग

8606. श्री विक्रम चन्द महाजन : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यापारिक वस्तुओं, जैसे रूमाल, सिगरेटों आदि पर 'भारत" शब्द का प्रयोग करने की अनुमति है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके लिये कितने दण्ड की व्यवस्था है और कौनसी कम्पनियां इस शब्द का प्रयोग कर रही हैं ;

(ग) यदि इस शब्द का प्रयोग करने की अनुमति है तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या यह सच है कि एक सिगरेट बनाने वाली कम्पनी इस शब्द का प्रयोग कर रही है ;

(ङ) क्या व्यापारिक वस्तुओं पर भारत के मानचित्र को चिन्ह के रूप में दिखाने की अनुमति है ; और

(च) क्या यह सच है कि कुछ सिगरेट कम्पनियां अपने माल पर भारत का मानचित्र प्रदर्शित कर रही हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (च). सरकार को यह सूचना मिली है कि एक सिग्रेट बनाने वाली कम्पनी इण्डिया शब्द का प्रयोग और अपने सिग्रेट के पैकिटों पर भारत के मानचित्र का प्रयोग कर रही है। इस प्रकार का प्रयोग अनुमत है अथवा चिन्ह और नाम (अनुचित प्रयोग निवारण) अधिनियम, 1950 के उपबन्धों का विलघंन है यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

Sites for Sand at Banda Junction

8607. Shri Jageshwar Yadav : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that sufficient number of sites for sand are not available at Banda Junction on the Central Railway ;

(b) whether it is a fact that many traders including one Shri Chilluram Sharma had submitted application to him for removal of this difficulty ;

(c) whether it is also a fact that at present the allotment of such sites stands in the names of brothers, sons, wives etc., of many of those traders and they themselves are not carrying out such trade but have let out these sites to others ; if so the details in in this regard ;

(d) whether Government propose to auction such sites so as to avoid corrupt practices of railway officials there and to get increased return therefrom ;

(e) whether it is also a fact that Shri Chilluram Sharma is prepared to acquire such plot by paying Rs. 2000 and similarly others are also prepared to acquire such plots through auction ; and

(f) whether it is propsed to order an enquiry into the matter ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh): (a) At Banda Junction the demand for plots is in excess of the plots available.

(b) Information available shows that Shri Chilluram Sharma had addressed an application for allotment of a plot at Banda station.

(a) Allotment of some plots is found to be in the name of persons who are members of the same family. No case of sub-letting of plots has come to notice but discreet enquiries are being arranged to find out whether there is any sub-letting.

(b) No, as plots given to parties offering substantial traffic to the railway and the lease rent for plots is determined on a prescribed basis.

(c) An offer to this effect has been received by the Division from Shri Chilluram Sharma only.

(d) Yes, further investigation will be made with regard to part (c) above.

B. G. Line Between Samastipur and Narkatiaganj via Muzaffarpur

+8608. **Shri K. M. Madhukar :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether Government are aware that the construction of a broad-gauge line between Samastipur and Narkatiaganj via Darbhanga on the North-Eastern Railway would invole more expenditure and bring in lesser returns than a line between these to stations via Muzaffarpur ;

(b) if so, whether Government have ever considered along these lines ;

(c) whether Government propose to give priority to the construction of the broad gauge line between Samastipur and Narkatiaganj via Muzaffarpur over such a line via Darbhanga ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a), (b), (c) & (d). Engineering and traffic surveys have just been sanctioned for conversion from metre gauge to broad gauge of the Samastipur-Raxaul section via Muzaffarpur/Darbhanga. The relative merits of conversion along either of these two routes would be known only after surveys are completed. Hence further consideration to the proposal for this conversion scehme can be given only after the completion of these surveys. The section from Raxaul/Sagauli to Narkatiaganj is not being considered for conversion at present.

Proceedings against Railway employees for participating in strike

8609. **Shri K. M. Madhukar :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the number of the railway employees against whom prosecution proceedings are still going on out of the railway employees at Narkatiaganj Junction of the North Eastern Railway who had participated in the Central Government employees' strike on the 19th September, 1968 ;

(b) the number of he Railway employees of Narkataganj Junction against whom cases have been withdrawn from the courts in accordance with the statements made by Government in Lok Sabha and the number of employees against whom cases are still pending in the courts ; and

(c) in case the cases have not been withdrawn, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Thirty four.

(b) (i) withdrawn from courts — Nil

(ii) still Pending in Courts — 34.

(c) The charges against these employees are serious.

Halt Station Between Motipur and Kanti Stations (North-Eastern Railways)

8610. **Shri K. M. Maduhkar :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that people havs been requesting Government continuously for the last many years to provide a halt-station at Nariyarpur village between Motipur and Kanti Stations on Samastipur-Narkatiaganj line of the North-Eastern Railway but Government have not even initiated any action in this regard ;

(b) the time by which a halt-station at Nariyarpur village is likely to be constructed ; and

(c) if no such station is going to be constructed, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) The proposal for providing a train halt at Nariyarpur village was made recently and immediately, in March, 1969, examination of the same was taken in hand.

(b), (c). These do not arise as the proposal is still under examination.

हैदराबाद-विजयवाड़ा यात्री गाड़ी (दक्षिण मध्य रेलवे) के प्रथम एवं तृतीय श्रेणी के डिब्बे को आग लगाना

8612. श्री न० रा० देवघरे : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 14 अप्रेल, 1969 को दक्षिण मध्य रेलवे पर येरुपलायम तथा तोंडालागोपावरम के बीच हैदराबाद-विजयवाड़ा यात्री गाड़ी के प्रथम एवं तृतीय श्रेणी के डिब्बे में कुछ शरारती व्यक्तियों ने आग लगा दी थी ;

(ख) यदि हां, तो डिब्बे को आग लगाये जाने के क्या कारण थे ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). आग लगाने के पीछे पृथक् तेलंगाना की मांग करने वाले आंदोलनकारियों की शरारत का संदेह है । द्रोणाकल की रेलवे पुलिस ने एक मामला दर्ज कर लिया है और जांच-पड़ताल की जा रही है ।

Increase in Running Time of Certain Trains Between Delhi and Meerut

8613. Shri Maharaj Singh Bharati : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that from the Railway Time Table which has come into force with effect from the 1st April, 1969 the running time of many trains between Delhi and Meerut has been increased with a view to reduce the running time of some particular train ;

(b) whether it is a fact that for covering a distance of 40 miles, a mail train takes more than one and a quarter hour, an express train takes more than one and a half hour and the passenger train takes more than to hours ; and

c) if so, the steps being taken to reduce the running time ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) No.

(b) Yes.

(c) The existing running time of trains on Delhi-Meerut section is the minimum consistent with traffic and operational requirements and there is no scope for speeding them up at present.

उत्तर रेलवे में परिपत्र, प्रक्रिया आदेश, नोटिस आदि की संख्या बताने वाले रजिस्टरों का बनाना

8614. श्री राजदेव सिंह : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे के सब विभागों में केवल अंग्रेजी और अंग्रेजी-हिन्दी दोनों भाषाओं में जारी किये गये परिपत्र, प्रक्रिया आदेश, नोटिस और राजपत्रित अधिसूचना आदि की संख्या दिखाने वाले रजिस्टर खोले गए हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख). वर्तमान आदेशों के अनुसार परिपत्रों, गज़ट अधिसूचनाओं आदि को हिन्दी अंग्रेजी द्विभाषिक रूप में जारी करना अपेक्षित है। अत : यह दिखाने के लिए अलग-अलग रजिस्टर नहीं रखे जाते हैं कि कितने परिपत्र आदि केवल अंग्रेजी में और कितने द्विभाषिक रूप में जारी किये।

जोनल रेलों में हिन्दी पावतियों को दर्ज करने वाले रजिस्टरों का बनाना

8615. श्री रामदेव सिंह : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सब जोनल रेलों के पास ये निदेश हैं कि सब विभागों में हिन्दी पावतियों को दर्ज करने और उनको निबटाने के बारे में एक रजिस्टर बनाया जाना चाहिये और उसकी शाखा अधिकारी द्वारा समय-समय पर जांच की जानी चाहिए।

(ख) यदि हां, तो क्या ये रजिस्टर वास्तव में बनाये जा रहे हैं और इनकी शाखा अधिकारियों द्वारा जांच की जा रही है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) रेल प्रशासनों को हिदायत है कि जिन शाखाओं और अनुभागों में डायरी-लेखक हिन्दी जानते हों, वहां हिन्दी में प्राप्त पत्र आदि डायरी में हिन्दी में दर्ज किये जाये और उनका अन्तिम निपटान भी हिन्दी में दिखाया जाये।

(ख) और (ग). सूचना मंगायी जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

दिल्ली में एक अन्य औद्योगिक बस्ती

8616. श्री मुहम्मद शरीफ : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा सम-वाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या दिल्ली में अन्य औद्योगिक बस्ती बनाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इस नई बस्ती में कितना धन लगाने का प्रस्ताव है; और

(ग) ये कारखाने कब से चालू हो जायेंगे ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां ।

(ख) 40. 00 लाख रुपये (अनुमानित)

(ग) इस अवस्था में कोई निश्चित समय-सीमा बता सकना संभव नहीं है ।

कारों और अन्य मोटरगाड़ियों के मूल्य में वृद्धि

8617. श्री बृजराज सिंह : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कार निर्माताओं ने कार तथा अन्य मोटर गाड़ियों के मूल्यों में वृद्धि की मांग की है ;

(ख) क्या यह मांग ट्रैक्टरों के लिये भी की गई है ; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी हां, यात्री कारों के तीनों निर्माताओं से कारों के मूल्य बढ़ाने के प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं ।

(ख) कुछ ट्रैक्टर निर्माताओं से, उनके द्वारा निर्मित ट्रैक्टरों के मूल्य बढ़ाने के प्रार्थना-पत्र भी प्राप्त हुए हैं ।

(ग) प्रार्थना पत्रों पर विचार किया जा रहा है ।

छोटी कार परियोजना

8618. श्री बृजराज सिंह : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार लगभग किस तिथि तक यह बताने की स्थिति में होगी कि क्या वह छोटी कार का निर्माण कार्य आरम्भ कर रही है ; और

(ख) प्रस्ताव की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) मामला अभी सरकार के विचाराधीन है अतः इस मामले पर कब तक निर्णय किया जायेगा, यह बता सकना सम्भव नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

राजस्थान में शराब तैयार करना

8619. **श्री बृजराज सिंह** : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान में "आशा" नामक एक प्रसिद्ध शराब तैयार की जाती है;

(ख) क्या यह भी सच है कि यदि राजस्थान के कुछ पुराने घराने से शराब बनाने के प्राचीन नुस्खे प्राप्त हो जायें तो शराब और अच्छी बनाई जा सकती है;

(ग) क्या सरकार ने विदेशी मुद्रा अर्जित करने के उद्देश्य से चुनींदा पेय के रूप में इसका निर्यात करने के लिये नमूना सर्वेक्षण किया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (घ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

हावड़ा स्टेशन के लाइसेंस प्राप्त कुलियों की भूख हड़ताल

8620. **श्री पी० विश्वम्भरन** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हावड़ा स्टेशन पर लाइसेंस प्राप्त कुलियों का एक वर्ग 8 अप्रेल, 1969 से भूख हड़ताल पर हैं;

(ख) यदि हां, तो इन कुलियों की शिकायतें क्या हैं और उन्हें अपना अनशन समाप्त करने के लिए राजी करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या यह सच है कि जून, 1968 में जब ये कुली इन्हीं शिकायतों के कारण हड़ताल पर थे, सरकार ने तुरन्त कार्यवाही करने का आश्वासन दिया था; और

(घ) यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) 8-4-69 से 18-4-69 तक की अवधि में हावड़ा स्टेशन के कुछ लाइसेंसशुदा भारिक भूख हड़ताल पर रहे।

(ख) हड़ताल पर रहने वाले भारिकों की ये शिकायतें थीं :—

(i) हावड़ा के वरिष्ठ श्रम पर्यवेक्षक और 3 मेट हावड़ा स्टेशन के लाइसेंसशुदा मारिकों से रिश्वत लेते हैं ;

(ii) उनके स्थानान्तरण के जो आदेश 1961 में जारी किये गये थे, वे अभी भी अनिर्णीत पड़े हुए हैं ;

(iii) इन व्यक्तियों के स्थानान्तरण की माँग को लेकर कुछ भारिक जून, 1968 में भूख हड़ताल पर रहे और इस आश्वासन पर, उन्होंने अपनी भूख हड़ताल तोड़ी, कि आवश्यक कार्यवाई का जायेगी, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाई नहीं की गयी है ;

(iv) 3 लाइसेंसशुदा मारिक इस कारण सेवा-मुक्त कर दिये गये क्योंकि उन्होंने पर्यवेक्षक का विरोध किया था ।

भूख हड़ताल जारी न रहे, इस उद्देश्य से इन शिकायतों के बारे में स्थिति हड़ताली भारिकों के नेताओं को बता दी गयी थी। भूख हड़ताल बिना किसी शर्त के 18-4-1969 को तोड़ दी गयी ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) शिकायतों की जांच की गई है और यह पाया गया है कि प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई करने की गुंजाइश नहीं है ।

हैवी इलैक्ट्रिकल्स, भोपाल में उत्पादन के आंकड़े बढ़ा चढ़ा कर दिखाना

8621. श्री जार्ज फरनेन्डीज : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान हैवी इलैक्ट्रिकल्स कर्मचारी कार्मिक संघ (एच० ई० एस० टी० यू०), भोपाल के वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड के प्रबन्धकों ने वर्ष 1968-69 के उत्पादन के बड़ा-चढ़ा कर और झूठे आंकड़े दिये हैं ;

(ख) क्या सरकार ने इस मामले में कोई जांच कराई है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ; और

(घ) यदि कोई जांच नहीं की गई है, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ). हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड से एक विस्तृत प्रतिवेदन मांगा गया है, विवरण प्राप्त होने के पश्चात् मामले पर आगे विचार किया जायेगा ।

दक्षिण-पूर्व रेलवे में सहायक स्टेशन मास्टरों की पदोन्नति

8622. श्री स० कुन्दू : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-पूर्व रेलवे में, विशेषकर खुर्दा रोड और खड़गपुर डिवीजन में सहायक स्टेशन मास्टरों को अगली पदोन्नति पाने के लिए 20 वर्ष से अधिक समय तक प्रतिक्षा करनी पड़ती है ;

(ख) यदि हां, तो इन दो डिवीजनों में इस समय 20 वर्ष से अधिक समय से कितने ऐसे सहायक स्टेशन मास्टर काम कर रहे हैं जिन्हे पदोन्नति नहीं मिली है ; और

(ग) क्या स्टेशन मास्टरों तथा सहायक स्टेशन मास्टरों के कोई निस्संवर्ग पद बनाए गये हैं और स्टेशन मास्टरों के उच्चतर ग्रेड में रिलीविंग ट्रांस्पोर्टेशन असिस्टेंटों को लेना बन्द करने के लिये कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

दक्षिण-पूर्व रेलवे में एवज में काम करने वाले सहायक स्टेशन मास्टरों के लिये क्वार्टर

8623 श्री स० कुन्दू: क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण-पूर्व रेलवे की खुर्दा रोड और खड़गपुर डिवीजन में एवज में काम करने वाले सहायक स्टेशन मास्टरों के लिये कितने क्वार्टरों की व्यवस्था की गई है ;

(ख) क्या वर्ष 1967-68 में कोई नये क्वार्टर बनाये गये हैं ; और

(ग) दक्षिण-पूर्व रेलवे की उपरोक्त दो डिवीजनों में सहायक स्टेशन मास्टरों, स्टेशन मास्टरों और एवज में काम करने वाले सहायक स्टेशन मास्टरों के लिये आगामी तीन वर्षों में ऐसे कितने क्वार्टर बनाये जायेंगे ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क), (ख) और (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के छात्रों को मैट्रिकोपरान्त छात्र वृत्तियां

8624. श्री गरंडी : क्या विधि तथा समाज कल्याण मंत्री 25 मार्च, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4312 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस शर्त से कि 30 वर्ष से अधिक आयु वाले छात्रों को अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों सम्बन्धी मैट्रिकोपरान्त छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्तियां नहीं दी जायेंगी, शिक्षा वर्ष 1969-70 के नवीकरण के मामलों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ; और

(ख) संशोधित छात्रवृत्ति योजना किस तारीख से आरम्भ होगी ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) हां, श्रीमान ।

(ख) जून-जुलाई, 1969 में शुरु होने वाले 1969-70 के शैक्षिक सत्र से ।

दुर्गापुर इस्पात कारखाने का बन्द किया जाना

8625. श्री हेम बरुआ : क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दुर्गापुर इस्पात कारखाने को बन्द करने का सरकार का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसा निर्णय करने के क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त निर्णय को क्रियान्वित करने से पूर्व कारखाने की स्थिति को सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता ।

स्थायी दायित्व गृह

8626. श्री शिव चन्द्र झा : क्या विधि तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में स्थायी दायित्व गृह है ;

(ख) यदि हां, तो इस समय राज्य-वार ऐसे गृहों की संख्या कितनी है ;

(ग) इन गृहों में राज्य-वार कितने व्यक्ति हैं ;

(घ) इन गृहों के निवासियों को विशिष्ट प्रशिक्षण या सुविधाएं दी जाती हैं ; और

(ङ) चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में इन गृहों सम्बन्धी नीति की रूपरेखा क्या है ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फुलरेणु गुह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) तथा (ग). एक विवरण अनुबन्ध ('क' पर) जिसमें सूचना दी गई है, सभा के पलट पर रखा जाएगा । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल. टी. 1019/69]

(घ) तथा (ङ). अपेक्षित सूचना देने वाली एक टिप्पणी (अनुबन्ध 'ख' पर) सभा के पलट पर रखी जाती है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल. टी. 1019/69]

भारतीय रेलों में अधिकारी संवर्ग

8627. श्री सम्बियार : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1968-69 के लिये भारतीय रेलों में अधिकारी संवर्ग को दिये जाने वाले वेतन में वृद्धि के कारण कितना अतिरिक्त धन व्यय हुआ ;

(ख) इस पर प्रति वर्ष कितना आवर्ती व्यय होता है ;

(ग) प्रत्येक रेलवे में इससे कितने अधिकारी लाभान्वित हुए हैं ; और

(घ) इस योजना के अन्तर्गत कितने अतिरिक्त पद बनाए गये हैं ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क), (ख), (ग) और (घ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

सवारी गाड़ियों द्वारा जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं का बुक किया जाना

8628. श्री एस० पी० राममूर्ति : क्या रेलवे मंत्री क्रमश: 25 मार्च, 1969 और 8 अप्रेल, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4408 और 5542 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पार्सल 5 अप्रेल, 1966 को दिल्ली 5-50 बजे पहुंचे और 7 अप्रेल, 1966 को अर्थात् 60 घन्टे से अधिक समय तक यार्ड में लदान की स्थिति में रखने के बाद, पहुँचाए गये थे ;

(ख) क्या यह सच है कि पार्सल 5 अप्रेल, 1966 को पहुँचा दिये गये होते तो वे वस्तुएं खराब न होतीं ;

(ग) जब रेलवे की जल्दी खराब हो जाने वाली वस्तुओं को सवारी गाड़ियों द्वारा ले जाने तथा उनको गन्तव्य स्थान पर जल्दी से जल्दी पहुंचाने की जिम्मेदारी है तो इन वस्तुओं को 60 घंटे तक यार्ड में रखने में हुई लापरवाही तथा हानि को पूरा करने की जिम्मेदारी न स्वीकार किये जाने के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या रेलवे की यह जिम्मेदारी नहीं है कि जल्दी खराब होने वाली वस्तुएं गन्तव्य स्थान पर पहुँचने के बाद घन्टों तक लदान की स्थिति में न रखी जायें ; और

(ङ) क्या यह सच है कि पार्सल नियम पुस्तिका, पृष्ठ 11, पैरा 116 के अनुसार रेलवे 96 घंटे के अन्दर पार्सल पहुँचाने की गारंटी देती है और इस 96 घंटे में बुकिंग की तारीख भी शामिल है और चाहे वह भारत में कितने ही दूर के स्थान के लिये बुक किये गये हों ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जिन पार्सलों का जिक्र किया गया है वे 5-4-1966 को 6.35 बजे दिल्ली पहुँचे और 7-4-1966 को उनकी सुपुर्दगी दे दी गयी। 7-4-1966 को पार्सल-यान से उतारने तक ये पार्सल दिल्ली में पार्सल यान में पड़े रहे।

(ख) अब इतने दिनों बाद यह बताना सम्भव नहीं है कि 5 अप्रेल, 1966 को पार्सलों की क्या स्थिति थी।

(ग) दिल्ली यार्ड में इनके रुके रहने में कोई लापरवाही हुई या नहीं, इस बात का अब सत्यापन नहीं किया जा सकता। चूंकि पार्सलों के परिवहन में लगा कुल समय अधिक नहीं था, इसलिए इस मामले में कोई उत्तरदायित्व स्वीकार नहीं किया जा सकता।

(घ) रेलों का यह उत्तरदायित्व है और उनका यह प्रयास रहा है कि सभी परेषणों, विशेष रूप से खराब हो जाने वाले परेषणों को किसी तरह का परिहार्य विलम्ब न हो। फिर भी पर्यन्त स्टेशन पर अपरिहार्य कारणों से विलम्ब हुआ है।

(ङ) उत्तर रेलवे पार्सल-लदान नियमावली, 1961 के पृष्ठ 11 पर पैरा 116 में इस तरह की कोई अवधि निर्धारित नहीं है।

आगरा दिल्ली पट्टी का विकास

8629. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री बेणी शंकर शर्मा :

क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा-दिल्ली पट्टी का विकास करने के लिये अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में केंद्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठता।

व्यापार विनियमन

8630. श्री दी० चं० शर्मा : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकतम लोगों को लाभ पहुँचाने हेतु समुचित व्यापार विनियमन के लिये उप-प्रधान मंत्री ने इस बात की आवश्यकता पर बल दिया है कि ऐसे नियामक उपायों को समाप्त किये जाये जो संविधान के सम्बन्धों के विरुद्ध हैं ;

(ख) क्या इस सुझाव पर विचार किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ;

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) भारतीय विधि संस्था के तत्वावधान में 27 मार्च 1969 को "गवर्नमेंट रेग्युलेशनग्राफ प्राइवेट एन्टरप्राइज" पर हुई गोष्ठी में उप-प्रधान मंत्री ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा था कि न्यायालय विनियामक अम्युपायों की वैधता पर टिप्पणी कर सकता है और कोई भी ऐसा अम्युपाय जो विधान के उपबन्धों के विरुद्ध हो तो उसे अवश्य ही न्यायालयों द्वारा उसे अवैध घोषित किया जायेगा।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

दुर्गापुर इस्पात कारखाना

8631. श्री रामावतार शर्मा : क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दुर्गापुर इस्पात कारखाने में बढ़ रही अनुशासनहीनता की ओर दिलाया गया है, जिसके कारण उसको हानि हो रही है ;

(ख) अनुशासनहीनता के कारण उसकी अब तक कितनी हानि हुई है ; और

(ग) इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग). दुर्गापुर इस्पात कारखाने में प्रवर्तमान अनुशासनहीनता के बारे में सरकार को मालूम है। इस्पात और भारी इंजीनियरी मंत्री ने इसके बारे में तथा इसे दूर करने के लिए सरकार द्वारा किये गये उपायों के बारे में 21 अप्रेल, 1969 को लोक-सभा में एक वक्तव्य दिया था। जहां तक अनुशासनहीनता से अब तक हुई कुल हानि का प्रश्न है, यह बताना कठिन है कि अनुशासनहीनता के कारण कितनी हानि हुई है।

Weekly Train Services between Bombay and Varanasi

8632. Shri Nageshwar Dwivedi : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether a new weekly train service has been introduced between Bombay and Varanasi via Janghai, and if so, since when ;

(b) the day on which the said train would leave Bombay for Varanasi and the day on which it would start from Varanasi for Bombay ;

(c) the time of its departure from Bombay and Varanasi respectively ; and

(d) whether this train-service would be a permanent one or it has been introduced for some temporary period ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) to (c). With effect from 11-4-69, a Weekly Holiday special is being run between Bombay and Varanasi to the path of 41Dn/42Up Bombay-Allahabad,-Howrah Janta Expresses. This train leaves Bombay on Fridays and Varanasi on Tuesdays.

(d) The Weekly Holiday special is being run to cater to summer rush and will continue to run upto 6-6-69.

आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

8633. श्री मधु लिमये : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में संशोधन करने का केन्द्रीय सरकार का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो कब ; और

(ग) इसे कैसे लागू किया जायेगा ?

औद्योगिक विकास आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : कुछ संशोधन जिसमें अधिनियम के उपबन्ध 12 (क) के उपबन्धों का प्रवर्तन भी सम्मिलित हैं विचाराधीन है। इस समय अधिनियम को राज्य सरकारों तथा संघीय प्रशासनों द्वारा लागू किया जायेगा।

हरयाणा में छोटे इंजीनियरी कारखानों में संकट

8634. श्री रा० कृ० सिंह : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हरयाणा में फरीदाबाद तथा गुड़गांव में लगभग 100 छोटे इंजीनियरी कारखानों के, जिनमें 10,000 कर्मचारी काम करते हैं, नियंत्रित दरों पर लोहे की चादरों आदि कच्चा माल न मिलने के कारण, बन्द होने की आशंका है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संकट को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). सरकार को एककों के बन्द हो जाने की सम्भावना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। 16-20 जी तथा 20 जी से पतली बी० पी० शीटों जी० पी० शीटों

तथा जी० सी० शीटों की कमी समूचे देश भर में रही है। लघु क्षेत्र के लिए इन शीटों का कोटा राज्यों के उद्योग निदेशकों को अलग अलग कारखानों को वितरित करने के लिए आवंटित किया जाता है। लघु उद्योग के अन्तर्गत हरियाणा को 1968-69 के लिए किए गए कोटे का आवंटन इस प्रकार था :

1.	16-20 जी० बी० पी० शीटें	272 मी० टन
2.	20 जी से पतली	301 मी० टन
3.	जी० पी० शीटें	884 मी० टन
4.	जी० सी० शीटें	183.41 मी० टन

लघु क्षेत्र के लिए और अधिक आवंटन किए जाने के बारे में प्रयत्न किए जा रहे हैं। 1969-70 की आयात नीति के अनुसार वास्तविक उपभोक्ताओं को बी० पी० शीटों (कोल्ड रोल्ड) के आयात की भी अनुमति दी गई है।

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन के सामान का यूगोस्लाविया को निर्यात

8635. श्री रा० कृ० सिंह : क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूगोस्लाविया ने रांची स्थित हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन से कुछ सामान खरीदने और वहां स्थापित होने वाले इस्पात के कारखाने के लिए लौह अयस्क खरीदने का प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, नहीं। कोई निश्चित प्रस्ताव नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Electric, Diesel and Steam Locomotives

8636. Shri Nihal Singh : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the total number of locomotives with Railways and the number of electric, diesel and steam locomotives out of them, separately.

(b) the number of locomotives lying in bad condition at present and the value thereof ;

(c) the number of imported and indigenously manufactured locomotives, separately ; and

(d) the names of the countries from which such locomotives have beeni mported ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) The number of locomotives on line on Indian Government Railways as on 31. 3. 1969 :—

Electric	—	511
Diesel	—	995
Steam	—	10,052

(b) None.

(c) & (d). The information is being collected and will be placed on the table of the House.

कार उद्योग के लिए तकनीकी लेखा परीक्षा एकक

8637. श्री वेणी शंकर शर्मा : क्या औद्योगिक विकास, आतंरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार उद्योग के लिए तकनीकी लेखा परीक्षा एकक बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ;

(ख) यदि हाँ, तो यदि प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया गया है, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यह कब तक क्रियान्वित किया जायेगा ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). मोटर कार गुण प्रकार (क्वालिटी) जाँच समिति की सिफारिशों में से यह भी एक सिफारिश थी कि कार निर्माता और सहायक वस्तु निर्माता अपने उत्पादों के गुण प्रकार सुधारने के लिये निरीक्षण और गुण प्रकार नियन्त्रण की सिफारिश की गई प्रक्रिया के अनुसार उचित कार्यवाही करें, कार निर्माताओं के संयंत्रों में और सहायक वस्तु उत्पादकों के एककों में तकनीकी लेखापरीक्षा प्रकोष्ठ की स्थापना आवश्यकतानुसार वैयक्तिक या सामूहिक रूप से किस्म की गिरावट को रोकने और ग्राहकों को आयास रहित सेवा प्रदान करने की दृष्टि से की जाए। सरकार ने सिद्धान्तरूप से इस सिफारिश को मान लिया है। तकनीकी विशेषज्ञों के एक दल ने तीनों कार निर्माताओ के संयंत्र का निरीक्षण उनके आन्तरिक निरीक्षण संगठव के सुदृढ़ बनाने के लिए उनकी सहायता करने और सलाह देने की दृष्टि से किया है। इस दल ने बाहरी निरीक्षण संगठन के प्रकार का भी सुझाव दिया है कि उत्पादकों की आन्तरिक व्यवस्था में पूरक सिद्ध होने की दृष्टि से इनकी स्थापना की जाए और यह भी बताया है कि वे किस प्रकार सप्रभावीरूप से कार्य कर सकते हैं। इन सुझावों पर विचार किया जा रहा है।

मैनेजिंग एजेंसी व्यवस्था समाप्त करना

8638. श्री वेणी शंकर शर्मा : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अब तक मैनेजिंग एजेंसियाँ कहां तक समाप्त की गई है ;

(ख) उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यह कार्य कब पूरा हो जायेगा ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) तथा (ख). 1954-55 में, देश में प्रबन्ध अभिकर्ताओं द्वारा प्रबन्धित कम्पनियों की संख्या 5,055 थी जो 1965-66 में 869, 1966-67 में 720 तथा 1967-68 में 614 तक न्यून हो गई।

(ग) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 324 (1) के अन्तर्गत, 21-12-66 को प्रेषित की गई एक अधिसूचना के आधार पर, पांच विशिष्ट उद्योगों अर्थात, सूती वस्त्र, जूट का सामान, चीनी, सीमेंट तथा कागज व लुगदी से सम्बन्धित 238 कम्पनियों में से, प्रबन्ध अभिकरण 2 अप्रेल, 1970 को समाप्त हो जायेंगे। अन्य कम्पनियों के प्रबन्ध अभिकरणों की बाबत, कम्पनी (संशोधन) विधेयक 1968 में, जो 10 मई, 1968 को लोक सभा पुरः स्थापित किया गया था, 3 अप्रेल, 1970 तक उनके उन्मूलन की अपेक्षा की गई है।

कन्नूर के मैकेनिकल कर्मचारियों का मंगलौर स्थानातंरण

8639. श्री ई० के० नायनार : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कन्नूर के मैकेनिकल कर्मचारियों का मंगलौर (दक्षिण रेलवे) में इस आधार पर एक बार फिर स्थानान्तरण करने का विचार है कि कन्नानूर (केरल राज्य) में गर्मी की ऋतु में इंजनों के लिए पानी की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं ;

(ख) क्या पानी की बढ़ती हुई खपत को ध्यान में रखते हुए रेलवे प्राधिकारियों ने गत एक या दो वर्षों में वहां पानी उपलब्ध कराने के लिए प्रयास किए हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) कन्नूर में पानी की सप्लाई में सुधार करने के लिए प्रयत्न किए गए हैं और अभी भी जारी हैं।

(ग) सवाल नहीं उठता।

कांदरोरी रेलवे स्टेशन (हिमाचल प्रदेश) पर श्रीनगर एक्सप्रेस और सियालदह एक्सप्रेस रेलगाड़ियों का रुकना

8640. श्री हेमराज : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीनगर एक्सप्रेस और सियालदह एक्सप्रेस रेलगाड़ी को कान्दरोरी स्टेशन पर रोकने के बारे में पंचायत समिति इन्दौर, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश) से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है क्योंकि इस रेलवे स्टेशन का विकास हिमाचल प्रदेश के लिए एक मंडी के रूप में किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं । लेकिन इस सम्बन्ध में नूरपुर के एस० डी० ओ० (सिविल) से एक अभ्यावेदन मिला है ।

(ख) इस अनुरोध की जाँच की गई है लेकिन यातायात की दृष्टि से इसका औचित्य नहीं पाया गया ।

मध्य प्रदेश में नई रेल लाइनें

8641. श्री नीतिराज सिंह चौधरी : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में मध्य प्रदेश में कितनी नई रेल लाइनें बिछाई गई और आगामी तीन वर्षों में कितनी नई रेल लाइनें बिछाने का प्रस्ताव है ;

(ख) क्या मध्य प्रदेश में कोई सर्वेक्षण कराया जा रहा है अथवा कराने का प्रस्ताव है ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या मध्य प्रदेश की कुछ सैक्शनों की रेल लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) रेलवे का विकास राज्य या क्षेत्र के आधार पर नहीं, बल्कि राष्ट्रहित के समग्र विकास की दृष्टि से किया जाता है । फिर भी यह कहा जा सकता है कि निम्नलिखित नयी लाइनें, जो अंशतः मध्य प्रदेश में पड़ती हैं, पिछले तीन वर्षों में बनायी गयीं :—

(1) बैला डिल्ला-कोट्टवलासा

(2) ओबरा-सिंगरौली

इनके अलावा मध्य प्रदेश में फिलहाल दो नयी लाइनों, अर्थात् (1) सिंगरौली-कटनी और (2) गुना-मक्सी लाइनों का निर्माण किया जा रहा है । चौथी योजना में बनने वाली नयी लाइनों के प्रस्तावों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है । इसलिए अभी यह बताना सम्भव नहीं है कि उनमें से कौनसी लाइनें (पूर्णतः या अंशतः) मध्य प्रदेश में पड़ेगी ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) सवाल नहीं उठता ।

(घ) जी नहीं ।

नागपुर-भोपाल मार्ग पर इटारसी शहर-भोपाल मार्ग लिंक पर उपरिगामी पुल

8642. श्री नीतिराज सिंह चौधरी : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नागपुर-भोपाल मार्ग और इटारसी में इटारसी शहर-भोपाल मार्ग लिंक पर बहुत समय पूर्व जो उपरिगामी पुल बनाने की अनुमति दी गई थी उस पर कार्य कब तक आरम्भ हो जायेगा ; और

(ख) इसमें देरी होने के क्या कारण हैं ;

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) रेलवे द्वारा इटारसी में ऊपरी सड़क पुल के लिए पुल-विशेष का काम राज्य सरकार द्वारा पहुँच मार्गों का काम शुरू करते ही आरम्भ किया जायेगा।

(ख) राज्य सरकार ने अभी तक पहुँच-मार्गों के काम के लिए अपना कार्यक्रम सूचित नहीं किया है, इसलिए अब तक रेलवे द्वारा पुल-विशेष सम्बन्धी काम शुरू नहीं किया जा सका।

मध्य प्रदेश में आदिवासियों का सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण

8643. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या विधि तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में आदिवासियों का सामाजिक, आर्थिक सर्वेक्षण किया गया है अथवा किया जा रहा है और यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं तथा इसे कब करने का विचार है ;

(ख) 1951 तथा 1961 में ईसाई आदिवासियों की संख्या कितनी थी तथा इस समय कितनी है ; और

(ग) उनकी संख्या बढ़ने के क्या कारण है ?

समाज कल्याण राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) व्यवहारिक आर्थिक अनुसंधान की राष्ट्रीय परिषद ने 6 वर्ष पूर्व ऐसा सर्वेक्षण किया था।

(ख) संबद्ध सूचना केवल 1961 की जनगणना के आधार पर उपलब्ध है ; यह संख्या 97,180 है।

(ग) सरकार ने इस बारे में कोई अध्ययन नहीं किया है।

दुर्गापुर इस्पात कारखाने को हुई हानि

8644. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दुर्गापुर इस्पात कारखाने का कुल परिव्यय कितना है और उसको अब तक कुल कितनी हानि हुई है ;

(ख) 1966-67, 1967-68 और 1968-69 में हड़तालों के कारण कितने-कितने जन-दिनों की हानि हुई है :

(ग) हड़तालों, तोड़-फोड़ की घटनाओं तथा अन्य कारणों से कितनी-कितनी हानि हुई है ;

(घ) हड़तालों तथा तोड़-फोड़ आदि की घटनाओं के लिये जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ;

(ङ) इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) 31-3-1968 तक दुर्गापुर इस्पात कारखाने का कुल पूंजी-व्यय 2658.2 मिलियन रुपये था और वर्ष 1867-68 से अन्त तक कारखाने की कुल हानि 506.6 मिलियन रुपये थी।

(ख) से (ङ). जानकारी एकत्र की जा रही है और एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया जायगा।

उद्योगों का आधुनिकीकरण

8645. श्री शिव चन्द्र झा : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में किसी भी उद्योग का पूर्णतया आधुनिकीकरण नहीं किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(ग) यदि नहीं, तो किन-किन उद्योगों का पूर्णतया आधुनिकीकरण किया गया है और किन-किन उद्योगों का आधा या आंशिक रूप से आधुनिकीकरण किया गया है और किन उद्योगों का बिल्कुल आधुनिकीकरण नहीं किया गया है ;

(घ) पूर्णतया आधुनिकीकरण न किये गये उद्योगों का पूर्णतया आधुनिकीकरण करने पर कितना धन खर्च होने का अनुमान है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (घ). सूचना इकट्ठी की जा रही है सभा पटल पर रख दी जायेगी।

चौथी योजना में उत्तर बिहार का विकास

8646. श्री शिव चंद्र झा : क्या **औद्योगिक विकास आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी योजना में उत्तर बिहार के उपयोगीकरण के लिये सरकार ने कोई विशेष कार्यक्रम बनाया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). देश के औद्योगिक विकास की योजना बनाते समय सरकार समूचे राज्य को एक इकाई मानती हैं। समग्र बिहार को एक इकाई के रूप में लेते हुए बिहार में केन्द्रीय सरकार की जो औद्योगिक परियोजनायें स्थापित की गई हैं या की जा रही हैं, वे हैं सिन्दरी में उवर्रक का कारखाना ; बरौनी में तेल शोधक कारखाना ; भारी मशीन निर्माण संयंत्र, फाउन्ड्री फोर्ज परियोजना ; भारी मशीनी औजार परियोजना ; बोकारो इस्पात संयंत्र; बरौनी उर्वरक कारखाना तथा पाइराइट खोजने के लिये पी० सी० डी० पी० की योजना। इन परियोजनाओं में से बरौनी तेल शोधक कारखाना तथा बरौनी उवर्रक उत्तर बिहार में हैं। बरौनी तेल शोधक कारखाने में तो काम आरम्भ किया जा चुका है और बरौनी उवर्रक परियोजना कार्यान्वित की जा रही है और इस के चतुर्थ पंचवर्षीय योजनावधि में पूर्ण होने की आशा है। इस के अतिरिक्त चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में बरौनी एरोमेटिक के प्रारम्भिक कार्य को चालू करने का प्रास्ताव है। इन परियोजनाओं का ब्यौरा योजना आयोग द्वारा प्रकाशित चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (1969-74) के मसौदे में दिया गया है।

दिल्ली और बरौनी के बीच अतिरिक्त रेलगाड़ी

8647. श्री शिव चन्द्र झा : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली और बरौनी (आसाम मेल की तरह) अथवा दिल्ली और समस्तीपुर के बीच एक और रेलगाड़ी चलाने की योजना बना रही है ;

(ख) यदि हां, तो कब ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

(ग) यातायात का औचित्य तथा चल स्टाक आदि के रूप में अपेक्षित साधनों की कमी।

गैर-सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों का विकास

8648. श्री शिव चंद्र झा : क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गैर-सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों ने 1968 में उद्योगों के विकास के लिये अपनी लाभ की राशि विनियोजित की थी;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1967 की तुलना में वर्ष 1968 में कुल कितनी पूंजी इस प्रकार लगाई गई ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चंद्र पंत) : (क) और (ख). संभवतः गैर-सरकारी क्षेत्र के सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों के बारे में पूछा गया है। टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड ने निम्नलिखित जानकारी दी है :—

	विनियोजित लाभ-राशि (लाख रुपये)	
	1966-67	1967-68
टिस्को	230	62
इस्को	173	63

(ग) प्रश्न नहीं उठता। राशि में कमी मन्दी आने उत्पादन लागत में वृद्धि आदि के कारण कम लाभ होने से हुई है।

भारतीय रेलों में पदों को भरने पर पाबन्दी

8649. श्री मि० सू० मूर्ति : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच हैं कि रेलवे के अनुसचिवीय संवर्ग में कर्मचारियों की मृत्यु, त्यागपत्र पदोन्नति तथा सेवानिवृत्ति के कारण रिक्त हुए पदों को भरा नहीं जा रहा, परन्तु काम शेष कर्मचारियों में बांट दिया जाता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि भारतीय रेलों में क्लर्कों का वर्तमान कार्यभार दुगुना तथा तीन गुना हो गया है ;

(ग) क्या कर्मचारी इस मनमानी पाबन्दी के विरुद्ध, जिसके परिणामस्वरूप गत दस वर्षों में उनका काम बहुत अधिक बढ़ गया है, न्याय की मांग करते रहे हैं ; और

(क) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (घ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

उत्तर रेलवे में छुट्टी रिजर्व क्लर्कों की संख्या

8650. श्री मि० सू० मूर्ति : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच हैं कि राजाध्यक्ष पंचाट के अन्तर्गत अनिवार्य छुट्टी रिजर्व क्लर्कों की संख्या अपेक्षित प्रतिशतता से कम है, अर्थात्, उत्तर रेलवे में फिरोजपुर डिवीजन में 12, बड़ौदा

हाउस में सामान्य लेखा शाखा में 64 और मुख्यालय बड़ौदा हाउस , नयी दिल्ली की कर्मचारी शाखा में 93 छुट्टी रिजर्व क्लर्कों की कमी है और यहां तक कि छुट्टी रिजर्व क्लर्कों से नियमित काम लिया जाता है और क्लर्कों को छुट्टी नहीं दी जाती है ; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने तथा पंचाट में दी हुई प्रतिशतता के अनुसार छुट्टी रिजर्व रखने के लिये क्या उपाय किये जाते है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

रेलवे बोर्ड के सदस्यों की संख्या में एक सदस्य की वृद्धि करना

8651. श्री लोबो प्रभु : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड में एक और सदस्य का पद बनाया गया है और यदि हां, तो यह किस व्यक्ति के लिये बनाया गया है ; तथा इसके कितने दिन बाद रेलवे बजट पास हुआ था ; और

(ख) बजट के बाद क्या नया कार्य उत्पन्न हुआ है, जिसके कारण यह नियुक्ति करनी पड़ी है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख). स्थिति यह है कि श्री बी० मुकर्जी आई० सी० एस० के 21-2-1969 के अपरान्ह से पेट्रारसायन एवं खान और धातु मंत्रालय में सचिव के रूप में नियुक्त हो जाने के परिणामस्वरूप उनका उत्तराधिकारी चुनने का प्रश्न पैदा हुआ और सरकार ने विनिश्चय किया कि भारत की रक्षा लेखा सेवाओं के एक अधिकारी श्री के० एस० सुन्दरराजन को श्री मुकर्जी के स्थान पर वित्त आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाय। श्री सुन्दरराजन ने 24-3-1969 के पूर्वान्ह को वित्त आयुक्त के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। लेकिन श्री डी० यू० राव, अपर सदस्य, वित्त की वरिष्टता और लगभग 33 वर्ष की विशिष्ट सेवा को देखते हुए सरकार ने यह भी विनिश्चय किया कि अपर सदस्य, वित्त के पद को मुलतवी रखते हुए उन्हें वित्त सदस्य (लेखा) के पद पर नियुक्त कर दिया जाये। प्रारम्भ में यह पदोन्नति 24-3-1969 से की गयी थी, लेकिन बाद में इसे संशोधित करके 21-2-1969 अपरान्ह से लागू कर दिया गया, क्योंकि इसी तारीख को श्री बी० मुकर्जी ने वित्त आयुक्त का कार्यभार छोड़ा था।

उत्तर प्रदेश के एक विधायक को चार बाग (लखनऊ) स्टेशन के निकट अपना निजी सैलून खड़ा करने की अनुमति

8652. श्री रघुबीर सिंह शास्त्री : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के एक विधायक को लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन की साइडिंग पर अपना निजी सैलून खड़ा करने की अनुमति रेलवे ने दी है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी अनुमति किन नियमों के अन्तर्गत दी जाती है ;

(ग) यह सैलून वहां कितने समय से खड़ा है और इस विधायक ने उसके लिये अब तक कितना शुल्क दिया है ;

(घ) क्या सरकार को पता है कि उस सैलून में शराब की दावतें दी गई हैं जिसके परिणामस्वरूप उन दावतों में निमन्त्रित व्यक्तियों द्वारा उस क्षेत्र से गुजरने वाले यात्रियों के साथ बुरा व्यवहार किया गया था ; और

(ङ) उस विधायक के विरुद्ध मद्यनिषेध तथा रेलवे नियमों का उल्लंघन करने के कारण क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां।

(ख) सैलून खड़ा करने की अनुमति भारतीय रेल सम्मेलन कोचिंग टेरिफ सं० 19 भाग 1 के विनियम 318 के अन्तर्गत दी गई थी।

(ग) यह सैलून लखनऊ में 11-3-69 से 26-3-69 तक खड़ा था तथा इसे खड़ा करने के लिये प्रभार के रूप में 30 रुपये वसूल किये गये। रामपुर से लखनऊ और वहां से रामपुर को सैलून के कर्षण के लिये अब तक 648.30 रुपये वसूल किये गये हैं। इस लेखे में 45.15 रुपये की रकम अब प्रभार के रूप में वसूल करने के लिए उत्तर रेल्वे द्वारा कदम उठाये जा रहे हैं।

(घ) और (ङ). इस आरोप के सम्बन्ध में न तो रेल प्रशासन को कोई सूचना है, न ऐसी कोई शिकायत मिली है इसलिये कार्रवाई करने का सवाल नहीं उठता।

Fast Running Trains from Delhi to Howrah

8653. Shri Jageshwar Yadav : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the total number of fast running trains from Delhi to Howrah via Kanpur including Rajdhani Express ;

(b) whether one of such trains is Toofan Express which leaves New Delhi and reaches Howrah via Agra, Tundla, Kanpur and Allahabad ;

(c) whether it is also a fact that there is no Express Train going from Jhansi Jn. to Manikpur ;

(d) whether it is also a fact that pa-ssengers on Jhansi-Manikpur line going to visit Khajuraho and Chitrukut, important places pilgrimagein India, have to experience much difficulty ;

(e) whether it is not possible to route Toofan Express through Jhansi-Manikpur Allahabad and Howrah, and

(f) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) 8 trains each way including one pair of weekly and two pairs of biweekly Express trains.

(b) Yes.

(c) Yes.

(d) No, not on account of non-availability of Express train.

(e) & (f). Diversion of an 7Up/8Dn. Toofan Express via Allahabad-Manikpur-Jhansi is not desirable on consideration of traffic as this route is longer by about 155KMs. and would entail a proportionately longer journey time and payment of higher fares.

लुडलो जूट कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता

8654. श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लुडलो जूट कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता ने किन-किन वस्तुओं के निर्माण के लिये लाइसेंस मांगा था ;

(ख) इस कम्पनी को किस तिथि को लाइसेंस दिया गया और कब काम आरम्भ हुआ ;

(ग) क्या इस कम्पनी ने उन वस्तुओं की बजाय, जिनके निर्माण के लिए लाइसेंस दिया गया था, अन्य वस्तुओं का निर्माण किया ; और

(घ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ख). मैसर्स लुडलो जूट कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता उपक्रम उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के प्रवर्तन से पूर्व विद्यमान था और अधिनियम के अन्तर्गत जूट वस्त्र के उत्पादन के लिए 1954 में पंजीकृत हुआ। 31 जुलाई, 1963 को उन्हें गलीचों के नीचे के वस्त्र के उत्पादन हेतु पर्याप्त विस्तार करने का लाइसेंस स्वीकृत किया गया था।

(ग) और (घ). कम्पनी पर जिन वस्तुओं के बनाने का लाइसेंस है उन के अतिरिक्त वस्तुएं बनाने की सरकार को कोई सूचना नहीं है।

कलकत्ता की कुछ फर्मों को लाइसेंस

8655. श्री अर्जुनसिंह भदौरिया : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्द गैस एण्ड इन्डस्ट्रीज लिमिटेड कलकत्ता, उषा डिवेलपमेंट कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता, बनानी मैटल वर्क्स लिमिटेड, कलकत्ता, एफ० डब्ल्यू० हेलर्जज एण्ड कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड, कलकत्ता ने किन-किन वस्तुओं के निर्माण के लिये लाइसेंस प्राप्ति के लिये आवेदन-पत्र दिये हैं ;

(ख) उनको लाइसेंस किस-किस तारीख को दिये गये थे और उन्होंने कब उत्पादन आरम्भ किया था ;

(ग) क्या इन समवायों ने उन वस्तुओं के अतिरिक्त जिनके लिए उनको लाइसेंस दिये गये थे अन्य वस्तुएं बनाई हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (घ). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

कुछ समवायों के निदेशक तथा अंशधारी

8656. श्री अर्जुनसिंह भदौरिया : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लूडलो जूट कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता, बम्बई गैस कम्पनी लिमिटेड, बम्बई, मोदीपोन लिमिटेड, मोदीनगर, इन्टर नेशनल कम्बशन इंडिया लिमिटेड, कलकत्ता तथा एटलस कैपको (इंडिया) लिमिटेड, बम्बई के निदेशकों तथा सर्वाधिक अंश रखने वाले 20 अंशधारियों के नाम क्या हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : सूचना संग्रह की जा रही है व यह सदन के पटल पर प्रस्तुत करदी जायेगी ।

गोआ में रैड आक्साइड तथा ओकर बनाने के कारखाने का बन्द होना

+**8657. श्री शिंकरे** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोआ में रैड आक्साइड तथा ओकर बनाने का कारखाना कच्चे माल तथा संयंत्र के लिए फालतू पुर्जों के आयात की सुविधायें न मिलने के कारण बन्द कर दिया गया है ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि भारत में रैड आक्साइड तथा ओकर बनाने वाले कारखाने बहुत कम हैं तथा गोआ में केवल एक ही ऐसा कारखाना है और इन पदार्थों की देश में तथा विदेश में बहुत मांग हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार कारखाने के मालिक को उचित ढंग से कारखाना चलाने के लिए आवश्यक सुविधायें देने का है अथवा इस कारखाने को अपने नियंत्रण में लेने का है ; ताकि देश विदेशी मुद्रा की बचत तथा कमाई कर सके ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

गोआ में सरकारी क्षेत्र के उद्योग

8658. **श्री शिंकरे :** क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि गोआ संघ राज्य क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र में अब तक कोई उद्योग स्थापित नहीं किया गया है ;

(ख) क्या सरकार ने इस बात पर समुचित ध्यान दिया है कि वहां पर लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क, बॉक्साइट, बास, नर्म लकड़ी, रेत, नारियल का तेल आदि कच्चे माल, जो अनेक लघु तथा बड़े उद्योगों के लिए लाभदायक हैं, पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार गोआ में सरकारी क्षेत्र में कुछ उद्योग स्थापित करने की मंजूरी देने के लिए योजना आयोग से अनुरोध करेगी ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). सरकारी क्षेत्र में गोआ में किसी बड़े औद्योगिक एकक की स्थापना का प्रस्ताव इस समय नहीं है। फिर भी 3 लाख रुपये का एक अस्थायी प्रावधान, इस क्षेत्र में मध्यम श्रेणी के उद्योगों की स्थापना के लिए चतुर्थ योजना काल में संभाव्यता प्रतिवेदन तैयार करने हेतु किया गया है, इन उद्योगों का सरकारी क्षेत्र में होना आवश्यक नहीं है। इस क्षेत्र में कच्चे माल की प्राप्ति से सरकार परिचित है।

10 अप्रेल, 1969 को "बंगाल बंद" के कारण रेलवे को हानि

8659. **श्री बलराज मधोक :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 10 अप्रेल, 1969 को हुए बंगाल बन्द के कारण रेलवे की हुई प्रत्यक्ष हानि का कोई अनुमान लगाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां।

(ख) रेल सम्पत्ति की टूट-फूट के कारण कोई हानि नहीं हुई। पूर्वोत्तर सीमा रेलवे को छोड़कर कोचिंग और माल गाड़ियां रद्द करने के कारण 17 लाख रुपये के राजस्व की हानि होने का अनुमान है।

विदेशी सहयोग के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत

+8660. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :** क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने विदेशी सहयोग प्रस्तावों को स्वीकार करने के सम्बन्ध में कुछ परिवर्तन किये हैं तथा नये मार्गदर्शी सिद्धांत बनाये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों के उद्योगों के सम्बन्ध में इसका ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). इस बात को ध्यान में रखते हुए कि विदेशी सहयोग सम्बन्धी आवेदन पत्रों का हाल ही में यथा सम्भव शीघ्रता से निबटारा हो, एक विदेशी निवेश बोर्ड की स्थापना की गई है, जो एक निश्चित सीमा तक विदेशी निवेश सहयोग सम्बन्धी मामलों का निबटारा करेगा। विदेशी सहयोगकर्त्ताओं को निदेशी विवेश और सहयोग और इन मामलों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया की जानकारी हो, सरकार ने उद्योगों के बारे में कुछ मार्ग दर्शीय सिद्धांत की घोषणा की है :—

(i) जहां तकनीकी सहयोग या तकनीकी सहयोग के बिना विदेशी निवेश की अनुमति दी जा सकती है।

(ii) जहां विदेशी तकनीकी सहयोग की अनुमति दी जा सकती है लेकिन विदेशी निवेश की अनुमति नहीं दी जा सकती।

(iii) जहां विदेशी सहयोग (वित्तीय या तकनीक) की आवश्यकता नहीं समझी जाती है। पहली श्रेणी के स्वामित्व की दरो, जो सरकार को स्वीकार है, का भी उल्लेख किया गया था। यह बातें सरकारी तथा गैरसरकारी दोनों क्षेत्रों में लागू होती हैं।

Deposit of Provident Fund by Manager Khadi Gramodyog Bhawan, New Delhi

8661. Shri P. L. Barupal : Will the Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs be pleased to state :

(a) whether the Manager of the Khadi Gramodyog Bhawan New Delhi, has since deposited the arrears of Provident Fund which includes the share of the employees also, as per the promise made in this regard ;

(b) if so, the full details thereof ;

(c) whether it is a fact that the Zonal Provident Fund Commissioner of Delhi has directed the Manager of the Bhawan to immediately reimburse to the employees the amount illegally deducted from their salaries for three months on this account ;

(d) if so, whether the said amount has since been reimbursed to the employees concerned in pursuance of the orders of the Provident Fund Commissioner ; and

(e) if not, the action taken by Government for the disregard shown to the orders of the Provident Fund Commissioner ?

The Minister of Industrial Development Internal Trade and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) to (e). The information is being collected and will be laid on the Table of the House in due course.

Stock Taking of Goods in Khadi Gramodyog Bhawan, New Delhi

8662. Shri P. L. Barupal : Will the Minister of Iodustrial Development Internal Trade and Company Affairs be pleased to state :

(a) whether annual stock taking of goods other than cloth is done in Khaid Gramodyog Bhawan, New Delhi;

(b) if so, the names of such goods and the details in regard to goods found short or in excess during the stock taking in respect of last three years; and

(c) the persons held responsible for goods found short and the action taken by the Department against them and the extent of loss sustained by the Bhawan as a rusult of such shortages?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed): (a) to (c). The Information is being collected and will be laid on the Table of the House in due course.

House Rent Allowance to Employees of Khadi and Village Industries Commission

8663. Shri P. L. Barupal: Will the Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Khadi and Village Industries Commission has started paying House Rent Allowance to its employees;

(b) if so, the date since when and the rate at which it is being paid;

(c) whether the Commission is proposing to pay House Rent Allowance to the employees of the Khadi Gramodyog Bhawan, New Delhi, also; and

(d) if so, from which date and the rate at which it is proposed to be paid?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed): (a) and (b). The Khadi and Village Industries Commission have been paying house rent allowance to employees on regular establishment from 1.4.1957 at the rates applicable from time to time to Central Government servants. The present rates are shown in the statement attached. The house rent allowance which was being paid to employees in the trading establishment by the former All India Khadi and Village Industries Board was replaced by a city allowance from 1.4.1957 and no house rent allowance is, therefore, being paid to such trading staff.

(c) No, Sir, as the Khadi Gramodyog Bhawan is a trading establishment and its staff are trading staff.

(d) Does not arise.

Class of City	Pay per month	H. R. A. per month
A & B-1	Below Rs. 100/-	Rs. 15/-
	Rs. 100-3000/-	15% of pay subject to a minimum of Rs. 20/- and a maximum of Rs.300/-
	Above Rs. 3000/-	10% of pay.
B-2	Below Rs. 100/-	10/-
	Rs. 100/- and above	10% of pay subject to a minimum of Rs. 15/- and maximum of Rs. 300/-
C	Below 500/-	7-1/2% of pay subject to a minimum of Rs. 7.50.
	500 and above	Amount by which pay falls short of 536

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों की पदोन्नति

8664. श्री अ० श्री कस्तूरे : क्या औद्योगिक किकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों के गोपनीय अभिलेख के वर्गीकरण की प्रणाली के बारे में गृह-कार्य मंत्रालय के 4 जुलाई, 1968 के आदेशों का उनके मंत्रालय द्वारा पालन किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उनके मंत्रालय के अधीन प्रत्येक सरकारी उपक्रम निकाय में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों को श्रेणीवार दी गई पदोन्नतियों का ब्योरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो अब तक इन आदेशों का पालन न किये जाने के क्या कारण हैं और क्या सरकार का विचार उन अधिकारियों के विरूद्ध जिन्होंने इन आदेशों का पालन नहीं किया, कोई कार्यवाही करने का है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) संभवतया संदर्भ 11 जुलाई, 1968 के इस विषय पर गृह मंत्रालय के अनुदेशों से सम्बन्धित है। इन अनुदेशों के क्रियान्वयन के लिए सभी सम्बन्धित नियमों जिन में सरकारी क्षेत्र के उपक्रम भी सम्मिलित हैं, को सूचित कर दिया गया है।

(ख) और (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

यात्री पथप्रदर्शकों की पदोन्नति

8665. श्री देवराज पाटिल : क्या रेलवे मंत्री उत्तर रेलवे के दिल्ली डिवीजन में यात्री पथप्रदर्शकों की पदोन्नति के बारे में 22 अप्रेल, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7200 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली डिवीजन में 10 वर्षों से अधिक समय से एक ही वेतनमान में काम कर रहे यात्री पथप्रदर्शकों को पदोन्नति के अवसर देने के लिये 1962 में किये गये निर्णय का ब्यौरा क्या है ;

(ख) इस वर्ग के कर्मचारियों को होने वाली अग्रेतर कठिनाईयों को रोकने के लिये इस निर्णय को अन्तरिम उपाय के रूप में भी क्रियान्वित न करने का क्या औचित्य है ;

(ग) संगठित श्रमिकों द्वारा कलकत्ता उच्च न्यायालय में यह मुकदमा कब दायर किया गया था और उन्होंने किन मुख्य आधारों पर राहत मांगी थी और मामला इस समय किस अवस्था में है ; और

(घ) क्या कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय लिये जाने तक इस वर्ग के कर्मचारियों

को तदर्थ आधारों पर अन्तरिम सहायता के रुप में पदोन्नति देने का सरकार का विचार है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) 1962 में यह विनिश्चय किया गया कि भारतीय रेलों में जो यात्री (समाज) सहायक 100-185 रुपये और 150-225 रुपये निर्धारित वेतन मान के ऊचे ग्रेड में भर्ति किये गये थे, उन्हें आगे तरक्की के लिए 1-2-1962 से सभी टिकट क्लक्टरों के नीचे अपने-अपने ग्रेड में वरिष्ठता दी जांय। उत्तर रेलवे से पत्र आने पर 17-4-1964 को उन्हें स्पष्ट किया गया कि 150-225 रुपये (निर्धारित वेतन-मान) के ग्रेड के यात्री सहायकों को 100-185 रुपये निर्धारित वेतन-मान वाले सभी टिकट क्लक्टरों/चल टिकट परीक्षकों के ऊपर रखा जाय क्योंकि टिकट जांच करने वालों के संवर्ग में 150-225 रुपये (निर्धारित वेतन-मान) का कोई ग्रेड नहीं है।

(ख) बोर्ड के आदेश जारी होने के बाद एक मान्यता प्राप्त यूनियन ने उत्तर रेल प्रशासन को इस आशय का अभ्यावेदन दिया कि इस विनिश्चय से टिकट जांच करने वाले लगभग 700 कर्मचारियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और इसलिए जारी किये गये आदेशों में संशोधन किया जाना चाहिये। इसके बाद वार्ता तंत्र की सामयिक बैठकों में श्रमिक संघ ने रेलवे बोर्ड के साथ इस विषय पर विचार-विमर्श किया और यह विनिश्चय किया गया कि इस मामले पर फिर से विचार किया जाये और तब तक उत्तर रेलवे से कहा जाये कि दिल्ली मण्डल के लिए 250-380 रुपये के ग्रेड में मुख्य टिकट क्लक्टरों के लिए कोई चुनाव न किया जाय। बाद में यह विनिश्चय अन्य मण्डलों पर भी लागू कर दिया गया।

(ग) जनवरी, 1966 में एक यात्री सहायक ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर की जिसमें दूसरी बातों के साथ-साथ यह प्रार्थना भी की गयी है कि ऊपर भाग (क) में उल्लिखित यात्री सहायकों की वरिष्ठता से सम्बन्धित आदेशों को लागू न किया जाय और टिकट क्लक्टरों के साथ उसे अपने ग्रेड में पूरी सेवा-अवधि के आधार पर वरिष्ठता दी जाय। इस याचिका के अन्तिम परिणाम की प्रतीक्षा की जा रही है।

(घ) उपर्युक्त भाग (ख) और (ग) में उल्लिखित स्थिति को देखते हुए इस समय कोई अन्तरिम निर्णय करना उपयुक्त न होगा।

उत्तर प्रदेश में शराब की दुकानें

8666. श्री कंवर लाल गुप्त : क्या विधि तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में हाल ही में शराब की कुछ और दुकानें खोली गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि राज्य सरकार की इस कार्यवाही के विरोध में एक संसद सदस्य तथा कुछ अन्य लोगों ने अनशन किया है ; और

(ग) यदि हां, तो ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) जी, नहीं।

(ख) डा० सुशीला नय्यर, संसद सदस्य ने 16 अप्रेल, 1969 की शाम से अनशन शुरु किया था तथा 23 अप्रेल 1969 के अपराह्न को अपना अनशन समाप्त कर दिया था। सरकार के पास इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है कि क्या डा० सुशीला नय्यर के साथ किसी दूसरे व्यक्ति ने भी अनशन किया था।

(ग) मद्यनिषेध को लागू करने का विषय पूरी तरह राज्य सरकारों से सम्बन्धित है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक क्रमिक कार्यक्रम के अनुसार धीरे-धीरे मद्यनिषेध को लागू करने का निश्चय किया है।

रेलगाड़ियों में गार्डों के लिए सुरक्षा उपकरण

8667. श्री तुलसी दास दासप्पा : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह वांछनीय समझा गया है कि सभी मेल/एक्सप्रेस/सवारी रेलगाड़ियों के गार्डों के सुरक्षा उपकरण, विशेषकर प्राथमिक उपचार बाक्स दिये जाने चाहिये ;

(ख) क्या यह सच है कि सम्बन्धित विभाग द्वारा माल उपलब्ध न होने की सूचना दी जाय गार्डों को प्राथमिकता उपचार बक्स, उठाने वाले नियन्त्रण दूरभाष आदि के बिना ही रेलगाड़ी को चलाने के लिए बाध्य किया जाता है और जब कोई दुर्घटना हो जाती है तो गार्डों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जाती है ;

(ग) क्या यह सच है कि मध्य रेलवे के झांसी डिवीजन पर मोहरबन्द नकदी के थैले गुम हैं और उनके लिए गार्डों को जिम्मेदार ठहराया गया है ;

(घ) यदि उपरोक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर स्वीकारात्मक हों, तो सभी उपकरणों के बिना रेलगाड़ियां चलाने तथा गार्डों को जिम्मेदार ठहराने के क्या कारण हैं ;

(ङ) यदि उपरोक्त भाग (ग) का उत्तर स्वीकारात्मक हो तो गार्डों की जिम्मेदार ठहराने के क्या कारण हैं जबकि नकदी पेटी की मोहरें तथा रिबटें ठीक लगी हुई हैं ; और

(च) क्या नकदी पेटी की सुरक्षा के लिए रेलवे सुरक्षा दल के व्यक्तियों को उनके साथ भेजने के लिए कार्यवाही की जा रही है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) से (च). सूचना इकट्ठी की जा रही, और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

प्राथमिक चिकित्सा बक्स

8668. श्री तुलसी दास दासप्पा : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ; दिल्ली के स्टेशन सुपरिन्टेन्डेन्ट द्वारा 1968 में और 1969 में अब तक कितनी गाड़ियां प्राथमिक चिकित्सा के बक्सों के बिना चलाई गयी और उसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

रेल संग कर्मचारियों को संगचल भत्ते की बकाया राशि का भुगतान

8669. श्री तुलसी दास दासप्पा : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय द्वारा 1 दिसम्बर, 1968 से रेल संगचल कर्मचारियों के संगचल भत्ते में वृद्धि कर दी गई है और 1 मार्च, 1968 से 30 नबम्बर, 1968 तक विभिन्न प्रतिशतता के आधार पर उनको बकाया राशि भी देनी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या गार्डों को डिवीजन-वार 1 मार्च, 1968 से 30 नवम्बर, 1968 तक 20 प्रतिशत के हिसाब से बकाया देय भत्ता राशि का भुगतान कर दिया गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं, जबकि 31 मार्च, 1969 तक उसका भुगतान कर देने के अनुदेश हैं ; और

(ग) भुगतान में विलम्ब को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) से (ग). सूचना इकट्ठी का जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

इलाहाबाद डिवीजन के गार्डों की समयोपरि भत्ते का भुगतान

8670. श्री तुलसी दास दासप्पा : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड के निदेशों के अनुसार भारतीय रेलों में संगचल कर्मचारियों को समयोपरि भत्ता आधे महीने के आधार पर दिया जाता है ;

(ख) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे के महाप्रबन्धक के 26 फरवरी, 1966 के पत्र द्वारा भेजे गये रेलवे बोर्ड के निदेशों को उत्तर रेलवे के इलाहाबादा डिवीजन में अभी तक क्रियान्वित नहीं किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो इलाहाबाद डिवीजन में गार्डों को महीने में दो बार समयोपरि भत्ते के भुगतान का तरीका न अपनाये जाने के क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

महाराष्ट्र में सीमेंट कारखाने

8671. श्री देवराव पाटिल : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में सीमेंट बनाने के कितने कारखाने हैं तथा किस-किस स्थान पर ;

(ख) क्या सरकार का विचार वहां पर कोई नया कारखाना स्थापित करने का है ;

(ग) यदि हां, तो कब तक इसके आरम्भ हो जाने की सम्भावना है ; और

(घ) वहां पर इसे स्थापित करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) महाराष्ट्र में कोई सीमेंट का कारखाना नहीं है किन्तु ग्रेवरी, बम्बई में सीमेंट पीसने तथा बन्द (पैकिंग) करने का एक कारखाना है ।

(ख) जी, नहीं । घुगूस महाराष्ट्र में गैर सरकारी क्षेत्र में सीमेंट का एक कारखाना स्थापित किया जा रहा है ।

(ग) तथा (घ). प्रश्न ही नहीं उठते ।

नयी दिल्ली की रेलवे बस्तियों में पानी की कमी

8672. श्री यशपाल सिंह : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नयी दिल्ली की सेवा नगर और थाम्पसन रोड रेलवे बस्तियों में पानी के टैंक होने के बावजूद उनमें पानी की भारी कमी होने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) क्या पिछले एक वर्ष से पानी की टंकियों की सफाई नहीं की गई है और पेय जल में छोटे कीटाणु भी आ रहे है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी नहीं । टंकियों की सफाई नियमित रूप से की जाती है ।

(ग) सवाल नहीं उठता ।

ओक ग्रूव स्कूल, झरियापानी (मसूरी) के बच्चों के लिये गाड़ी (वैन)

8673. श्री यशपाल सिंह : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे ओक ग्रूव स्कूल, झरियापानी (मसूरी) को स्कूल के बच्चों के लिए एक वैन दी गई थी ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि इस स्कूल का प्रिंसिपल तथा उनका परिवार इस गाड़ी का पूरा उपयोग कर रहा है और स्कूल के बच्चों को एम्बूलेंस के रूप में भी इसकी आवश्यकता पड़ने पर शुल्क देना पड़ता है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं , और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क), (ख), (ग) और (घ). जी हां। यान का इस्तेमाल अन्य सरकारी कामों के लिए भी किया जाता है। स्कूल के प्रिंसिपल ने इस यान का इस्तेमाल अपने व्यक्तिगत कार्यों के लिए केवल कुछ अवसरों पर ही किया था जिसके लिए उन्होंने निर्धारित प्रभार की अदायगी कर दी थी। जब यान का इस्तेमाल स्कूल के कार्यों के लिए किया जाता है तो खेल/हाबी निधि के नाम खाते एक मामूली प्रभार डाल दी जाती है। लेकिन जब इस यान का इस्तेमाल स्कूल के पढ़ने वाले रेल कर्मचारियों के बच्चों द्वारा एम्बूलेंस के रूप में किया जाता है तो कोई प्रभार वसूल नहीं किया जाता।

Burining of Tank Wagons at Saphala Railway Station (Western Railway)

8674. **Shri Valmiki Chaudhary :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that 6 tank wagons of a Goods train caught fire at Saphala Railway Stetion of the Western Railway on the 23rd April, 1969 ;

(b) is so, the number of persons killed and inqured as a result thereof ;

(c) the cnuses of the incident which came to light as a result of inquiry held in this regard ; and

(d) the total value of goods damaged in the incident ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) & (b). Yes. While the unaffected partion of the train was being separated from the 6 tank which had caught fire one of these oil tanks burst as a result of which 77 persons who had gathered near the site were injured.

(c) The cause of the accident is under investigation.

(d) The cost of damage to railway property and public property has been estimated at approximately Rs. 47,800/- and Rs. 1,25,000/- respectively.

राज्यवार रेलवे लाइनों की लम्बाई

8675. **श्री जुगल मण्डल :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में रेलवे लाइनों की कुल लम्बई कितनी है तथा राज्यवार उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ख) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में कौन-कौन सी नई प्रमुख रेलवे लाइनें बिछाई जायेंगी ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) 31-3-1968 को भारत की सरकरी रेलों की मार्ग लम्बाई 58,877 किलोमीटर थी। यह सूचना राज्यवार नहीं, बल्कि केवल रेलवे वार संकलित की जाती है। 31 मार्च, 1968 को खुले मार्ग किलोमीटर, निर्माणाधीन लाइनों आदि का ब्योरा 1967-68 के लिए भारतीय रेल-व्यवस्था पर रेलवे बोर्ड की रिपोर्ट के अनुपूरक-सांख्यिकीय विवरणों के विवरण 8 में दिया गया है। इस रिपोर्ट की प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ख) इस समय किये जा रहे इंजीनियरिंग और यातायात सर्वेक्षण जब पूरे हो जायेंगे और यातायात सम्बन्धी औचित्य तथा अर्थ-क्षमता का अनुमान लगा लिया जायेगा उसके बाद चौथी योजना में बनायी जाने वाली नयी रेलवे लाइनों के बारे में निर्णय किया जायेगा।

फर्मों को नये उद्योगों के लिए लाईसेंस

8676. श्री काशी नाथ पाण्डेय : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एकाधिकार आयोग के प्रतिवेदन में उल्लिखित सर्वप्रथम पन्द्रह फर्मों द्वारा नये उद्योगों के लिए 1968-69 में लाइसेंसों के लिए कितने आवेदन पत्र दिये गये ;

(ख) उक्त अवधि में कितने तथा किन-किन उद्योगों के लिए नये लाइसेंस दिये गये और ये उद्योग किन-किन स्थान पर स्थापित किये जायेंगे ; और

(ग) उक्त अवधि में किन-किन समवायों को ऐसे लाइसेंस दिये गये ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) एकाधिकार आयोग के प्रतिवेदन में उल्लिखित (आस्तियों के) क्रम से प्रथम 5 व्यावसायिक समूहों से नये उद्योग स्थापित करने के हेतु लायसेंस प्राप्त करने के 1968-69 में 12 आवेदन-प्राप्त हुए।

(ख) तथा (ग). वर्ष 1968-69 में प्रश्न के (क) भाग में उल्लिखित किसी भी आवेदन पर लाइसेंस प्रदान नहीं किया गया है। फिर भी इस अवधि में नये औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने के लिये कुल 5 लायसेंस जारी किये गये थे। इनमें से 3 लायसेंस प्रथम 15 व्यावसायिक समूह में से दो की कम्पनियों को प्रदान किये गये थे। जारी किये गये सभी लाइसेंसों का ब्यौरा जिस में फर्म का नाम निर्मित की जाने वाली वस्तु का नाम लाइसेंस प्राप्त क्षमता तथा प्रस्तावित स्थापना स्थल सम्मिलित हैं "साप्ताहिक बुलेटिन आफ इण्डस्ट्रियल लाइसेंसिज इम्पोर्ट लाइसेंसिज एण्ड एक्सपोर्ट लाइसेंसिज़" साप्ताहिक "इण्डियन ट्रेड जर्नल" तथा मासिक जर्नल आफ इण्डिस्ट्री एण्ड ट्रेड में प्रकाशित किया जाता है इन पत्रिकाओं की प्रतियां संसद के पुस्तकालय को भेजी जाती हैं।

सीमेंट का उत्पादन

8677. श्री काशी नाथ पाण्डेय : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965-66 से 1968-69 तक प्रतिवर्ष सीमेंट का कितना उत्पादन हुआ है; और

(ख) क्या निर्माताओं ने सीमेंट के विनियंत्रण से अब तक लगी हुई शर्तों को पूरा किया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) 1965-66 से सीमेंट का वार्षिक उत्पादन निम्नप्रकार था :—

वर्ष	उत्पादन (लाख मी० टनों में)
1965-66	108. 2
1966-67	110. 8
1967-68	114. 8
1968-69	122. 4

(ख) एक विवरण संलग्न है।

सरकार तथा उत्पादकों के बीच "सौजन्य करार" के आधार पर सिमेंट पर से नियंत्रण 1 जनवरी, 1966 से एक वर्ष के लिए हटाया गया था और इस स्थिति की समीक्षा उप अवधि की समाप्ति पर की जानी थी। इस समझौते की विशेषताएं निम्न प्रकार थीं :—

1. उद्योग अपना एक केन्द्रीय संगठन स्थापित करेगा और सभी गन्तव्य रेलवे स्टेशनों तक रेल भाड़ा सहित उसी एक दर पर सीमेंट की पूर्ति सुनिश्चित करेंगे जो कि नियंत्रण हटाये जाने से पूर्व थी किन्तु उसमें विकास तत्व तथा ऊँचे भाड़े और ऊँचे उत्पादन करने के लिए सरकार द्वारा मानी गई मूल्य वृद्धि को समाविष्ट किया जा सकेगा।

2. प्रत्येक एकक के कुल उत्पादन का 50 प्रतिशत सीमेंट सरकारी उपभोक्ताओं को पूर्ति तथा निपटान के महानिदेशालय द्वारा निर्धारित निविदा दर पर सीमेंट सम्भरण करने के लिए आरक्षित किया जायेगा।

3. दूरस्थ क्षेत्रों जैसे आसाम, मणिपुर, त्रिपुरा तथा कश्मीर को सीमेंट का सम्भरण पहले वाले आधार पर बनाए रखा जायेगा।

4. प्रत्येक राज्य को विद्यमान स्तर पर सीमेंट का सम्भरण किया जायेगा या इसमें सुधार किया जा सकेगा।

5. कृषि प्रयोजनाओं के लिए सीमेंट के आवन्टन की ओर विशेष ध्यान दिया जायेगा।

6. लाभांश को "चालू" स्तर पर ही रोक दिया जायेगा।

7. नियन्त्रण हटा लिए जाने के कारण मूल्य वृद्धि से प्राप्त साधनों को पृथक खाते में रखा जायेगा और उसमें से पैसा केवल विस्तार प्रयोजनों के लिए ही निकाला जा सकेगा।

8. पैकिंग के खर्चे का निर्धारिण सामान्य रीति से किया जायेगा।

कुछ फर्मों के निदेशक तथा अंशधारी

+8678. **श्री काशीनाथ पाण्डेय** : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि (एक) विजय प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड, मद्रास, (दो) रूप नगर प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई, (तीन) एन्टैली सिनेमा प्राइवेट लिमटेड,

कलकत्ता, (चार) अरोड़ा फिल्म कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, कलकत्ता, (पांच) नवकेतन इन्टरनेशनल फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई, (छः) जैमिनी पिक्चर्ज एक्सपोर्ट कारपोरेशन (प्राइवेट) लिमिटेड, मद्रास, (सात) नासिर हुसैन फिल्म्स (प्राइवेट) लिमिटेड, बम्बई, (आठ) फिल्मालय प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई, (नौ) प्रसाद प्रोडक्शंज प्राइवेट लिमिटेड, मद्रास तथा (दस) महबूब प्रोडक्शंज प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई, के निदेशकों तथा अंशधारियों के नाम क्या है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

Investment in Precision Instruments Factory. Kota

8679. Shri Onkar Lal Bohra : Will the Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs be pleased to state :

(a) the total investment so far made in the Government Precision Instruments Factory, Kota and the instruments produced so far or being produced at present and the nature of foreign material and collaboration received therefor ;

(b) the total number of officers there, their scales of pay and total expenditure being incurred on them, the number of those among them who are on deputation and the date since when they are on deputation ; and

(c) the time and capital required to make this Public Sector Factory a success ?

The Minister of Industrial Development Internal Trade and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) An amount of Rs. 714.53 lakhs by way of shares and loan has been invested in the Instrumentation Limited, Kota.

The instruments manufactured/being manufactured are process control instruments, which include transmitters, magneto-electric instruments, electronic instruments (single point and multi-point), ferrodynamic instruments, regulators, panels and desks etc.

The project is being set up with financial and technical assistance of the U. S. S. R. The technical assistance is being provided by Messrs. PROMMASHEXPORT Moscow who are supplying the necessary working drawings, technical documentation, capital goods components and raw materials.

(b) The information is given below:--

Total Number of of Officers as 30.4.69	Scales of Pay Rs.	Total expenditure incurred on officers.	Number on deputation and date since when on deputation.
			Three as indicated below:-
94	2500-3000..1	Rs. 86,000 per mensem on salaries and wages	(i) Managing Director 10th May, 1967.
	1600-2000..1		
	1300-1600..4		(ii) Financial Adviser and Chief Accounts Officer 22nd February, 1967
	1100-1400..10		
	700-1250..23		(iii) Chief Cost Accounts Officer 17th September, 1968
	400-950.55		

(c) The Company expects to break even by 1971-72.

The capital cost of the project is estimated to be Rs. 3.06 crores.

Railway Line Between Chittor and Kota

+8680. **Shri Qnkar Lal Bohra :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the progress made so far In conducting a fresh survey, as promised for the construction of a new Railway line between Chittor and Kota and whether the survey has been started ;

(b) whether the officials coneerncd would try to ascertain public opinion by eliciting the views of local people, established institutions and workrs while conducting a fresh survey ; and

(c) the time likely to be taken in completing the survey and when a report would be made available in this regard ?

The Minister of Railways (Dr. Subhag Singh) : (a), (b) & (c). A revised traffic assessment with a view to find out the latest cost and financial implications of this line has been ordered and this work is in progress. While assessing the traffic prospeccts, it is the normal practice to obtain data from and ascertain the views of important institutions and local people possessing important information having a bearing on this issue. Brsed on the results of this re-assessment, which is expected to be completed in a few month time, a decision regarding the construction of this line will be taken.

Direct Train from Ahmedabad to Delhi

8681. **Onkar Lal Bohra :** Will the Ministor of Railways be pleased to state :

(a) the decision takan so far in regard to tho demand to introduce a direct train from Ahmedabad to Delhi via Udaipur, Mavli, Chittor and Ajmer ;

(b) whether efforts would be made to consider this public demand sympathetically and implement it and whether his Ministry agrees to the proposal in principlo; and

(c) the steps taken to remove the difficulties coming in the way of its implementation ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) to (c). The demand for a direct train between Ahmedabad and Delhi via Himatnagar, Udaipur and Ajmer has been examined in detail but not found justified on considerations of traffic.

Detention of Passenger Train at Outer Signal at Jhansi

8682. **Shri Nathu Ram Ahirwar :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is enough space for halting trains at Jhansi Junction ;

(b) if so, the reasons for which the passenger train coming from Manikpur is detained at the outer signal at Jhansi 25 days in a month ;

(c) whether it is also a fact that as a result thereof, thousands of ticketless travellers get down from the train and passengers who have to catch other train at Jhansi for Bombay, Delhi and Kanpur miss their trains ; and

(d) if so, the steps proposed to be taken by Government in this regard ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) & (b). While the facilties for reception of trains at Jhansi Jn. are by and large adequate for the scheduled services, occasional detentions to Manikpur-Jhansi passenger trains at the outer signal at Jhansi are caused when the schedules of berthing are dislocated by late running.

(c) Occasionally, when such detentions take place, some ticketless passengers do get down from trains at the outer signal and there are also cases of missing connections at Jhansi.

(d) Every effort feasible is being made to ensure punctual running of trains and to avoid detentions outside signals at Jhansi.

त्रिपुरा तक रेलवे लाइन का निर्माण

8683. श्री किरित बिक्रम देव बर्मन : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1968 में, उनके मंत्रालय में राज्य मंत्री ने त्रिपुरा के अपने दौरे के दौरान एक पत्रकार सम्मेलन में यह कहा था कि त्रिपुरा में अगरतल्ला तक रेलवे लाइन के निर्माण को एक राष्ट्रीय समस्या के रूप में लिया जाना चाहिये और इस सम्बन्ध में सर्वेक्षण कार्य दो या तीन महीने में आरम्भ किया जायेगा और लगभग 7-8 महीने में पूरा कर लिया जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो क्या सर्वेक्षण कार्य इस बीच पूरा कर लिया गया है, यदि नहीं तो कहां तक पूरा किया गया है ; और

(ग) यदि सर्वेक्षण पूरा हो गया है तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क), (ख) और (ग). धर्मनगर से अगरतला तक रेलवे लाइन को बढ़ाने के लिए शीघ्र सर्वेक्षण आरम्भ किया जायेगा ताकि इसकी लागत और अर्थक्षमता का अनुमान लगाया जा सके।

खादी तथा ग्रामोद्योग के लिए चौथी योजना में धन का नियतन

8684. श्री अदिचन : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 40 से अधिक संसद् सदस्यों ने प्रधान मन्त्री को एक ज्ञापन दिया है जिसमें 1969-70 की योजना तथा चौथी पंचवर्षीय योजना में खादी तथा ग्रामोद्योग के लिए पर्याप्त धन का नियतन करने हेतु सरकार तथा योजना आयोग से अनुरोध किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसमें निश्चित मांग क्या की गई है ; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). जी हां। संसद् सदस्यों ने एक ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में लिखा है

कि चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग को पर्याप्त धन का नियतन किया जाये जिससे कि आयोग ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने के लिए खादी तथा ग्रामोद्योग के कार्यक्रम को क्रियान्वित कर सके।

(ग) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की अवधि में खादी ग्रामोद्योग कार्यक्रम के लिए आयोग के माध्यम से 95 करोड़ रुपये की राशि का नियतन किया गया है। अतिरिक्त नियतन का प्रश्न विचाराधीन है

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

समवाय अधिनियम के अधीन पत्र

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भानु प्रकाश सिंह) : मैं श्री फखरुद्दीन अली अहमद की ओर से समवाय अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उप-धारा (1) के अधीन निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ :—

(एक) राष्य ट्रीलघु उद्योग निगम लिमटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1967-68 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, नई दिल्ली, का 1967-68 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[पुस्तकालय में रखी गयी देखिए। संख्या एल० टी० 991/69]

सिंगारैनी कोलियरीज सम्बन्धी पत्र

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उप धारा (1) के अधीन निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ :—

(एक) सिंगारैनी कोलियरीज़ कम्पनी लिमिटेड के वर्ष 1967-68 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा

(दो) सिंगारैनी कोलियरीज़ कम्पनी लिमिटेड का 1967-68 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 992/69]

सीमा शुल्क अधिनियम तथा केन्द्रीय उत्पादन और लवण अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : मैं श्री प्र० चं० सेठी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :—

(1) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अधीन अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 964 (अंग्रेजी संस्करण) और जी० एस० आर० 965 (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 12 अप्रेल, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(2) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 और केंद्रीय उत्पादन शुल्क और लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अधीन सीमा शुल्क तथा केंद्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) नवां संशोधन नियम, 1969 की एक प्रति जो दिनांक 12 अप्रेल, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 966 (अंग्रेजी संस्करण) और जी० एस० आर० 967 (हिन्दी संस्करण) में प्रकाशित हुए थे।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल. टी. 993/69]

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अधीन अधिसूचना

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री मु० यूनस० सलीम) : मैं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 9 की उपधारा (2) के अधीन अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1416 की एक प्रति, जो दिनांक 9 अप्रेल, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा हरियाणा राज्य के संबंध में संसदीय तथा विधान सभा के निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन सम्बन्धी आदेश, 1966 की अनुसूची-पांच में कतिपय शुद्धियां तथा संशोधन किये गये, सभा पटल पर रखता हूँ।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 994/69]

राज्य सभा से सन्देश
MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : महोदय मुझे राज्य सभा से प्राप्त इस सन्देश की सूचना देनी है कि लोक सभा द्वारा 15 अप्रेल, 1969 को पास किये गये संविधान (बाईसवां संशोधन) विधेयक, 1969 को राज्य सभा ने अपनी 30 अप्रेल, 1969 की बैठक में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबन्धों के अनुसार, बिना किसी संशोधन के पास कर दिया है।

समिति के लिए निर्वाचन
ELECTION TO COMMITTEE

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :—"कि राष्ट्रीय छात्र सेना दल अधिनियम; 1948 की धारा 12 की उप-धारा (1) के अनुसरण में, लोक सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसे अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उन के अधीन बनाए गए नियमों के अध्यधीन, 17 जून, 1969 से आरम्भ होने वाली एक वर्ष की आगामी अवधि के लिए राष्ट्रीय छात्र सेना दल की केन्द्रीय सलाहकार समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये अपने में दो सदस्य चुने।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:--"कि राष्ट्रीय छात्र सेना दल अधिनियम, 1948 की धारा 12 की उप-धारा (1) के अनुसरण में, लोक सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसे अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उनके अधीन बनाए गये नियमों के अध्यधीन, 17 जून, 1969 से आरम्भ होने वाली एक वर्ष की आगामी अवधि के लिए राष्ट्रीय छात्र सेना दल की केन्द्रीय सलाहकार समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में दो सदस्य चुने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

सभा के कार्य के बारे
RE : BUSINESS OF THE HOUSE

श्री नाथ पाई (राजापुर) : महोदय, मैं आपकी अनुमति से एक महत्वपूर्ण विषय उठाना चाहता हूँ । सभा की कार्यवाही की 6 मई कि जो विषय सूची परिचालित की गई थी, उसमें लिखा था कि 4 बजे म० प० पर भारत के संविधान में आगे संशोधन करने वाले मेरे विधेयक पर, जिस पर की 21 फरवरी को चर्चा स्थगित कर दी गई थी, पुनः चर्चा आरम्भ की जायेगी । परन्तु आज के लिये जो विषय सूची परिचालित की गई है तथा कल के लिये जिस कार्यक्रम की विषय सूची परिचालित की गई हैं, उनमें इस का कोई उल्लेख नहीं है । मुझे ज्ञात है कि एक अज्ञात तथा दुखद घटना अर्थात राष्ट्रपति के निधन के कारण सभा के कार्य में कुछ फेर बदल करना पड़ा है, परन्तु मेरे विधेयक के लिये विशेष समय निर्धारित करने को कार्यमंत्रणा समिति सहमत हो गई थी और उस के महत्व को देखते हुए सरकारी समय में से समय देने के लिये सहमति व्यक्त की गई थी ।

महोदय मैं आप से निवेदन करता हूँ कि आप हमारे अधिकारों की रक्षा करें । हमें यह बताया जाना चाहिये कि उस विवेयक को कब लिया जायेगा तथा उस विधेयक को प्राथमिकता अवश्य दी जानी चाहिये । सारी सभा उस विधेयक को एक दिन का समय देने को सहमत हो गई थी ।

अध्यक्ष महोदय : राष्ट्रपति के दुखद निधन के कारण सभा के कार्यक्रम में फेर बदल करना पड़ा है । प्रो० रंगा तथा अन्य दलों के नेता इस बात से सहमत हो गये थे कि इस विधेयक के लिये सरकारी समय में से कुछ समय दिया जाना चाहिये । हम ने दो घण्टे का समय निर्धारित किया था । दो घण्टे काफी होंगे या नहीं यह दूसरी बात है । परसों कार्यमंत्रणा समिति की बैठक फिर होगी तथा हम देखेंगे कि वर्तमान परिस्थितियों में क्या किया जा सकता है । आज वित्त विधेयक को जरूर पारित करना है । कल के काम को आज के लिये रख दिया गया है तथा आज का काम अगले दिन लिया जायेगा । इसके अतिरिक्त माननीय मंत्री ने कहा है कि कोई महत्वपूर्ण कार्य था, जिसे स्थगित नहीं किया जा सकता । कार्यमंत्रणा समिति इस से सहमत हो गई है तथा सरकार भी इस से सहमत हो गई थी । हम देखेंगे कि क्या दो घण्टे का समय काफी होगा ।

श्री मी० रु० मसानी (राजकोट) : यदि इसे आज 4 बजे म० प० पर रखा गया था तो इसे कल 4 बजे म० प०पर लिया जा सकता है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार करूंगा ।

श्री नाथ पाई : महोदय, आप ने अपनी अनुमति दी थी तथा आपको अपने वचनों तथा सम्मान की रक्षा करनी चाहिये ओर सरकार को कहना चाहिये कि इसके लिये समय निर्धारित किया जाये, यह बहुत गलत परम्परा होगी ।

श्री एस० कन्डप्पन (मैटूर) : मुझे अफसोस है कि जिस तरह कार्य सूची में परिवर्तन किया गया है, उससे कार्यमंत्रणा समिति के निर्णय का उल्लंघन हुआ है । यदि संसद् कार्य मंत्री ने परिवर्तन करना ही था, तो उन्हें समिति की अनुमति प्राप्त करनी चाहिये थी । हमने बार बार इस मामले पर विचार किया है और हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि श्री नाथ पाई के विधेयक को किसी विशेष दिन लिया जाना चाहिये । यदि श्री नाथ पाई के विधेयक को अज्ञात परिस्थितियों के कारण स्थगित किया गया है, तो उसे कल लिया जाना चाहिये । मंत्री महोदय द्वारा कार्यमंत्रणा समिति के निर्णय का आदर किया जाना चाहिये । यह बड़े खेद की बात है कि कार्यमंत्रणा समिति के निर्णय को सभा द्वारा अनुमोदित किये जाने के बाद अमान्य किया गया है ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : कार्यमंत्रणा समिति में श्री नाथ पाई के विधेयक को दो घण्टे का समय तथा समवाय चन्दा विधेयक को 4 घण्टे का समय देने का निर्णय किया गया था । इसका अर्थ यह यह है कि इसके लिए छः घण्टे के समय की आवश्यकता होगी । अन्ततः यह निर्णय तो कार्यमंत्रणा समिति ने करना है कि इस समय की व्यवस्था किस प्रकार की जाये, तथापि मेरा सुझाव यह है कि या तो शनिवार को सभा की बैठक बुलाई जाये अथवा 16 तारीख के बाद सभा का सत्र एक दिन के लिये और बढ़ाया जाये मैं समझता हूँ ऐसा करना अनिवार्य होगा ।

Shri Madhu Limaye : (Monghyr) Sir, in the list of Business which was circulated it was written that the Company Donations Bill would be taken up first and then at 4 P. M. shri Nath Pai, Bill would be taken up. I agree that Finance Bill is important and top prionty should be given to it. But now it is seen that in the new agenda two other Bills have been added between the Finance Bill and the Company Donation Bill. This point should be explained.

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों के सब सुझाव मेरे समक्ष हैं । हम इन पर कार्य मंत्रणा समिति में विचार विमर्श करेंगे । श्री मसानी ने सुझाव दिया है कि उस विधेयक को कल 4 बजे म० प० पर लिया जाये और यदि दो घण्टे का समय पर्याप्त न हो, तो सभा की बैठक देर तक अर्थात 7 या 7.30 म० प० तक हो सकती है । मैं इस मामले में संसद् कार्य मंत्री से बात करूंगा । राष्ट्रपति के दुःखद निधन के कारण कार्य मंत्रणा समिति की बैठक नहीं बुलाई जा सकी है ।

श्री हेम बरूआ (गौहाटी) : राष्ट्रपति के दुःखद निधन के कारण कार्य सूची में दर्ज उन मदों को, जिनकी कार्यमंत्रणा समिति द्वारा सिफारिश की गई थी, आगे कर दिया गया है । सरकार को ऐसा करते समय कार्य मंत्रणा समिति की सलाह लेनी चाहिए थी ।

श्री दी० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर-पूर्व) : महोदय, जब उस विधेयक पर चर्चा को स्थगित किया गया था, उस समय मैं बोल रहा था । मैं समझता था कि उस विधेयक को

आज लिया जायेगा, परन्तु ऐसा करना संभव नहीं है। मैं महसूस करता हूँ कि यदि उसे कल भी न लिया जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ऐसा करने पर उसके लिए समय के नियत के बारे में भी कार्यमंत्रणा समिति मे विचार विमर्श किया जा सकता है। कांग्रेस दल द्वारा उस प्रस्ताव पर संशोधन पेश किया गया है। अत: अब उस पर चर्चा करने के लिये अधिक समय की जरूरत होगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि उस विधेयक को कल न लिया जाये। मैं उस विधेयक में व्यक्तिगत दिलचस्पी रखता हूँ, परन्तु कल मैं सभा में उपस्थित नहीं रहूँगा। उस विधेयक के बारे में कार्य मंत्रणा समिति द्वारा निर्णय किया जाना चाहिए और यदि प्रस्तुत किए गए संशोधन को देखते हुए अधिक समय की आवश्यकता हो, तो अधिक समय नियत किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : श्री रघु रामैया। प्रश्न यह है कि जब कल की कार्यवाही को आज लिया जा रहा है, तो सारी कार्य सूची में परिवर्तन क्यों किया गया है?

संसद् कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघु रामैया) : मेरा निवेदन है कि इसका कोई अन्य उद्देश्य नहीं है। कल हमें बहुत थोड़े समय में शीघ्र निर्णय लेना पड़ा था। हम सोचते थे कि समवाय चन्दा विधेयक तथा श्री नाथ पाई के विधेयक-इन दोनों विधेयकों को समय दिया जाना चाहिए। फिर हमने सोचा कि इसका निर्णय करना आप पर तथा कार्य मंत्रणा समिति पर छोड़ दिया जाये। इस बात का कारण कि समवाय चन्दा विधेयक को क्यों जोड़ा गया तथा संविधान (संशोधन) विधेयक को क्यों छोड़ा गया केवल यह था कि कुछ माननीय सदस्यों का विचार था कि संविधान (संशोधन) विधेयक के लिए शायद 2 घण्टे के समय की जरूरत न हो। इसलिए इस कार्य को पुन: कार्यमंत्रणा समिति को सौंपा जायेगा। समवाय (संशोधन) विधेयक के बारे में ऐसी कोई बात नहीं थी, इसलिये उसे जोड़ दिया गया। अन्य दो विधेयक, चूंकि वित्तीय विधेयक हैं इसलिये उन्हें जोड़ा गया है। महोदय, हम पूर्णतया आपके आदेश का पालन करेंगे। कल आप कार्यमन्त्रणा समिति की बैठक बुलाइये।

श्री मधु लिमये : इन दो नए विधेयकों को क्यों जोड़ा गया है?

श्री रघु रामैया : वे पहले भी थे।

अध्यक्ष महोदय : इन बातों पर इस समय बहस करने से कोई लाभ नहीं होगा। हम कार्यमंत्रणा समिति में इस बारे में विचार विमर्श करेंगे। सभा का सत्र स्थगित किए जाने से पूर्व हम इनके लिए समय निकालेंगे।

वित्त विधेयक, 1969
FINANCE BILL, 1969

अध्यक्ष महोदय : अब सभा में वित्त विधेयक पर खण्डवार आगे चर्चा की जायेगी। चार घण्टे नियत किए गए थे जिनमें से 2 घण्टे 40 मिनट समाप्त हो चुके हैं और हम केवल खण्ड 13 पर पहुँचे हैं। हमें दो घण्टे में इसे समाप्त कर लेना चाहिए।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी (मंदसौर) : महोदय खण्ड 13 से 22 तक अग्रिम भुगतान से सम्बन्धित हैं। मेरा प्रथम निवेदन यह है कि व्यक्तिगत उद्योगों के लिये अधिसूचनायें जारी करने की शक्ति केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को दिए जाने की बजाय यह उपबन्धित किया जा सकता है कि वे करदाता जिनके खाते 31 दिसम्बर को समाप्त होते हैं, आखरी किश्त का भुगतान 15 मार्च तक कर सकते हैं। जब संसद् स्वयं इस बात का उपबन्ध कर सकती है, तो यह शक्ति कार्यपालिका को नहीं दी जानी चाहिए।

गत दो तथा तीन वर्षों से इस बात का विचार किए बिना कि अर्थ दण्ड अपराध के अनुकूल है अथवा नहीं अर्थ दण्ड को बढ़ाया जा रहा है। मैं कर अपवंचकों का पक्ष नहीं कर रहा हूँ, परन्तु अग्रिम भुगतान के मामलों में विवरण इत्यादि भेजने में विलम्ब होने पर इतने कठोर अर्थदण्ड की व्यवस्था नहीं होनी चाहिये।

मैं अपना संशोधन संख्या 54 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया (जालोर) : महोदय, मैं खण्ड 13 तथा 16 और संशोधन संख्या 118, 120 तथा 121 के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। इन उपबन्धों के अनुसार करदाता के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह अपनी वर्तमान आय तथा देय अग्रिम कर का प्राक्कलन प्रस्तुत करें, यदि ऐसा कर मांगे गए कर से $33\frac{1}{3}$ प्रतिशत अधिक हो। मैं समझता हूँ ये उपबन्ध पूर्णतया अनावश्यक हैं। वर्तमान अधिनियम के अनुसार कर दाता मांग के अनुसार कर का भुगतान करता है और विवरण दिये जाने के बाद यदि कोई अन्तर पाया जाता है तो वह तीस दिन की अवधि के अन्दर अन्तर को भुगतान करता है, क्योंकि विधि के अनुसार वह इससे ज्यादा विलम्ब नहीं कर सकता है। कर निर्धारण में गलतियां होने की सम्भावनाओं को नहीं छोड़ा जा सकता है। इसलिये मैं नहीं समझता कि वित्त मंत्री के इस सुझाव से कोई लाभ होगा। यह उपाय अनावश्यक है तथा इसे वापस लिया जाना चाहिए।

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : करों की ठीक प्रकार से वसूली करने के लिए अग्रिम कर भुगतान आवश्यक है। जब वेतन भोगी वर्ग वेतन लेने से पूर्व कर का भुगतान करता है, क्योंकि उसे उनके वेतन से काट लिया जाता है, तो व्यापारी वर्ग ऐसा क्यों न करें। अतः यह आवश्यक है।

यह कहा गया है कि अधिक कठोर अर्थ दण्ड की व्यवस्था की जा रही है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। अर्थ दण्ड तभी लागू होगा यदि अन्तर $33\frac{1}{3}$ प्रतिशत से अधिक है। इस लिये प्राक्कलन तैयार करने में काफी राशि के अन्तर की व्यवस्था है। मैं नहीं समझता इस से कोई कठिनाई होगी। जहां तक कर के अग्रिम भुगतान के उपबन्ध का सम्बन्ध है यह कोई नया उपबन्ध नहीं है। पहले भी ऐसा उपबन्ध मौजूद है। मैं समझता हूं कि अर्थ दण्ड ऐसा होना चाहिए जिससे लोग कर अपवंचन न करें और इसी बात को देखते हुए यह व्यवस्था की गई है। ऐसा भी उपबन्ध किया गया है कि यदि आगामी वर्ष में कम आय होने का अनुमान है तो वे कम राशि का भुगतान कर सकते हैं। परन्तु यदि अधिक आय का अनुमान है, तो वे अधिक राशि का भुगतान क्यों न करें यह पूछा गया है कि कुछ लोगों को 15 मार्च तक भुगतान करने की सुविधा क्यों दी गई है। उन लोगों द्वारा कुछ कठिनाइयां अनुभव की गई थी, इस

लिए ऐसा किया गया है। यदि माननीय सदस्य किन्हीं अन्य लोगों के लिए जिन्हें ऐसी कठिनाइयां पेश आती हैं, कोई सुझाव देंगे तो अवश्य ही उन्हें भी अधिसूचित किया जायेगा, परन्तु जिन मामलों में कोई अधिसूचना नहीं है उनमें करों का भुगतान वर्ष खत्म होने पर कर दिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

THE AMENDMENT WAS PUT AND NEGATIVED

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है "कि खण्ड 13 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

THE MOTION WAS ADOPTED

खण्ड 13 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 13 was added to the Bill

खण्ड 14 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 14 was added to the Bill

खण्ड 15

अध्यक्ष महोदय : खण्ड 15 पर कुछ संशोधन है।

श्री मोरारजी देसाई : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

पृष्ठ 8,—पंक्ति 2 के बाद यह जोड़ दिया जाय ["परन्तु खण्ड (i) में उल्लिखित करदाताओं के किसी भी वर्ग के बारे में बोर्ड ऐसे करदाताओं द्वारा किये जाने वाले व्यापार में हुए सौदों के स्वरूप को तथा उनके द्वारा लेखे में अपनाये जाने वाले तरीकों तथा अन्य बातों और ऐसी शर्तों को जो कि उसमें निर्दिष्ट की गई हों, को ध्यान में रखते हुए सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अग्रिम कर की अन्तिम किश्त के भुगतान की तारीख को 15 दिसम्बर की बजाय वित्तीय वर्ष की 15 मार्च कर सकता है।"]

["Provided that in respect of any class of assessees referred to in clause (1), the Board may, having regard to the nature of dealings in the business carried on by such assessees, the method of accounting followed by them and other relevant factors, authorise, by notification in the Official Gazette and subject to such conditions as may be specified therein, the payment of the last instalment of the advance tax on the 15th day of March during the financial year, instead of on the 15th day of December."]

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar): I want to say this proposal moved by the Hon. Minister will result in great hardships to the assessees. There can not be two opinions that tax evaders should be punished severely. But there is no question of evasion so far as advance payment of taxes is concerned. The present system of advance payments is working quite satisfactorily and there is no need to change that.

I want to say one thing. It has been said that the present practice is to pay the instalments on 15th June, 15th September and 15th December. Now suppose the estimate is sent on the evening of the 14th December, will it be possible for the assessee to deposit the instalment on 15th?

श्री मोरारजी देसाई : कर दाता को नोटिस की प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं है। वह नोटिस प्राप्त होने से पहले भी भुगतान कर सकता है। इसे नोटिस की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए।

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी (मंदसौर) : मैं अपने संशोधन संख्या 11,12,13 और 55 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया (जालौर) : मैं संशोधन संख्या 119 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री बेणी शंकर वर्मा (बांका) : मैं संशोधन संख्या 197,198 तथा 199 प्रस्तुत करता हूँ।

अग्रिम भुगतान की पूर्ण योजना यह थी कि करदाता आज के अनुसार कर का भी भुगतान करता था। परन्तु ये धारायें तब बनाई गई थीं जब धारा 140 क नहीं थी। इसके अनुसार करदाताओं को अपनी आय का स्वयं अनुमान लगाकर कर का अग्रिम भुगतान करना पड़ता है। इस धारा के बन जाने से करों की वसूली में कोई विशेष विलम्ब नहीं होता। इसलिए मेरा सुझाव है कि करदाताओं को कर का भुगतान दो किस्तों में अर्थात पहली सितम्बर तथा पहली मार्च को करने को कहा जाये; इससे प्रक्रिया भी सरल हो जायेगी। और विभाग में कार्य भी कम हो जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं सरकारी संशोधन संख्या 298 को सभा में मतदान के लिए रखता हूँ। प्रश्न यह है :—

"पृष्ठ 8,—

पंक्ति 2 के पश्चात यह जोड़ दिया जाये—

["परन्तु खण्ड (i) में उल्लिखित करदाताओं के किसी वर्ग के बारे में बोर्ड ऐसे करदाताओं द्वारा किये जाने वाले व्यापार में हुए सौदों के स्वरूप को तथा उनके द्वारा लेखे में अपनाये जाने वाले तरीकों तथा अन्य बातों और ऐसी शर्तों को जो कि उनमें निर्दिष्ट की गई हो, को ध्यान में रखते हुए सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अग्रिम कर की अन्तिम किस्त के भुगतान की तारीख को 15 दिसम्बर के बजाय वित्तीय वर्ष की 15 मार्च कर सकता है।"

["Provided that in respect of any class of assessees referred to in clause (i), the Board may, having regard to the nature of dealings in the business carried on by such assessees, the method of accounting followed by them and other relevant factors, authorise, by notification in the Official Gazette and subject to such conditions as may be specified therein, the payment of the last instalment of the advance tax on the 15th day of March during the financial year, instead of on the 15th day of December."]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

THE MOTION WAS ADOPTED

अध्यक्ष महोदय द्वारा अन्य सभी संशोधन मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

The amendments were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :—"खण्ड 15, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
THE MOTION WAS ADOPTED

खण्ड 15, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया
Clause 15, as amended, was added to the Bill

खण्ड 16

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी (मंदसौर) : मैं संशोधन संख्या 56 और 57 प्रस्तुत करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए
The amendments were put and negatived

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :—"खण्ड 16 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
THE MOTION WAS ADOPTED

खण्ड 16 विधेयक में जोड़ दिया गया
Clause 16 was added to the Bill.

खण्ड 17 विधेयक में जोड़ दिया गया
Clause 17 was added to the Bill.

खण्ड 18

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी (मंदसौर) : मैं संशोधन संख्या 58, 59 और 60 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री वेणी शंकर शर्मा (बांका) : मैं संशोधन संख्या 226 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : यह खण्ड जुर्माना देने के बारे में है। इस समय स्थिति यह है कि यदि अग्रिम दिया गया कर निर्धारित कर से 75 प्रतिशत से कम रह जाता हो तो करदाता को ब्याज अथवा जुर्माना देना पड़ेगा परन्तु इस उपबन्ध से माननीय वित्त मंत्री इस मामूली छूट को भी समाप्त करना चाहते हैं, मामूली उत्तर होने पर भी करदाताओं को ब्याज अथवा जुर्माना देना पड़ेगा। क्या माननीय मंत्री समझते हैं कि वास्तव में गलती होने की कोई सम्भावना नहीं है। क्या उनके विचार में कुछ अन्तर की व्यवस्था करना जैसा कि पहले है आवश्यक नहीं है ? क्या वह छोटे व्यापारियों, जोकि समूचे देश में फैले हुए हैं, की स्थिति पर ध्यान देंगें जिनको नियमों आदि का पर्याप्त ज्ञान नहीं है।

कानून की जटिल प्रक्रिया को देखते हुए आप का अनुभव लगाने तथा विवरण आने के लिए विशेषज्ञ के परामर्श की आवश्यकता है। अतः इस उपबन्ध से छोटे व्यापारियों से अधिक कठिनाइयां उत्पन्न होगी। अतः मेरे विचार 25 प्रतिशत का अन्तर जो पहले रखा गया था उचित है और उसको बनाये रखा जाना चाहिए।

अन्तर को समाप्त कर तथा जुर्माना करने की व्यवस्था से आयकर अधिकारियों को अधिक शक्तियां दी जा रही हैं। क्या माननीय मंत्री को इस बात का पता नहीं है कि कर निर्धारण का व्यय चार अथवा पांच अथवा छः वर्षों तक भी पूरा नहीं होता है। केवल विलम्ब करने के लिए ही ऐसा किया जाता है अतः क्या आयकर अधिकारियों को अधिक शक्तियां देना उचित है। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री इस पर पुनः विचार करेंगे और 25 प्रतिशत के अन्तर को बनाये रखेंगे।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : In my view also it will create more complications and assessees will be put to more hardships. Removal of margin of 25 percent will create more difficulties for the small traders. I would request the Hon. Minister to fix same limit upto which this provison will not apply so that small traders could be saved from more hardships.

श्री श्रीनिवास मिश्र (कटक) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मुझे इस बात में सन्देह है कि क्या इन खण्डों को वित्त विधेयक में शामिल किया जा सकता है ? ये मुख्य वित्त प्रस्ताव है न कि अनुपूरक वित्त प्रस्ताव। ये वित्त वर्ष 1970-71 लागू होंगे न कि वर्ष 1969-70 से। अतः इनको इस वित्त विधेयक में शामिल नहीं किया जा सकता।

अध्यक्ष महोदय : यह एक साधारण प्रश्न है। सभा कोई भी विधेयक पास कर सकती है और इसके लागू होने की तारीख भी निश्चित कर सकती है कोई भी सभा के अधिकार को चुनौती नहीं दे सकता। अतः इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

Shri Abdul Ghani Dar (Gurgaon) : It will create more difficulties for the small businessmen. He should listen to our request and some relaxation should be given in this provision so that the poor class is not burdened. He should reconsider this clause.

श्री मोरारजी देसाई : कर की वसूली करना एक कठिन कार्य है। अतः इसके लिए कठिन उपाय ही किये जा सकते हैं। यह कहना कि जुर्माना केवल बड़े लोगों पर ही लगना चाहिए छोटे लोगों पर नहीं एक आश्चर्यजनक बात है। अपराध अपराध ही है चाहे वह छोटा हो अथवा बड़ा इसी प्रकार कर अपवंचन चाहे पांच रुपये का हो चाहे 550 रुपये का वह कर अपवंचन ही है। उसके लिए दोषी व्यक्तियों को जुर्माना देना पड़ेगा। छोटे व्यापारियों को शुद्ध प्राक्कलन देने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। पहले जो 25 प्रतिशत की छूट दी गई थी उसको बनाये रखा जा रहा है। यदि अन्तर 25 प्रतिशत तक है तो उसके लिए ब्याज नहीं देना पड़ेगा। पहले व्यवस्था यह थी कि यदि किसी को 100 रुपये कर देना होता था और वह अग्रिम 75 रुपये जमा करा देता था तो उसको कोई दाणिक ब्याज नहीं देना पड़ता था अतः यदि किसी व्यक्ति ने 100 रुपये के स्थान पर 70 अथवा 65 रुपये का भुगतान करना होता था तो उसके 75 में से 65 रुपये निकाल दिये जाते थे और उससे केवल 10 रुपये पर ब्याज लिया जाता था अब उससे 35 रुपये पर ब्याज लिया जायेगा। अतः अब केवल इस प्रकार से 25 प्रतिशत की छूट समाप्त की गयी है परन्तु यदि कोई 75 प्रतिशत कर का अग्रिम भुगतान कर देता है तो उससे ब्याज अथवा जुर्माना नहीं लिया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय द्वारा सभा संशोधन मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

THE AMENDMENTS WERE PUT AND NEGATIVED

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न है कि खण्ड 18 विधेयक का अंग बने

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

THE MOTION WAS ADOPTED

खण्ड 18 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 18 was added to the Bill

इसके पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजे म०प०तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till the Fourteen of the clock

लोक सभा माध्याह्न भोजन के पश्चात दो बजकर छः मिनट म०प० पर पुनः समवेत हुई ।

The Lok Sabha Re-assembled after lunch at six minutes past fourteen of the clock

[श्री वासुदेवन नायर पीठासीन हुए
Shri Vasudevan Nair in the chair]

Shri Madhu Limaye (Monghyr): I rise on a point of order. There should be no discussion on the Finance Bill as I have got very much doubt about the existence of the present Government. In this connection, I want to draw you attention to Article 75 of the Constitution which is as follows:--

75 (1) The Prime Minister shall be appointed by the President and the other Ministers shall be appointed by the President on the advice of the Prime Minister.

(2) The Ministers shall hold office during the pleasure of the President.

The present cabinet was administered oath by the former President, Dr. Zaker Hussain, who is no more between us. I want to know whether this Government is functioning at the pleasure of the new President. The new President has not administered oath to this Government. This Government should have resigned and taken oath again. This is the frist time that such a situation has arisen. I want your ruling in this matter and I also wanted to be enlightened as to whether this Government should have resigned or not ?

श्री मोरारजी देसाई : माननीय सदस्य इस बात को भूल रहे हैं कि राष्ट्रपति कभी नहीं मरता । यह पद सदा बना रहता है । डा० जाकिर हुसैन का निधन हुआ था न कि राष्ट्रपति पद का । जब तक राष्ट्रपति मन्त्रिमण्डल को बर्खास्त नहीं करते तब तक पुनः शपथ लेने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

Shri Madhu Limaye: If you say Sir, that my argument is ridiculous then I will raise another point.

सभापति महोदय : राष्ट्रपति का पद स्थायी है। यह सदा बना रहता है । यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाये कि यह पद रिक्त हो जाये तब सचमुच एक गम्भीर संवैधानिक संकट उत्पन्न हो जायेगा । तभी इस उपबन्ध का आश्रय आप ले सकते हैं । राष्ट्रपति के पद को तुरन्त भर दिया गया था और उप-राष्ट्रपति का कार्य-भार सम्भाल लिया था । अतः इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है । हम खण्ड 19 पर विचार कर रहे थे । श्रीस्वतंत्र सिंह कोठारी ।

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी : मुझे और कुछ नहीं कहना है

सभापति महोदय : प्रश्न यह है "कि खण्ड 19, 20 और 21 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
THE MOTION WAS ADOPTED

खण्ड 19, 20 और 21 विधेयक में जोड़ दिये गये
Clauses 19, 20 and 21 were added to the Bill

खण्ड 22

श्री शिवचन्द्र झा (मधुबनी) : मैं संशोधन संख्या 169, 170 तथा 171 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी (मंदसौर) : मैं संशोधन संख्या 64, 65, 66, 67 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री वेणी शंकर शर्मा (बांका) : मैं संशोधन संख्या 201 और 202 प्रस्तुत करता हूँ।

धारा 100 क के बन जाने के पश्चात विधेयक के इस पहलू में परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता है, जुर्माना दोष के अनुसार होना चहिये परन्तु यह अत्यधिक नहीं होना चाहिये। 10 से 150 प्रतिशत जुर्माना करने का प्रस्ताव अनुचित है। जुर्माने की यह दर बहुत अधिक है। वर्तमान आयकर अधिनियम के अन्तर्गत प्रत्येक करदाता पर पाँच प्रकार का जुर्माना किया जा सकता है।

मेरा निवेदन है कि सरकार को जुर्माने द्वारा रुपया एकत्र करने को एक सिद्धान्त नहीं बनाना चाहिये। जुर्माने को आय कर साधन नहीं बनाया जाना चाहिए। अतः मैंने सुझाव दिया है कि प्रतिशत की दर से ब्याज लेने के पश्चात जुर्माने की राशि को इससे अधिक नहीं होना चाहिये।

Shri Shiv Chander Jha : I agree that strong action should be taken against the Tax evaders. But to impose a penalty at the rate of 150 percent on a person who made advance payment of income-tax which falls little short of his assessment is too much. I suggest that it may be reduced to fifty percent.

श्री मोरारजी देसाई : जुर्माने के प्रश्न पर मतभेद हो सकता है। मैं इससे इन्कार नहीं करता। जुर्माने का प्रश्न तभी उत्पन्न होता है जब करदाता इस उपलब्ध की शर्तों को पूरा नहीं करता। दण्ड उचित ही होना चाहिए अन्यथा इसका कोई लाभ नहीं। अतः मैं संशोधनों को स्वीकार नहीं कर सकता।

सभापति महोदय द्वारा सभी संशोधन मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

The amendments were put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है "कि खण्ड 22 विधेयक का अंग बने",

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

THE MOTION WAS ADOPTED

खण्ड 22 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 22 was added to the Bill

खण्ड 23

सभापति महोदय : इस खण्ड के बारे में दिये गये संशोधन नियमानुसार नहीं है।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी (मंदसौर) : कपड़ा मिल उद्योग हमारे देश का एक मुख्य उद्योग है जो लोगों की भौतिक आवश्यकता अर्थात् कपड़े का उत्पादन करता है। इस उद्योग को प्राथमिकता उद्योगों की सूची में रखा गया है। इससे इस उद्योग को 35 प्रतिशत विकास छूट मिलती है। परन्तु इस अधिनियम के अनुसार 1 अप्रेल 1970 से यह छूट 35 प्रतिशत से कम होकर 25 प्रतिशत हो जायेगी और कुछ मामलों में यह 20 प्रतिशत से कम होकर 15 प्रतिशत रह जायेगी। विकास छूट से करदाताओं को नई मशीनें लगाने के लिए धन मिलता है और इससे विकास के लिए महत्वपूर्ण प्रोत्साहन भी मिलता है। 150 में से 144 देशों में कारपोरेट टैक्स 50 प्रतिशत से अधिक नहीं है।

श्री मोरारजी देसाई : क्या वह खण्ड का विरोध कर रहे हैं।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : मैं खण्ड का विरोध नहीं कर रहा हूँ। मैं यह चाहता हूँ कि विकास छूट को कम न किया जाये। कुछ प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों को उनकी आय में 8 प्रतिशत की छूट दी जाती है, मैं चाहता हूं कि कपड़ा मिल उद्योग को भी यह छूट दी जाये।

श्री एस० आर० दामानी (शोलापुर) : मैं श्री कोठारी के सुझाव का समर्थन करता हूँ। प्राथमिकता उद्योगों की सूची में कपड़ा उद्योग को शामिल करने के लिए मैं उप-प्रधान मन्त्री का धन्यवाद करता हूँ। परन्तु इसको केवल विकास छूट की ही सुविधा दी गई है। मेरा निवेदन है कि इस उद्योग को वे सभी सुविधायें तथा रियायतें दी जानी चाहिए जो अन्य प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों को दी जाती है।

श्री मोरारजी देसाई : मैं नहीं समझता कि इस उद्योग को पूरी रियायतें देना आवश्यक है। इसीलिए इस उद्योग को आंशिक रूप से रियायत दी गई है। इसमें परिवर्तन करने का कोई कारण नहीं है।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है "कि खण्ड 23 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

THE MOTION WAS ADOPTED

खण्ड 23 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 23 was added to the Bill

खण्ड 24

श्री कंवरलाल गुप्त : मैं संशोधन संख्या 15,16,17,70 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : मैं संशोधन संख्या 72,73,74 और 75 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : मैं संशोधन संख्या 132 और 133 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री जे० मुहम्मद इमाम (चित्रदुर्ग) : मैं संशोधन संख्या 142 और 145 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री शिवचन्द्र झा : मैं संशोधन संख्या 173 और 174 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री देवराव पाटिल : मैं संशोधन संख्या 175 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री शिवचन्द्र झा : मैं संशोधन संख्या 176 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री वेणी शंकर शर्मा (बांका) : मैं संशोधन संख्या 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217 और 218 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री मोरारजी देसाई : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

पृष्ठ 12

पंक्ति 25 के पश्चात यह जोड़ दिया जाये :—

["(i) खण्ड (iv) के बाद 1 अप्रेल 1970 से निम्नलिखित खण्ड जोड़ दिया जाये, अर्थात् :—

"(ivक) करदाता की कृषि योग्य भूमि जिसका मूल्य अधिक से अधिक 150 हजार रुपये हो :

परन्तु जिन मामलों में करदाता का मकान अथवा मकान का कुछ भाग ऐसे स्थान पर जहां कि जनसंख्या दस हजार से अधिक हो और जिसपर खण्ड (iv) के उपबन्ध लागू होते हों और ऐसे मकान अथवा मकान का भाग का मूल्य कृषि योग्य भूमि के मूल्य में मिलाकर एक सो पचास हजार रुपयों से बढ़ जाती है तो ऐसे मामलों में इस खण्ड के अन्तर्गत करदाता की शुद्ध सम्पत्ति में जिस राशि को शामिल नहीं किया जाना चाहिए, वह राशि एक सौ पचास हजार होनी चाहिए जिसमें से उस मकान अथवा मकान के भाग के मूल्य को, जिसकी खण्ड (iv) के अन्तर्गत करदाता की शुद्ध सम्पत्ति में शामिल नहीं किया जाता है, कम कर दिया गया हो।"

["(i) after clause (iv), the following clause shall be inserted with effect from the 1st day of April, 1970, namely :—

"(iv a) agricultural land belonging to the assessee subject to a maximum of one hundred and fifty thousand rupees in value :

Provided that where the assessee owns any house or part of a house situated in a place with a population extending ten thousand and to which the provisions of clause (iv) apply and the value of such house or part of a house together with the value of the agricultural land exceeds one hundred and fifty thousand rupees, then the amount that shall not be included in the net wealth of the assessee under this clause shall be one hundred and fifty thousand rupees as reduced by so much of the value of such house or part of house as is not to be included in the net wealth of the assessee under clause (iv):'"]

पृष्ठ 12 पंक्ति 26 :—

['(i)'] के स्थान पर ['(ii)'] रख दिया जाये।

पृष्ठ 12 पंक्ति :—

['(ii)'] के स्थान पर ['(iii)'] रख दिया जाये।

पृष्ठ 13

पंक्ति 3 से 12 के स्थान निम्नलिखित पंक्तियां रखी जाये :-

["(i) खण्ड (क) में उल्लिखित मामलों में यदि उस के द्वारा धनकर की कोई राशि देय है, तो उसके अतिरिक्त जितने महीनों तक वह अपराध करता रहेगा प्रत्येक महीने के लिए उससे आधे प्रतिशत के समान राशि ली जायगी :- अनुसूची के भाग (क) के पेराग्राफ (क) अथवा अनुसूची के भाग दो में निर्दिष्ट धनकर की दरों के अनुसार धनकर की राशि को घटा कर धारा 16 के अन्तर्गत शुद्ध सम्पति निर्धारित की गई है, लेने वाला धनकर शून्य है अथवा (ख) धारा 17 के अन्तर्गत निर्धारित की गई शुद्ध सम्पति, जहां निम्नलिखित राशियों को घटा का इस धारा के अन्तर्गत यह निर्धारित की गई हो।

एक' इस से पूर्व धारा 16 अथवा धारा 17 के अन्तर्गत यदि कोई शुद्ध सम्पति निर्धारित की गई है अथवा (दो) शुद्ध सम्पत्ति की राशि जिस पर अनुसूची के भाग एक के पेराग्राफ (क) अथवा अनुसूची के भाग दो में निर्दिष्ट धनकर की दरों के अनुसार लिया जाने वाला धनकर शून्य है जो अधिक हो, परन्तु यह राशि कुल ली जाने वाली राशि से अधिक नहीं होनी, चाहिए, धारा 16 के अन्तर्गत निर्धारित शुद्ध सम्पति के समाज अथवा, जैसा भी मामला हो धारा 17 के अन्तर्गत निर्धारित शुद्ध सम्पति जैसाकि उस तरीके से घटा कर बनती हो"]

[(i) in the cases referred to in clause (a) in addition to the amount of wealth-tax if any, payable by him, a sum for every month during which the default continued equal to one half percent, of—

(A) the net wealth assessed under section 16 as reduced by the amount of net wealth on which, in accordance with the rates of wealth-tax specified in paragraph A of Part I of the Schedule or Part II of the Schedule, the wealth-tax chargeable is nil, or

(B) the net wealth assessed under section 17, where assessment has been made under that section, as reduced by—

(1) the net wealth, if any, assessed previouly under section 16 or section 17, or

(2) the amount of net wealth on which, in accordance with the rates of wealth-tax specified in Paragraph A of Part I of the Schedule or Part II of the Schedule, the wealth-tax chargeable is nil,

which ever is greater—

but not exceeding in the aggregate, an amount equal to the net wealth assessed under section 16, or, as the case may be, the net wealth assessed under section 17, as reduced in either case in the manner aforesaid.]

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I rise on a point of order. The Hon. Finance Minister in his Budget speech said on the 28th February that "I am advised by the Attorney-General that Parliament is competent to legislate for the levy of wealth tax on agricultural land." This was challenged by several Hon. Members. In this connection, I may mention that Shri Atal Bihari Vajpayee asked a specific question as to whether the Hon. Finance Minister has consulted the present incumbent of the post. But the Hon. Finance Minister did not clarify the position and simply stated that " I have consulted the Attorney General as a I have got the Attorney-General's opinion before me."

I would like to say that this matter was referred to the present Attorney General. Shri Wiren Dey on the 8th March and he returned the papers on the 12th March after recording his advice thereon. I want that the Hon. Finance Minister should be reprimanded for this. I want your ruling on this point.

Shri Morarji Desai : I have already told that this is not the opinion of now Attorney-General. When the Hon. Member wanted the opinion of new Attorney-General. I have also ascertained it.

श्री मी० रु० मसानी (राजकोट) : हम इन समूचे खण्ड का विरोध करते हैं। इस खण्ड के तीन भाग हैं। पहले दो भाग कृषि पर धन कर लगाने में सम्बन्धित हैं और तीसरा भाग धन कर पर दण्ड में वृद्धि से सम्बन्धित है। दोनों ही उपबन्ध समान रूप से आपत्तिजनक हैं।

चाहे यह खण्ड विधि की दृष्टि में मान्य हों अथवा अमान्य, इसे आर्थिक तथा राजनैतिक आधार पर अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए। कृषि को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। गत बीस वर्षों में इसकी बहुत अपेक्षा की गई है। यदि इसके बावजूद देश के नागरिकों ने अधिक परिश्रम करके अच्छी फसल उगाई है और लाभ कमाया है, तो उन पर इस प्रक्रम पर कर लगाना ठीक नहीं है। यदि कुछ वर्ष बाद कृषि में बहुत प्रगति हो तो इस प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है। तब तक हम किसी भी कृषक पर धन कर लगाने का विरोध करते हैं।

धनकर के लिए विवरण दाखल न करने पर बहुत कड़ा दण्ड रखा गया है, विद्यमान दण्ड भी बहुत कड़े हैं अर्थात दोष होने पर प्रत्येक मास के लिए निर्धारित कर का 2 प्रतिशत परन्तु निर्धारित कर के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं। अब मंत्री महोदय का दण्ड दुगुना करने का विचार है। इससे न्याय का उद्देश्य ही समाप्त हो जायेगा। अतः यदि इस मामले में यथापूर्व स्थिति बनाई रखी जाये, तो यह अधिक अच्छा होगा।

अतः हमें इस समूचे खण्ड का विरोध करना चाहिए।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : I oppose this clause totally. It is the first time that Wealth Tax is finding its way in rural areas.

The Government should ascertain the opinion of Supreme Court on this Bill. It will hit very hard the agriculturists who constitute 80 percent of our population. The Attorney General has given his opinion that Central Government can impose Wealth Tax on agricultural land in view of Entry 86 of the Seventh Schedule of the Constitution, we still have our doubts.

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

This Bill will cause great harassment to the people. The penalty provided is very severe. It will bring untold harassment in marginal cases since there is always a possibity of different assessment being made by the assessee and the officials. In such cases the net effect of prescribed high rate of penalty may be virtual confiscation of the property. In such circumstances it will be better if the marginal cases are treated on a different footing. If the Government considers itself democratic, it should honour the feelings of people.

Shri S. M. Banerjee (Kanpur) : On behalf of my party, I oppose clause 24 of the Bill, but it is on a different ground. The agricultural wealth tax should not be opposed on the basis of principle because some people in the rural areas have amassed wealth and are leading a life of luxury. These people should not escape tax merely because their properties are in rural areas. The right to collect this tax should vest with the State Governments and not with the Centre.

No one should have more then 25 acres of land, beyond that, surplus land should be distributed among agricultural labourers.

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी (हावड़ा) : जब 1860 में पहली बार आय-कर लगाया गया था तो कृषि से आय पर भी कर लगाया गया था बाद में कर समाप्त कर दिया गया और 1866 में पुनः कर लगाते समय कृषि से आय को उसमें शामिल नहीं किया गया क्योंकि उसपर उपकर लगा हुआ था। अब प्रसन्नता की बात है कि वित्त मंत्री ने इस विषमता को दूर कर दिया है।

हमारी भूमि का 65 प्रतिशत भारत के बड़े जमीनदारों के पास है। उनकी वार्षिक आय 6000 करोड़ रुपये हैं, अतः यह ठीक ही है कि वित्त मंत्री ने इसमें कुछ भाग प्राप्त करने के लिए धन कर लगाया है। परन्तु यदि यह कर कृषि के लिए दुरुत्साहित करने वाला सिद्ध हो तो मंत्री महोदय को इस में सुधार करना चाहिये।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया (जालौर): इन खण्ड के विरोध में श्री मसानी तथा श्री कंवर लाल गुप्त ने जो कुछ कहा है, मैं उसका विरोध करता हूँ। चाहे धन कर का मामला हो अथवा कृषि या उर्वरक पर कर लगाने का, सरकार देश में कृषि के विकास की अनावश्यक उपेक्षा करती है, ग्रामीण तथा कृषि क्षेत्र से फालतू धन खींचने की बजाय उसमें और धन लगाना चाहिये। कृषि भूमि पर यह कर लगा कर हम ऐसी परिस्थितियां पैदा कर रहे हैं जिनमें कृषि के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना आवश्यक है। अतः यह उपबन्ध ठीक नहीं है।

पहले दंड कर की राशि से सम्बन्धित था परन्तु अब उसका सम्बन्ध कुल सम्पत्ति से रखा गया है, इसका अर्थ यह है कि यदि किसी व्यक्ति की सम्पत्ति एक लाख की हो तथा कर निर्धारण में पांच वर्ष का समय लगने के बाद आयकर अधिकारी सम्पत्ति का मूल्य एक लाख पांच हजार निर्धारित करे तो दण्ड एक लाख पांच हजार के लगभग होगा। परन्तु एक लाख पांच हजार के कुल धन पर धनकर केवल 125 रुपये होगा। इसका अभिप्राय यह है कि जिस कर से 125 रुपये की आय होनी थी उस पर एक लाख पांच हजार के लगभग दण्ड लगेगा। दण्ड चाहे कुछ भी हो, इसका सम्बन्ध कर से होना चाहिए, न कि कुल धन से। मेरे संशोधन में कहा गया है कि दण्ड पांच गुना बढ़ाया जा सकता है परन्तु इसका सम्बन्ध कुल धन से नहीं होना चाहिए।

श्री क० नारायण राव (बोब्बिलो) : जब 1957 में पहली बार धन कर अधिनियम पारित किया गया था तो धन की परिभाषा में कृषि भूमि तथा खड़ी फसल आदि को शामिल नहीं किया गया था। ऐसा संविधान की परिविष्टि 80 के अनुसार किया गया था। परन्तु मालूम होता है कि अब सरकार इस मामले पर केवल इस कारण से पुनर्विचार कर रही है कि राज्य सूची में तदनुसार परिविष्टि में केवल भूमि कर का उल्लेख किया गया है। यह उचित नहीं है। यद्यपि महान्यायवादी ने बड़ी योग्यता से इनका स्पष्टीकरण किया है परन्तु हमें इस बारे में बिलकुल संतुष्टि नहीं हुई है।

भारत में बहुत बड़ी संख्या में करदाता अशिक्षित हैं और अब उन्हें कर की एक बड़ी प्रणाली की लपेट में लाया जा रहा है। राज्य सरकारों के सहयोग बिना केन्द्रीय सरकार के लिये इसे लागू करना सम्भव नहीं होगा। इससे न तो कृषकों को कोई लाभ होगा, न ही सरकार को केवल इतना ही होगा कि भ्रष्टाचार का एक और मार्ग खुल जायेगा। मैं आशा करता हूँ कि हम मंत्री महोदय को इसे वापिस लेने के लिए मनवा सकते हैं।

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी (मंदसौर) : मैं समझता हूँ कि केन्द्रीय सरकार को यह कर लगाने का अधिकार राज्य सरकार के हाथ में छोड़ देना चाहिये था। संविधान निर्माताओं का उद्देश्य यह था कि कृषि से आय तथा कृषि सम्पत्ति पर कर राज्यों के क्षेत्र में छोड़ देना चाहिये था।

अभी कृषि उस प्रक्रम पर नहीं पहुँची है कि उस पर चाहे कितना कर लगाया जाये, खाद्य उपज बढ़ती रहेगी, उर्वरक पर कर तथा कृषि सम्पत्ति पर कर से कृषी की उपज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

दण्ड अपराध के अनुरूप होना चाहिए। आय कर अपवंचन करने वालों पर जितना चाहे दण्ड लगा सकते हैं, परन्तु विवरण दाखल करने में विलम्ब से ही जब्ती का दण्ड नहीं होना हाहिए।

Shri M. A. Khan (Kasgunj) : I will have to support wealth tax or fertilizers tax due to party discipline, but I am not in favour of them. The farmers of my village have said with reference to the wealth tax that they had earned a decent living for the first time during last twenty years, but it appears this Government is not happy ovr it. The limit of Rs. 1,05,000 will only result in corruption. It will therefore be better that

some limit is prescribed in regard to the size of the land. This tax should not be inposed on the agriculturists with less than 25 acres of land.

श्री एस कंडप्पन (मेट्टूर) : ऐसा लगता है कि सरकार समझती है कि उसने कृषकों के लिए बहुत अच्छा काम किया है तथा अब उनपर कर लगाया जाना चाहिये। परन्तु ऐसा करना गलत है।

इस कर से केवल पांच करोड़ रुपये आय होगी तथा यह राशि भी राज्यों को दी जानी है। यदि सरकार यह राशि स्वयं लेने के लिए उत्सुक नहीं और यदि वे इस राशि का उपयोग केन्द्रीय सरकार के खर्चों के लिए नहीं चाहती तो यह कर लगाने के मामलों को राज्यों पर छोड़ देने में क्या कठिनाइयां हैं ;

महान्यायवादी के मत के बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा है परन्तु प्रमुख वकीलों के मन में भी सन्देह पैदा होने लगे हैं कि क्या केन्द्रीय सरकार को ग्रामीण क्षेत्र पर कर लगाने का अधिकार है। यह मामला राज्यों पर छोड़ दिया जाना चाहिये।

Shri Abdul Ghani Dar (Gurgaon) : The Finance Minister should have known the differance between urban wealth and rural wealth. Government should realise the difficulties of agriculturists and they should not be treated at par with other rich people in the country. The agriculturist has been living in great difficulty for a long time and they had some relief only recently because of timely rains. It will be very unfair to the agriculturists if the Government wants to levy wealth tax only on that basis. It will mean that even if there are not timely rains in future or if the crops are damaged by floods, wealth tax will still be imposed. All these practical difficulties should be considered by the Government

श्री श्रीनिवास मिश्र (कटक) : मेरा संशोधन यह है कि यह समूचा खण्ड निकाल दिया जाना चाहिए परन्तु माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तावित इस संशोधन को ध्यान में रखते हुए कि डेढ़ लाख रुपये के अधिक सम्पत्ति वाले लोगों को छूट दी जाये, खण्ड को समाप्त करने का मेरा अभिप्राय समाप्त हो गया है। परन्तु प्रश्न यह है कि क्या डेढ़ लाख रुपये की सीमा में 2, 3 अथवा 4 एकड़ भूमि वाले छोटे वर्ग के कृषकों पर वास्तव में प्रभाव पड़ेगा। इस में तो कोई सन्देह नहीं कि बहुत बड़ी भूमि वाले व्यक्तियों पर कर लगाया जाना चाहिये तथापि 5 अथवा 6 एकड़ वाले कृषकों पर, जिन्हें सिचाई की सुविधायें उपलब्ध नहीं है। कर नहीं लगाया जाना चाहिये।

श्री रा० ढो० भण्डारे (बम्बई मध्य) : कृषि धन कर के बारे में समूची कठिनाई भूमि के मूल्यांकन के बारे में है। जब तक भूमि का मूल्यांकन करने की कोई व्यवस्था नहीं की जायेगी, विधि की कठिनाई कम नहीं होगी, अतः इसके लिए व्यवस्था की जानी चाहिये तथा उप व्यवस्था के ढ़ाचे के बारे में उपबन्ध विधेयक में शामिल किया जाना चाहिये ताकि भूमि के मूल्यांकन के बारे में कठिनाई दूर हो सके।

कृषि धन कर के अपवंचन के लिये बहुत अधिक दंड की व्यवस्था की गई है। इन शब्दों के साथ मैं इस खण्ड का समर्थन करता हूं।

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani) : The issue of the Agricultural wealth Tax has become a controversial subject. The Attorney General had to come here to give clarification about it. Even after that it has not been made unambiguous. We believe that accumulated wealth should be used for the walfare of the society. Ours is a poor country. The concentrated wealth should be used for the uplift of the poor people and backward areas in the country.

The capitalism has been gained from the development of agriculture after the attainment of independence. Some people have collected huge wealth from the agricultural fields. This should be subjected to taxation. Government is giving exemption in respect of wealth tax. My amendment Nos. 173 and 174 are in regard to those exemptions. I want that there should not be any exemption in the matter of elephants. Those who evade taxes should be given severe punishment. It would be better to postpone the levy of taxes on agriculture.

श्री वेणी शंकर शर्मा (बांका) : मैं इस समूचे खण्ड का विरोध करता हूँ। मैं कृषि पर धन कर लगाये जाने के कानूनी पहलू पर कुछ नहीं कहना चाहता। इस बारे में महान्यायवादी ने सरकार को सलाह दी है। मैं महान्यायवादी की बात से प्रभावित नहीं हुआ हूँ। यह विषय राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आता है। पहले से भी अनेक राज्य कृषि आय पर आयकर लगा रहे हैं। उन्हें ऐसा करने का अधिकार है। कृषि पर धन कर लगाने से केंद्र और राज्यों के पारस्परिक सम्बन्ध और खराब हो जाने का भय है। मैं कृषि पर धन कर लगाने का विरोधी नहीं हूँ। व्यापार से होने वाली आय और कृषि से होने वाली आय में अन्तर नहीं होना चाहिये वैसे कृषि आय पर धन कर लगाने का काम राज्यों की इच्छा पर छोड़ दिया जाना चाहिये। इस बारे में मेरे संशोधन स्वीकार कर लिये जायें।

दण्ड खण्ड में एक बड़ी त्रुटि यह है कि यदि एक व्यक्ति छोटी सी भूल के कारण अपना विवरण पाँच वर्ष चार महीने तक नहीं देता तो उसकी सम्पूर्ण सम्पत्ति जब्त कर ली जायेगी। इसके लिए उसे बड़ा भारी दण्ड सहना होगा। इस उपबन्ध के अनुसार एक निर्दोष करदाता को बहुत बड़ी राशि जुर्माने के रूप में देनी होगी। अतः मेरा निवेदन है कि जुर्माना कर की राशि के अनुरूप होना चाहिये और धन से नहीं। अन्यथा इससे भ्रष्टाचार फैलने के अवसर बढ़ेंगे। मैं समझता हूँ कि मंत्री महोदय इस पर ध्यान देकर आवश्यक संशोधन करेंगे।

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : इस बारे में महान्यायवादी ने अपनी राय व्यक्त कर दी है। अत: मैं इनके कानूनी पहलुओं को नहीं छुऊंगा। अन्तिम निर्णय तो उच्चतम न्यायालय ने देना है। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि स्वर्ण अधिनियम के कुछ भाग को गैर कानूनी घोषित किया गया है। परन्तु उससे मुख्य सिद्धान्त तो समाप्त नहीं हुआ है। मैंने उस निर्णय को देखा है। यदि महान्यायवादी को कोई शंका होती तो मैं इसे वापिस ले लेता।

इस मामले को राज्य सरकारों की मरजी पर नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि उनको अधिकार नहीं है। केंद्र को इसका अधिकार है। अत: केंद्र ही यह कर लगा रहा है। वैसे, मैं यह बताना चाहता हूँ कि जहाँ तक कृषि भूमि का कर है यह राज्यों को ही मिलेगा। हम राज्यों की आय बढ़ाना चाहते हैं। कृषि भूमि के मूल्य दस गुना बढ़ गये हैं। इस कर से बहुत

बड़ी भूमि वाले किसानों पर ही प्रभाव पड़ेगा। छोटे किसानों पर इससे कोई कुप्रभाव नहीं पड़ेगा। मूल्यांकन का प्रश्न एक जटिल प्रश्न है। उस पर हम ध्यान देने के बाद ही निर्णय करेंगे। हम किसी किसान को परेशान नहीं करना चाहते। उनके हितों की रक्षा का भी हमें ध्यान है।

सरकारी नगरीय सम्पत्तियों के प्रश्न पर भी बड़ी गम्भीरता के साथ विचार कर रही है। हम देख रहे हैं कि कितनी अधिकतम सीमा निर्धारित की जा सकती है? हमें देखना है कि कौन सा वर्ग कर का बोझ उठा सकता। हम ने नगरीय व्यक्तियों, जिनके पास अपने मकान हैं की छूट कम कर दी है। हमने सभी बातों का ध्यान रखा है। हम ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि इन मामलों में किसी को परेशानी न हो। इस सम्बन्ध में हम माननीय सदस्यों के सुझावों का स्वागत करेंगे। 1965-66 से नगरीय सम्पत्तियों पर अतिरिक्त धन कर लागू किया गया है। शायद माननीय सदस्यों ने यह बात अनुभव नहीं की है।

हम लोगों के लिए कर अपवंचन असंभव बना देना चाहते हैं। यदि एक व्यक्ति करके 300 रुपये नहीं देता तो जब उसे यह मालूम होगा कि उसके लिये उसे 50,000 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा, तो वह 300 रुपये का अपवंचन नहीं करेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि,

299. पृष्ठ 12,

पंक्ति 25 के पश्चात् यह जोड़ दिया जाये:—

(i) खण्ड (4) के बाद 1 अप्रेल, 1970 से निम्नलिखित खण्ड जोड़ दिया जाये अर्थात्:—

"(4 क) करदाता की कृषि योग्य भूमि, जिसका मूल्य अधिक से अधिक 150 हजार रुपये हो :

परन्तु जिन मामलों में करदाता का मकान अथवा मकान का कुछ भाग ऐसे स्थान पर हो जहां की जनसंख्या दस हजार से अधिक हो और जिसपर खण्ड (iv) के उपबन्ध लागू होते हों और ऐसे मकान अथवा मकान के भाग का मूल्य कृषि योग्य भूमि के मूल्य में मिलाकर एक सौ पचास हजार रुपये से बढ़ जाती हो तो ऐसे मामलों में इस खण्ड के अन्तर्गत करदाता की शुद्ध सम्पत्ति जिस राशि को शामिल नहीं किया जाना चाहिए वह यह है राशि एक सौ पचास हजार होनी चाहिए जिसमें उस मकान अथवा मकान के भाग के मूल्य को, जिसकी खण्ड (iv) के अन्तर्गत करदाता की शुद्ध सम्पति में शामिल नहीं किया जाता है, कम कर दिया गया है।"

Page 12,—

after line 25, insert—

(i) after clause (iv), the following clause shall be inserted with effect from the 1st day of April, 1970, namely:—

"(iva) agricultural land belonging to the assessee subject to maximum of one hundred and fifty thousand rupees in value :

Provided that where the assessee owns any house or part of a house situated in a place with a population exceeding ten thousand and to which the provisions of clause (iv) apply and the value of such house or part of a house together with the value of the agricultural land exceeds one hundred and fifty thousand rupees, then the amount that shall not be included in the net wealth of the assessee under this clause shall be one hundred and fifty thousand rupees as reduced by so much of the value of such house or part of house as is not to be included in the net wealth of the assessee under clause (iv) ;"

300. पृष्ठ 12, पंक्ति 26:—

'(1)' के स्थान पर '(2)' रख दिया जाये ।

301. पृष्ठ 12 पंक्ति:—

(2) के स्थान पर (3) रख दिया जाये ।

302. पृष्ठ 13

पंक्ति 3 से 12 के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाये:—

"(1) खण्ड (क) में उल्लिखित मामलों में यदि उसके द्वारा धन की कोई राशि देय है, तो उसके अतिरिक्त जितने महीनों तक वह अपराध करता रहेगा प्रत्येक महीने के लिये उससे आधे प्रतिशत के समान राशि ली जायेगी:—

(क) अनुसूची के भाग (क) अथवा अनुसूची के भाग दो में निर्दिष्ट धनकर की दरों के अनुसार धनकर की राशि घटाकर धारा 16 के अन्तर्गत शुद्ध सम्पत्ति निर्धारित की है, लेने वाला धनकर शून्य है, अथवा

(ख) धारा 17 के अन्तर्गत निर्धारित की गई शुद्ध सम्पत्ति जहां निम्नलिखित राशियां को घटाकर इस धारा के अन्तर्गत यह निर्धारित की गई है:—

(एक) इससे पूर्व धारा 16 अथवा धारा 17 के अन्तर्गत यदि कोई शुद्ध सम्पत्ति निर्धारित की गई है, अथवा

(दो) शुद्ध सम्पत्ति की राशि जिसपर अनुसूची के भाग एक में पैराग्राफ (क) अथवा अनुसूची के भाग दो में निर्दिष्ट धनकर की दरों के अनुसार लिया जाने वाला धनकर शून्य है । जो अधिक हो,

परन्तु यह राशि कुल ली जाने वाली राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए, धारा के अन्तर्गत निर्धारित शुद्ध सम्पत्ति के समान, अथवा, जैसा कि मामला हो धारा 17 के अन्तर्गत निर्धारित शुद्ध सम्पत्ति जैसा कि उक्त तरीके से घटाकर बनती हो,

302. **Page 13,—**

for lines 3 to 12, substitute—

"(i) in the cases referred to in clause (a) in addition to the amount of wealth-tax if any, payable by him, a sum, for every month during which the default continued, equal to one-half percent, of—

(A) The net wealth assessed under section 16 as reduced by the amount of net wealth on which, in accordance with the rates of wealth-tax specified in Paragraph A of Part I of the Schedule or Part II of the Schedule, the wealth tax chargeable is nil, or

(B) the net wealth assessed under section 17, where assessment has been made under that section, as reduced by—

(1) the net wealth, if any, assessed, previously under section 16 or section 17, or

(2) the amount of net wealth on which in accordance with the rates of wealth-tax specified in Paragraph A of Part I of the Schedule of Part II of the Schedule, the wealth-tax chargeable is nil,

whichever is greater,

but not exceeding, in the aggregate, an amount equal to the net wealth assessed under section 16, or as the case may be, the wealth assessed under section 17, as reduced in either case in the manner aforesaid ;"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं शेष संशोधन मतदान के लिए रखता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सभा में मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

The motion were put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है.—

'कि खण्ड 24, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।

The Lok Sabha divided

पक्ष में 132 : विपक्ष में 48

Ayes 132 : Noes 48

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 24, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 24, as amended, was added to the Bill

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम खण्ड 25 को लेंगे। श्री अब्दुल गनीदार और श्री कंवर लाल गुप्त द्वारा प्रस्तुत संशोधन नियम-बाह्य हैं।

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी (मंदसौर) : में संशोधन संख्या 18 प्रस्तुत करता हूँ। मैं इसके द्वारा यह चाहता हूँ कि वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ श्री भूतलिंगम ने जो सिफारिश अपने प्रतिवेदन में की है उसे स्वीकार कर लिया जाये।

श्री मी० रु० मसानी (राजकोट) : मैं इस खण्ड का विरोध करता हूँ। इस खण्ड का उद्देश्य कम्पनियों पर से कुल करों की 70 प्रतिशत अधिकतम सीमा को समाप्त करना है। अधिकतम सीमा करों के एक निश्चित स्तर से बढ़ने को रोकने के लिये बनाई गई थी। उसे समाप्त नहीं करना चाहिये अब आगामी वर्षों में सरकार जितना कर बढ़ाना चाहे बढ़ा सकेगी। मैं इस खण्ड का विरोध करता हूँ।

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker in the chair]

श्री मोरारजी देसाई : मैं समझता हूँ कि इस अवस्था में इस कर को रखना आवश्यक है। अत : मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन सभा में मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

The amendment was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि खण्ड 25 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 25 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 25 was added to the Bill

खण्ड 26 से 29 विधेयक में जोड़ दिए गये

Clauses 26 to 29 were added to the Bill

खण्ड 30

श्री मी.रु. मसानी : मैं अपने संशोधन संख्या 19, 20, 21, और 22 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया (जालोर) : मैं अपना संशोधन संख्या 303 प्रस्तुत करता हूं।

श्री मी. रु. मसानी : मैं संशोधन संख्या 23 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी : मैं संशोधन संख्या 24, 25 और 26 प्रस्तुत करता हूं।

श्री वेणी शंकर शर्मा : मैं संशोधन संख्या 220,221, 222, 223 और 225 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री दिनकर देसाई (कनारा) : मैं संशोधन संख्या 267 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : मैं संशोधन संख्या 271 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री मी० रु० मसानी : मेरे संशोधनों का सम्बन्ध तैयार किये गये खाद्यपदार्थों, पेट्रोलियम और उर्वरकों से है। श्री पाटोदिया उत्पादन शुल्क के बारे में बतायेंगे।

गत 10 से 15 वर्षों के बीच पेट्रोलियम, पर बहुत अधिक कर लगाया जाता रहा है। सड़क परिवहन को सरकार ने कोई महत्व नहीं दिया है इससे देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ा है। अब सरकार ने फिर पेट्रोलियम उत्पादा पर कर बढ़ाने का निर्णय किया है इस से छोटे लोगों, अर्थात ट्रक वालों पर और अधिक भार पड़ेगा। अतः मैं इसका विरोध करता हूँ।

उर्वरकों पर कर लगाने के निर्णय का विरोध कांग्रेस सदस्यों ने भी किया है। आज किसानों के लिये यह उर्वरक आवश्यक है। हमारे देश में अन्य देशों की अपेक्षा इसकी कीमत पहले ही बहुत अधिक है इसके मूल्य तो बहुत सस्ता किया जाना चाहिए अतः मेरा अनुरोध है कि प्रस्तावित वृद्धि न की जाये।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : तैयार खाद्यान्नों पर 10 प्रतिशत नया शुल्क लगाया जा रहा है। इससे 1½ करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। इस उद्योग को पहले ही बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इन पदार्थों के लिये कच्चे माल का आयात करना पड़ता है जिनपर बहुत लागत आती है। चीनी पर से नियन्त्रण हटाने से लागत और भी बढ़ गई है। बहुत से उद्योग समाप्त होते जा रहे हैं। यह एक कुटिर उद्योग है जिसे संरक्षण देने की आवश्यकता है। अतः प्रस्तावित कर से स्थिति और भी खराब हो जायेगी मैं समझता हूँ मंत्री महोदय इस पर विचार करके इस को समाप्त करेंगे।

सरकार की सूती कपड़े पर प्रस्तावित कर वृद्धि से उसकी लागत बढ़ जायेगी। सरकार को इसे वापिस लेना चाहिये। मेरा संशोधन संख्या 303 इसी से संबंधित है।

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी : हमें मध्यम वर्ग पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर लगाये जाने पर बहुत चिन्ता है। चीनी के मूल्य पहले ही बहुत बढ़े हुए हैं। राशन की चीनी कम होने के कारण सभी लोगों को बाजार से चीनी खरीदनी पड़ती है। अब इस वृद्धि से चीनी और भी महंगी हो जायेगी। पेट्रोल, सिग्रेट, बिजली के सामान और साबुन पर उत्पादन शुल्क बढ़ाने से जनसाधारण पर बहुत बोझ पड़ेगा। कई वर्षों से निरन्तर इन वस्तुओं पर कर में वृद्धि की जा रही है। लोगों का जीवन स्तर ऊपर नहीं उठ सकता। उर्वरकों पर कर के विरुद्ध सत्तारूढ़ दल के सदस्यों ने भी अपनी राय व्यक्त की है। सरकार को पटसन और चाय पर निर्यात शुल्क समाप्त कर देना चाहिये।

श्री सेझियान (कोम्बाकोनम) : चीनी पर यथा मूल्य शुल्क से चीनी मिलों को मिलने वाले लाभ कम हो जायेगा। जहां पर चीनी का राशन नहीं है वहां लोगों के लिए चीनी के मूल्य में बहुत वृद्धि हो जायेगी। राशन तो वैसे भी केवल बड़े बड़े नगरों में ही है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये।

पेट्रोल पर शुल्क की वृद्धि से सड़क परिवहन का खर्च बढ़ जायेगा। और अन्ततः इसका प्रभाव सामान्य जनता पर पड़ेगा।

उर्वरकों पर कर लगाने के प्रस्ताव के बारे में आसाम और उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्रियों ने भी अपनी आशंकाए व्यक्त की है। हमें किसानों को प्रोत्साहन देना चाहिये। भारत में उर्वरकों का प्रयोग अन्य देशों की अपेक्षा पहले ही बहुत कम है। अतः मैं इसका विरोध करता हूँ। यदि देहातियों पर कर लगाना आवश्यक है तो और ढंग से कर लगाया जाना चाहिये। इस कर से तो खाद्य उत्पादन में वृद्धि नहीं हो सकेगी।

श्री स. मो. बनर्जी (कानपुर) : मैं संशोधन संख्या 281, 283, 284, 285, 286 और 290 प्रस्तुत करता हूँ।

देश में देशी खाद की कमी है। अब लोगों ने उर्वरकों का प्रयोग आरम्भ कर रखा है और यह कर लगाया जा रहा है। इससे किसान बहुत हतोत्साह होंगे। इस सदन के सदस्यों का बहुमत इसके विरूद्ध है। मैं आशा करता हूँ कि इसे वापस ले लिया जायेगा। साबुन निर्धन लोगों के प्रयोग की वस्तु है हम इस पर कर का विरोध करते हैं।

पेट्रोल पर उत्पादन शुल्क बढ़ा देने से बसों की यात्रा महंगी हो जायेगी। और निर्धन जनता पर भार पड़ेगा। मैं इसका विरोध करता हूँ।

निम्नकोटि और मध्यम कोटि के कपड़े पर उत्पादन शुल्क लगाने से निर्यात व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। हमें पहले ही चीन आदि देशों से प्रतियोगिता का सामना करना पड़ रहा है। इस अतिरिक्त शुल्क से स्थिति और खराब हो जायेगी।

चीनी पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगाने से चीनी बहुत महंगी हो जायेगी। हमें चीनी के मूल्य कम करने के लिए कार्यवाही करनी चाहिये। मैं इन करों का विरोध करता हूँ।

श्री योगेन्द्र शर्मा (बेगुसराय) : मैं संशोधन संख्या 295 और 296 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री एस० आर० दामानी (शोलापुर) : मैं संसोधन संख्या 304 प्रस्तुत करता हूँ।

Shri Shiva Chandra Jha : I do not support the levy of excise on chocolates. We should not put tax on a commodity which is used by small children. I am aganist the levy of tax on fertilizers also. Our farmers have just started its use. we should not be in a hurry to impose this tax so soon. This tax should be withdrawn.

श्री श्रीनिवास मिश्र (कटक) : मंत्री महोदय डिब्बाबन्द खाद्य पदार्थों पर कर बढ़ाना चाहते हैं। अब लोग कर से बचने के लिए डिब्बाबन्द वस्तुओं के स्थान पर खुले बेचा करेंगे। इससे सफाई नहीं रह सकेगी और लोगों का स्वास्थ्य खतरे में पड़ जायेगा। मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि इसे वापिस ले लें। उर्वरक पर कर लगाने के बारे में पहले ही बहुत कुछ कहा जा चुका है हमें इसके प्रयोग को प्रोत्साहन देना चाहिये और इस पर कर नहीं लगाना चाहिये।

श्री एस० आर० दामानी : मैं सूती कपड़ा उद्योग को दी जाने वाली राहत का स्वागत करता हूँ। यह पहला अवसर है कि सरकार कपड़े पर यथा मूल्य शुल्क लागू कर रही है। हमें ध्यान रखना चाहिये कि यह न्यायोचित ढंग किया जाये। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने संशोधन रखा है। सरकार को उत्पादन शुल्क पर पुनः विचार करना चाहिये, ताकि इस शुल्क का प्रभाव सभी प्रकार के कपड़ों पर समान रूप से पड़े। सरकार को सभी सुझावों पर विचार करके कठिनाइयां समाप्त करनी चाहिये।

श्री वेणी शंकर शर्मा : मैं सूती कपड़ों और बिजली के बल्बों पर कर बढ़ाये जाने के बारे में मैं यह चाहता हूं कि सरकार सभी प्रकार के कपड़ों पर यथामूल्य आधार पर उत्पादन शुल्क और प्रतिमीटर के आधार पर ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। बल्बों पर 11 प्रतिशत शुल्क लगाने का प्रस्ताव है। अब विद्युतीकरण के प्रसार से इन बल्बों का देहाती क्षेत्रों में प्रयोग बढ़ता जा रहा है। प्रस्तावित शुल्क को 50 प्रतिशत कम कर दिया जाये।

Shri Ramavtar Shastri (Patna) : I move Amendment No. 270, 271, 273, 278, 294, 295 and 296 and I withdraw amendment No. 272 and 297. On one hand we want to give incentives to our farmers to produce more foodgrains but on the other hand excise duty is being imposed on fertilizers. It is not that only rich farmers use fertilizers, the same is being used by poor and small farmers as well because they also realise that they are benefitted by using fertilizers. In view of this I suggest that this tax on fertilizers should not be imposed.

I have moved an amendment on page 16, line 15, in which 6½ percent **ad-valorem** has been mentioned. It should be reduced to 4½ percent **ad-valorem.** In so far as the tax on domestic electrical appliances is concerned, it should be imposed on big restaurants only. The taxes should be imposed on rich and not the poor. Before concluding I request the Finance Minister again not to impose tax on fertilizers.

Shri Deorav Patil (Jeatmal) : My amend No. 175 relates to non-imposition of tax on fertilizers. I may state that we should keep in view the capacity of tax payers before imposing a tax. A famer having less than 5 acres of land and who uses fetilizers has no capacity to pay the tax. The reason for imposing this tax has been given that the farmers have received adequate price of their produce during the last 3-4 years and secondly agricultural production has been increased. Small farmers are not covered by both these agruments. Only those farmars have been benefitted who have sources of irrigation and not the small farmers. The hon'ble Minister should therefore reconsider this matter.

I would also like to know the manner in which Rs. 50 crores proposed to be collected by imposing said tax will be utilised ?

अध्यक्ष महोदय : सामान्यत: संशोधन प्रस्तुत करने वाले सदस्य को बोलने की अनुमति दी जाती है परन्तु यदि अन्य सदस्यों को भी बोलने की अनुमति दी जाये तो यह सामान्य चर्चा बन जायेगी। यह बात अनुचित है।

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि विकास गति अधिक से अधिक तेज़ हो। विकास की गति तेज करने के लिए संसाधन जुटाने की आवश्यकता है। यह निष्कर्ष निकालना ठीक नहीं है कि उर्वरक पर कर लगाये जाने से कृषि में आगे सुधार में बाधा पड़ेगी। हमने देखा है कि गत तीन या चार वर्षों में जब उर्वरक के मूल्यों में वृद्धि हुई थी तो उनका उपयोग अधिक से अधिक किया गया था। जब राजसहायता बन्द कर दी गई थी तो आगामी वर्ष में 37 प्रतिशत अधिक उर्वरक का उपयोग किया गया था अतः कृषि सुधार में कोई बाधा नहीं पड़ेगी क्योंकि उर्वरक के उपयोग से पर्याप्त लाभ होता है। यहां तक कि लोग चोर बज़ार से भी उर्वरक खरीदते हैं। उर्वरक का प्रयोग सिंचाई वाले क्षेत्र में किया जाता है और ऐसे क्षेत्रों में उर्वरक के प्रयोग से उत्पादन में दस गुना वृद्धि होती है। इस बात का मेरे पास प्रमाण है। मैंने इस सम्बन्ध में कुछ किसानों के साथ भी परामर्श किया है उन्होंने भी मुझे बताया है कि इस से होने वाले 134 रुपये अतिरिक्त लाभ में से 4 रुपये से अधिक हानि नहीं होती। यह बात मुझे बताई है फिर जब कभी अकाल पड़ता है तो उन्हें घाटा होता है। परन्तु ऐसी अवस्था में सरकार उनकी सहायता करती है। फ़िर इसका निर्णय मंत्रिमंडल ने किया है, अतः मैं इस उत्पादन शुल्क को वापिस नहीं ले सकता।

चीनी के बारे में कहा गया था कि शुल्क लगाये जाने से चीनी के मूल्य में वृद्धि हुई थी बजट पेश करने से पूर्व खुले बाज़ार में चीनी का मूल्य 3 रु 55 पैसे था और 30 अप्रेल को 3 रुपये 10 पैसे था। अतः यह कहना अनुचित है कि मूल्य में वृद्धि हुई है।

मैंने विद्युत चालित करघों तथा अन्य प्रकार के कपड़े के सम्बन्ध में कुछ रियायतों की घोषणा पहले ही कर दी है। मैं इन रियायतों को अधिसूचनाओं द्वारा लागू कर रहा हूँ इन उपबन्धों में संशोधन कर के नहीं। अतः ये संशोधन अनावश्यक हैं मैंने यह भी बताया है कि बिजली से चलने वाले पम्पों पर शुल्क हटा लिया गया है। मैंने खाद पर कर की छूट उन सब को दी है जिन का उत्पादन 50,000 रुपये से कम होगा। इस से बहुत से अन्य लोगों को छूट मिल जायेगी।

श्री मी० रु० मसानी (राजकोट) : संशोधन संख्या 22 को अलग से मतदान के लिए रखा जाये।

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले खण्ड 30 में संशोधन संख्या 22 को सभा के मतदान के लिये रखता हूँ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 22 सभा में मतदान के लिए रखा गया।

Amendment No. 22 was put to vote

सभा में मतविभाजन हुम्रा

k Sabha divided

पक्ष में 41 Ayes 41
विपक्ष में 129 Noes 129

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The motion was negatived

अध्यक्ष महोदय द्वारा अन्य सभी संशोधन सभा के मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुये ।

The amendment ware put and negatived

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह कि खण्ड 30 विधेयक का अंग बने
प्रस्ताव स्वीकृत हुम्रा

The motion was adopted

खण्ड 30 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 30 was added to the Bill

खण्ड 31 और 32 विधेयक में जोड़ दिये गये

Clauses 31 and 32 were added to the Bill

खण्ड 33

अध्यक्ष महोदय : अब खण्ड 33 के संशोधन प्रस्तुत किये जायेंगे ।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी (मंदसौर) : मैं संशोधन संख्या 27 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री क० लकप्पा (तुमकुर) : में संशोधन संख्या 268 प्रस्तुत करता हूँ

श्री स० मो बनर्जी (कानपुर) : मैं संशोधन संख्या 291 प्रस्तुत करता हूँ

अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी संशोधन सभा में मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

The amendments were put and negatived

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि खण्ड 33 विधेयक में जोड़ दिया गया ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

खण्ड 33 विधेयक में जोड़ दिया गया
Clause 33 was added to the Bill.

खण्ड 34 विधेयक में जोड़ दिया गया
Clause 34 was added to the Bill.

अध्यक्ष महोदय : अब प्रथम अनुसूची पर विचार किया जायेगा ।

श्री मी० रु० मसानी : मैं संशोधन संख्या 28,29,30,32,33,34,37,39,40,41, 44,47,160,161 और 162 प्रस्तुत करता हूँ ।

प्रथम अनुसूची का सम्बन्ध प्रत्यक्ष करों से है । मेरे संशोधनों के तीन उद्देश्य हैं । मेरा पहला उद्देश्य है कि आयकर की छूट की वर्तमान सीमा 4,000 रुपये को बढ़ा 7,500 रुपये कर देना चाहिये । गत वर्ष श्री बूथलिंगम ने यह सिफारिश की थी और हमारा विचार था कि सरकार उसे स्वीकार कर लेगी । उन्होंने यह ठीक ही कहा था कि इन लोगों से इतनी धन राशि वसूल नहीं होती जितना उस पर आयकर प्रशासनिक व्यय हो जाता है ।

मेरा दूसरा संशोधन यह है कि 10,000 और 20,000 रुपये प्रतिवर्ष आय वाले मध्य वर्ग को बहुत कठिनाई होती है । उनकी आय स्थिर रहती है परन्तु खर्च बढ़ता रहता है । अतः मैं इस वर्ग पर अधिक कर लगाये जाने का विरोध करता हूँ ।

मेरा तीसरा संशोधन फ़र्म पर कर लगाये जाने के सम्बन्ध में है । फर्मों पर फ़र्म के रूप में तथा साझीदार के रूप में दोहरा कर लगाया जाता है । अब सरकार 25,000 रुपये आय वाली फ़र्मों की सीमा घटा कर 10,000 रुपये आय वाली फर्मों पर कर लगाना चाहती है । जिस फ़र्म की आय 800 रुपये प्रति मास है उसे फ़र्म तथा साझीदार के रूप में कर देना होगा जो अनुचित है ।

श्री जे० मुहम्मद इमाम (चित्रदुर्ग) : मैं संशोधन संख्या 151,152,153,154,155. 156,157 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी : मैं संशोधन संख्या 31,36,38,43,45,46,82,85,86,88, 275,276,277,278 प्रस्तुत करता हूँ ।

मेरे विचार में 10,000 रुपये और 20,000 रुपये के बीच की आय वाले लोगों और 10,000 रुपये से 25,000 रुपये के बीच की आय वाली फ़र्मों पर अतिरिक्त कर लगाने का कोई औचित्य नहीं है । मुद्रास्फीति के कारण रुपये का मूल्य पहले ही कम हो गया है और कर बढ़ा देने से बहुत बुरी स्थिति पैदा हो जायेगी । अतः वित्त मंत्री को इस पर पुनर्विचार करना चाहिये ।

गत वर्ष के बजट में अनर्जित आय पर कर कम कर दिया गया था । उस पर कर कम करना और अर्जित आय पर कर बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है ।

प्रत्यक्ष करों से लोगों को दुःख ही नहीं होता बल्कि लोगों की कार्य करने बचाने और नियोजन करने की क्षमता पर भी उनका विपरीत प्रभाव पड़ता है । भारत में कर सबसे अधिक है और प्रगति की दर सब से कम है । कर अपवंचन भी अधिक कराधान के कारण होता है ।

अपना व्यवसाय करने वाला वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग है और उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाना चाहिये। सोलिसिटर, लेखापाल आदि लोग करदाताओं को सही मार्ग पर लाते हैं। अतः व्यवसायक आय पर अधिभार कम कियां जाना चाहिये।

श्री श्रीनिवास मिश्र (कटक) : मैं संशोधन संख्या 263 और 265 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : मेरे सभी संशोधनों का सम्बन्ध व्यक्तिगत प्रत्यक्ष कर की छूट की सीमा बढ़ाकर 7,500 कर देने से है। मैं इस सम्बन्ध में वित्त मंत्री का ध्यान भूतलिंगम प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों की ओर दिलाना चाहता हूँ।

फिर प्रत्यक्ष कर ही आय का साधन नहीं हैं क्योंकि जो व्यक्ति 100 रुपया प्रतिमास कमाता है वह भी अप्रत्यक्ष करों के रूप में देश के विकास में अपना हिस्सा डालता है। अतः इस तर्क में कोई सार नहीं है कि केवल प्रत्यक्ष करों का भुगतान करके ही लोग राष्ट्र के विकास में हिस्सा डाल सकते हैं। जब मूल्यों में असाधारण वृद्धि हो चुकी है, मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति काम कर रही है और रुपये का मूल्य काफी घट गया है तो ऐसी परिस्थितियों में छूट की सीमा बढ़ाकर 7,500 रुपये कर देना और भी तर्कसंगत है।

श्री स० मो० बनर्जी : में संशोधन संख्या 292 और 293 प्रस्तुत करता हूँ। सभी वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हो जाने के कारण मध्य वर्ग को सबसे अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है और 5,000 से 10,000 रुपये की आय वाला वर्ग मध्य वर्ग कहलाता है।

श्री शिव चन्द्र झा (मधुबनी) : मैं अपने संशोधन संख्या 180,181.182 और 183 प्रस्तुत करता हूँ।

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani): You want to increase the income tax by 10 and 15 percents respectively, for the income range of Rs. 5000-10,000 and Rs. 10,000-15,000. People belonging to these income groups are men of enterprising spirit and this they have established beyond doubt in the speres of education and industry. Therefore I would most strongly urge that **status-quo** should be maintained in respect of these income groups. As an alternative measure to affset this loss I would suggest for enhaning the income tax by 98 and 99 percents on the income of Rs. 1 lakh—2.5 lakhs and Rs. 2.5 lakhs or above respectinely. People belonging to these income groups are by no means enterprising; on the contrary they are parasites for the society as such deserve to be heavily taxed.

श्री श्रीनिवास मिश्र (कटक) : इस वित्त विधेयक के अनुसार एक सरकारी समिति को 50,000 की आय पर एक पंजीकृत फर्म की अपेक्षा अधिक आयकर देना होगा।

फिर यह कहा गया है, "जहां कुल आय 5,000 रुपये से अधिक नहीं है—5 प्रतिशत।" यहां पर कुल आय के स्थान पर भारित आय होना चाहिये था। मैं आशा करता हूँ कि माननीय वित्त मंत्री इस पर विचार करके सहकारी समितियों पर कर के स्तर को नीचे लायेंगे।

श्री वेणी शंकर शर्मा (बांका) : पहली अनुसूची पर मैं अपने संशोधन संख्या 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237 और 238 प्रस्तुत करता हूँ;

मैंने सुझाव दिया है कि जहां पर कुल आय 5,000 रुपये से कम है आयकर 5 प्रतिशत की बजाये 2 प्रतिशत होना चाहिए और 5,000 और 10,000 के बीच की आप पर 100 रुपये और 2 प्रतिशत । 5,000 और 15,000 के बीच मुख्य रूप से मध्य वर्ग आता है । इस वर्ग पर सबसे अधिक बोझ पड़ता है । अतः इसके साथ कुछ रियायत बर्ती जानी चाहिए ।

कम्पनियों के बारे में मैंने सुझाव दिया है कि कम आय वाली कम्पनियों पर अपेक्षाकृत कम आयकर लगाया जाये ताकि यह क्षेत्र अच्छी तरह पनप सके । जहां तक पंजीकृत फर्मों का सम्बन्ध है उनके बारे में मैं चाहता हूँ यथापूर्व स्थिति रहने दी जाये ।

श्री मोरारजी देसाई : 10,000 रु० और इससे ऊपर की आय पर कर का विरोध किया गया है । वास्तव में यह वृद्धि अधिक नहीं है । 12,000 की आय पर केवल 44 रुपये प्रति वर्ष अधिक देने होंगे । इसका पूरा असर तो ऊंची आय पर पड़ेगा न कि छोटे आय पर ।

जहां तक सहकारी समितियों का सम्बन्ध है, उनको 30,000 तक की आय पर अधिक नहीं देना होगा । इससे अधिक आय पर ही उन्हें 55 रुपये से 275 रुपये तक अधिक देना होगा । फिर केवल व्यापारिक सहकारी समितियों पर ही कर लगाया गया है अन्य सहकारी समितियों पर नहीं । पंजीकृत फर्मों के साथ सहकारी समितियों की तुलना करना गलत है क्योंकि पंजीकृत फर्में, उनके भागीदार जो देते हैं उसके अतिरिक्त देती हैं ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी संशोधन मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए :

The amendments were put and negatived

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि प्रथम अनुसूची विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

प्रथम अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई

The First Schedule was added to the Bill.

दूसरी अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई ।

The Second Schedule was added to the Bill

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clause 1. The Enacting Formula and Title were added to the Bill

श्री मोरारजी देसाई : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव यह है :
"कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये ।"

Shri Tulshidas Jadhav (Baramati): Before imposing the wealth tax on land, Government should delve deep into the letter and spirit of Articles Nos. 86, 87 and 89 of the Constitution which preclude the Government from resorting to any such imposition.

Secondly, the levy on fertilizer is regressive measure. The arguments given by the Hon. Finance Minister are fallacious and untenable. In view of the fact that 85 percent of our cultivators are living in indigence, I do not think this levy proper

श्री रा० की० श्रमीन (ढांढ़का) : इस बजट से मुद्रास्फीति बढ़ेगी। 250 करोड़ रु० की घाटे की अर्थव्यवस्था का उपबन्ध किया गया। इसके अतिरिक्त माननीय वित्त मंत्री स्वयं इस बात को मानते हैं कि उद्योग का पुनर्जीवन मिला है। यदि यह धन भी अर्थव्यवस्था में लगाया गया तो इससे दुगुनी मुद्रास्फीति होगी। फिर केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों ने मिलकर 150 करोड़ रुपया करों के रूप में वसूल किया है। यह रुपया व्यर्थ के कामों में लगाया जायेगा और इससे भी काफी मुद्रास्फीति बढ़ेगी।

दूसरे यह बजट विकास के लिए अच्छा नहीं है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the chair]

धन कर और उर्वरकों पर लगाये गये कर को ही ले लीजिये। इससे कृषि जगत में बचत को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा और लोग जेवर और सोने पर पैसा खर्च करने लगेंगे। इस समय कृषि को अधिक विनियोजन की आवश्यकता है जबकि आप उससे धन निकाल रहे हैं। मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि वह उर्वरक पर लगाये गये कर को और धन कर को वापस ले लें। पंजीकृत फर्मों पर लगाये गये कर को भी वापस लिया जाना चाहिये क्योंकि इससे भागिता व्यापार समाप्त हो जायेगा जो कि हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत आवश्यक है।

श्री एस कन्डप्पन (मैटूर) : उर्वरकों पर लगाये गये कर के सम्बन्ध में माननीय वित्त मंत्री ने कहा कि कर के बावजूद भी उर्वरकों की खपत बढ़ी है। वर्तमान अनुमान के अनुसार 1970-71 तक हमारे पास 13 लाख टन उर्वरकों की कमी होगी। इस कमी को किस प्रकार पूरा किया जायेगा ? इस देश में उर्वरक की लागत अन्य देशों की अपेक्षा बहुत अधिक है। प्रति एकड़ उपज भी यहां बहुत कम है। अतः उर्वरकों के प्रयोग को प्रोत्साहन देने की बहुत आवश्यकता है। अतः मेरा अनुरोध है कि उर्वरकों पर से कर को हटाया जाये।

मैं वित्त मंत्री से पूछना चाहता हूँ कि बाढ़ सूखा और फसल नष्ट होने की स्थिति में किसान की सहायता के लिए कोई बैंक और ऋण आदि की व्यवस्था है ? उसकी आय पर कोई ऋण लगाने से पहले इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। मेरा सुझाव है कि यदि अधिकतम भूमि अधिनियम को पूरी तरह क्रियान्वित किया जाये और जमींदारी को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाये तो धन कर लगाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण-दिल्ली) : हम प्रति वर्ष विदेशों से करोड़ों रुपये का खाद्यान्न आयात करते हैं। आप निर्यात को बढ़ाने पर काफी धन व्यय कर रहे हैं। यदि खाद्य में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के पश्चात उर्वरकों पर कर लगाया जाता तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं होती। आपने स्वयं कहा है कि 1970-71 तक हम आत्मनिर्भर हो जायेंगे तो क्या आप दो वर्ष तक प्रतीक्षा नहीं कर सकते।

दूसरे, आपने 10,000-20000 रुपये के आय वर्ग पर आयकर में वृद्धि की है और साबुन और अन्य वस्तुओं पर उत्पादन शुल्क में वृद्धि की है। इन सबका भार मध्य वर्ग पर पड़ता है जो लोकतन्त्र की जान है।

आप कहते हैं, आपके पास पैसा नहीं है। यदि सरकारी क्षेत्र के उपक्रम आपको काम नहीं दे सकते हैं, तो उन्हें बन्द कर दीजिए या फिर उन्हें लाभ में चलाइये। किन्तु आप ऐसा करने के लिए तैयार नहीं हैं। आपसे अपील करता हूँ कि यदि आप इस विधेयक में परिवर्तन नहीं कर सकते तो देश की नीतियों के बारे में पुनर्विचार कीजिये।

डा० रानेन सेन (बारसाट) : यह बजट इस प्रकार का है कि इससे कृषि वस्तुओं के दाम बढ़ेंगे और इसके परिणामस्वरूप अन्य वस्तुओं के भी मूल्य बढ़ेंगे जिससे केवल बड़े व्यापारियों को ही लाभ पहुंचेगा किन्तु मध्य वर्ग पर इसका बुरा असर पड़ेगा।

माननीय वित्त मंत्री देश के विकास की बात करते हैं किन्तु वास्तव में उन्होंने गरीब और साधारण जनता पर कर लगाये हैं चोर बाज़ारी करने वालों और तस्कर व्यापार करने वालों को वह छूना नहीं चाहते हैं।

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani) : To all intents and purposes this budget will prove to be the last straw for the comman man. Mahatma Gandhi advocated that ends should not justify the means, but means should justify the ends. But here the process is just reverse. It is the most vulnerable sections of the society who are going to bear the brunt under this budget while the upper stratum of society has not been touched.

Have you ever calculated the amount of revenue accrueing to you if lowest and highest limits on income are placed in the ratis of 1 : 10. ? Unless tax evasion is clecked, hoarded wealth is mobilised nothing tangible can be gained. Hence I oppose this Bill with my might and main.

श्री क० नारायण राव (नोब्बिली) : अप्रत्यक्ष कर से वस्तुओं के मूल्यों में जितनी वृद्धि होनी चाहिए उससे अधिक हो जाती है। दूसरे खुदरा तथा थोक व्यापारी उत्पादन शुल्क लगते ही अपने पास पड़े माल का मूल्य बढ़ा देते हैं। तीसरे, प्रत्येक वर्ष कुछ वस्तुओं पर उत्पादन शुल्क में वृद्धि कर दी जाती है और इससे कतिपय वस्तुओं पर अधिक भार पड़ता है। माननीय वित्त मन्त्री से मेरा निवेदन है कि वह इन सुझावों पर विचार करें और भविष्य में अधिक वस्तुओं पर कर लगाकर उनके करों को कम करें।

श्री श्रीनिवास मिश्र (कटक) : जबकि रुपये की कीमत काफी घट गई है आयकर की निम्नतम सीमा को बढ़ाया नहीं गया और इस प्रकार आयकर देने वालों की संख्या तो बढ़ गई है, किन्तु कर की राशि बहुत थोड़ी वसूल की जाती है।

श्री मोरारजी देसाई : मुझ पर गरीब जनता पर कर लगाने का आरोप लगाया गया है। हमारा देश गरीब है और इसको स्वयं ही उठाना है। अत: गरीबों से करों की वसूली आवश्यक है। यह भी कहा गया है कि अमीरों पर कर नहीं लगाये गये हैं। मैं बता देना चाहता हूँ कि केवल इस देश में ही कम्पनियों पर 65 प्रतिशत कर लगाया गया है। अन्य देशों में यह 50 प्रतिशत से भी कम है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

इसके पश्चात लोक-सभा बुधवार 7 मई 1969/17 वैशाख 1891 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Wednesday, May 7 1969/Vaisakha 17, 1891 (Saka)